



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन  
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर  
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्य प्रदेश शासन  
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 2



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन  
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन  
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 2



## विषय सूची

विषय	संदर्भ	
	कण्डिकाएँ	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii-xvi
<b>परिचय</b>		
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप</b>		
सामान्य	1-2	1-2
उत्तरदायित्व संरचना	3-4	2-3
सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	5-6	3-4
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में मध्य प्रदेश शासन द्वारा निवेश	7-9	4-5
<b>भाग-1</b>		
<b>अध्याय-1</b>		
<b>ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप</b>		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप	1.1-1.24	7-24
<b>अध्याय-2</b>		
<b>ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ</b>		
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड		
प्रशमन शुल्क जमा न करना	2.1	25
<b>मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड</b>		
ठेकेदार से बकाए की गैर-वसूली	2.2	26-27
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड		
स्थायी बिजली कनेक्शन का अनियमित जारी करना	2.3	27-29
<b>भाग-2</b>		
<b>अध्याय-3</b>		
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)</b>		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)	3.1-3.28	31-48

विषय	संदर्भ	
	कण्डिकाएँ	पृष्ठ संख्या
<b>अध्याय—4</b>		
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)</b>		
<b>मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड</b>		
मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के द्वारा बिल्ड ऑपरेट ट्रान्सफर प्रणाली पर सड़क परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	4.1.1—4.1.37	49—94
<b>अध्याय—5</b>		
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ</b>		
<b>दि प्रॉविडेन्ट इंवेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड</b>		
ब्याज का परिहार्य भुगतान	5.1	95—97
<b>परिशिष्ट</b>		
1.1 ऊर्जा क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों के अंतिमिकृत लेखों के वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश	1.8, 1.9 और 1.12	99—100
1.2 31 मार्च 2018 को सरकारी कंपनियों की प्रदत्त पूँजी और बकाया ऋण	1.8	101
3.1 इस प्रतिवेदन में शामिल किये गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अद्यतन लेखों के अनुसार वित्तीय परिणामों का सारांश	3.1, 3.12, 3.13 और 3.19	102—104
3.2 इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किये गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विवरण	3.1	105—106
3.3 31 मार्च 2018 को राज्य के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के संबंध में अंशपूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति दर्शित करने वाला पत्रक	3.3	107—109
3.4 मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों में 31 मार्च 2018 को पूँजी, ऋण एवं गारंटी के शेषों के संबंध में अंतर को दर्शाने वाला विवरण	3.7	110—111
3.5 राज्य शासन द्वारा राज्य उपक्रमों में (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), जिनके लेखे बकाया है, बकाया लेखों की अवधि के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण	3.8.1	112

विषय		संदर्भ	
		कण्डिकाएँ	पृष्ठ संख्या
3.6	वर्ष 2000–01 से 2017–18 की अवधि के दौरान राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य शासन द्वारा निवेशित की गई निधि को दर्शाने वाला विवरण	3.15	113–119
4.1	कंपनी की संगठनात्मक संरचना	4.1.2	120
4.2	निष्पादन लेखापरीक्षा में चयनित सड़क परियोजनाओं का विवरण	4.1.5	121–122
4.3	व्यवहार्यता परामर्शदाता द्वारा अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले कंपनी द्वारा निविदा आमंत्रित करने और रियायत अनुबंध को अंतिम रूप देने का विवरण	4.1.9	123–125
4.4	एस.एल.ई.सी. को दिये गए आंकड़ों और अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन में शामिल आंकड़ों में अंतर	4.1.9	126
4.5	बी.ओ.टी. माध्यम पर निलंबित और ई.पी.सी. माध्यम पर पुनः-आवंटित परियोजनाओं की परियोजना लागत में वृद्धि के संबंध में	4.1.12 और 4.1.19 स	127
4.6	परियोजना के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त नहीं करने के लिए क्षतिपूर्ति राशि को दर्शाता हुआ विवरण	4.1.15	128–130
4.7	वन मंजूरी प्राप्त करने में विलंब	4.1.20	131–132
4.8	राइट ऑफ वे प्रदान करने में विलंब	4.1.20	133–134
4.9	निलंबित परियोजनाओं के मामले में एस्क्रो खाते से आहरण	4.1.26	135
5.1	निर्धारण वर्ष 2008–09 से 2018–19 तक आयकर विवरणी दाखिल करने में विलंब के कारण ब्याज के भुगतान को दर्शाने वाले ब्यौरे का विवरण	5.1	136



## प्रस्तावना

यह रिपोर्ट 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश की सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है।

सरकारी कंपनियों के लेखों (कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनियाँ मानी जाने वाली कंपनियाँ सहित) की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के तहत की जाती है। कंपनी अधिनियम के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेंट) द्वारा प्रमाणित लेखे, सीएजी के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं और सीएजी इस पर अपनी टिप्पणियाँ देते हैं अथवा सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों को पूर्ण करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये कंपनियाँ सीएजी द्वारा इनकी नमूना लेखापरीक्षा करने के भी अधीन हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19अ के तहत सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के लेखों से संबंधित प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने हेतु सीएजी द्वारा शासन को प्रेषित किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2017–18 की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए, साथ ही वे भी जो पहले के वर्षों में संज्ञान में आए थे, लेकिन पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे; 2017–18 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, यथा आवश्यक सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित की गयी है।



# विहंगावलोकन



## विंहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय समाविष्ट है :

**परिचय** :राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

**अध्याय-1** :ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप,

**अध्याय-2** :ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ,

**अध्याय-3** :राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त),

**अध्याय-4** :राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) ; और

**अध्याय-5** :राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 2,316.24 करोड़ का है।

### राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

31 मार्च 2018 को मध्य प्रदेश में 74 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) जिनमें तीन सांविधिक निगम (एक अकार्यशील सांविधिक निगम सहित) एवं 71 सरकारी कम्पनियाँ (16 अकार्यशील सरकारी कम्पनियों सहित) सम्मिलित थे, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के तहत थी। वर्ष 2017–18 के दौरान इस प्रतिवेदन में शामिल उपक्रमों ने, उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 81,694.55 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का 11.55 प्रतिशत था। 31 मार्च 2018 को 74 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 76,547.14 करोड़ था। वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान किए गए कुल निवेश ₹ 19,549.71 करोड़ में से ऊर्जा क्षेत्र में ₹ 17,459.90 करोड़ (89.31 प्रतिशत) निवेशित हुआ। इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए कुल 29 उपक्रमों (28 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम) में ₹ 1,381.80 करोड़ का निवेश रहा।

(कंडिकाएँ 1, 2 और 8)

#### 1. ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप

वर्ष 2017–18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों ने नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 66,043.29 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर मध्य प्रदेश के स.रा.घ.उ. के 9.34 प्रतिशत के बराबर था, जो कि ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को इंगित करता है।

(कंडिका 1.1)

##### मध्य प्रदेश शासन की हितधारिता

इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए सात ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 2018 को कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 69,777.93 करोड़ था। निवेश में पूँजी 36.45 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 63.55 प्रतिशत सम्मिलित थे। आगे, इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए चार उपक्रमों में ₹ 49.60 करोड़ का निवेश किया गया था।

राज्य शासन द्वारा प्रदत्त अग्रिम दीर्घावधि ऋण, कुल दीर्घावधि ऋण का 60.45 प्रतिशत (₹ 26,808.01 करोड़) था, जबकि कुल दीर्घावधि ऋण का 39.55 प्रतिशत (₹ 17,537.06 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया गया था। 2016–17 और 2017–18 के दौरान राज्य सरकार ने 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में विद्युत वितरण कम्पनियों पर बकाया ऋण (₹ 34,739.00 करोड़) में से ₹ 12,189.99 करोड़ (35.09 प्रतिशत) उज्जवल डिस्काम आश्वासन योजना (उदय) के तहत टेकओवर किया।

(कंडिका 1.4)

### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन

इस प्रतिवेदन में शामिल सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 618.10 करोड़ लाभ अर्जित किया, दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 4,907.25 करोड़ की हानि वहन की एवं दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कोई लाभ/हानि नहीं हुई। लाभ कमाने वाली कम्पनियां मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 552.89 करोड़), मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (₹ 32.73 करोड़) एवं मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 32.48 करोड़) थीं जबकि मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 2,716.79 करोड़) एवं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 2,190.46 करोड़) ने भारी हानि वहन की।

(कंडिका 1.9)

### निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

31 मार्च 2018 तक किये गये ऊर्जा क्षेत्र के सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य शासन द्वारा निवेश का निकाला गया वर्तमान मूल्य ₹ 79,066.51 करोड़ है। वर्ष 2000–01 से 2017–18 के दौरान सभी वर्षों में इन कम्पनियों की कुल आय नकारात्मक रही, जो इंगित करती है कि निवेशित निधियों पर प्रतिफल उत्पन्न करने के बजाय, ये कम्पनियां सरकार की निधियों की लागत भी वसूल नहीं कर सकी। आगे, वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य शासन के निवेश पर अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल ₹ 4,943.97 करोड़ के विरुद्ध ऊर्जा क्षेत्र के इन सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 4,289.15 करोड़ की हानि वहन की।

(कंडिका 1.11)

### निवल मूल्य का क्षरण

31 मार्च 2018 को ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों की संचित हानि ₹ 45,239.62 करोड़ थी। इस प्रतिवेदन में शामिल सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से तीन का निवल मूल्य का उनकी संचित हानि के कारण पूरी तरह से क्षरित होकर या तो शून्य या नकारात्मक हो गया था। 31 मार्च 2018 को इन तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित अंशपूंजी ₹ 16,119.70 करोड़ के विरुद्ध निवल मूल्य (–) ₹ 27,912.81 करोड़ था।

तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनकी पूंजी का क्षरण हो गया था, पर 31 मार्च 2018 को शासन का राशि ₹ 26,559.67 करोड़ का ऋण बकाया था।

(कंडिका 1.12)

### पूंजी पर प्रतिफल

पूंजी पर प्रतिफल की गणना ऊर्जा क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले तीन उपक्रमों के संबंध में की गई जबकि हानि वहन करने वाले अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में निवल मूल्य नकारात्मक है। मार्च 2018 को समाप्त विगत तीन वर्ष की अवधि

के दौरान, लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पूंजी पर प्रतिफल मात्र 0.17 एवं 0.56 प्रतिशत के मध्य रहा जो कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बुरे प्रदर्शन को दर्शाता है।

(कंडिका 1.14)

### नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (−)17.20 प्रतिशत और 10.64 प्रतिशत के मध्य रहा।

(कंडिका 1.15)

### उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के तहत डिस्कॉम के वित्तीय परिवर्तन

उदय योजना और त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू) के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितम्बर 2015 को राज्य की तीनों डिस्कॉमों से संबंधित कुल बकाया ऋण ( $\text{₹ } 34,739$  करोड़) का 75 प्रतिशत मध्य प्रदेश शासन द्वारा टेकओवर किया जाना था। मध्य प्रदेश शासन ने उपलब्ध कराये गये  $\text{₹ } 7,567.99$  करोड़ की अंशपूंजी एवं  $\text{₹ } 4,622$  करोड़ के अनुदान के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 की अवधि के दौरान कुल ऋण  $\text{₹ } 12,189.99$  करोड़ का टेकओवर किया गया। शेष  $\text{₹ } 13,864.26$  करोड़ को तीन साल की अवधि अर्थात् 2018–19, 2019–20 और 2020–21 में अनुदान में परिवर्तित किया जायेगा।

(कंडिका 1.19.4)

उदय योजना के तहत परिचालन लक्ष्यों की उपलब्धि के संबंध में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर मीटरिंग और डीटीआर मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग, असंयोजित घरों को बिजली प्रदान करने और एल.ई.डी. के वितरण में राज्य शासन ने बुरा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा, प्रगति के मौजूदा रुझान को देखते हुए, राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य वर्ष 2019–20 तक समेकित तकनीकी और व्यवसायिक हानियों को 15 प्रतिशत तक लाना मुश्किल होगा।

(कंडिका 1.19.3)

### लेखों की गुणवत्ता

ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक अंतिमीकृत किए गए 13 लेखों में, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सात लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र जारी किये ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखापरीक्षा मानकों के उल्लंघन के 12 मामले थे।

(कंडिका 1.20)

### 2. ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

कुछ महत्वपूर्ण अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियों के सार नीचे दिये गये हैं :

सभी तीन विद्युत वितरण कम्पनियों अर्थात् मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, राज्य के खजाने में जमाकर्ताओं से एकत्र किए गए  $\text{₹ } 52.40$  करोड़ की राशि के प्रशमन शुल्क को जमा करने में विफल रहीं। इस राशि को राज्य शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति के बाद देय सब्सिडी के विरुद्ध समायोजित किया गया।

(कंडिका 2.1)

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा लामबंदी अग्रिम को बैंक गारण्टी के उपयुक्त बैंक खातों में सही ढंग से जमा करने एवं लामबंदी अग्रिम पर ब्याज नहीं वसूलने के परिणामस्वरूप ₹ 4.80 करोड़ की देय राशि की वसूली नहीं हो पाई।

(कंडिका 2.2)

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने बिजली आपूर्ति कोड के प्रावधानों का उल्लंघन कर, ऊर्जा संयंत्र के निर्माण गतिविधियों के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन के बजाय स्थायी कनेक्शन दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.77 करोड़ की राशि के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 2.3)

### 3. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

31 मार्च 2018 को मध्य प्रदेश में 63 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) थे जिनमें 45 कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ, दो कार्यशील सांविधिक निगम, 15 अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ और एक अकार्यशील सांविधिक निगम शामिल है। इनमें से 38 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान इन 38 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 15,651.26 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राज्य सकल घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का 2.21 प्रतिशत के बराबर था।

(कंडिका 3.1 एवं 3.2)

#### राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

इस प्रतिवेदन में शामिल 38 उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ वर्ष 2015–16 के ₹ 280.85 करोड़ से बढ़कर 2017–18 में ₹ 330.40 करोड़ हो गया। इस प्रतिवेदन में शामिल 38 उपक्रमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 18 उपक्रमों ने ₹ 380.01 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं आठ उपक्रमों ने ₹ 49.61 करोड़ की हानि वहन की। 18 उपक्रमों में से 16 उपक्रमों ने 98.33 प्रतिशत (₹ 373.67 करोड़) लाभ अर्जित किया जो कि या तो एकाधिकार होने का फायदा अथवा बजटीय सहायता, सेंटेज, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज आदि से आश्वस्त आय के कारण ही था। इस प्रकार लेखापरीक्षा के मत में इन सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिरता राज्य पर आश्रित है।

(कंडिका 3.13 एवं 3.13.1)

#### निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल

31 मार्च 2018 तक राज्य शासन द्वारा निवेशित की गई निधि का वर्तमान मूल्य ₹ 3,766.79 करोड़ था। यद्यपि 2000–01 से 2003–04 के दौरान, इन कम्पनियों ने कुछ लाभ कमाया, तथापि कुल अर्जित आय इन उपक्रमों में निवेशित निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से कम रही। 2004–05 के पश्चात, इन कम्पनियों ने निवेशित निधियों की लागत वसूल करने के लिए पर्याप्त लाभ अर्जित करना प्रारम्भ कर दिया है।

(कंडिका 3.15)

## अंशपूंजी पर प्रतिफल

प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों का अंशपूंजी पर प्रतिफल (आर.ओ.ई.) 2015–16 के 10.34 प्रतिशत से 2017–18 में (–)1.12 प्रतिशत तक घट गया। इसके अतिरिक्त पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र के उपक्रमों का आर.ओ.ई. एकाधिकार/आश्वासित आय क्षेत्र के उपक्रमों की तुलना में काफी कम है।

यह दर्शाता है कि प्रतिस्पर्धी वातावरण में काम करने वाले उपक्रम स्व–संपोषित नहीं हैं।

(कंडिका 3.16)

## नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान, 38 उपक्रमों की (इस प्रतिवेदन में शामिल उपक्रमों), आर.ओ.सी.ई. 7.99 प्रतिशत और 9.95 प्रतिशत के मध्य था।

(कंडिका 3.17)

## निवल मूल्य का क्षरण

38 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से तीन उपक्रमों का निवल मूल्य, संचित हानि से पूरी तरह से समाप्त होकर या तो शून्य या नकारात्मक हो गया था। 31 मार्च 2018 को इन तीन उपक्रमों का निवल मूल्य, निवेशित अंशपूंजी ₹ 62.49 करोड़ की तुलना में (–) ₹ 91.21 करोड़ था।

(कंडिका 3.19)

## लाभांश का भुगतान

2015–16 से 2017–18 के दौरान, वे उपक्रम जिन्होंने लाभ अर्जित किया, की संख्या 12 और 14 उपक्रमों के मध्य थी। जबकि वे उपक्रम जिन्होंने राज्य सरकार को लाभांश की घोषणा/भुगतान किया उनकी संख्या मात्र दो और छः उपक्रमों के मध्य थी। 2015–16 से 2017–18 के दौरान लाभांश भुगतान करने का लाभांश भुगतान अनुपात मात्र 3.41 प्रतिशत और 12.85 प्रतिशत के मध्य था।

(कंडिका 3.20)

## लेखों की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक अंतिमीकृत किए गए 41 लेखों में, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 17 लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र जारी किये गये। 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखापरीक्षा मानकों के पालन न करने के 23 मामलों का उल्लेख किया गया।

(कंडिका 3.23)

## सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बकाया लेखे एवं समापन

63 उपक्रमों में से 28 उपक्रमों ने वर्ष 2017–18 के लेखे सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए 31 दिसम्बर 2018 अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत किए, जबकि 35 सरकारी कम्पनियों के लेखे बकाया थे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 27 कार्यशील राज्य उपक्रमों में से 11 उपक्रमों, जिनके लेखों को 31 दिसम्बर 2018 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया था, को ₹ 1431.94 करोड़ (अंशपूंजी: ₹ 10.03 करोड़, ऋण: ₹ 53.08 करोड़, अनुदान: ₹ 375.81 करोड़ एवं सब्सिडी: ₹ 993.02 करोड़) प्रदान किए गए।

जैसा कि पिछले छः से 28 वर्षों तक 12 अकार्यशील उपक्रमों (परिसमापनाधीन चार उपक्रमों को छोड़कर) के समापन के संबंध में सरकार यथोचित निर्णय ले सकती है।

(कंडिकाएँ 3.8.1 एवं 3.9)

#### **4. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)**

##### **4.1 मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के द्वारा बिल्ड ऑपरेट ट्रान्सफर प्रणाली पर सड़क परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा**

मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग (म.प्र.लो.नि.वि.) के द्वारा मध्य प्रदेश में समस्त राज्य राजमार्गों (एस.एच.), सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों (एन.एच.) तथा मुख्य जिला मार्गों (एम.डी.आर.) का क्रियान्वयन करती है। मध्य प्रदेश शासन सड़क परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बजटीय वित्त पोषण उपलब्ध कराता है।

2013–18 के दौरान, कंपनी ने ₹ 10,741.26 करोड़ की लागत पर छः एन.एच., 26 एस.एच. और 28 एम.डी.आर. परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया। इनमें से, ₹ 6,726.77 करोड़ की लागत की चार एन.एच., 12 एस.एच. और 12 एम.डी.आर. परियोजनाएं स्तरित यादृच्छिक चयन पद्धति के आधार पर विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चयनित की गयी। इनमें से, दो एस.एच. और एक एम.डी.आर. परियोजनाएं एक वर्ष आठ माह से चार वर्ष चार माह तक के विलंब से पूर्ण हुई। जबकि, एक एन.एच., पांच एस.एच. और सात एम.डी.आर. परियोजनाये, निर्धारित कार्य पूर्णता अवधि से पहले पूर्ण हुई। इसके अतिरिक्त, तीन एन.एच., पांच एस.एच. और चार एम.डी.आर. परियोजनाएं समाप्त भी हुईं।

(कंडिकाएँ 4.1.1, 4.1.5 तथा 4.1.15)

उपरोक्त चयनित सड़क परियोजनाओं की लेखापरीक्षा में पाई गयी कमियों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गयी है:

#### **सड़क परियोजनाओं का चयन**

सड़क परियोजना के कार्य बी.ओ.टी. के द्वारा करवाये जाने हेतु जो चयन/ आयोजना का आधार है, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए। म.प्र.लो.नि.वि. ने कंपनी को (अगस्त 2010) 12 मुख्य जिला मार्गों की व्यवहार्यता अध्ययन, एक विशिष्ट एन्युटी माध्यम पर कराने का निर्देश दिया था, जिसके लिए कोई आधार उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिये, सड़क परियोजनाओं के चयन तथा उनके कार्यान्वयन के माध्यम का निर्णय लेने के औचित्य का आंकलन नहीं किया जा सका। अतः, लेखापरीक्षा इस बात को सत्यापित नहीं कर सकी कि सड़कों के लिए योजना यथोचित जांच पड़ताल के बाद बनाई गई थी।

(कंडिका 4.1.8)

#### **अपारदर्शी योजना प्रक्रिया**

कंपनी ने व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु तीन परामर्शदाताओं को नियुक्त किया था। लेकिन, इनमें से किसी भी परामर्शदाता ने निर्धारित 150 दिनों के समय के भीतर व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया तथा इस संबंध में चार माह से लेकर 23 माह तक का विलंब हुआ। कंपनी ने, अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन न बनने तथा परियोजना आयोजना हेतु अंतरिम सूचना को अपनाने का तथ्य छुपाकर, 14 सड़क परियोजनाओं

को राज्य स्तरीय सशक्त समिति (एस.एल.इ.सी.)/ राज्य मंत्रिमंडल की अनुमति हेतु प्रस्तावित किया। 10 बी.ओ.टी. सङ्क परियोजनाओं (20 सङ्कों) के मामले में कंपनी ने रियायत अनुबंध को अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन से 13 से 188 दिन पूर्व ही निष्पादित कर लिया था, जबकि शेष चार परियोजनाओं के मामले में रियायत अनुबंध, अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन के बाद निष्पादित किये गए थे। यह अपारदर्शी आयोजन प्रक्रिया, जो पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यवहार पर संदेह उत्पन्न करता है, छ: सङ्क परियोजनाओं की समाप्ति में परिणत हुआ।

(कंडिका 4.1.9)

### **व्यवहार्यता प्रतिवेदनों को सत्यापन के बिना अपनाया जाना**

परामर्शदाताओं ने अपने व्यवहार्यता प्रतिवेदन में वन क्षेत्र की उपेक्षा की तथा यातायात के अनुमानों को असामान्य रूप से अधिक दर्शाया, जो कंपनी के द्वारा उसके संभागीय कार्यालयों के माध्यम से सत्यापन किये बिना ही अपना लिया गया। कंपनी ने, परामर्शदाता की अनुशंसाओं पर बिना सत्यापन कराये विश्वास करते हुए, परियोजनाओं को टोल माध्यम पर आकलित किया, जिस पर निविदा सफल नहीं रही और बाद में इनका क्रियान्वयन माध्यम बदलकर टोल + एन्युटी किया गया, जिस कारण परियोजनाओं में 22 माह से तीन वर्ष तक का विलंब हुआ।

(कंडिका 4.1.10)

### **रियायतग्राहियों का त्रुटिपूर्ण चयन**

12 निलंबित परियोजनाओं में से पांच के मामले में, मेसर्स कोन्कार्स्ट इन्फ्राटेक लिमिटेड, जो आवेदनकर्ता कंसोर्टियम का सदस्य था, तकनीकी और वित्तीय रूप से योग्य नहीं था। फिर भी, कंपनी ने इन कंसोर्टियमों को योग्य माना (अक्टूबर 2011 से मई 2012) और उन्हें परियोजनाये आवंटित की। इसके अतिरिक्त, रियायतग्राहियों द्वारा निर्माण कार्य का कार्यान्वयन करने हेतु नियुक्त ई.पी.सी. ठेकेदारों के पास आर.एफ.क्यू. की आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाओं को निष्पादन करने का कोई अनुभव नहीं था। अयोग्य रियायतग्राहियों और ई.पी.सी. ठेकेदारों के चयन ने निर्माण की धीमी प्रगति में योगदान दिया। जिसके फलस्वरूप, कंपनी को सभी छ: परियोजनाओं को समाप्त करना पड़ा।

कंपनी ने बी.ओ.टी. सङ्क परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त तकनीकी बोलियों (आर.एफ.क्यू.) के मूल्यांकन हेतु निजी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को कार्य करने के लिए दिया। जबलपुर-एन.एच.-12 और इंदौर-एस.एच.-1 के मामले में, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जिसे काम दिया गया था, ने अयोग्य रियायतग्राहियों का चयन किया, जिसे कंपनी के द्वारा उसी रूप में बिना किसी स्वतंत्र मूल्यांकन के स्वीकार कर लिया गया। इसकी परिणति, एक परियोजना के समाप्ति और एक परियोजना के अनुचित विलंब में हुई।

(कंडिका 4.1.12)

### **अधिक एन्युटी पर कार्य का आवंटन**

लेखापरीक्षा में पाया कि 12 पूर्ण एन्युटी सङ्क परियोजनाओं में से 4 में कंपनी की निविदा समिति ने नियत 18 प्रतिशत एन्युटी की सीमा से अधिक पर (परियोजना लागत का 19.50 प्रतिशत से 20.40 प्रतिशत) परियोजनाएँ स्वीकृत (निविदा के दौरान प्राप्त एन्युटी प्रस्तावों के आधार पर) की।

(कंडिका 4.1.13)

## रियायतग्राहियों द्वारा परियोजना के लक्ष्य हासिल करने में विलंब

नौ समाप्त और तीन पूर्ण बी.ओ.टी. सङ्क परियोजनाओं में परियोजना लक्ष्य प्राप्त करने में दो महीने से लेकर 52 महीने तक का विलम्ब हुआ। सात परियोजनाओं के मामले में विलंब के मुख्य कारण, रियायतग्राहियों द्वारा कार्य रोकना / धीमी प्रगति था, इसके अलावा पांच परियोजनाओं के मामले में कंपनी द्वारा राईट ऑफ वे और वन मंजूरी प्रदान करने में एक साल से चार साल छह महीने का विलंब हुआ। सात परियोजनाओं के रियायतग्राहियों से ₹ 53.84 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि उनकी इस चूक के लिए वसूली योग्य थी।

(कंडिका 4.1.15)

## कार्य शीघ्र पूरा होने पर बोनस का भुगतान

कंपनी ने बी.ओ.टी. प्रणाली के तहत सङ्को के विकास के लिए सभी परियोजनाओं में मॉडल रियायत अनुबंध (एम.सी.ए.) में दिए गए नियुक्त तिथि से 550 दिनों के बजाय 730 दिनों की निर्धारित पूर्णता अवधि के साथ रियायत अनुबंध किये, जिसके कारण दर्ज नहीं किये गए।

कंपनी ने 11 परियोजनाओं (17 सङ्को) के रियायतग्राहियों को 730 दिनों की निर्धारित पूर्णता अवधि से पहले परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए ₹ 137.98 करोड़ के शीघ्र पूर्णता बोनस राशि का भुगतान किया। कंपनी ने यदि एम.सी.ए. के अनुसार 550 दिनों की निर्धारित पूर्णता अवधि अंगीकृत की होती, तो उपरोक्त 11 परियोजनाओं के लिए देय शीघ्र पूर्णता बोनस राशि केवल ₹ 47.18 करोड़ रहती।

(कंडिका 4.1.17)

## अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना

आठ परियोजनाओं के मामले में, कैरिजवे की कुल लंबाई का निर्माण, प्रमुख / लघु पुलों के निर्माण, लघु पुलों का चौड़ीकरण, बिटुमिनस कांक्रीट के कार्यों, साइड शोल्डर्स, पुलों के संरक्षण कार्य की पूर्णता सुनिश्चित किये बिना, अंतरिम पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतंत्र अभियंता द्वारा जारी किए गए; जो कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए।

इसके अतिरिक्त, पांच परियोजनाओं के मामले में, कंपनी द्वारा सङ्को के आवश्यक घटकों के निर्माण को सुनिश्चित किए बिना एवं पूर्ण सङ्क के निर्माण हुए बिना, ₹ 75.18 करोड़ की शीघ्र पूर्णता बोनस राशि का भुगतान किया गया, जिससे रियायतग्राहियों को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

(कंडिका 4.1.17 तथा 4.1.22)

## रियायतग्राहियों को कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के भुगतान में अनियमितताएं

11 परियोजनाओं के मामले में, कंपनी ने सङ्कों (₹ 4.60 करोड़) और संरचनाओं (₹ 20.13 करोड़) के कार्यों के मदों में वृद्धि के लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के मद में ₹ 24.73 करोड़ का अग्राही भुगतान किया।

(कंडिका 4.1.18)

## एस्क्रो खातों का दोषपूर्ण परिचालन

रियायतग्राही को परियोजना के वित्तीय अंतर्वाह और बहिर्वाह के लिए एस्क्रो बैंक के साथ एस्क्रो खाता खोलना आवश्यक था। कंपनी ने चयनित परियोजनाओं के एस्क्रो खातों के विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये। तथापि, लेखापरीक्षा ने 15 परियोजनाओं के सम्बन्ध में, इन्हें सम्बंधित एस्क्रो बैंकों से प्राप्त किया।

यह देखा गया कि एस्क्रो खातों के परिचालन में नियंत्रण व्यवस्था का अभाव था; जैसे कि छ: परियोजनाओं के सम्बन्ध में कार्य की भौतिक प्रगति की तुलना में ₹ 332.19 करोड़ की अधिक राशि का आहरण, परियोजना राशि को तुरंत चालू खाते में स्थानांतरण करना और ग्वालियर-8 परियोजना के संबंध में एस्क्रो खाते के नियंत्रण तंत्र को दरकिनार करना। ऋणदाता के स्वंत्र अभियंता के द्वारा वास्तविक से अधिक प्रगति बताने के दृष्टांत हुए, जिसने रियायतग्राहियों को उच्च ऋण राशि के संवितरण में योगदान दिया।

(कंडिका 4.1.26)

### परियोजनाओं की निगरानी के लिए संस्थागत तंत्र का अभाव

कंपनी ने फील्ड स्तर के साथ-साथ कंपनी से स्तर पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) परियोजनाओं की निगरानी इकाई और राज्य शासन के स्तर पर पी.पी.पी. निष्पादन समीक्षा इकाई का द्विस्तरीय तंत्र स्थापित नहीं किया, जिसकी परिकल्पना योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा की गयी थी। कंपनी द्वारा परियोजनाओं की निगरानी, स्वतंत्र अभियंता से परियोजनाओं के मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए की जा रही थी। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान पायी गयी कमियां और उनके सुधार पर भी स्वतंत्र अभियंता के प्रतिवेदन के माध्यम से, बिना सत्यापन कराये, निगरानी की जा रही थी। जिसके फलस्वरूप, रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुपालन ना करने के मामले यथा लक्ष्य प्राप्ति, वित्तीय समापन, निष्पादन सुरक्षा निधि जमा करने में देरी के लिए क्षतिपूर्ति ना वसूलना और एस्क्रो खातों के परिचालन में कमियां इत्यादि दृष्टिगत हुए।

(कंडिका 4.1.30)

### सड़कों की देखरेख के लिए अयथार्थवादी लक्ष्य

नौ संभागों में, तकनीकी अधिकारियों द्वारा सड़कों की देखरेख के लिए अयथार्थवादी लक्ष्य तय किए गए थे। निगरानी की जाने वाली सड़कों की लंबाई, प्रत्येक सहायक महाप्रबंधक के लिए प्रति सप्ताह 447 किलोमीटर (छिंदवाड़ा संभाग) से 2,997 किलोमीटर (भोपाल संभाग) तक और प्रत्येक प्रबंधक के लिए प्रति सप्ताह 893 किलोमीटर (छिंदवाड़ा संभाग) से 5,993 किलोमीटर (भोपाल संभाग) तक थी।

(कंडिका 4.1.31)

### अनुशंसाएँ:

#### कंपनी को चाहिए कि:

- सड़क परियोजनाओं का चयन तथा बी.ओ.टी. परियोजनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम का निर्णय सड़कों के वर्गीकरण तथा व्यवहार्यता प्रतिवेदनों के आधार पर करे,
- परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता प्रतिवेदनों में शामिल जानकारी का सत्यापन अपने संभागीय कार्यालयों से करवाए,
- रियायतग्राहियों तथा ई.पी.सी. ठेकेदारों के चयन के लिये योग्यता मानदंड का अनुपालन सुनिश्चित करे,
- रियायत अनुबंधों के परिच्छेदों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये,

- रियायत अनुबंधों में एस्क्रो खातों के परिचालन की पर्याप्त निगरानी के लिए प्रासंगिक परिच्छेदों को शामिल किया जाये,
- परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए उचित निगरानी तंत्र सुनिश्चित किया जाये, और
- समान त्रुटियों / चूक का पता लगाने के लिए, अन्य सभी निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं की आतंरिक रूप से जांच की जाए।

**5. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**

अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार नीचे दिया गया है:

दि प्रॉविडेन्ट इंवेस्टमेन्ट कंपनी लिमिटेड ने कर निर्धारण वर्षों 2008–09 से 2018–19 की आयकर विवरणी 328 से 548 दिनों की देरी से दाखिल की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.14 करोड़ का परिहार्य भुगतान विलंब से आयकर विवरणी दाखिल करने एवं निर्दिष्ट समय पर अग्रिम कर जमा न करने के लिए ब्याज के रूप में करना पड़ा।

(कंडिका 5.1)

## परिचय

### राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

#### सामान्य

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के अंतर्गत राज्य शासन की कंपनियां और सांविधिक निगम आते हैं। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को पूरा करने के लिए की गई है और राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 31 मार्च 2018 को, मध्य प्रदेश में 74 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिनमें तीन<sup>1</sup> सांविधिक निगम (एक अकार्यशील सांविधिक निगम<sup>2</sup> सहित) और 71 सरकारी कंपनियां (16 अकार्यशील सरकारी कंपनियों सहित) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में थे। इन सरकारी कंपनियों में से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष के दौरान दो<sup>3</sup> सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अपनी धारक कंपनी<sup>4</sup> के साथ समामेलन किया गया।

2. 31 दिसंबर 2018 को नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति और लेखों की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गयी है:

**तालिका 1: प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति**

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति	कुल संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेख समीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त किए गए				सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेख 31 दिसंबर 2018 को लंबित हैं (कुल बकाया लेख)
		2017–18 <sup>5</sup> तक के लेख	2016–17 तक के लेख	2015–16 तक के लेख	योग	
<b>इस प्रतिवेदन में सम्मिलित सरकारी कंपनियां/सांविधिक निगम</b>						
कार्यशील सरकारी कंपनियां <sup>6</sup>	43	21	17	05	43	00
सांविधिक निगम	02	02	00	00	02	00
<b>कुल कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>05</b>	<b>45</b>	<b>00</b>
<b>इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं की गई सरकारी कंपनियां/सांविधिक निगम</b>						
कार्यशील सरकारी कंपनियां <sup>7</sup>	12	04	02	01	07	05(28)
अकार्यशील सरकारी कंपनियां <sup>8</sup>	16	08	01	00	09	07 (116)
अकार्यशील सांविधिक निगम <sup>9</sup>	01	00	00	00	00	01 (10)
<b>कुल अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>16</b>	<b>13(154)</b>
<b>योग</b>	<b>74</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>61</b>	<b>13(154)</b>

<sup>1</sup> मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक निगम और मध्य प्रदेश वित्त निगम।

<sup>2</sup> अकार्यशील उपक्रम वे हैं जिन्होंने अपनी गतिविधियों का संचालन बंद कर दिया है।

<sup>3</sup> सेज लिमिटेड और क्रिस्टल आईटी पार्क लिमिटेड।

<sup>4</sup> मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड।

<sup>5</sup> जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 तक।

<sup>6</sup> सरकारी कंपनियों में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) और 139 (7) में निर्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों शामिल हैं।

<sup>7</sup> परिशिष्ट 3.2 में क्र. सं. 1 से 9 एवं परिशिष्ट 1.1 में क्र. सं. ड 9 से ड 11 पर विदित कंपनियां।

<sup>8</sup> परिशिष्ट 3.2 में क्र. सं. 10 से 20 और 22 से 25 एवं परिशिष्ट 1.1 में क्र. सं. ड 8 पर विदित कंपनियां।

<sup>9</sup> परिशिष्ट 3.2 में क्र. सं. 21 पर विदित निगम।

इस प्रतिवेदन में ऐसे 29 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिनके तीन या अधिक वर्ष के लेखों बकाया थें या निष्क्रिय/ परिसमापनाधीन हैं या जिनके पहले लेखे प्राप्त/ देय नहीं हुए थे या जिहोने 2017–18 तक अपना कार्य आरंभ नहीं किया था, शामिल नहीं है, जिसका विवरण **परिशिष्ट 1.1 और 3.2** में दिया गया है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का 31 दिसंबर 2018 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 81,694.55 करोड़ का वार्षिक टर्णओवर था। यह टर्णओवर 2017–18 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (₹ 7,07,046.99 करोड़) के 11.55 प्रतिशत के बराबर था। इस प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 3,961.81 करोड़ की हानि वहन की। इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मार्च 2018 को लगभग साठ हजार कर्मचारी कार्यरत थे।

इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किये गये 29 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एक सांविधिक निगम सहित) में पूँजी (₹ 448.12 करोड़) और दीर्घावधी ऋण (₹ 933.68 करोड़) सहित ₹ 1,381.80 करोड़ का निवेश है। यह एक आलोच्य क्षेत्र है क्योंकि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवेश का राज्य के आर्थिक विकास में योगदान नहीं है।

### उत्तरदायित्व संरचना

3. सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 और 143 में निर्धारित की गयी है। अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार सरकारी कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें कम से कम इक्यावन प्रतिशत प्रदत्त पूँजी केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार/सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा निवेश की गयी है और इसमें वह कंपनियां भी शामिल हैं जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। इसके अलावा, ऐसी अन्य कंपनी<sup>10</sup> जिनका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों में निहित हो, इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के रूप में संबोधित की गयी हैं।

कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) और (7) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) सरकारी कंपनी और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि एक सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखा परीक्षकों को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर सीएजी द्वारा नियुक्त किया जाना है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(7) में प्रावधान है कि एक सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, प्रथम लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कंपनी के पंजीकरण की तिथि से साठ दिनों के भीतर सीएजी द्वारा की जानी है और यदि उक्त अवधि के भीतर सीएजी लेखा परीक्षक की नियुक्ति नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में निदेशक मण्डल अथवा कंपनी के सदस्यों को ऐसे लेखा परीक्षक की नियुक्ति करनी होगी।

इसके अलावा, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) यदि चाहे तो, धारा 139 की उप-धारा (5) या उपधारा (7) के अंतर्गत आने वाली कंपनी के मामले में, एक आदेश द्वारा, इस प्रकार की

<sup>10</sup> कंपनी मामलों का मंत्रालय (कठिनाइयों को हटाया) सातवीं आदेश 2014 दिनांक 4 सितंबर 2014।

कंपनियों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा संपादित करवा सकते हैं तथा ऐसी नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19अ के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कंपनी या किसी अन्य सरकारी कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनी सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन होती है। 31 मार्च 2014 या उससे पूर्व में प्रारम्भ हुए वित्तीय वर्षों के कंपनी के वित्तीय लेखों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

### **सांविधिक लेखापरीक्षा**

4. सरकारी कंपनियों (जैसा अधिनियम 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित है), के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम 2013 की धारा 139(5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित कंपनी की वित्तीय विवरण की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करता है। ये वित्तीय विवरण भी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा नियंत्रित की जाती है। तीन सांविधिक निगमों में से सीएजी मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक है। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम और मध्य प्रदेश वित्त निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जाती है और अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

### **सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण**

#### **5. समय पर अंतिम रूप दिए जाने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 और 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कार्यचालन और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के तीन महीने के भीतर तैयार करनी होती है और तैयार होते ही शीघ्रातिशीघ्र उसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गयी किसी टिप्पणी या पूरक टिप्पणी के साथ विधायिका या विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने संबंधित अधिनियमों में भी लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह व्यवस्था राज्य की संचित निधि में से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कंपनी के लिए हर कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित करना आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि दो वार्षिक आम बैठकों की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129, के अनुसार उक्त ए.जी.एम. में वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, निदेशक सहित, पर कारावास एवं आर्थिक दंड की वसूली के लिए प्रावधान है।

## सरकार और विधायिका की भूमिका

6. राज्य शासन अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण रखता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक मण्डल के निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं।

राज्य विधानमण्डल लेखांकन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश के उपयोग पर भी नजर रखता है। इसके लिए अधिनियम 2013 की धारा 394 अथवा जैसा संबंधित अधिनियमों में निर्धारित हो, के तहत राज्य की सरकारी कंपनियों के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तथा सीएजी की टिप्पणीयाँ और सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाना चाहिए। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19अ के तहत राज्य शासन को प्रस्तुत किए जाते हैं।

### राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में मध्य प्रदेश शासन द्वारा निवेश

7. मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शा.) का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च वित्तीय हित निहित है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार से है:

- **शेयर पूँजी और ऋण** — शेयर पूँजी योगदान के अलावा, म.प्र.शा. समय—समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।
- **विशेष वित्तीय सहायता**— म.प्र.शा. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आवश्यकतानुसार अनुदान और सब्सिडी के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करता है।
- **गारण्टी** — म.प्र.शा. वित्तीय संस्थाओं से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण को मय ब्याज़ के चुकाने की गारण्टी भी देता है।

8. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का 31 मार्च 2018 की स्थिति में क्षेत्र—वार सारांश नीचे दिया गया है:

**तालिका 2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्र—वार निवेश**

क्षेत्र का नाम	सरकारी कंपनी		सांविधिक निगम		योग	निवेश (₹ करोड़ में)		
	कार्यशील	इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं	कार्यशील	इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं		पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग
ऊर्जा	07	04	—	—	11	25,482.46	44,345.07	69,827.53
ऊर्जा के अतिरिक्त	36	24	02	01	63	2,247.20	4,472.41	6,719.61
<b>योग</b>	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>74</b>	<b>27,729.66</b>	<b>48,817.48</b>	<b>76,547.14</b>


**चोर:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक लेखे और पूँजी तथा ऋण के लिए मंजूरी/निस्तारण आदेश के आधार पर संकलित।

पिछले तीन वर्षों में सरकारी उपक्रमों में निवेश का जोर मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र में रहा। 2015–16 से 2017–18 के दौरान किए गए कुल निवेश ₹ 19,549.71 करोड़ में से ऊर्जा क्षेत्र में ₹ 17,459.90 करोड़ (89.31 प्रतिशत) का निवेश किया गया था।

9. 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के अंत में ऊर्जा और गैर-ऊर्जा के क्षेत्रों में निवेश को नीचे दिए गए चार्ट में इंगित किया गया है:

### चार्ट 1: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्र-वार निवेश

(आंकड़े ₹ करोड़ में)



ऊर्जा क्षेत्र में हुए बड़े निवेश को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रतिवेदन के भाग 1<sup>11</sup> में ऊर्जा क्षेत्र के सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और भाग 2<sup>12</sup> में 38 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र) के लेखापरीक्षा परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं।

<sup>11</sup> भाग 1 में अध्याय 1 (ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप) और अध्याय 2 (ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ) शामिल हैं।

<sup>12</sup> भाग 2 में अध्याय 3 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप), अध्याय-4 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा) और अध्याय-5 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ) शामिल हैं।



# अध्याय—१



## भाग—1

### अध्याय—1

#### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

**1.1** ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रदान करने के अलावा, यह क्षेत्र राज्य की जीड़ीपी में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) से अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों की गतिविधियों के योगदान को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका 1.1, मार्च 2018 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों की अवधि के लिए मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कारोबार और स.रा.घ.उ. का विवरण प्रदान करती है।

#### तालिका 1.1 : मध्य प्रदेश की स.रा.घ.उ. की तुलना में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का विवरण

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18
टर्नओवर	57,520.83	64,162.93	66,043.29
पूर्ववर्ती वर्ष के टर्नओवर की तुलना में टर्नओवरों में परिवर्तन का प्रतिशत	16.60	11.55	2.93
मध्य प्रदेश का स.रा.घ.उ.	5,30,442.61	6,39,219.67	7,07,046.99
पूर्ववर्ती वर्ष के स.रा.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ. में परिवर्तन का प्रतिशत	10.48	20.51	10.61
मध्य प्रदेश के स.रा.घ.उ. में टर्नओवर का प्रतिशत	10.84	10.04	9.34

स्रोत: सीएजी लेखापरीक्षा प्रातिवेदन के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर तथा मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक समीक्षा 2017–18 पर आधारित स.रा.घ.उ. आंकड़ों के आधार पर संकलित।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। तथापि, क्षेत्र का विकास, स.रा.घ.उ. के विकास के समनुरूप नहीं था। क्षेत्र की विकास दर में 2015–18 की अवधि में गिरावट हो रही है, जबकि इसी अवधि में स.रा.घ.उ. की वृद्धि 10.48 प्रतिशत और 20.51 प्रतिशत के मध्य रही। पिछले तीन वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. में चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर 10.05 प्रतिशत था। चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर<sup>1</sup> विभिन्न समयावधियों में विकास दर को मापने के लिए एक उपयोगी विधि है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. में 10.05 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर के मुकाबले, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में मात्र 4.71 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि रही। इसके फलस्वरूप स.रा.घ.उ. में ऊर्जा क्षेत्र के इन उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2015–16 के 10.84 प्रतिशत से घटकर 2017–18 में घटकर 9.34 प्रतिशत रह गयी।

#### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का गठन

**1.2** राज्य शासन ने मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (म.प्र.वि.सु.अ. 2000) लागू (फरवरी 2001) किया, जो अन्य बातों के साथ विद्युत उद्योग के पुनर्गठन और मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (म.प्र.रा.वि.म.) की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों को राज्य शासन की एक या अधिक कंपनियों को हस्तांतरित करने के लिए एक योजना तैयार करने का प्रावधान करता है। राज्य शासन ने इसके अनुपालन में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (म.प्र.रा.वि.म.) के विभिन्नकरण और संपत्तियों, परिसंपत्तियों, देनदारियों, दायित्वों, कार्यवाहियों और कार्मिकों के पांच ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों {(यानी मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

<sup>1</sup> चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर =  $\{[(2017-18 \text{ का मूल्य} / 2015-16 \text{ का मूल्य})^{(1/3 \text{ वर्ष})} - 1] * 100\}$

(म.प्र.पा.ज.कं.लि.), मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि.), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पूर्व.क्षे.वि.वि.कं.लि.), मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.मध्य.क्षे.वि.वि.कं.लि.) और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पश्चिम.क्षे.वि.वि.कं.लि.)} को हस्तांतरण के लिए मध्य प्रदेश पावर सेक्टर सुधार योजना, 2003 (एम.पी.पी.एस.आर.टी.योजना, 2003) तैयार (30 सितंबर 2003) की। ऊर्जा क्षेत्र की ये पांच कंपनियां नवंबर 2001 से अस्तित्व में आई और एम.पी.पी.एस.आर.टी. योजना, 2003 के प्रावधानों के अनुसार म.प्र.रा.वि.म. की सभी संपत्तियाँ और देनदारियाँ ( $\text{₹ } 3,528.02$  करोड़<sup>2</sup> की पूंजी एवं  $\text{₹ } 1,151.57$  करोड़ की देनदारियों सहित), इन कंपनियों में वितरित कर दी गयी। राज्य शासन ने 1982–83 में  $\text{₹ } 0.69$  करोड़ का पूंजी निवेश कर ऊर्जा क्षेत्र की एक अन्य कंपनी अर्थात् मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (म.प्र.ऊ.वि.नि.लि.) निगमित की। इन छः कंपनियों और मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जिसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.मै.कं.लि.)<sup>3</sup> कर दिया गया है, के अलावा चार<sup>4</sup> अन्य ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को म.प्र. पा.मै.कं.लि./ म.प्र.पा.ज.कं.लि. की सहायक कंपनियों के रूप में (फरवरी 2007 से अक्टूबर 2011 में) निगमित किया गया। इन उपक्रमों ने 2017–18 तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू नहीं कीं और उनमें से एक<sup>5</sup> परिसमापन में भी जा चुकी है।

### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

**1.3** इस अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कोई विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण नहीं किया गया।

### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

**1.4** ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 2018 को निवेश का गतिविधि–वार सारांश तालिका 1.2 में दिया गया है:

**तालिका 1.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधि–वार निवेश**

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश ( $\text{₹}$ करोड़ में)		
		पूंजी	दीर्घावधि ऋण	योग
विद्युत उत्पादन	1	6,228.86 <sup>6</sup>	11,843.00	18,071.86
विद्युत पारेषण	1	2,988.69	2,201.22	5,189.91
विद्युत वितरण	3	16,119.70	30,275.82	46,395.52
अन्य <sup>7</sup>	2	100.06 <sup>8</sup>	20.58	120.64
इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं <sup>9</sup>	4	45.15	4.45	49.60
	<b>11</b>	<b>25,482.46</b>	<b>44,345.07</b>	<b>69,827.53</b>

स्रोत: सार्वजनिक उपक्रमों के वार्षिक खातों और पूंजी तथा ऋण के लिए अनुमोदन/ निस्तारण आदेश के आधार पर संकलित।

<sup>2</sup> म.प्र.पा.ज.कं.लि. ( $\text{₹ } 1,915.08$  करोड़), म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. ( $\text{₹ } 730.43$  करोड़), म.प्र.पूर्व.क्षे.वि.वि.कं.लि. ( $\text{₹ } 284.08$  करोड़), म.प्र.मध्य.क्षे.वि.वि.कं.लि. ( $\text{₹ } 351.88$  करोड़) और म.प्र.पश्चिम.क्षे.वि.वि.कं.लि. ( $\text{₹ } 246.55$  करोड़)।

<sup>3</sup> तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की धारक कंपनी के रूप में।

<sup>4</sup> बा.था.पा.कं.लि. (9–6–2011), शा.था.पा.कं.लि. (5–2–2007), दा.धू.ख.पा.लि. (25–2–2010) और श्री.सि.पा.प्रो.लि. (12–10–2011)।

<sup>5</sup> दा.धू.ख.पा.लि. (2017–18)।

<sup>6</sup> परिशिष्ट 1.1 की कं. सं. क 1 पर निहित धारक कंपनी द्वारा अपनी कं. सं. ड. 8 और ड. 11 पर निहित सहायक कंपनियों में निवेशित  $\text{₹ } 22.55$  करोड़ की राशि को छोड़कर।

<sup>7</sup> परिशिष्ट 1.1 की कं. सं. घ 6 एवं घ 7।

<sup>8</sup> परिशिष्ट 1.1 की कं. सं. घ 7 पर निहित सहायक कंपनी द्वारा अपनी कं. सं. ग 3 से ग 5 और ड. 9 व ड. 10 पर निहित सहायक कंपनियों में निवेशित  $\text{₹ } 10,312.55$  करोड़ की राशि को छोड़कर।

<sup>9</sup> परिशिष्ट 1.1 की कं. सं. ड. 8 से ड. 11।

31 मार्च 2018 को इस प्रतिवेदन में शामिल सात ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी और दीर्घावधि ऋण) ₹ 69,777.93 करोड़ था। निवेश में 36.45 प्रतिशत पूँजी और 63.55 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण शामिल थे। इसके अलावा, इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए चार सार्वजनिक उपक्रमों में ₹ 49.60 करोड़ का निवेश किया गया था।

कुल दीर्घावधि ऋणों का 60.45 प्रतिशत (₹ 26,808.01 करोड़) राज्य शासन द्वारा प्रदान किया गया था जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 39.55 प्रतिशत (₹ 17,537.06 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया गया था। यद्यपि, 2016–17 और 2017–18 के दौरान राज्य शासन ने 30 सितंबर 2015 की स्थिति में विद्युत वितरण कंपनियों पर बकाया ऋण (₹ 34,739.00 करोड़) में से ₹ 12,189.99 करोड़ (35.09 प्रतिशत) उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)<sup>10</sup> के तहत वहन किया।

### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

**1.5** मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शा.) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों की अवधि में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण और पूँजी में परिवर्तित ऋण के रूप में दी गयी बजटीय सहायता का सारांश तालिका 1.3 में दर्शाया गया है :

**तालिका 1.3: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण**

(₹ करोड़ में)

विवरण <sup>11</sup>	2015–16		2016–17		2017–18	
	उपक्रमों की संख्या	राशि	उपक्रमों की संख्या	राशि	उपक्रमों की संख्या <sup>12</sup>	राशि
अंश पूँजी बहिर्गमन (i)	6	637.23	6	196.93	3	4,913.94
प्रदत्त ऋण (ii)	6	2,150.96	6	3,201.44	3	217.12
प्रदत्त अनुदान/ सब्सिडी (iii)	3	5,362.53	3	6,273.12	4	9,648.21
कुल बहिर्गमन (i+ii+iii)	6	8,150.72	6	9,671.49	4	14,779.27
चुकाए गए/ अपलिखित ऋण	—	—	1	170.00	1	3,805.48 <sup>13</sup>
पूँजी में परिवर्तित ऋण	—	—	3	3,557.00	3	4,010.99
बकाया गारण्टी	7	5,026.98	6	10,086.05	4	2,772.16
गारण्टी प्रतिबद्धता	7	12,240.91	6	17,809.92	4	6,736.26

**स्रोत:** सार्वजनिक उपक्रमों के वार्षिक खातों और पूँजी, ऋण और गारण्टी के लिए अनुमोदन/ निस्तारण आदेश के आधार पर सकलित /

<sup>10</sup> विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय तथा कार्यकारी सुधार हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लाई गई योजना।


<sup>11</sup> केवल राज्य के बजट से बहिर्गमित राशि।

<sup>12</sup> म.प्र. शासन द्वारा तीनों सहायक विद्युत वितरण कंपनियों को उनकी धारक कंपनी म.प्र.पा.मै.कं.लि. की ओर से सीधे अंशपूँजी निवेश प्रदान किया गया जिसके बदले इन सहायक कंपनियों ने अपनी धारक कंपनी को अंशपत्र जारी किए इसलिए राज्य शासन द्वारा निवेश की गणना हेतु सहायक कंपनियों की ओर से केवल धारक कंपनी का ही विचार किया गया है। शेष एक ऊर्जा क्षेत्र उपक्रम मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है।

<sup>13</sup> 2017–18 और 2016–17 के अंतिम शेष का अंतर (–) ₹ 7,599.35 करोड़ था : इसमें उदय के तहत आयी कमी (₹ 4,010.99 करोड़), चुकाया गया ऋण (₹ 3,805.48 करोड़) और बजट से प्राप्त ऋण (₹ 217.12 करोड़) शामिल है।

मार्च 2018 को समाप्त हुए पिछले तीन सालों में अंशपूंजी, ऋण और अनुदान/ सब्सिडी के रूप में दिये गए बजटीय समर्थन का विवरण नीचे चार्ट में दिया गया है :

**चार्ट 1.1: अंशपूंजी, ऋण और अनुदान/ सब्सिडी के मद में प्रदत्त बजटीय सहायता**



वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 8,150.72 करोड़ से ₹ 14,779.27 करोड़ के बीच रही। वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 14,779.27 करोड़ में ₹ 4,913.94 करोड़, ₹ 217.12 करोड़ और ₹ 9,648.21 करोड़ क्रमशः अंशपूंजी, ऋण और अनुदान/ सब्सिडी के रूप में शामिल थे।

इसके अलावा, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (ऊ.म.) ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के संचालन और वित्तीय सुधारों के लिए उदय योजना भी शुरू की (20 नवंबर 2015)। उदय के प्रावधानों और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की चर्चा इस अध्याय की कलिका 1.19 में की गई है। उदय योजना के तहत 2017–18 के दौरान ₹ 4,010.99 करोड़ की बकाया ऋण को अंशपूंजी में परिवर्तित किया गया। इस प्रकार, 2017–18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों की अंशपूंजी में ₹ 8,924.93 करोड़ का निवेश, नगद निवेश (₹ 4,913.94 करोड़) और उदय योजना के तहत तीन राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों के अंशपूंजी में परिवर्तन (₹ 4,010.99 करोड़) के माध्यम से हुआ था। अंशपूंजी में वृद्धि मुख्य रूप से पूंजीगत निवेश और विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश शासन गारण्टी नियम (म.प्र.शा.गा.नि.), 2009 के तहत गारण्टी प्रदान करता है। शासन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के मामले में बिना किसी अपवाद के म.प्र.शा.गा.नि., 2009 के प्रावधानों के तहत आधा प्रतिशत से एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गारण्टी कमीशन वसूलने का निश्चय किया (फरवरी 2011)। बकाया गारण्टी प्रतिबद्धताएं वर्ष 2016–17 में ₹ 17,809.92 करोड़ से 62.18 प्रतिशत घटकर वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 6,736.26 करोड़ रही। वर्ष 2017–18 के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा ₹ 18.66 करोड़ गारण्टी कमीशन का भुगतान किया गया।

## मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों के साथ मिलान

**1.6** राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों में इंगित अंशपूंजी, ऋण और गारण्टी से संबंधित आंकड़े मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते, तो संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों और वित्त विभाग को आंकड़ों में अंतर का मिलान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2018 की स्थिति तालिका 1.4 में दी गई है:

**तालिका 1.4: उपक्रमों के लेखों की तुलना में वित्त खातों के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित अंशपूंजी, ऋण और गारण्टी की राशि**

निवेश का प्रकार	वित्त लेखों के अनुसार	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अनुसार	(₹ करोड़ में) अंतर
अंशपूंजी	27,254.82	19,467.02	7,787.80
ऋण	32,864.75	26,808.01	6,056.74
गारण्टी	3,581.72	2,772.16	809.56
योग	63,701.29	49,047.19	14,654.10

स्रोत: सार्वजनिक उपक्रमों और वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

पिछले कई वर्षों से आंकड़ों के बीच अंतर बना हुआ है। अंतर के मिलान का मुद्दा समय—समय पर सार्वजनिक उपक्रमों/ विभागों के साथ भी उठाया गया था। इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य शासन और सरकारी उपक्रमों को समयबद्ध तरीके से अंतरों का मिलान करना चाहिए।

## ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

**1.7** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में 31 मार्च 2018 को ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रम थे। सात कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष 2017–18 के लेखे 31 दिसंबर 2018 तक प्रस्तुत किए गए। 31 मार्च 2018 की स्थिति में पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर/ 30 सितंबर तक ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को प्रस्तुत करने में विलंब का विवरण तालिका 1.5 में दिया गया है:

**तालिका 1.5: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति**

क्रम सं	विवरण	2015–16	2016–17 <sup>14</sup>	2017–18
1.	उपक्रमों की संख्या	11	11	11
2.	वर्तमान वर्ष में प्रस्तुत लेखों की संख्या	13	08	13
3.	वर्तमान वर्ष के लेखे अंतिमीकृत करने वाले उपक्रमों की संख्या	08	05	07
4.	वर्तमान वर्ष में अंतिमीकृत पिछले वर्षों के लेखों की संख्या	05	03	06
5.	बकाया लेखों वाले उपक्रमों की संख्या	03	06	04
6.	बकाया लेखों की संख्या	03	06	04
7.	बकाया अवधि	एक वर्ष	एक वर्ष	एक वर्ष

स्रोत: 31 दिसंबर 2018 तक प्राप्त उपक्रमों के लेखों के आधार पर संकलित।

<sup>14</sup> वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए 31 दिसंबर तक प्राप्त लेखे शामिल किए गए।


## ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन

**1.8** ऊर्जा क्षेत्र की 11 उपक्रमों के 31 दिसंबर 2018 को नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम **परिशिष्ट 1.1** में वर्णित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपक्रमों में शासन द्वारा किए गए निवेश पर उचित लाभ अर्जित करेंगे। राज्य शासन और अन्य का ऊर्जा क्षेत्र में कुल निवेश ₹ 80,162.63 करोड़ था, जिसमें अंशपूंजी के रूप में ₹ 35,817.56 करोड़ और ₹ 44,345.07 करोड़ दीर्घावधि ऋण के रूप में था, जैसा की **परिशिष्ट 1.2** में वर्णित है। इसमें से, मध्य प्रदेश शासन ने इस प्रतिवेदन में शामिल ऊर्जा क्षेत्र के सात<sup>15</sup> सार्वजनिक उपक्रमों में ₹ 19,467.71 करोड़ अंशपूंजी और ₹ 26,804.52 करोड़ दीर्घावधि ऋण सहित ₹ 46,272.23 करोड़ का निवेश किया है।

2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान म.प्र.शा. द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में अंशपूंजी और दीर्घावधि ऋण के रूप में किए गए निवेश की वर्ष वार स्थिति चार्ट 1.2 में दर्शायी गयी है:

**चार्ट 1.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में मध्य प्रदेश शासन का कुल निवेश**




एक कंपनी की लाभप्रदता का आंकलन पारंपरिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, अंशपूंजी पर प्रतिफल और निवेशित पूंजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है। निवेश पर प्रतिफल निश्चित वर्ष में होने वाले लाभ या हानि को अंशपूंजी और ऋण की धनराशि के अनुपात के रूप में मापता है और लाभ को कुल निवेश के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ इसकी पूंजी का उपयोग किया जाता है और इसकी गणना कंपनी के कर और ब्याज़ पूर्व लाभ को नियोजित पूंजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। पूंजी पर प्रतिफल प्रदर्शन को मापने का एक पैमाना है जिसकी गणना कर पश्चात शुद्ध लाभ को अंशधारकों की पूंजी से विभाजित कर की जाती है।

<sup>15</sup> म.प्र. शासन द्वारा म.प्र.पा.मै.कं.लि. और म.प्र.पा.ज.कं.लि. को इनकी सहायक कंपनियों की ओर से अंशपूंजी निवेश प्रदान किया गया। अतः राज्य शासन के निवेश की गणना हेतु सहायक कंपनियों की ओर से केवल धारक कंपनी को ही शामिल किया गया है। शेष दो उपक्रम म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. और म.प्र.ऊ.वि.नि.लि. हैं।

## निवेश पर प्रतिफल

1.9 निवेश पर प्रतिफल कुल निवेश पर लाभ या हानि का प्रतिशत है। ऊर्जा क्षेत्र के सभी उपक्रमों द्वारा 2015–16 से 2017–18 के दौरान अर्जित लाभ/ वहन हानि<sup>16</sup> की समग्र स्थिति चार्ट 1.3 में दिखायी गयी है :

**चार्ट 1.3: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/ वहन हानि**



इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 2015–16 की ₹ 5,566.91 करोड़ की हानि के विरुद्ध 2017–18 में ₹ 4,292.21 करोड़ हानि वहन की गयी। इस प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 618.10 करोड़ लाभ अर्जित किया, दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 4,907.25 करोड़ हानि वहन की और दो<sup>17</sup> सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कोई लाभ/ हानि नहीं हुआ (**परिशिष्ट – 1.1**)। लाभ कमाने वाली कंपनियां, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (₹ 552.89 करोड़), मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (₹ 32.73 करोड़) और मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (₹ 32.48 करोड़) थीं, जबकि मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (₹ 2,716.79 करोड़) और मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (₹ 2,190.46 करोड़) को भारी नुकसान हुआ।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की 2015–16 से 2017–18 के दौरान अर्जित लाभ/ वहन हानि की स्थिति तालिका 1.6 में दी गयी है:

<sup>16</sup> संबंधित वर्ष में नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार आंकड़े।

<sup>17</sup> म.प्र.पा.मै.कं.लि. के शुद्ध खर्च उसकी सहायक कंपनियाँ, जिनकी ओर से वह कार्य करती है, में वितरित कर दीये जाते हैं। म.प्र.ऊ.वि.नि.लि. की व्यापारिक हानि सरकार को हस्तांतरित कर दी जाती है।

### तालिका 1.6: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने लाभ अर्जित / हानि वहन की

वर्तीय वर्ष	ऊर्जा क्षेत्र के कुल उपक्रम	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की संख्या	वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले उपक्रमों की संख्या	वर्ष के दौरान लाभ/हानि दर्ज न करने वाले उपक्रमों की संख्या
2015–16	11	2	5	4
2016–17	11	2	5	4
2017–18	11	3	3	5

### निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

**1.10** इस प्रतिवेदन में शामिल सात सार्वजनिक उपक्रमों में शासन द्वारा महत्वपूर्ण निवेश के मद्देनजर, राज्य शासन के दृष्टिकोण से इस तरह के निवेश पर प्रतिफल अत्यावश्यक है। केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसी गणना धन के वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। अतः, धन के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर की गणना भी की गयी है। म.प्र.रा.वि.म. के विघटन (2000–01) के पश्चात इन कंपनियों की बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने के बाद से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के दौरान राज्य शासन द्वारा अंशपूँजी, दीर्घावधि ऋण और पूँजीगत अनुदान के रूप में धन का निवेश किया है।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य शासन के निवेश के वर्तमान मूल्य (पी.वी.) की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई है:

- राज्य शासन द्वारा प्रदत्त दीर्घावधि ऋण और पूँजीगत अनुदान को निवेश के रूप में माना जाता है। इसके अलावा, उन मामलों में जहां उपक्रमों को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में अंशपूँजी में बदल दिया गया था, ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटाकर उस वर्ष की अंशपूँजी में जोड़ दिया गया है। उदय योजना के तहत दिए गए अनुदान को छोड़कर राजस्व अनुदान और सब्सिडी को निवेश के रूप में मान्य नहीं किया गया है।
- वर्तमान मूल्य की गणना के लिए छूट दर के रूप में संबंधित वित्तीय वर्ष<sup>18</sup> के लिए शासन के ऋणों की औसत ब्याज दर को अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए धन के निवेश के लिए शासन द्वारा वहन लागत का प्रतिनिधित्व करती है।

2015–16 से 2016–17 की अवधि के लिए जब इस प्रतिवेदन में शामिल सात सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा हानि का वहन किया गया, प्रदर्शन के मूल्यांकन का एक अधिक उपयुक्त पैमाना हानि के कारण निवल मूल्य का क्षरण है। कंपनी के निवल मूल्य के क्षरण पर टिप्पणी कंडिका 1.12 में की गई है।

<sup>18</sup> सरकारी ऋणों पर औसत ब्याज दर, संबंधित वर्ष के भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त (मध्य प्रदेश शासन) पर प्रतिवेदन से लिया गया है, जहां पर ब्याज भुगतान की औसत दर = ब्याज भुगतान / [(विगत वर्ष की राजकीय देनदारियाँ + वर्तमान वर्ष की राजकीय देनदारियाँ) / 2]\*100।

**1.11** इन कंपनियों की स्थापना से लेकर 31 मार्च 2018 तक अंशपूँजी, ऋण और पूँजीगत अनुदान के रूप में इस प्रतिवेदन में शामिल ऊर्जा क्षेत्र के सात उपक्रमों में राज्य शासन के निवेश की स्थिति तथा 2000–01 से 31 मार्च 2018 तक राज्य शासन के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति तालिका 1.7 में दर्शाई गई है:

**तालिका 1.7: राज्य शासन द्वारा 2000–01 से 2017–18 तक किए गए निवेश एवं उसके वर्तमान मूल्य का वर्ष वार विवरण**

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	राज्य शासन द्वारा वर्तमान वर्ष में निवेशित अंशपूँजी	राज्य शासन द्वारा वर्तमान वर्ष में निवेशित ऋण और पूँजीगत अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	शासन के ऋणों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेशित राशि की लागत वसूलने के लिए वर्ष में अपेक्षित चूनतम प्रतिफल	वर्ष के दौरान कुल लाभ <sup>19</sup>
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii* (1+vi)/ 100}	ix={vii* vi/100}	x
2000–01	2544.08	–478.85	97.52	–381.33	9.94	2162.75	2377.73	214.98	–1,374.03
2001–02	2377.73	0.00	191.68	191.68	9.19	2569.41	2805.54	236.13	–1,477.23
2002–03	2805.54	–61.53	–1874.87	–1936.40	8.81	869.14	945.71	76.57	–1,476.97
2003–04	945.71	0.25	0.00	0.25	9.41	945.96	1034.97	89.01	–157.5
2004–05	1034.97	0.00	682.04	682.04	8.96	1717.01	1870.86	153.84	148.36
2005–06	1870.86	3949.23	3763.30	7712.53	7.33	9583.39	10285.85	702.46	1,241.50
2006–07	10285.85	162.75	198.01	360.76	7.86	10646.61	11483.43	836.82	554.84
2007–08	11483.43	774.11	–3739.92	–2965.81	7.72	8517.62	9175.18	657.56	–1,729.70
2008–09	9175.18	2048.89	1139.66	3188.55	7.24	12363.73	13258.87	895.13	–3,218.73
2009–10	13258.87	2659.40	1515.05	4174.45	6.94	17433.32	18643.19	1209.87	–3,616.38
2010–11	18643.19	–114.24	1281.62	1167.38	7.07	19810.57	21211.17	1400.61	–2,147.35
2011–12	21211.17	1017.28	5029.04	6046.32	6.91	27257.49	29140.99	1883.49	–2,469.05
2012–13	29140.99	953.84	6613.06	7566.90	6.75	36707.89	39185.67	2477.78	–4,280.84
2013–14	39185.67	893.44	3743.04	4636.48	6.69	43822.15	46753.85	2931.70	–6,197.61
2014–15	46753.85	1204.35	9338.05	10542.40	6.73	57296.25	61152.29	3856.04	–6,588.09
2015–16	61152.29	637.23	2325.81	2963.04	6.86	64115.33	68513.64	4398.31	–4,994.09
2016–17	68513.64	196.93	3260.89	3457.82	6.72	71971.46	76807.94	4836.48	–5,546.12
2017–18	76807.94	4913.94	–7599.35	–2685.41	6.67	74122.53	79,066.51	4943.97	–4,289.15
योग		18,757.02	25,964.63	44,721.65					

राज्य शासन द्वारा अंशपूँजी (₹ 18,757.02 करोड़), ऋण (₹ 25,309.73 करोड़) और पूँजीगत अनुदान (₹ 654.90 करोड़) में किए गए निवेश के कारण इस प्रतिवेदन में शामिल सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य शासन के निवेश की राशि वर्ष 2000–01 में ₹ 2,544.08 करोड़ से बढ़कर 2017–18 के अंत में ₹ 47,265.73 करोड़ हो गयी। निवेश का 31 मार्च 2018 तक वर्तमान मूल्य ₹ 79,066.51 करोड़ होता है।

<sup>19</sup> वर्ष के लिए कुल आय उन ऊर्जा क्षेत्र के उन सार्वजनिक उपक्रमों जहाँ राज्य शासन द्वारा निधि का निवेश किया गया, के संबंधित वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ / हानि) के योग को दर्शाती है।

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2000–01 से 2017–18 के दौरान इन कंपनियों की कुल आय नकारात्मक रही, जो इंगित करती है कि निवेशित निधियों पर प्रतिफल उत्पन्न करने के बजाय, यह कंपनियाँ शासन की निधियों की लागत भी वसूल नहीं कर सकी।

इसके अलावा, शासन ने तीन विद्युत वितरण कंपनियों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण चुकाने के लिए 2016–17 में ₹ 7,568.00 करोड़ और 2017–18 में ₹ 4,621.99 करोड़ उदय योजना के तहत अंशपूँजी/ अनुदान के रूप में दिया है। यदि हम इस अनुदान को राज्य शासन के निवेश मानते हैं, तो निवेश पर प्रतिफल और कम हो जाएगा।

### निवल मूल्य का क्षरण

**1.12** निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त पूँजी और मुक्त भंडार और अधिशेष के योग में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय घटाने के बाद शेष राशि। वास्तव में यह स्वामियों के लिए किसी प्रतिष्ठान के मूल्य का एक पैमाना है। नकारात्मक निवल मूल्य बताता है कि संचित हानियों और आस्थगित राजस्व व्यय ने स्वामियों द्वारा किये गए पूरे निवेश को समाप्त कर दिया है।

31 मार्च 2018 को पाँच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संचित हानि ₹ 45,228.09 करोड़ थी। इस प्रतिवेदन में शामिल सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वर्ष 2017–18 में ₹ 4,907.25 करोड़ की हानि हुई और तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वर्ष 2017–18 में हानि नहीं हुई जबकि उनकी संचित हानि ₹ 12,540.87 करोड़ थी।

इस प्रतिवेदन में शामिल सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से तीन की निवल मूल्य का उनकी संचित हानि के कारण पूरी तरह से क्षरण हो गया था और उनकी निवल मूल्य या तो शून्य या नकारात्मक थी। 31 मार्च 2018 को इन तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ₹ 16,119.70 करोड़ पूँजी निवेश के विरुद्ध इनकी निवल मूल्य (-) ₹ 27,912.81 करोड़ थी। यद्यपि, उन तीन उपक्रमों जिनकी निवल मूल्य का क्षरण हो चुका है (शून्य या नकारात्मक निवल मूल्य) में से एक उपक्रम ने 2017–18 के दौरान मुख्यतः उदय के तहत प्राप्त अनुदान के कारण ₹ 552.89 करोड़ का लाभ कमाया (परिशिष्ट-1.1)।

जिन तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूँजी का क्षरण हो गया था, उन पर 31 मार्च 2018 को शासन का ₹ 26,559.67 करोड़ राशि का ऋण बकाया था।

31 मार्च 2018 के अंत में जिन उपक्रमों की निवल मूल्य सकारात्मक थी उनमें से एक उपक्रम (म.प्र.पा.मै.कं.लि.) का निवल मूल्य उसकी प्रदत्त पूँजी के आधे से भी कम था, जिसका मुख्य कारण यह है कि वह कोई भी स्वतंत्र व्यापार गतिविधि नहीं करती है और सिर्फ अपनी सहायक कंपनियों (विद्युत वितरण कंपनियों) की ओर से ऊर्जा का व्यापार करती है।

तालिका 1.8, 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान उन तीन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/ हानि एवं निवल मूल्य दर्शाती है जिनके निवल मूल्य का क्षरण हो चुका है:

**तालिका 1.8: 2015–16 से 2017–18 के दौरान हानि वहन करने वाली तीन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की निवल मूल्य**

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ / हानि	आस्थगित राजस्व व्यय	(₹ करोड़ में) निवल मूल्य
2015–16	5,868.60	−35,602.55	—	−29,733.95
2016–17	9,973.21	−37,131.92	—	−27,158.71
2017–18	14,040.00	−42,032.03	—	−27,992.03

### लाभांश भुगतान

**1.13** राज्य शासन ने (जुलाई 2005) एक लाभांश नीति तैयार की थी जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लाभ कमाने वाले उपक्रमों को कर पश्चात लाभ पर न्यूनतम 20 प्रतिशत का लाभांश भुगतान करना आवश्यक है। उनकी नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, ऊर्जा क्षेत्र के 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, में से तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ₹ 618.10 करोड़ समग्र लाभ अर्जित किया लेकिन उनमें से किसी ने भी उपरोक्त मापदंड के अनुसार ₹ 123.62 करोड़ लाभांश की घोषणा नहीं की। इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए उन सात ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों जिनमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस अवधि में अंशपूँजी निवेश किया गया था से संबंधित लाभांश भुगतान का व्यौरा तालिका 1.9 में दर्शाया गया है:

**तालिका 1.9: 2015–16 से 2017–18 के दौरान इस प्रतिवेदन में शामिल सात सरकारी उपक्रमों का लाभांश भुगतान**

वर्ष	सरकारी उपक्रम जिनमें म.प्र.शा. द्वारा पूँजी निवेश की गयी		सरकारी उपक्रम जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया		उपक्रम जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित / वितरित किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	उपक्रमों की संख्या	म.प्र.शा. द्वारा निवेशित पूँजी	उपक्रमों की संख्या	म.प्र.शा. द्वारा निवेशित पूँजी	उपक्रमों की संख्या	उपक्रमों द्वारा प्रदत्त / आश्वासित लाभांश	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2015–16	8	637.23	2	339.82	0	0	0
2016–17	8	196.93	2	445.45	0	0	0
2017–18	8	4,913.94	3	2,655.70	0	0	0

2015–16 से 2017–18 के दौरान, लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की संख्या दो और तीन के बीच थी, जिसमें से किसी भी उपक्रम ने मध्य प्रदेश शासन को लाभांश भुगतान / घोषित नहीं किया।

आगे विश्लेषण से पता चला कि इनमें से किसी भी कंपनी ने शुरुआत से ही लाभांश भुगतान / घोषित नहीं किया।

### पूँजी पर प्रतिफल

**1.14** पूँजी पर प्रतिफल<sup>20</sup> (आर.ओ.ई.) वित्तीय प्रदर्शन का एक पैमाना है जिससे यह आंकलन किया जाता है की प्रबंधन कितने प्रभावी ढंग से कंपनी की संपत्ति का इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए कर रहा है और इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात् कर पश्चात शुद्ध

<sup>20</sup> अंशपूँजी पर प्रतिफल = (कर और वरियता लाभांश पश्चात शुद्ध लाभ / अंशपूँजी + ऋण )\*100, जहाँ अंशपूँजी = प्रदत्तपूँजी + मुक्तभंडार–संवित हानि–आस्थगित राजस्व व्यय।

लाभ) को अंशधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए गणना की जा सकती है यदि शुद्ध आय और अंशधारकों की निधि की संख्या सकारात्मक है।

पूँजी पर प्रतिफल की गणना उन तीन<sup>21</sup> ऊर्जा क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों के संबंध में की गई है जिनमें राज्य शासन द्वारा धन का निवेश किया गया था क्योंकि अन्य हानि वहन करने वाले उपक्रमों का निवल मूल्य नकारात्मक है। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के इन उपक्रमों की अंशधारक निधि और पूँजी पर प्रतिफल का विवरण तालिका 1.10 में दिया गया है:

**तालिका 1.10: उन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का पूँजी पर प्रतिफल जिनमें राज्य शासन द्वारा धन का निवेश किया गया है**

वर्ष	वर्ष के दौरान शुद्ध/ कुल आय <sup>22</sup> (₹ करोड़ में)	अंशधारक निधि (₹ करोड़ में)	पूँजी पर प्रतिफल (%)
2015–16	29.49	16,920.51	0.17
2016–17	64.28	11,462.01	0.56
2017–18	65.21	12,118.70	0.54

मार्च 2018 को समाप्त विगत तीन साल की अवधि के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सरकारी उपक्रमों का पूँजी पर प्रतिफल मात्र 0.17 और 0.56 प्रतिशत के मध्य रहा जो की इन सरकारी उपक्रमों के खराब प्रदर्शन को दर्शाता है।

### नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

**1.15** नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूँजी कार्यरत है।

आर.ओ.सी.ई.की गणना एक कंपनी की ब्याज और कर पूर्व आय (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूँजी<sup>23</sup> द्वारा विभाजित करके की जाती है। इस प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 2015–16 से 2017–18 की अवधि के आर.ओ.सी.ई. का विवरण तालिका 1.11 में दर्शाया गया है :

**तालिका 1.11: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल**

वर्ष	ब्याज और कर पूर्व आय (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आर.ओ.सी.ई. (%)
2015–16	−2,654.18	15,432.56	−17.20
2016–17	1,577.81	14,826.51	10.64
2017–18	−473.37	23,876.88	−1.98

2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (−) 17.20 प्रतिशत और 10.64 प्रतिशत के मध्य रहा।

<sup>21</sup> म.प्रा.ज.कं.लि., म.प्रा.ट्रा.कं.लि. और म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि।

<sup>22</sup> संबंधित वर्ष के वार्षिक लेखों के अनुसार।

<sup>23</sup> नियोजित पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घावधि.ऋण – संवित हानि – आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े सार्वजनिक उपक्रमों के नवीनतम वर्ष के अंतिमीकृत लेखों के अनुसार हैं।

## कंपनियों के दीर्घावधि ऋण का विश्लेषण

**1.16** शासन, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण की अदायगी की कंपनियों की क्षमता का आंकलन करने के लिए उन कंपनियों के दीर्घावधि ऋणों की समीक्षा की गयी जिनने 2015–16 से 2017–18 के दौरान ऋण ले रखे थे। यह मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात के माध्यम से किया गया है।

### ब्याज व्याप्ति अनुपात

**1.17** ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की आय (ई.बी.आई.टी.) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। जितना कम अनुपात, उतनी ही कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की कम क्षमता। एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात से संकेत मिलता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर पा रही है। इस प्रतिवेदन में शामिल कंपनियां जिनके ऋण बकाया हैं उनके ब्याज व्याप्ति अनुपात का 2015–16 से 2017–18 की अवधि का विवरण तालिका 1.12 में दिया गया है:

**तालिका 1.12: ब्याज व्याप्ति अनुपात**

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर पूर्व आय (ई.बी.आई.टी.) (₹ करोड़ में)	सरकार, बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों के प्रति ऋण के दायित्व वाले उपक्रमों की संख्या	ब्याज व्याप्ति अनुपात 1 से अधिक वाली कंपनियों की संख्या	ब्याज व्याप्ति अनुपात 1 से कम वाली कंपनियों की संख्या
2015–16	2,905.06	−2,653.64	7	2	5
2016–17	3,441.12	1,577.81	7	3	4
2017–18	4,307.36	−468.30	7	3	4

यह देखा गया कि एक से अधिक ब्याज व्याप्ति अनुपात वाली ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 2015–16 में दो थी जो 2017–18 में बढ़कर तीन हो गयी।

किसी भी उपक्रम के मामले में ऋणों पर देय ब्याज उसके, कुल संपत्तियों के मूल्य से अधिक नहीं था जो कि इन उपक्रमों के दिवालियेपन के उच्च जोखिम की ओर संकेत करता है।

### राज्य शासन द्वारा प्रदत्त ऋण पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

**1.18** 31 मार्च 2018 को, मध्य प्रदेश शासन द्वारा तीन सार्वजनिक उपक्रमों को प्रदान किए गए ऋणों पर ₹ 4,739.07 करोड़<sup>24</sup> का ब्याज बकाया था। सार्वजनिक उपक्रमों पर राज्य शासन द्वारा प्रदत्त ऋण पर बकाया ब्याज का आयु वार विश्लेषण तालिका संख्या 1.13 में दर्शाया गया है:

<sup>24</sup> पैंच उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर।

### तालिका 1.13: राज्य शासन द्वारा प्रदत्त ऋण पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र सं	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	ऋण पर बकाया ब्याज	1 वर्ष से कम अवधि से बकाया	1 वर्ष से 3 वर्ष की अवधि से बकाया	3 वर्ष से अधिक अवधि से बकाया
1	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	1,183.26	868.76	184.57	129.93
2	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	1,563.06	1,101.26	391.73	70.07
3	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	1.63	0.54	1.02	0.07
4	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	1,703.58	317.77	498.27	887.54
5	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	287.54	73.84	96.78	116.92
	योग	4,739.07	2,362.17	1,172.37	1,204.53

### उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के तहत सहायता

**1.19** ऊर्जा मंत्रालय (ऊ.म.), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय योजना) का शुभारंभ (20 नवंबर 2015) किया। उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों को विद्युत वितरण कंपनियों के परिचालन और वित्तीय परिवर्तनों के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे:

#### परिचालन दक्षता में सुधार के लिए योजना

**1.19.1** भाग लेने वाले राज्यों को परिचालन क्षमता में सुधार के लिए विभिन्न लक्षित कार्यों को करने की आवश्यकता थी। जैसे अनिवार्य फीडर और वितरण ट्रान्सफोर्मर (डी.टी.) की अनिवार्य मीटरीकरण, उपभोक्ता अनुक्रमण और वितरण हानियों की जी.आई.एस. मैपिंग, ट्रांसफोर्मर या मीटरों का उन्नयन करना या बदलना, 200 यूनिट प्रति माह से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा दक्ष उपकरणों के माध्यम से डिमांड साइड मैनेजमेंट (डी.एस.एम.), ऊर्जा टैरिफ का तिमाही संशोधन, बिजली की चोरी को कम करने के लिए व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) अभियान चलाना, उन क्षेत्रों में जहां समेकित तकनीकी व व्यावसायिक हानि कम हई है उन क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ाना सुनिश्चित करना। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन भी किया जाना आवश्यक था, जिससे लक्षित लाभ अर्थात् फीडर और वितरण ट्रान्सफोर्मर स्तर पर नुकसान का पता करने की क्षमता, हानि पहुंचाने वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी हानियों को कम करना और आउटेज को कम करना, बिजली की चोरी को कम करना और चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, पीक लोड और ऊर्जा की खपत को कम करना आदि की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। परिचालन सुधारों के परिणामों का आंकलन संकेतकों के माध्यम से किया जाना था जैसे, ऊर्जा मंत्रालय और राज्यों द्वारा अंतिमीकृत हानि ट्राजेक्टरी के अनुसार 2019–20 में समेकित तकनीकी व व्यावसायिक हानियों को 15 प्रतिशत तक कम करना, 2019–20 तक, आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व के बीच अंतर को शून्य करना।

#### वित्तीय परिवर्तन के लिए योजना

**1.19.2** भाग लेने वाले राज्यों को 2020–21 तक डिस्कॉमों के 75 प्रतिशत कर्ज टेकओवर करने थे अर्थात् 2016–17 में 21.80 प्रतिशत और 2017–18 से 2020–21 तक प्रत्येक वर्ष 13.30 प्रतिशत वित्तीय परिवर्तनों की योजना में निम्न प्रावधान थे:

- राज्य मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों को अनुदान/ऋण/अंशपूँजी प्रदान करने के लिए धन जुटाने के लिए गैर-एस.एल.आर. बॉन्ड जारी करेगा।
- ऋणों का टेकओवर मध्य प्रदेश शासन के गैर पूँजीगत ऋणों के बाद अधिक लागत वाले ऋणों के क्रम में होना चाहिए।
- 2016–17 में राज्य द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को हस्तांतरित राशि, अंशपूँजी के रूप में होगी और शेष का हस्तांतरण अनुदान के रूप में होगा।

### उदय योजना का कार्यान्वयन

**1.19.3** उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

#### परिचालन मापदंडों की प्राप्ति

उदय योजना के तहत विभिन्न संचालन मानकों के बारे में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में राज्य की तीन डिस्कॉर्मों से संबंधित उपलब्धियों की तुलना तालिका 1.14 में दी गयी है:

**तालिका 1.14: वर्ष 2017–18 हेतु मापदंडवार परिचालन प्रदर्शन के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां**

मापदंड	समझौता ज्ञापन के अनुसार लक्षित अवधि	लक्ष्य	उपलब्धि
<b>वित्तीय सुधार</b>			
पूँजी/अनुदान में परिवर्तित कर विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों का मध्य प्रदेश शासन द्वारा टेकओवर (₹ करोड़ में)	2017–18	4,622.00	4,621.99
समेकित तकनीकी व व्यावसायिक हानियों में कमी (प्रतिशत में)	2017–18	19.15	30.16
ए.सी.एस. और ए.आर.आर. के अंतर को खत्म करना (₹ प्रति इकाई तक)	2017–18	0.16	0.47
टैरिफ़ संशोधन समय पर करना	2017–18	समय पर टैरिफ़ याचिका दायर की	कोई विलंब नहीं
बिलिंग दक्षता (प्रतिशत में)	2017–18	80.85	76.03
संग्रह दक्षता (प्रतिशत में)	2017–18	100.00	91.51
<b>परिचालन सुधार</b>			
वितरण ट्रान्सफ़ॉर्मर मीटरिंगरण (शहरी) (संख्या में)	2017–18	63,259.00	49,997.00
वितरण ट्रान्सफ़ॉर्मर मीटरिंगरण (ग्रामीण) (संख्या में)	2017–18	3,24,710.00	1,29,982.00
फीडर मीटरीकरण (ग्रामीण) (संख्या में)	2017–18	14,204.00	8,934.00
ग्रामीण फीडर ऑडिट (संख्या में)	2017–18	11,934.00	8,726.00
500 के डब्ल्यू.एच. से ऊपर स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	2017–18	1,28,708.00	40,557.00
असंयोजित घरों का विद्युतीकरण (लाख में)	2017–18	142.08	78.03
उजाला योजना के तहत एल.ई.डी. का वितरण (लाख में)	2017–18	300.00	132.41
भौतिक फीडर विभक्तिकरण (संख्या में)	2017–18	7,968.00	5,001.00

स्रोत: तीन विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रदत्त जानकारी।

ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर मीटरिंग और वितरण ट्रांसफ़ॉर्मर मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग, कनेक्शन न दिये गये घरों को बिजली प्रदान करने और एल.ई.डी. के वितरण में राज्य ने खराब प्रदर्शन किया है। इसके अलावा, प्रगति के मौजूदा रुझान को देखते हुए, राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य 2019–20 तक समेकित तकनीकी व व्यावसायिक हानियों को 15 प्रतिशत तक कम कर पाना मुश्किल होगा। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, 30 सितंबर 2018 तक उदय योजना के तहत तीन राज्य डिस्कॉर्मों द्वारा प्राप्त की गयी समग्र उपलब्धियों के आधार पर सभी राज्यों के बीच मध्य प्रदेश राज्य नौवें स्थान पर था।

## वित्तीय सुधारों का कार्यान्वयन

**1.19.4** मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शा.) ने उदय स्कीम का लाभ लेने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को अपनी 'सैद्धांतिक' सहमति (दिसंबर 2015) में दे दी। इसके बाद, ऊर्जा मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन, और तीन सहायक राज्य डिस्कॉम (यानी म.प्र.मध्य क्षे.वि.वि.कं.लि./ म.प्र.पूर्व क्षे.वि.वि.कं.लि./ म.प्र.पश्चिम क्षे.वि.वि.कं.लि.) की ओर से म.प्र.पा.मै.कं.लि. के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.), (10 अगस्त 2016) हस्ताक्षरित किया गया। उदय योजना और त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितंबर 2015 को तीन राज्य डिस्कॉमों से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 34,739 करोड़) में से, म.प्र.शा. ने 75 प्रतिशत कुल ऋण का वहन कर लिया है। 2016–17 और 2017–18 की अवधि के दौरान कुल ऋण ₹ 12,189.99 करोड़ वहन कर लिया है, जैसा कि तालिका 1.15 में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.15: उदय योजना का कार्यान्वयन**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अंशपूँजी निवेश	अनुदान	योग
2016–17	3,557.00	4,011.00	7,568.00
2017–18	4,010.99	611.00	4,621.99
योग	7,567.99	4,622.00	12,189.99

शेष राशि ₹ 13,864.26 करोड़ को तीन साल की अवधि अर्थात् 2018–19, 2019–20 और 2020–21 में अनुदान में परिवर्तित किया जाना है।

### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियाँ

**1.20** 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान नौ ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों ने अपने 13 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकर को प्रेषित किये। इनमें से आठ लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा संकेत करती है कि खातों की गुणवत्ता में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। 2016–18 के लेखों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य का विवरण तालिका 1.16 में दर्शाया गया है:

**तालिका 1.16: ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव**

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	2015–16		2016–17		2017–18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	5	20.15	2	10,063.26	0	0
2	लाभ में वृद्धि	—	—	—	—	0	0
3	हानि में वृद्धि	3	11,260.65	1	162.63	1	217.27
4	हानि में कमी	—	—	—	—	—	—
5	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट ना करना	3	97.25	1	7.98	—	—
6	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	3	605.29	2	136.71	1	3,841.00

**स्रोत:** सरकारी कंपनियों के संबंध में संवैधानिक लेखापरीक्षकों/ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2017–18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सात<sup>25</sup> लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र जारी किए थे। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन खराब होने के कारण सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन लेखों में लेखा मानकों के उल्लंघन के 12 मामलों का उल्लेख किया।

### अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

**1.21** 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के भाग 1 के लिए, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित तीन अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ, दो सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत किए जाने के अनुरोध के साथ प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन को जारी की गयी थी। सभी अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के उत्तर राज्य शासन से प्राप्त किये जाकर इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किये गए। अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 29.57 करोड़ है।

### लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कार्रवाई का अनुपालन

**1.22** भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जांच का उत्पाद है। इसलिए, यह आवश्यक है कि उसे कार्यपालिका से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त हो। वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिया (मई 2016) कि विधानसभा में उसकी प्रस्तुति के तीन महीने की अवधि के भीतर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल कंडिका/ समीक्षाओं पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (स.उ.सं.स.) से किसी भी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, निर्धारित प्रारूप में उत्तर/ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें।

### सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

**1.23** सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पी.एस.यू.) में सम्मिलित कंडिकाओं और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई चर्चाओं की 31 दिसंबर, 2018 की स्थिति तालिका 1.17 में दर्शाई गयी है:

**तालिका 1.17: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं / निष्पादन लेखापरीक्षाओं और उनपर की गयी चर्चा की 31 दिसंबर 2018 की स्थिति**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अवधि	समीक्षा / कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित		कंडिका जिन पर चर्चा की गयी	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका
2015–16	1	6	1	6
2016–17	2	6	—	—

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित।

### सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

**1.24** 2000–01 से 2011–12 तक राज्य विधानसभा को प्रस्तुत किए गए कोपू के आठ प्रतिवेदनों पर सार्वजनिक उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र) से कार्यवाही प्रतिवेदन (ए.टी.एन.) प्राप्त नहीं हुए (31 दिसंबर 2018) जैसा तालिका 1.18 में दर्शाया गया है:

<sup>25</sup> परिशिष्ट 1.1 की कं. सं क 1, ख 5, ग 6, ग 7, ग 8, घ 9 और घ 10 पर सार्वजनिक उपक्रमों के लेखे।

### तालिका 1.18: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू के प्रतिवेदनों में सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जिन पर कार्यवाही प्रतिवेदन लंबित हैं
2000–01	1	29	9
2001–02	1	41	10
2009–10	3	3	3
2010–11	2	5	4
2011–12	1	1	1
योग	8	79	27

चेतावनी: कोपू की सिफारिशों पर मध्य प्रदेश शासन के संबंधित विभागों से प्राप्त कार्यवाही प्रतिवेदनों के आधार पर संकलित।

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदनों में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड से संबंधित कंडिकाओं के संबंध में सिफारिशें थीं, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2000–01 से 2011–12 के प्रतिवेदनों में सम्मिलित थीं।

## अध्याय-2



## अध्याय—2

### अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

इस अध्याय में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेन-देन की नमूना जांच में प्राप्त महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

**मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड**

#### 2.1 प्रशमन शुल्क जमा न करना

**वितरण कम्पनियों ने सरकारी खजाने में उपभोक्ताओं से एकत्र किए गए ₹ 52.40 करोड़ के प्रशमन शुल्क को जमा करने में विलंब किया।**

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, वितरण कम्पनियाँ (डिस्कॉम कम्पनियाँ) अर्थात् मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (म.प्र. पूर्व क्षे.वि.वि.कं.लि.), मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (म.प्र. मध्य क्षे.वि.वि.कं.लि.), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (म.प्र. पश्चिम क्षे.वि.वि.कं.लि.) अपराध के शमन के लिए, उन उपभोक्ताओं से जिन्होंने बिजली चोरी की या बिजली चोरी करने के अपराध का संदिग्ध था, राशि वसूल करती है। प्रशमन शुल्क के भुगतान पर, ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जानी थी।

सामान्य वित्तीय नियम 2017 के अध्याय 2 के नियम 7 के अनुसार, सरकार के पक्ष में या उसके द्वारा प्राप्त सभी धन या तो सरकार के बकाये के रूप में या जमा, प्रेषण या अन्यथा, बिना देरी के सरकारी खाते में लाया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2018 तक, राज्य सरकार की ओर से डिस्कॉम के क्षेत्रीय कार्यालयों ने उपभोक्ताओं या व्यक्तियों से जो कि बिजली चोरी करने के अपराध के संदिग्ध थे, से ₹ 52.40 करोड़<sup>1</sup> प्रशमन शुल्क की राशि एकत्रित कर उसे कम्पनी मुख्यालय में प्रेषित कर दिया था। तथापि, डिस्कॉम की वित्त शाखा में, अभिलेख में किसी कारण के उल्लेख किए बिना, इसे सरकारी खाते में जमा नहीं किया (मार्च 2018)।

सरकार ने जवाब दिया (जनवरी 2019) कि डिस्कॉम को निर्देशित किया गया था (जनवरी 2019) कि वह जमा किए गये प्रशमन शुल्क का निष्केपण सरकारी खाते में सुनिश्चित करें। इसके बाद, म.प्र. मध्य क्षे.वि.वि.कं.लि. ने यह उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि सरकार ने डिस्कॉम को प्राप्त होने योग्य सब्सिडी के विरुद्ध निष्केपित की जाने वाली प्रशमन शुल्क की राशि को समायोजित कर दिया था।

इस प्रकार, तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात विभाग ने डिस्कॉम द्वारा प्राप्त होने योग्य सब्सिडी के विरुद्ध 2006–07 से 2018–19 की अवधि के दौरान एकत्र किए गये प्रशमन शुल्क को समायोजित किया। हालांकि डिस्कॉम द्वारा एकत्र किए गए प्रशमन शुल्क का सरकारी खाते में नियमित और समय पर प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

<sup>1</sup> म.प्र. पूर्व क्षे.वि.वि.कं.लि. (पूर्व डिस्कॉम) – ₹ 5.16 करोड़, म.प्र. मध्य क्षे.वि.वि.कं.लि. (मध्य डिस्कॉम) – ₹ 18.40 करोड़ और म.प्र. पश्चिम क्षे.वि.वि.कं.लि. (पश्चिम डिस्कॉम) – ₹ 28.84 करोड़।

## मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

### 2.2 ठेकेदार से बकाए की गैर-वसूली

**उपयुक्त बैंक गारण्टी खाते में लामबंदी अग्रिम के सही क्रेडिट में कम्पनी की लापरवाही और लामबंदी अग्रिम पर ब्याज ना लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 4.80 करोड़ की राशि की वसूली न होना।**

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल ने, भोपाल और ग्वालियर के क्षेत्रों के लिए अभिकल्प, निर्माण, प्रेषण पूर्व निरीक्षण, सामग्री व संयत्र की आपूर्ति तथा परीक्षण, भण्डारण, सुपरवाईजरी कण्ट्रोल एण्ड डाटा एक्युजिशन (स्कार्ड) के उपकरणों को स्थापित एवं चालू करने के कार्य टर्नकी आधार पर मेसर्स इसुन रेयरोल लिमिटेड (ठेकेदार), बैंगलोर को ₹ 83.57 करोड़ की लागत पर प्रदान (अप्रैल 2012) किया। अनुबंध को प्रभावी तिथि (जून 2012) से 18 महीने के भीतर पूर्ण किया जाना था।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार, कंपनी ने बैंक गारण्टी<sup>2</sup> (अग्रिम भुगतान बैंक गारण्टी ₹ 7.39 करोड़ और निष्पादन बैंक गारण्टी का ₹ 8.35 करोड़) के रूप में अखण्डनीय अग्रिम भुगतान सुरक्षा निधि की प्राप्ति के विरुद्ध, ₹ 6.72 करोड़ तथा ₹ 2.76 करोड़ के अग्रिमों का भुगतान क्रमशः लामबन्दी और सामग्री अग्रिम के रूप में किया। अनुबंध<sup>3</sup> के अनुसार, ऐसे अग्रिम पर नकद ऋण दर (17.25 प्रतिशत) से अग्रिम के भुगतान की तिथि से लेकर ठेकेदार द्वारा बाद में जमा किए गए बिलों से वसूली/ समायोजन की तिथि तक साधारण ब्याज एकत्र किया जाना चाहिए था। आगे, बैंक गारण्टी के प्रपत्र की शर्तों<sup>4</sup> के अनुसार गारण्टी के तहत किसी भी भुगतान तथा दावा के लिए, ठेकेदार द्वारा अग्रिमों की प्राप्ति उसके निर्दिष्ट बैंक तथा शाखा के निर्दिष्ट खाता संख्या<sup>5</sup> में होनी चाहिए थी। यदि ठेकेदार ने कार्य परित्यक्त किया, बचे हुए कार्य को पूर्ण करने में किसी भी अतिरिक्त खर्च की लागत पूर्व ठेकेदार<sup>6</sup> से ही वसूली जानी चाहिए थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने बैंक गारण्टी में निर्दिष्ट खातों से ठेकेदार के भिन्न बैंक खातों<sup>7</sup> में लामबंदी अग्रिम में जारी किया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, इसने ठेकेदार से चूक के प्रकरण में किसी भी दावे की पूर्ति के लिए बैंक गारण्टी को निष्पावी कर दिया। यहाँ तक कि बाद में बैंक गारण्टी के विभिन्न नवीनीकरण/ संशोधनों के समय (सितम्बर 2014, मार्च 2015, सितम्बर 2015 आदि), कंपनी ने ठेकेदार को अंतिम समाप्ति आदेश (नवम्बर 2015) जारी करने से पहले, कंपनी द्वारा उपरोक्त गलती को सुधारने के लिए कोई संशोधन नहीं किया गया था। लामबंदी अग्रिम जारी करने तथा साथ ही बैंक गारण्टी के विभिन्न नवीनीकरण के समय बैंक गारण्टी की मूलभूत पूर्वाभिष्ट शर्त का अनुपालन न करने का कारण समझ से परे है, जबकि कंपनी में प्री-ऑडिट की एक प्रणाली मौजूद है।

आगे, ठेकेदार के चल बिलों से कंपनी लामबंदी अग्रिम पर ₹ 3.79 करोड़ की राशि का ब्याज लगाने एवं वसूलने में असमर्थ रही जिसका कोई कारण दर्ज नहीं है।

<sup>2</sup> 31 मार्च 2014 तक बैंक गारण्टी मान्य।

<sup>3</sup> दिये गये अनुबंध की धारा 22.1

<sup>4</sup> यह शर्त अग्रिम भुगतान सुरक्षा के प्रारूप के अनुसार निर्धारित की गई थी, बोली दस्तावेज टीएस- 355 के अनुबंध की सामान्य शर्त 13.3.2 के भाग के रूप में।

<sup>5</sup> इस मामले में ठेकेदार के एक्सिस बैंक, बैंगलोर के खाता संख्या— 910030049414113

<sup>6</sup> बोली दस्तावेज की अनुबंध की सामान्य शर्तों का खंड 42.2.6

<sup>7</sup> खाता संख्या— 910020050384455

चूंकि ठेकेदार लक्ष्य और समयसीमा के अनुसार कार्य का क्रियान्वयन नहीं कर सका, उप मुख्य महाप्रबंधक (यू.पी.) ने नवम्बर 2015 में अनुबंध को समाप्त कर दिया था। ठेकेदार द्वारा जमा की गई ₹ 8.35 करोड़ की निष्पादन बैंक गारण्टी कम्पनी द्वारा जब्त कर ली गई थी। कम्पनी द्वारा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के जरिए कराए गये आंकलन (मार्च 2018) के अनुसार, निलम्बन के समय ठेकेदार से ₹ 14.75 करोड़ बकाया वसूली योग्य थे (लामबंदी अग्रिम पर ब्याज को सम्मिलित करने तथा विभिन्न क्रेडिट को मान्य करने एवं ₹ 8.35 करोड़ की निष्पादन बैंक गारण्टी के नकदीकरण के बाद)।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2019) कि ठेकेदार द्वारा अन्य अनुबंध के तहत प्रदान किए ₹ 9.95 करोड़ की बैंक गारण्टी का कम्पनी ने नकदीकरण (मार्च 2018) कर लिया था। यह भी उत्तर दिया गया कि बैंक के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर में ₹ 7.39 करोड़ की बैंक गारण्टी के नकदीकरण के लिए रिट याचिका (अप्रैल 2018) दायर की गयी है। आगे यह भी कहा कि यह अनजाने में हुई एक लिपिकीय त्रुटि थी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है। लामबंदी अग्रिम को बैंक गारण्टी में निर्दिष्ट खाते से अलग में जारी करने में कम्पनी की विफलता से बैंक गारण्टी निष्प्रभावी हो गयी और इसलिए ठेकेदार को बिना सुरक्षा के निधि जारी हो गई थी। यदि यह एक लिपिकीय त्रुटि थी जैसा कि कहा गया है और सभी अनुमोदन वैद्यकर्ता अधिकारियों के द्वारा पता लगाए बिना पारित किया गया है, तो यह स्पष्ट करता है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली या तो कमजोर है या अस्तित्व में ही नहीं है। एक अनुबंध के बकाया को किसी अन्य अनुबंध की बैंक गारण्टी से समायोजित करने का तत्कालीन प्रकरण का कार्य कम्पनी को कम्पनी के वित्तीय हित की रक्षा करने में हुई लापरवाही से दोषमुक्त नहीं करता और कम्पनी को अनावश्यक मुकदमेबाजी में फसा दिया। आज की तारीख में (अक्टूबर 2019), ठेकेदार से ₹ 4.80 करोड़<sup>8</sup> (बकाया) की वसूली योग्य राशि अभी भी शेष है।

### मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत विवरण कंपनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत विवरण कंपनी लिमिटेड

#### 2.3 स्थायी बिजली कनेक्शन का अनियमित जारी करना

वितरण कम्पनियों ने, विद्युत आपूर्ति कोड (संहिता) के प्रावधानों के उल्लंघन में, (विद्युत संयंत्रों के निर्माण गतिविधियों के लिए) अस्थायी विद्युत कनेक्शन के बजाय, स्थायी विद्युत कनेक्शन का विस्तारण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.77 करोड़ की राजस्व की हानि हुई।

विद्युत अधिनियम 2003 के अनुपालन में, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एम.पी.ई.आर.सी.) ने मध्य प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड, 2004 / 2013 (आपूर्ति कोड) जारी किया, जिसे अक्टूबर 2015 में संशोधित किया गया था। आपूर्ति कोड के लिए आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जिसे अस्थायी स्वरूप के उददेश्य हृत् एक / दो वर्ष से कम अवधि के लिए, विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है, उसे अस्थायी विद्युत आपूर्ति कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। साथ ही, एम.पी.ई.आर.सी. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए टैरिफ विनियम के अनुसार, मार्च 2018 तक अस्थायी कनेक्शन के तहत प्रभारों का बिल स्थायी कनेक्शन के टैरिफ का 1.3 गुना<sup>9</sup> लगाया जाना चाहिए था।

<sup>8</sup> ₹ 14.75 करोड़ में से ₹ 9.95 करोड़ घटाकर।

<sup>9</sup> अप्रैल 2018 के बाद से 1.25 गुना प्रभावी।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2018 / जुलाई 2019) कि आपूर्ति कोड 2004 / 2013 के उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में, वितरण कम्पनियों अर्थात् म.प्र. पश्चिम क्षेत्रीय वितरण और म.प्र. पूर्व क्षेत्रीय वितरण ने स्थायी उच्च दाब कनेक्शन विस्तारित किया जैसा कि नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है।

(राशि: ₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	वितरण कंपनी का नाम	विद्युत संयंत्र का नाम	तिथि जब से स्थायी कनेक्शन जारी किया गया	वितरण कंपनी द्वारा प्रदान किए गए विजली बिलों की अवधि	निम्न टैरिफ लागू करने के कारण हुई राजस्व हानि
1	म.प्र. पश्चिम क्षेत्रीय वितरण	श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट	अक्टूबर 2010	अप्रैल 2012 से सितम्बर 2018	4.35
2	म.प्र. पूर्व क्षेत्रीय वितरण	झाबुआ पावर लिमिटेड, सिवनी	जून 2010	सितम्बर 2013 से दिसम्बर 2018	3.09
3	म.प्र. पूर्व क्षेत्रीय वितरण	सासन पावर लिमिटेड	नवम्बर 2010	सितम्बर 2013 से मई 2015	3.01
4	म.प्र. पूर्व क्षेत्रीय वितरण	बिना पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड	दिसम्बर 2009	दिसम्बर 2009 से अप्रैल 2014	5.22
5	म.प्र. पूर्व क्षेत्रीय वितरण	मोसर बेयर पावर मध्य प्रदेश लिमिटेड	अक्टूबर 2011	जनवरी 2012 से जुलाई 2014	2.72
6	म.प्र. पूर्व क्षेत्रीय वितरण	एस्सार पावर मध्य प्रदेश लिमिटेड कराही वर्धन	जूलाई 2010	नवम्बर 2011 से जुलाई 2013	1.32
7	म.प्र. पूर्व क्षेत्रीय वितरण	जय प्रकाश पावर वेन्चर लिमिटेड	जनवरी 2011	नवम्बर 2011 से मई 2015	5.06
योग					24.77

सरकार ने म.प्र. पश्चिम क्षेत्रीय वितरण (नवम्बर 2019) के जवाब का समर्थन करते हुए दिसम्बर, 2019 में उत्तर दिया कि :—

- आपूर्ति कोड 2013 में पहले संशोधन (23.10.2015 से प्रभावी) तक निर्माण उददेश्य के लिए स्थायी कनेक्शन देने के लिए कोई निषेध नहीं था।
- इससे पहले, आपूर्ति संहिता 2013 (30.08.2013 से प्रभावी) का खंड 4.43 केवल यह बताता है कि निर्माण उददेश्य के लिए अस्थायी कनेक्शन को पांच वर्ष तक के लिए विस्तारित किया जा सकता है, हालांकि इस खंड में 5 साल से अधिक की अवधि के लिए अस्थायी कनेक्शन देने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है।
- स्थायी कनेक्शन के माध्यम से लाभार्थी एमपी पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (म.प्र.पा.ज.कं.लि.) है जो कि म.प्र. पश्चिम क्षेत्रीय वितरण की सहयोगी संस्था है। दोनों ही इकाइयां मध्य प्रदेश सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली हैं। इसलिए श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए वसूली को 23.10.2015 से सीमित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

इसी तर्ज पर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्रीय वितरण ने मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड, के संबंध में उत्तर दिया (अगस्त 2019) है कि केवल ₹ 0.32 करोड़ की सीमा तक की वसूली स्वीकार्य है। यह भी जवाब दिया गया कि इस गलत कृत्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई की जा रही है। मेसर्स सासन पावर लिमिटेड, म.प्र. पश्चिम क्षेत्रीय वितरण को कोई भी वसूली स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 31 मई 2015 को ही उपभोक्ता का कनेक्शन स्थायी रूप से काट दिया गया था।

उपर दिये जवाब मान्य नहीं है क्योंकि :—

- एम.पी.ई.आर.सी. ने अपने आदेश (09.06.2015) में स्पष्टतः निर्धारित किया है कि वितरण अनुज्ञापियों (लाइसेंस) को निर्माण कार्यों के लिए स्थायी कनेक्शन

की अनुमति दी गई है, जो आपूर्ति संहिता 2004/2013 के प्रावधानो से सुसंगत नहीं है।

- आगे, यह भी स्पष्ट किया गया कि निर्माण उद्देश्य प्रकृति में अस्थायी है एवं आपूर्ति की अवधि से अलग अस्थायी विद्युत प्रदाय हेतु योग्य है। इस प्रकार कनेक्शन की श्रेणी अर्थात् स्थायी/ अस्थायी, उपयोग के उद्देश्य से न की कनेक्शन की अवधि के आधार पर होनी चाहिए। तथापि, किसी भी डिस्कॉम ने कोई भी ऐसा विवरण प्रस्तुत नहीं किया जोकि (एम.पी.ई.आर.सी. के उत्तर से पुष्ट) एम.पी.ई.आर.सी. के निदेशों, यथा स्थायी, कनेक्शन, जो निर्माण— कार्यों की सेवा से संबंधित थे, की पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के साथ ही उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध ऐसी अनियमितताओं के लिए कार्यवाही करने का अनुपालन करता हो।
- मप्र.पा.ज.कं.लि. अकेली लाभार्थी नहीं है, जैसा लेखापरीक्षा द्वारा पहले ही बताया गया है।
- मेसर्स सासन पावर लिमिटेड के संबंध में, डिस्कनेक्शन के पूर्व, दिनांक 30.08.2013 से संशोधित आपूर्ति संहिता 2013 प्रभावी थी, स्पष्टतया निर्धारित करना है कि बिजली संयंत्र के निर्माण उद्देश्य हेतु, केवल अस्थायी कनेक्शन दिया जाना था, एवं संशोधन दिनांक 23.10.2015 में यह दोहराया गया कि किसी भी परिस्थिति में, स्थायी कनेक्शन की अनुमति निर्माण उद्देश्य के लिए नहीं दी जानी चाहिए।

इस प्रकार वितरण कम्पनियों ने उपभोक्ताओं को निर्माण कार्यों हेतु अस्थायी विद्युत कनेक्शन के स्थान पर अनियमित रूप से सस्ते स्थायी विद्युत कनेक्शन दिए जिससे उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ तथा परिणामस्वरूप डिस्कॉम को ₹ 24.77 करोड़ की राजस्व हानि हुई।



## अध्याय—३



## भाग–2

### अध्याय–3

#### राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

##### प्रस्तावना

**3.1** राज्य के 31 मार्च 2018 को 63 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) थे, जो कि ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबंधित थे। राज्य के ये पी.एस.यू. 1925–26 तथा 2016–17 के मध्य गठित हुए एवं इनमें 60 सरकारी कंपनियां व तीन सांविधिक निगम अर्थात् मध्य प्रदेश वित निगम (म.प्र.वि.नि.), मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक कारपोरेशन (म.प्र.वे.ला.का.) और अकार्यशील सांविधिक निगम जैसे मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (म.प्र.रा.स.प.नि.) हैं। सन् 2017–18 तक छः सरकारी कंपनियों ने वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रारंभ नहीं की थी। इन सरकारी कंपनियों में 15 अकार्यशील कंपनियां एवं 31 सहायक कंपनियां, जिनका स्वामित्व अन्य सरकारी कंपनियों के पास हैं, शामिल हैं। तीन<sup>1</sup> कंपनियां वर्ष के दौरान जोड़ी गई थीं।

इस प्रतिवेदन में राज्य के 63 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 38 उपक्रमों (**परिशिष्ट–3.1**) को शामिल किया गया है एवं इन सार्वजनिक उपक्रमों की प्रकृति तालिका 3.1 में दर्शाई गई है।

**तालिका 3.1: इस प्रतिवेदन में शामिल उपक्रमों की प्रकृति व व्याप्ति**

उपक्रमों की प्रकृति	कुल संख्या	इस प्रतिवेदन में शामिल उपक्रमों की संख्या				इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए उपक्रमों की संख्या	
		2017–18 तक के लेखे	वर्ष तक लेखे		योग		
			2016–17	2015–16			
सरकारी कंपनियां	60	17	14	05	36	24	
सांविधिक निगम	03	02	—	—	02	01	
कुल कंपनियां/निगम	63	19	14	05	38	25	
सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियां	—	—	—	—	—	—	
योग	63	19	14	05	38	25	

इस प्रतिवेदन में वे 25 उपक्रम शामिल नहीं किये गये हैं जिनके लेखे तीन या उससे अधिक वर्षों के लिए बकाया थे अथवा निष्क्रिय/परिसमापनाधीन थे अथवा प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए या देय नहीं थे अथवा वर्ष 2017–18 तक वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रारम्भ नहीं हुआ था, जो कि **परिशिष्ट–3.2** में दर्शित है।

राज्य शासन समय–समय पर अंशपूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य शासन ने 47 कार्यशील राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में से, केवल 25 सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश किया। राज्य शासन द्वारा 22<sup>2</sup> कंपनियों में कोई पूँजी निवेश नहीं किया गया, जो कि उपरोक्त राज्य उपक्रमों की संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियां हैं। इन 22 संयुक्त

<sup>1</sup> म.प्र. होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिंगराली एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड और म.प्र. टूरिज्म बोर्ड।

<sup>2</sup> म. प्र. शा. द्वारा ओ.के.वि.नि. (रीवा) को ₹ 0.71 करोड़ का ऋण और सं.र.ह.वि.नि. को ₹ 0.02 करोड़ की अंशपूँजी दी गयी है।

उद्यमों/ सहायक कम्पनियों में संबंधित सहायक साझेदार/ धारक कम्पनियों द्वारा अंशपूजी का योगदान किया गया था।

### राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

**3.2** इस प्रतिवेदन में शामिल 38 सार्वजनिक उपक्रमों के टर्नओवर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का अनुपात, राज्य की अर्थव्यवस्था में उपक्रमों की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए राज्य के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का टर्नओवर एवं मध्य प्रदेश की स.रा.घ.उ. का विवरण तालिका 3.2 में दिया गया है।

#### तालिका 3.2: मध्य प्रदेश की स.रा.घ.उ. की तुलना में राज्य के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का टर्नओवर का विवरण

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18
टर्नओवर	21,623.72	15,499.77	15,651.26
विगत वर्ष के टर्नओवर की तुलना में टर्नओवर में अंतर का प्रतिशत	—	-28.32	0.98
मध्य प्रदेश का स.रा.घ.उ.	5,30,442.61	6,39,219.67	7,07,046.99
विगत वर्ष के स.रा.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ. में अंतर का प्रतिशत	10.48	20.51	10.61
टर्नओवर का मध्य प्रदेश के स.रा.घ.उ. में प्रतिशत	4.08	2.42	2.21

**चोट:** कार्यशील उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर आंकड़ों के आधार पर और स.रा.घ.उ. के आंकड़े म.प्र.शा. की आर्थिक समीक्षा 2017–18 के अनुसार संकलित।

इन 38 सार्वजनिक उपक्रमों का टर्नओवर वर्ष 2016–17 के दौरान कम हुआ, पर 2017–18 के दौरान इसमें थोड़ी वृद्धि हुई। 2015–18 की अवधि के दौरान टर्नओवर में कमी/ वृद्धि (-) 28.32 प्रतिशत एवं 0.98 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य की स.रा.घ.उ. में वृद्धि 10.48 प्रतिशत एवं 20.51 प्रतिशत के मध्य रही। स.रा.घ.उ. का पिछले तीन वर्षों का वार्षिक चक्रवृद्धि विकास<sup>3</sup> 10.05 प्रतिशत था। वार्षिक चक्रवृद्धि विकास, विभिन्न समयावधियों में विकास दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. के 10.05 प्रतिशत के वार्षिक चक्रवृद्धि विकास के विरुद्ध गैर-ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर द्वारा (-) 10.21 प्रतिशत की नकारात्मक वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप स.रा.घ.उ. में इन उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी वर्ष 2015–16 के 4.08 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017–18 में 2.21 प्रतिशत हो गई।

#### राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

**3.3** राज्य के 38<sup>4</sup> सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 2018 तक अंशपूजी व दीर्घावधि ऋण में निवेश का विवरण परिशिष्ट-3.3 में दिया गया है।

इस प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक उपक्रम निम्नलिखित तीन श्रेणियों में आते हैं :—

- वे उपक्रम जो खुले बाजार की प्रतिस्पर्धा में नहीं है (एकाधिकार उपक्रम): मध्य प्रदेश में 38 शामिल उपक्रमों में से तीन<sup>5</sup> उपक्रम इस श्रेणी में आते हैं क्योंकि उनके परिचालन एकाधिकार/ अल्पाधिकार प्रकृति के हैं, अर्थात् उनके परिचालन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है या बहुत कम प्रतिस्पर्धा है।

<sup>3</sup> वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर  $\{[(2017-18 \text{ की राशि} / 2015-16 \text{ की राशि})^{1/(3 \text{ वर्ष})} - 1] * 100$ ।

<sup>4</sup> कुल 63 सरकारी उपक्रम-21 सरकारी उपक्रम जिनके तीन या अधिक वर्ष के लेखे बकाया थे अथवा निष्क्रिय/ परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए या देय नहीं थे।

<sup>5</sup> म. प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. जल निगम मर्यादित और म. प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड।

2. सुनिश्चित आय वाले उपक्रम :— इस श्रेणी में वे उपक्रम शामिल हैं जिनकी मुख्य आय, आय के सुनिश्चित स्रोतों से आती है जैसे कि सरकारी अनुदान/सब्सिडी, सेंट्रेज, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज आदि। इस श्रेणी के अन्तर्गत 31 उपक्रम आते हैं।

3. प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी के उपक्रम :— इस श्रेणी में चार<sup>6</sup> उपक्रम शामिल हैं जो कि बाजार की प्रतिस्पर्धी के लिए खुले हैं।

**3.4** राज्य के इन उपक्रमों में 31 मार्च 2018 को क्षेत्रवार निवेश सारांश तालिका 3.3 में दिया गया है :—

#### तालिका 3.3 : राज्य के उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

क्षेत्र	उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)						योग	
		अंशपूंजी			दीर्घावधि ऋण				
		म.प्र.स.	भा.स.	अन्य <sup>7</sup>	म.प्र.स.	भा.स.	अन्य		
एकाधिकार क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	03	140.13	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	141.52	
सुनिश्चित आय उपक्रमों की संख्या	31	76.33	1.87	1,041.62	1,783.09	0.00	891.76	3,794.67	
प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी के उपक्रमों की संख्या	04	497.67	0.00	85.22	0.00	0.00	868.33	1,451.22	
उपक्रम जो इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं हैं	25	268.76	42.53	91.68	895.33	0.00	33.90	1,332.20	
<b>योग</b>	<b>63</b>	<b>982.89</b>	<b>45.79</b>	<b>1,218.52</b>	<b>2,678.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,793.99</b>	<b>6,719.61</b>	

**स्रोत:** सार्वजनिक उपक्रमों के वार्षिक खातों और पूंजी तथा ऋण के लिए अनुमोदन/भुगतान आदेश के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2018 को, इस प्रतिवेदन में शामिल 38 उपक्रमों में कुल निवेश (अंशपूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) का अंकित मूल्य<sup>8</sup> ₹ 5,387.41 करोड़ था। निवेश में 34.23 प्रतिशत अंशपूंजी एवं 65.77 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित है। राज्य शासन द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण, कुल दीर्घावधि ऋण के 50.17 प्रतिशत (₹ 1,783.09 करोड़) जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे हुड़को, सिड्ही का दीर्घावधि ऋण 49.83 प्रतिशत (₹ 1,760.09 करोड़) था।

निवेश 2015–16 के ₹ 8,103.05 करोड़ से 33.51 प्रतिशत घटकर 2017–18 में ₹ 5,387.41 करोड़ रह गया। निवेश में गिरावट 2015–16 से 2017–18 के दौरान पूंजी और ऋण में क्रमशः ₹ 1,041.28 करोड़ की बढ़ोत्तरी और ₹ 3,756.92 की कमी के कारण हुई।

#### राज्य के उपक्रमों का विनिवेश, पुर्नसंरचना एवं निजीकरण (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

**3.5** राज्य शासन द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य के उपक्रमों में कोई विनिवेश, पुर्नसंरचना एवं निजीकरण नहीं किया गया।

#### राज्य के उपक्रमों को बजटीय सहायता (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

**3.6** मध्य प्रदेश शासन द्वारा वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य के उपक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले

<sup>6</sup> म.प्र.रा.प.वि.नि.लि., म.प्र.जे.पी. मिनरल्स., म.प्र. होटल कॉर्पोरेशन लि. और म.प्र.वि.नि.।

<sup>7</sup> अन्य में धारक कंपनियाँ, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि का निवेश शामिल है।

<sup>8</sup> अंशधारक द्वारा अंशपूंजी के लिए भुगतान किया गया वास्तविक लागत मूल्य।

पिछले तीन वर्षों के लिए, राज्य के उपक्रमों के संबंध में अंशपूंजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं वर्षों के दौरान अंशपूंजी में परिवर्तित किए गए ऋण के बजटीय बहिर्गमन का विवरण तालिका 3.4 में दर्शित है:-

**तालिका 3.4 :- वर्षों के दौरान राज्य के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)**


(₹ करोड़ में)

विवरण <sup>9</sup>	2015–16		2016–17		2017–18	
	सरकारी उपक्रमों की संख्या	राशि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	राशि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	राशि
अंश पूंजी बहिर्गमन (i)	3	20.52	4	110.58	1	25.00
प्रदत्त ऋण (ii)	2	256.28	3	310.47	3	273.50
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	12	794.48	17	1,831.26	19	1,306.72
कुल निगमन (i+ii+iii)	15	1,071.28	21	2,252.31	21	1,605.22
अपलिखित ऋण	-	-	-	-	-	-
पूंजी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
बजाया गारंटी	4	1,327.00	5	1,737.68	6	313.17
गारंटी दायित्व	4	1,405.99	5	1,727.80	6	1,129.11

**स्रोत:** सार्वजनिक उपक्रमों के वार्षिक खातों और पूंजी तथा ऋण के लिए अनुसादन/नियमानुसार आदेश के आधार पर संकलित।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए अंशपूंजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय बहिर्गमन का विवरण चार्ट 3.1 में दिया गया है।

**चार्ट 3.1 अंशपूंजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय बहिर्गमन**



वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान, इन सार्वजनिक उपक्रमों को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 1,071.28 करोड़ से ₹ 2,252.31 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 1,605.22 करोड़ की बजटीय सहायता में अंशपूंजी, ऋण व अनुदान/सब्सिडी क्रमशः ₹ 25 करोड़, ₹ 273.50 करोड़ व ₹ 1,306.72 करोड़ थी। राज्य शासन

<sup>9</sup> राशि केवल राज्य बजट से बहिर्गमन को ही दर्शाती है।

द्वारा दी गई अनुदान/ सब्सिडी प्राथमिक रूप से औद्योगिक इन्फास्ट्रक्चर, निवेश को बढ़ावा देने एवं स्मार्ट शहरों के विकास के लिये थे।

मध्य प्रदेश शासन, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता लेने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मध्य प्रदेश शासन गारण्टी नियम (म.प्र.शा.गा.नि.) 2009 के तहत गारण्टी प्रदान करती है। शासन ने म.प्र.शा.गा.नि. के प्रावधानों के तहत बिना किसी अपवाद के बैंकों/ वित्तीय संस्थानों से उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण के मामले में प्रतिवर्ष आधे प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर से गारण्टी कमीशन वसूलने का निर्णय (फरवरी 2011) किया। वर्ष 2017–18 में बकाया गारण्टी प्रतिबद्धताएं ₹ 1,129.11 करोड़ थी। वर्ष 2017–18 के दौरान उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा गारण्टी कमीशन का कोई भी भुगतान नहीं किया गया था।

### मध्य प्रदेश के वित्त लेखों के साथ मिलान

**3.7** अंशपूंजी, ऋण एवं बकाया गारण्टियों के संबंध में राज्य उपक्रमों के अभिलेखों के आंकड़े, मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों से मिलान होने चाहिए। आंकड़ों का मिलान न होने की स्थिति में संबंधित उपक्रमों एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2018 की स्थिति तालिका 3.5 में दी गई है:—

#### तालिका 3.5 : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों की तुलना में राज्य के सरकारी उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों के अनुसार पूंजी, बकाया ऋण और प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)			
बकाया का मद	वित्त लेखों के अनुसार राशि	राज्य के सरकारी उपक्रमों के लेखों के अनुसार राशि	अंतर
पूंजी	565.31	633.36	68.50
ऋण	1,416.58	1,502.94	86.36
गारंटी	873.24	1,129.11	255.87

चोत: सरकारी उपक्रमों से प्राप्त जानकारी और वित्त लेखों के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 63 उपक्रमों में से 26 उपक्रमों के संबंध में इस प्रकार का अन्तर है जो परिशिष्ट 3.4 में दिया गया है। आंकड़ों में अन्तर विगत कई वर्षों से है। मिलान में अन्तर के मुद्दे को उपक्रमों एवं विभागों के साथ समय–समय पर उठाया जाता रहा है। मुख्य रूप से अन्तर मध्य प्रदेश ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन लिमिटेड के शेषों में पाया गया। इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य शासन एवं संबंधित उपक्रमों को अंतर का समयबद्ध रीति से समायोजन करना चाहिए।

### राज्य उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

**3.8** 31 मार्च 2018 को कुल 63 राज्य उपक्रमों में से 47 कार्यशील अर्थात् 45 सरकारी कम्पनियां व दो सांविधिक निगम थें तथा 16 अकार्यशील उपक्रम अर्थात् 15 सरकारी कम्पनियां व एक सांविधिक निगम सीएजी के दायरे में थे। राज्य उपक्रमों द्वारा लेखों की तैयारी में उपक्रमों द्वारा निर्धारित समयसीमा के पालन की स्थिति निम्नानुसार है:

#### राज्य उपक्रमों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

**3.8.1** वर्ष 2017–18 के लिए सभी कार्यशील उपक्रमों द्वारा 30 सितम्बर 2018 तक लेखे प्रस्तुत किये जाने थे। तथापि, 63 सरकारी कम्पनियों में से 28 सरकारी कम्पनियों ने वर्ष 2017–18 के लेखे सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए 31 दिसम्बर 2018 अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत किए, जबकि 35 सरकारी कम्पनियों के लेखे बकाया थे।

31 दिसम्बर 2018<sup>10</sup> को राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों के बकाया का विवरण तालिका 3.6 में दिया गया है:—

**तालिका 3.6: राज्य उपक्रमों द्वारा लेखें प्रस्तुत करने की स्थिति (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)**

विवरण	सरकारी कम्पनियाँ/ सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ/ सांविधिक निगम				
	सरकारी कम्पनिया	सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग	
31.03.2018 को सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन सरकारी उपक्रमों की संख्या	60	—	03	63	
घटाँ: सरकारी उपक्रम जिनके 2017–18 के लेखे देय नहीं हुए थे	—	—	—	—	
सरकारी उपक्रम जिनके 2017–18 के लेखे देय हो गए थे	60	—	03	63	
सरकारी कम्पनियों की संख्या जिन्होने 31 दिसम्बर 2018 तक सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत किए	26	—	02	28	
बकाया लेखों की संख्या	173	—	10	183	
घटक—वार बकाया	(i) परिसमापनाधीन	56	—	0	56
	(ii) अकार्यशील	34	—	10	44
	(iii) प्रथम लेखे अप्राप्त	31	—	0	31
	(iv) अन्य	52	—	0	52
'अन्य' श्रेणी के बकाया का आयु वार विवरण	एक वर्ष (2017–18)	16	—	0	16
	दो वर्ष (2016–17 और 2017–18)	12	—	0	12
	तीन वर्ष व अधिक	24	—	0	24

प्रशासनिक विभागों के पास इन संस्थाओं की गतिविधियों की देखरेख करने और इन उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि में लेखों को अंतिम रूप दिया जाना व अंगीकृत किया जाना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। संबंधित विभागों को लेखों के बकाया के संबंध में नियमित रूप से सुचित किया गया था।

म. प्र. शासन द्वारा 27 कार्यशील राज्य उपक्रमों में से 11 उपक्रमों को ₹ 1,431.94 करोड़ (अंशपूँजी: ₹ 10.03 करोड़, ऋण: ₹ 53.08 करोड़, अनुदान: ₹ 375.81 करोड़ एवं सब्सिडी: ₹ 993.02 करोड़) प्रदान किए गए जिनके लेखों को 31 दिसम्बर 2018 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया था, जबकि बचे हुए 16 उपक्रमों में लेखे बकाया रहने की अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। उन वर्षों के दौरान राज्य शासन द्वारा, जिसमें उपक्रमों के लेखे बकाया थे, किए गए निवेश का उपक्रमवार व्यौरा परिशिष्ट 3.5 में दर्शित है।

<sup>10</sup> वर्ष 2015–16, 2016–17 और 2017–18 के लिए 31 दिसम्बर तक प्राप्त लेखे मान्य किए गए हैं।

लेखों के अंतिमीकरण एवं उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में शेष 35 उपक्रमों में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किए गए एवं निधि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए वे राज्य शासन द्वारा प्रदान किए गए थे।

### अकार्यशील राज्य उपक्रमों का समापन

**3.9** 31 मार्च 2018 को राज्य के उपक्रमों में 16 अकार्यशील कम्पनियां थीं जिनमें कुल ₹ 793.34 करोड़ का निवेश पूँजी (₹ 116.16 करोड़) व दीर्घावधि ऋण (₹ 677.18 करोड़) के रूप में था, जो कि मुख्यतः— मध्य प्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम (₹ 683.31 करोड़), म.प्र.राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड (₹ 86.71 करोड़) एवं आप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड (₹ 17.12 करोड़) दीर्घावधि में था। 31 मार्च 2018 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यशील उपक्रमों की संख्या तालिका 3.7 में नीचे दी गई है।

**तालिका 3.7: राज्य के अकार्यशील उपक्रम**

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18
अकार्यशील सरकारी उमक्रमों की संख्या	9	17	16
उपरोक्त में से, परिसमापनाधीन सरकारी उमक्रमों की संख्या	4	4	4

**चोत:** संबंधित वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पी.एस.यू.), म.प्र. शासन में शामिल जानकारी से संकलित व **परिशिष्ट 3.2** में दिये गये।

सरकार, पिछले छः से 28 वर्षों<sup>11</sup> तक अकार्यशील रहे 12 उपक्रमों के संबंध में समापन संबंधी उचित निर्णय ले सकती है।

### राज्य उपक्रमों द्वारा लेखों का अंतिमीकरण न किए जाने के प्रभाव (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

**3.10** जैसा कि कंडिका 3.8 में इंगित है, लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब संबंधित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ—साथ कपट एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणत हो सकता है। उपर्युक्त लेखों के बकाया की स्थिति को देखते हुए उपक्रमों की 2017–18 में अर्जित लाभ व वहन की गई हानि को सम्मिलित करते हुए लाभप्रदता व राज्य की जी.डी.पी. में उनके वास्तविक योगदान का पता नहीं लगाया जा सका और राजकोष में उनका योगदान राज्य विधानसभा को भी प्रतिवेदित नहीं किया गया।

इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा लेखों के बकाया को कम करने हेतु कडाई से निगरानी एवं आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। शासन, उपक्रमों के लेखे तैयार करने में आने वाली दिक्कतों को देख सकता है एवं बकाया को कम करने हेतु उचित कदम उठा सकता है।

### सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

**3.11** तीन सांविधिक निगमों में से दो ने उनके वर्ष 2017–18 के लेखे 31 दिसम्बर 2018 तक अग्रेषित किये।

<sup>11</sup> **परिशिष्ट 3.2** में क्र. सं. III अ 10 से III अ 20 एवं III ब 21 पर दर्शित कंपनियाँ।

पुथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर), सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन है। ये प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। सांविधिक निगमों की वार्षिक लेखों की स्थिति एवं उनके एसएआर के विधानसभा पटल पर रखे जाने की स्थिति तालिका 3.8 में वर्णित है।

### तालिका 3.8: सांविधिक निगमों के एस.ए.आर. विधानसभा पटल पर रखे जाने की स्थिति

निगम का नाम	लेखों का वर्ष	एसएआर की प्रस्तुति का माह
मध्य प्रदेश राज्य वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम	2016–17	एसएआर दिसंबर 2018 में जारी पर प्रस्तुत नहीं
	2017–18	अंतिमीकरण शेष
मध्य प्रदेश वित्त निगम	2016–17 और 2017–18	अंतिमीकरण शेष
मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2007–08	कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की
	2008–09 से आगे	अंतिमीकरण शेष

चौतः मध्य प्रदेश विधानसभा की वैबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर संकलित।

### राज्य उपक्रमों का निष्पादन (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)


**3.12** इस प्रतिवेदन में शामिल 38 राज्य उपक्रमों की 31 दिसम्बर 2018 तक उनके नवीनतम अंतिम लेखों<sup>12</sup> के अनुसार वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम **परिशिष्ट 3.1** में वर्णित है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से राज्य शासन द्वारा इन उपक्रमों में किए गए निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। इन उपक्रमों में राज्य शासन व अन्यों की अंशपूंजी का ₹ 1,844.23 करोड़ व दीर्घावधि ऋण का ₹ 3,543.18 करोड़ को शामिल करते हुए कुल निवेश ₹ 5,387.41 करोड़ था। इसमें से मध्य प्रदेश शासन का अंशपूंजी का ₹ 714.13 करोड़ व दीर्घावधि ऋण का ₹ 1,783.09 करोड़ को शामिल करते हुए 18 उपक्रमों में कुल निवेश ₹ 2,497.22 करोड़ है।

इस प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त, में 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश शासन का वर्षवार निवेश का विवरण नीचे दिया गया है :

<sup>12</sup> वर्ष 2015–16 से 2017–18 के नवीनतम अंतिमीकृत लेखे।

**चार्ट 3.2: मध्य प्रदेश शासन का सरकारी उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में कुल निवेश**




किसी कम्पनी की लाभप्रदता का आंकलन पारंपरिक रूप से निवेश पर प्रतिफल (आर.ओ.आई.), अंशपूंजी पर प्रतिफल (आर.ओ.ई.) और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आर.ओ.सी.ई.) के माध्यम से किया जाता है। निवेश पर प्रतिफल, एक निश्चित वर्ष हुए लाभ अथवा हानि को अंशपूंजी एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में संबंधित निवेश को मापता है एवं इसे कुल निवेश पर लाभ को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है। अंशपूंजी पर प्रतिफल, निष्पादन का एक माप है जो कि करों के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को और अंशधारकों की निधि से विभाजित करके गणना की जाती है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभप्रदता एवं उस दक्षता जिससे उसकी पूंजी का उपयोग किया गया है, को मापता है तथा जिसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूंजी द्वारा विभाजित करके की जाती है।

### निवेश पर प्रतिफल

**3.13** निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से प्रतिशत है। इस प्रतिवेदन में शामिल 38 राज्य उपक्रमों द्वारा वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान अर्जित लाभ/ वहन की गई हानि<sup>13</sup>, की समग्र स्थिति चार्ट में नीचे दर्शायी गई है।

<sup>13</sup> आंकड़े संबंधित वर्ष के नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार।

### चार्ट 3.3: कार्यशील उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित लाभ / वहन की गई हानि



इन शामिल उपक्रमों द्वारा 2015–16 में अर्जित लाभ ₹ 280.85 करोड़ से बढ़कर 2017–18 में ₹ 330.40 करोड़ हो गये। इस प्रतिवेदन में शामिल 38 उपक्रमों के नवीनतम अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 18 उपक्रमों ने ₹ 380.01 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं आठ उपक्रमों ने ₹ 49.61 करोड़ की हानि वहन की जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है।

**3.13.1** लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों की संख्या 2016–17 में 22 की तुलना में 2017–18 में 18 थी। अर्जित लाभ वर्ष 2016–17 में ₹ 329.80 करोड़ से बढ़कर 2017–18 में ₹ 330.40 करोड़ हो गया। वर्ष 2017–18 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों का क्षेत्रवार सारांश तालिका 3.9 में दिया गया है।

#### तालिका 3.9: उपक्रमों की क्षेत्रवार लाभप्रदता

क्षेत्र	लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की संख्या	(₹ करोड़ में)	
		कर पश्चात लाभ	कुल कर पश्चात लाभ में लाभ का प्रतिशत
एकाधिकार क्षेत्र के सरकारी उपक्रम	02	154.86	40.75
सुनिश्चित आय वाले सरकारी उपक्रम	14	218.81	57.58
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र के सरकारी उपक्रम	02	6.34	1.67
<b>योग</b>	<b>18</b>	<b>380.01</b>	<b>100.00</b>

चोर: सरकारी उपक्रमों के अद्यतन अंतिमीकृत वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 18 में से 16 उपक्रमों ने 98.33 प्रतिशत लाभ (₹ 373.67 करोड़) अर्जित किया जो कि या तो एकाधिकार लाभप्रदता अथवा बजटीय सहायता, सेंट्रेज, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज इत्यादि के रूप में सुनिश्चित आय के कारण थी।

इस प्रकार लेखापरीक्षा के मत में इन सार्वजनिक उपक्रमों की संपोषणीयता राज्य पर आश्रित है।

### निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल :—

**3.14** राज्य के उन 18 उपक्रमों (इस प्रतिवेदन में शामिल) जिनमें राज्य शासन द्वारा निधि का निवेश किया गया था, के लाभप्रदता के आंकलन के लिये आमदनी की तुलना में निवेश का एक विश्लेषण किया गया है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना निधि के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। इसलिए, धन के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की भी गणना की गई है। राज्य शासन के निवेश जहां राज्य शासन द्वारा अंशपूँजी, ब्याजमुक्त/न चुकाए ऋण और पुंजीगत अनुदान के रूप में इन कंपनियों में 2000–01 से 31 मार्च 2018 के अंत तक निधियों का निवेश किया गया, की गणना वर्तमान मूल्य पर की गई। इसलिए इन वर्षों के लिए निवेश के वास्तविक प्रतिफल की गणना व अभिव्यक्ति वर्तमान मूल्य के आधार पर की गई है। वर्ष 2000–01 से 2017–18 की अवधि में 2013–14 से 2017–18 के मध्य इन उपक्रमों का निवेश पर प्रतिफल सकारात्मक /नकारात्मक रहा। अतः इन वर्षों में निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की गणना वर्तमान मूल्य के आधार पर करके दर्शायी गई है।

राज्य शासन के इन उपक्रमों में निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित धारणाओं पर की गई है:—

- ऋण को राज्य शासन द्वारा किए गए निधि का निवेश माना गया है। हालांकि, उपक्रमों द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, वर्तमान मूल्य की गणना उक्त अवधि में ऋणों के घटे हुए शेषों पर की गई है। अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई निधि, पुंजीगत अनुदान को छोड़कर, को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वह निवेश मानने योग्य नहीं है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष<sup>14</sup> के लिए राज्य शासन की निधि की वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर को छूट दर के रूप में अपनाया गया है क्योंकि यह वर्ष के लिए निवेश की गई निधि पर शासन द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाती है एवं इस प्रकार शासन द्वारा किये गए निवेश पर न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में अपनाई जा सकती है।

**3.15** राज्य शासन द्वारा इन 18 उपक्रमों में वर्ष 2000–01 से 2017–18 की अवधि में ऐतिहासिक लागत के आधार पर अंशपूँजी, ब्याज मुक्त/न चुकाए ऋण और पुंजीगत अनुदान के रूप में किया गया उपक्रमवार निवेश परिशिष्ट 3.6 में दर्शाया गया है। आगे, इसी अवधि के लिए इन उपक्रमों से संबंधित राज्य शासन के निवेश के शुद्ध वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति तालिका 3.10 में दी गई है।

<sup>14</sup> सरकारी ऋणों पर औसत ब्याज दर, संबंधित वर्ष के भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त (मध्य प्रदेश सरकार) पर प्रतिवेदन से लिया गया है, जहां पर ब्याज भुगतान की औसत दर = ब्याज भुगतान / [(विगत वर्ष की राजकीय देनदारियाँ + वर्तमान वर्ष की राजकीय देनदारियाँ) / 2] \* 100।

**तालिका 3.10: शासन द्वारा वर्ष 2000–01 से 2017–18 की अवधि में किए गए निवेश एवं उसके वर्तमान मूल्य का वर्षवार विवरण**

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित अंशपूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित ब्याज मुक्त / न चुकाए ऋण और पूँजीगत अनुदान <sup>15</sup>	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी ऋणों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेश की वार्षिक लागत वसूल करने हेतु न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	(₹ करोड़ में) वर्ष की कुल आय <sup>16</sup>
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii*(1+vi)/100}	ix={vii*vi}/100	x
2000-01	224.62	4.00	-16.13	-12.13	9.94	212.49	233.61	21.12	6.13
2001-02	233.61	-4.10	-25.13	-29.23	9.19	204.38	223.16	18.78	19.01
2002-03	223.16	17.42	16.46	33.88	8.81	257.05	279.69	22.65	9.22
2003-04	279.69	1.79	-47.40	-45.61	9.41	234.08	256.11	22.03	0.70
2004-05	256.11	12.30	-	12.30	8.96	268.41	292.46	24.05	33.78
2005-06	292.46	11.89	58.57	70.46	7.33	362.92	389.52	26.60	40.73
2006-07	389.52	174.38	0.38	174.76	7.86	564.28	608.63	44.35	93.50
2007-08	608.63	65.00	-58.50	6.50	7.72	615.13	662.62	47.49	91.17
2008-09	662.62	16.20	-	16.20	7.24	678.82	727.96	49.15	67.60
2009-10	727.96	6.00	15.69	21.69	6.94	749.65	801.68	52.03	124.97
2010-11	801.68	26.38	-2.10	24.28	7.07	825.96	884.36	58.40	141.55
2011-12	884.36	10.00	9.45	19.45	6.91	903.81	966.26	62.45	156.03
2012-13	966.26	-15.38	72.89	57.51	6.75	1,023.77	1,092.87	69.10	221.73
2013-14	1,092.87	30.00	90.43	120.43	6.69	1,213.30	1,294.47	81.17	287.49
2014-15	1,294.47	94.28	136.32	230.60	6.73	1,525.07	1,627.71	102.64	324.23
2015-16	1,627.71	41.72	73.76	115.48	6.86	1,743.19	1,862.77	119.58	366.79
2016-17	1,862.77	-50.73	1,349.49	1,298.76	6.72	3,161.53	3,373.99	212.46	343.39
2017-18	3,373.99	160.00	-2.73	157.27	6.67	3,531.26	3,766.79	235.53	287.96
योग		<b>601.15</b>	<b>1,671.45</b>	<b>2,272.60</b>					

राज्य शासन द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश का शेष वर्ष 2000–01 के ₹ 224.62 करोड़ से बढ़कर 2017–18 के अन्त में ₹ 2,497.22 करोड़ हो गया क्योंकि राज्य शासन ने अंशपूँजी (₹ 601.15 करोड़) और ऋण/पूँजीगत अनुदान (₹ 1,671.45 करोड़) के रूप में 2000–01 से 2017–18 की अवधि में निवेश किया। 31 मार्च 2018 तक राज्य शासन द्वारा निवेशित की गई निधि का वर्तमान मूल्य ₹ 3,766.79 करोड़ था। वर्ष 2000–01 से 2003–04 के दौरान, इन कम्पनियों में कुछ लाभ कमाया, हालांकि कुल आय इन उपक्रमों में निवेशित निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से कम रही। वर्ष 2004–05 के बाद, इन कम्पनियों ने इस अवधि के दौरान निवेशित निधियों की लागत को वसूल करने के लिए पर्याप्त लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया क्योंकि आठ<sup>17</sup> कम्पनियों ने पर्याप्त लाभ कमाया।

<sup>15</sup> इस कालम में दर्शाए नकारात्मक ऋण आंकड़े संबंधित वर्ष में शासकीय उपक्रमों द्वारा राज्य सरकार को चुकाए गए ऋणों को इंगित करते हैं।

<sup>16</sup> वर्ष की कुल आय उन 18 शासकीय उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन निवेश किया गया है कि शुद्ध आय (लाभ/हानि) का योग दर्शाता है। जिन वर्षों में किसी उपक्रम के वार्षिक लेखे बकाया थे उस वर्ष हेतु संबंधित उपक्रम की शुद्ध आय (लाभ/हानि) अध्यतन लेखा परीक्षित लेखों से ली गयी है।

<sup>17</sup> म.प्र.रा.वि.नि.लि., म.प्र.रा.ख.वि.नि.लि., म.प्र.ल.उ.नि.लि., दि.प्रॉ.इ.कं.लि., म.प्र.स.वि.नि.लि., म.प्र.द्र.इ.फै.नि.लि., म.प्र.वे.लॉ.नि. और म.प्र.पु.हा.नि.लि।

## सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अंशपूँजी पर प्रतिफल

**3.16** अंशपूँजी पर प्रतिफल (आर.ओ.ई.)<sup>18</sup> कम्पनियों के वित्तीय प्रदेशन को मापने की एक इकाई है जिसकी गणना शुद्ध आय को अंशधारकों की अंशपूँजी से विभाजित करके की जाती है। उपक्रमों की क्षेत्रवार आर.ओ.ई. को तालिका 3.11 में दर्शाया गया है:—

**तालिका 3.11: क्षेत्रवार अंशपूँजी पर प्रतिफल**

क्र. सं.	क्षेत्र	2015–16 में आर.ओ.ई.		2016–17 में आर.ओ.ई.		2017–18 में आर.ओ.ई.	
		उपक्रमों की संख्या	आर.ओ.ई.	उपक्रमों की संख्या	आर.ओ.ई.	उपक्रमों की संख्या	आर.ओ.ई.
1	एकाधिकार क्षेत्र के सरकारी उपक्रम	3	31.51	03	21.79	3	20.33
2	सुनिश्चित आय वाले सरकारी उपक्रम	20	11.18	25	11.78	25	12.52
3	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र के सरकारी उपक्रम	2	10.34	2	3.56	3	(-) 1.12
	योग	25		30		31	

यह देखा जा सकता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र के उपक्रमों का आर.ओ.ई., एकाधिकार/सुनिश्चित आय क्षेत्र के उपक्रमों की तुलना में काफी कम है। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र का आर.ओ.ई. 2017–18 में म.प्र. वित्त निगम द्वारा वहन की गई ₹ 11.39 करोड़ की हानि के कारण नकारात्मक रहा।

यह दर्शाता है कि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में काम करने वाले उपक्रम स्व-संपोषणीय नहीं हैं।

## नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

**3.17** नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं दक्षता जिसके साथ उसकी पूँजी उपयोग की गई है को मापता है। आर.ओ.सी.ई. की गणना ब्याज और कर से पहले की कुल अर्जित आय (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूँजी<sup>19</sup> से विभाजित कर की जाती है। वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान 38 उपक्रमों (इस प्रतिवेदन में शामिल) को आर.ओ.सी.ई. का विवरण तालिका 3.12 में दिया गया है:—

**तालिका 3.12: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल**

वर्ष	ब्याज व कर पूर्व आय (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (% में)
2015–16	391.36	4,896.38	7.99
2016–17	592.83	5,959.63	9.95
2017–18	503.39	5,709.65	8.82

यह पाया गया है कि वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 की अवधि में आर.ओ.सी.ई. 7.99 प्रतिशत और 9.95 प्रतिशत के मध्य था।

## हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

**3.18** वर्ष 2017–18 के दौरान आठ उपक्रम ऐसे थे, जिन्होंने हानि वहन की। इन उपक्रमों द्वारा वहन की गई हानि वर्ष 2016–17 के ₹ 0.12 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 49.61 करोड़ हुई जैसा कि तालिका 3.13 में दिया गया है:—

<sup>18</sup> अंशपूँजी पर प्रतिफल = (कर व प्राथमिक लाभांश पश्चात शुद्ध लाभ/ पूँजी ) \* 100 जहां पूँजी = प्रदत्त पूँजी + ऋण + मुक्त कोष – संचित हानि – आस्थगित राजस्व व्यय।

<sup>19</sup> नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त कोष व आधिक्य + दीर्घावधि ऋण – संचित हानि – आस्थगित राजस्व व्यय।

### तालिका 3.13: वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 के दौरान हानि वहन करने वाले उपक्रमों की संख्या

वर्ष	हानि वहन करने वाले उपक्रमों की संख्या	वर्ष की शुद्ध हानि (₹ करोड़ में)	संचित हानि (₹ करोड़ में)	नेट वर्ष <sup>20</sup> (₹ करोड़ में)
<b>एकाधिकार क्षेत्र के सरकारी उपक्रम</b>				
2015–16	0	0.00	0	0
2016–17	0	0.00	0	0
2017–18	<sup>21</sup> 1	0.12	5.31	105.31
<b>सुनिश्चित आय वाले सरकारी उपक्रम</b>				
2015–16	4	76.53	185.03	378.91
2016–17	2	0.12	5.44	7.49
2017–18	6	38.10	60.83	142.71
<b>प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र के सरकारी उपक्रम</b>				
2015–16	1	88.67	−90.02	−28.80
2016–17	0	0.00	0.00	0.00
2017–18	1	11.39	12.09	418.19

तीन वर्षों में 10 उपक्रमों द्वारा वहन की गई कुल हानि ₹ 214.93 करोड़ में से, ₹ 0.12 करोड़ की हानि एकाधिकार क्षेत्र के एक उपक्रम द्वारा बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए खुला न होने के बावजूद उठानी पड़ी। यह इस कम्पनी की संपोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव दर्शाता है। म.प्र. जेपी मिनरल्स को वर्ष 2017–18 के दौरान कोई हानि नहीं हुई परन्तु 2017–18 के दौरान उसकी संचित हानि ₹ 149.67 करोड़ थी। संचित हानि के फलस्वरूप उपक्रम की नेट वर्थ नकारात्मक थी।

नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार वर्ष 2017–18 में ₹ 10 करोड़ से ज्यादा की हानि वहन करने वाले राज्य के उपक्रमों की सूची तालिका 3.14 में दी गई है :—

### तालिका 3.14: ₹ 10 करोड़ से ज्यादा की हानि वहन करने वाले उपक्रमों की सूची

क्र.सं.	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	निवल हानि (₹ करोड़ में)
1	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित (2016–17)	27.24
2	मध्य प्रदेश वित्त निगम	11.39

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवल मूल्य का क्षरण

3.19 31 मार्च 2018 तक पाच<sup>22</sup> उपक्रम ऐसे थे, जिनकी संचित हानि ₹ 161.66 करोड़ थी। इन पांच उपक्रमों में से, वर्ष 2017–18 के दौरान एक उपक्रम ने ₹ 3.89 करोड़ की हानि वहन की और चार उपक्रमों को वर्ष 2017–18 में हानि नहीं हुई जबकि इनकी संचित हानि ₹ 158.82 करोड़ थी।

38 शामिल उपक्रमों में से तीन<sup>23</sup> उपक्रमों का निवल मूल्य संचित हानि से पूरी तरह समाप्त हो गया था और उनका निवल मूल्य या तो शून्य या नकारात्मक था। 31 मार्च 2018 को इन तीन उपक्रमों में निवेशित अंशपूँजी ₹ 62.49 करोड़ के विरुद्ध निवल मूल्य ₹ (-) 91.21 करोड़ था। (**परिशिष्ट – 3.1**)

इस प्रतिवेदन के शामिल किए गए 38 उपक्रमों में से एक<sup>24</sup> उपक्रम का निवल मूल्य उसकी प्रदत्त पूँजी के आधे से भी कम था, जिसका निवल मूल्य 31 मार्च 2018 की समाप्ति पर धनात्मक था, जो उनकी संभावित वित्तीय कमजोरी को दर्शाता है।

<sup>20</sup> नेट वर्थ से आशय है प्रदत्त पूँजी और मुक्त कोष व आधिक्य का योग जिसमें से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय घाटा दिया गया। मुक्त कोष वह सभी कोष है जो लाभ और शेयर प्रीमियम से बने होते हैं परन्तु सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और मूल्यहास प्रावधानों के राइट बैंक से बनाए गए कोष इसमें शामिल नहीं होते।

<sup>21</sup> म.प्र. जल निगम मर्यादित अभी निर्माणाधीन है और इसने 2017–18 तक व्यापार आरंभ नहीं किया।

<sup>22</sup> म.प्र. अर्बन डेव. कॉर्प. लि., म.प्र. पी.सी.सी.एल., पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लि., म.प्र. जे.पी.मिनरल्स लि., म.प्र. होटल कॉर्प. लि.।

<sup>23</sup> म.प्र. अर्बन डेव. कॉर्प. लि., म.प्र. जे.पी. मिनरल्स लि., और म.प्र. प्लास्टिक सिटी डेव. कॉर्प. लि.।

<sup>24</sup> पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लि.।

## लाभांश का भुगतान

**3.20** राज्य शासन ने लाभांश नीति (जुलाई 2005) तैयार की जिसके तहत सभी लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों को कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना था।

17 उपक्रमों (इस प्रतिवेदन में शामिल), जिनमें राज्य शासन द्वारा अवधि के दौरान अंशपूँजी का निवेश किया था, द्वारा लाभांश के भुगतान को तालिका 3.15 में दर्शाया गया है:-

**तालिका 3.15 वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक 17 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लाभांश का भुगतान**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शासकीय उपक्रम जिनमें म. प्र. शासन ने पूँजी निवेश किया		शासकीय उपक्रम जिन्होने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया		शासकीय उपक्रम जिन्होने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/ प्रदान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	शासकीय उपक्रमों की संख्या	म.प्र. शासन द्वारा पूँजी निवेश	शासकीय उपक्रमों की संख्या	म.प्र. शासन द्वारा पूँजी निवेश	शासकीय उपक्रमों की संख्या	म.प्र. शासन द्वारा पूँजी निवेश	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2015–16		16	545.13	14	354.15	2	12.10
2016–17		17	600.13	14	337.69	4	43.38
2017–18		17	714.13	12	374.70	6	45.63
							12.18

वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान, उन उपक्रमों जिन्होने लाभ अर्जित किया, की संख्या 12 और 14 उपक्रमों के मध्य थी। इस अवधि के दौरान, वे उपक्रम जिन्होने राज्य शासन को लाभांश की घोषणा/ भुगतान किया की संख्या दो और छ: उपक्रमों के मध्य थी।

वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान लाभांश भुगतान अनुपात केवल 3.41 प्रतिशत से 12.85 प्रतिशत के मध्य था। आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि उपक्रमों ने लाभांश की घोषणा/ भुगतान और लाभांश भुगतान अनुपात को वर्ष 2015–16 के 3.41 प्रतिशत से बढ़ाकर 2017–18 में 12.18 प्रतिशत कर दिया।

वर्ष 2017–18 के दौरान लाभांश की घोषणा/ भुगतान करने वाले छ: उपक्रमों में से एक<sup>25</sup> उपक्रम ने निर्धारित सीमा से अधिक लाभांश की घोषणा की, जबकि दो<sup>26</sup> उपक्रमों ने निर्धारित सीमा से कम लाभांश की घोषणा की और तीन<sup>27</sup> उपक्रमों ने लाभांश नीति के अनुसार लाभांश की घोषणा की।

## सार्वजनिक क्षेत्र के दीर्घावधि ऋण का विश्लेषण (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

**3.21** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनमें वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान ऋण थे, के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण, कम्पनियों द्वारा शासन, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के ऋणों का भुगतान करने के लिए कम्पनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए, किया गया। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात से किया गया है।

## ब्याज व्याप्ति अनुपात

**3.22** ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी की ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई.बी.आई.टी.) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, उपक्रम की ऋण पर

<sup>25</sup> म.प्र.रा.एग्रो.इंड.डेव.कॉर्प.लि।

<sup>26</sup> म.प्र.वे.लॉ.कॉर्प. और म.प्र.पू.हा.कॉर्प.लि।

<sup>27</sup> म.प्र.रा.वि.नि.लि., म.प्र.रा.ख.नि.लि. और म.प्र.ल.उ.नि.लि।

ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात बताता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान उपक्रमों जिनका ऋण बकाया है और इस प्रतिवेदन में शामिल है, के धनात्मक एवं ऋणात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण तालिका 3.16 में दिया गया है:—

**तालिका 3.16 :— कार्यशील उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), जिनकी ऋण की देयता है, का ब्याज व्याप्ति अनुपात**

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों पूर्व आय (ई.बी.आई.टी.) (₹ करोड़ में)	शासकीय उपक्रमों की संख्या जिन पर ऋणों का दायित्व है	शासकीय उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	शासकीय उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
2015–16	96.17	224.75	16	10	6 <sup>28</sup>
2016–17	122.70	16.06	15	12	3 <sup>29</sup>
2017–18	84.32	106.71	15	11	4 <sup>30</sup>

वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य के 15 उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), जिनमें ऋण की देयता थी, में से 11 उपक्रमों का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था जबकि चार उपक्रमों का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था जो यह दर्शाता है कि ये चार उपक्रम अवधि के दौरान पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर पा रहे थे। राज्य शासन से म. प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन एवं म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन को ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण प्राप्त हुआ।

**राज्य के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियां (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)**

**3.23** 01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान 33 कार्यशील कम्पनियों ने कुल 41 लेखापरीक्षित लेखे, महालेखाकार को अग्रेषित किए। इनमें से, 39 लेखों अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा इंगित करती है कि लेखों के रखरखाव की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 3.17 में दिया गया है:—

**तालिका 3.17 कार्यशील कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015–16		2016–17		2017–18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	7	168.64	11	446.68	02	0.27
2.	लाभ में बढ़त	—	—	—	—	—	—
3.	हानि में बढ़त	2	-1,410.37	3	-1.52	02	0.74
4.	हानि में कमी	.	.	.	.	01	0.12
5.	अव्यक्त महत्वपूर्ण तथ्य	5	26.54	3	1.87	01	107.02
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	10	221.35	6	36.11	07	521.14

चोत: शासकीय कंपनियों के विषय में सांविधिक लेखा परीक्षक/ सीएजी की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2017–18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 17 लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र जारी किये। उपक्रमों द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना कमजोर रही क्योंकि 11

<sup>28</sup> म.प्र.ओ.के.वि.नि. (इंदौर) लि., म.प्र.ओ.के.वि.नि. (उज्जैन) लि., म.प्र.जे.मि.लि., म.प्र.सै.मा.लि., म.प्र.रा.सि.स.कॉर्प.लि. और अटल इ.सि.ट्रां.कॉर्प.लि।

<sup>29</sup> म.प्र.ओ.के.वि.नि. (इंदौर) लि., म.प्र.ओ.के.वि.नि. (रीवा) लि. और म.प्र.जे.मि.लि।

<sup>30</sup> म.प्र.ओ.के.वि.नि. (इंदौर) लि., म.प्र.स्प्ला.सि.डेव.कॉर्प. (ग्वालियर) लि. म.प्र.रा.सि.स.कॉर्प.लि. और म.प्र.वि.नि।

लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के 23 मामले इंगित किए गए।

**3.24** राज्य में तीन सांविधिक निगम हैं अर्थात् 1. मध्य प्रदेश सङ्क परिवहन निगम (म.प्र.रा.स.प.नि.), 2. मध्य प्रदेश वित्त निगम (म.प्र.वि.नि.), 3. मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक कारपोरेशन (म.प्र.व.ला.क.), अकार्यशील निगम जैसे— म.प्र.रा.स.प.नि., के सन्दर्भ में सी एजी एकमात्र लेखापरीक्षक है।

दोनों कार्यशील सांविधिक निगमों द्वारा, उनके वर्ष 2017–18 के लेखे अग्रेषित किए गए। दोनों लेखों का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु किया गया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 3.18 में दिया गया है।

**तालिका 3.18: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव  
(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	विवरण	2015–16		2016–17		2017–18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	1.54	2	7.04	-	-
2.	लाभ में बढ़त	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में बढ़त	-	-	-	-	1	17.51
4.	हानि में कमी	-	-	-	-	-	-
5.	अव्यक्त महत्वपूर्ण तथ्य	-	-	-	-	-	-
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	1	17.23	-	-	1	103.31

चोट: सांविधिक निगमों के विषय में सांविधिक लेखा परीक्षक/सीएजी की टिप्पणियों से संकलित।

### निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका

**3.25** 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) प्रतिवेदन के लिए, एक निष्पादन लेखापरीक्षा व एक अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव को जारी की गई तथा चार सप्ताह में जवाब भेजने का आग्रह किया गया। अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका के संबंध में राज्य शासन द्वारा जवाब प्राप्त हुए। तथापि, निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए जवाब प्राप्त नहीं हुए।

### लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

#### बकाया उत्तर

**3.26** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा समीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाये। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित की गई कंडिकाओं/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिवेदन के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में, सरकारी उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में जवाब / व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के निर्देश (मई 2016) जारी किए थे।

31 दिसम्बर 2018 को वर्ष 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के छ कंडिकाओं में से दो कंडिकाओं पर विभाग से जवाब / व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अप्राप्त थे।

## सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (स.उ.सं.स.) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा

**3.27** 30 सितम्बर 2019 की स्थिति में उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कंडिकाओं जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पी.एस.यू.) में शामिल हुई है, पर कोपू द्वारा की गई चर्चा की स्थिति निम्नानुसार है।

**तालिका 3.19:** 30 दिसम्बर 2019 की स्थिति में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित की तुलना में चर्चा की गई कंडिकाओं / निष्पादन लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	कंडिकाओं / निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या			
	प्रतिवेदन में सम्मिलित		कंडिका जिन पर चर्चा की गई	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका
2015–16	2	9	-	9
2016–17	-	5	-	-

**चोत:** कोपू के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के आधार पर संकलित।

## कोपू का अनुपालन प्रतिवेदन

**3.28** वर्ष 1973–74 से 2011–12 तक विधानसभा में राज्य उपक्रमों से संबंधित (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) कोपू की 41 कार्यवाही प्रतिवेदन (ए.टी.एन.) अप्राप्त थी जो आगे तालिका 3.20 में इंगित है।

**तालिका 3.20:** स.उ.सं.स. के प्रतिवेदनों का अनुपालन

स.उ.सं.स. के प्रतिवेदन का वर्ष	स.उ.सं.स. के प्रतिवेदनों की संख्या	स.उ.सं.स.के प्रतिवेदनों में सिफारिशों की संख्या	सिफारिशों की संख्या जिन पर कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए
2003–04 तक	14	625	108
2004–05	7	132	41
2005–06	5	89	29
2006–07	3	82	15
2007–08	1	23	14
2008–09	1	26	26
2010–11	7	38	14
2011–12	3	3	3
<b>योग</b>	<b>41</b>	<b>1018</b>	<b>250</b>

**चोत:** स.उ.सं.स. की सिफारिशों पर म.प्र. शासन के संबंधित विभाग से प्राप्त कार्यवाही प्रतिवेदन के आधार पर संकलित।

कोपू की उपर्युक्त प्रतिवेदन में 10 विभागों से संबंधित सिफारिशे थीं जो कि भारत के सीएजी के प्रतिवेदन 1973–74 से 2011–12 में शामिल थीं।

## अध्याय—4



## अध्याय 4

### 4. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

#### 4.1 मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के द्वारा बिल्ड ऑपरेट द्रान्सफर प्रणाली पर सड़क परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

#### प्रस्तावना

**4.1.1** मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) सौपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों (एन.एच.) तथा मुख्य ज़िला मार्गों (एम.डी.आर.) के साथ मध्य प्रदेश के समस्त राज्य राजमार्गों (एस.एच.) के निर्माण, उन्नयन, परिचालन तथा रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। कंपनी के द्वारा सड़क परियोजनाएँ, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) व्यवस्था के अंतर्गत बिल्ड ऑपरेट द्रान्सफर (बी.ओ.टी.) आधार पर बी.ओ.टी.-टोल, बी.ओ.टी.-एन्युटी तथा बी.ओ.टी.-टोल+एन्युटी प्रणालियों पर निष्पादित की जाती है, जैसा कि तालिका 4.1.1 में विवरण दिया गया है:

#### तालिका 4.1.1 बी.ओ.टी. प्रणालियों का विवरण

बी.ओ.टी. प्रणाली	विवरण
टोल	भारत सरकार तथा म.प्र.शा. अनुदान के रूप में वायबिलिटी गेप फ़ॉर्डिंग (वी.जी.एफ.) प्रदान करते हैं अथवा उस रियायतग्राही से प्रीमियम प्राप्त करते हैं जो सड़क का निर्माण तथा उसका परिचालन करता है और परियोजना लागत की वसूली पूर्वनिर्धारित रियायत अवधि के दौरान टोल इकट्ठा करके करता है।
एन्युटी	रियायतग्राही निर्माण का निष्पादन करता है तथा म.प्र.शा. परियोजना लागत का 13 वर्षों की पूर्वनिर्धारित समयावधि में छ: मासीय एन्युटी के रूप में भुगतान करती है।
टोल + एन्युटी	म.प्र.शा. रियायतग्राही को छ: मासीय एन्युटी का भुगतान 13 वर्षों के लिए करती है, जो रियायत अवधि के दौरान टोल भी इकट्ठा करता है।

2013–18 के दौरान, कंपनी ने 48 बी.ओ.टी. सड़क परियोजनाएँ (3,004.78 किलोमीटर लम्बाई की 72 सड़कों लागत ₹ 6,605.04 करोड़) पूर्ण की तथा 12 बी.ओ.टी. सड़क परियोजनाएँ (1,035.42 किलोमीटर लम्बाई की 19 सड़कों लागत ₹ 4,136.22 करोड़) पूर्ण होने के पूर्व समाप्त की, जैसा कि तालिका 4.1.2 में विवरण दिया गया है:

#### तालिका 4.1.2 कंपनी द्वारा निष्पादित परियोजनाओं का विवरण

सड़क का प्रकार	बी.ओ.टी. माध्यम	कुल परियोजनाएँ			
		परियोजनाओं की संख्या	सड़कों की संख्या	लम्बाई (किलोमीटर)	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)
पूर्ण परियोजनाएँ					
मुख्य ज़िला मार्ग	एन्युटी	14	37	1,110.20	1,702.11
	टोल	1	1	38.23	96.73
	टोल + एन्युटी	9	9	392.46	730.18
उप-योग		<b>24</b>	<b>47</b>	<b>1,540.89</b>	<b>2,529.02</b>
राज्य राजमार्ग	एन्युटी	1	1	8.93	16.00
	टोल	7	7	448.10	1,045.70
	टोल + एन्युटी	13	14	748.56	1,742.12
उप-योग		<b>21</b>	<b>22</b>	<b>1,205.59</b>	<b>2,803.82</b>
राष्ट्रीय राजमार्ग	टोल	3	3	258.30	1,272.20
उप-योग		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>258.30</b>	<b>1,272.20</b>

सङ्क का प्रकार	बी.ओ.टी. माध्यम	कुल परियोजनाएँ				
		परियोजनाओं की संख्या	सङ्कों की संख्या	लम्बाई (किलोमीटर)	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	
योग पूर्ण परियोजनाएँ		48	72	3,004.78	6,605.04	
निलम्बित परियोजनाएँ						
मुख्य जिला मार्ग	एन्युटी	3	10	229.99	368.34	
	टोल + एन्युटी	1	1	46.98	97.77	
उप-योग		4	11	276.97	466.11	
राज्य राजमार्ग	एन्युटी	1	1	9.34	47.56	
	टोल	2	2	180.10	328.55	
	टोल + एन्युटी	2	2	129.16	242.65	
उप-योग		5	5	318.60	618.76	
राष्ट्रीय राजमार्ग	टोल	3	3	439.84	3,051.35	
उप-योग		3	3	439.84	3,051.35	
योग समाप्त परियोजनाएँ		12	19	1,035.42	4,136.22	
कुल योग		60	91	4,040.20	10,741.26	

### संगठनात्मक संरचना

**4.1.2** कंपनी, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग (म.प्र.लो.नि.वि.), मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शा.) के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। कंपनी का प्रबंधन संचालक मंडल में निहित है जिसमें अध्यक्ष (मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री), दो उपाध्यक्ष (म.प्र.लो.नि.वि. के मंत्री तथा मुख्य सचिव, म.प्र.शा.), प्रबंध संचालक (एम.डी.) तथा छ: अन्य संचालक शामिल है। कंपनी का दैनंदिन प्रबंधन एम.डी. के द्वारा, प्रमुख अभियंता, पांच मुख्य अभियंताओं, छ: उप महाप्रबंधकों, छ: सहायक महाप्रबंधकों तथा छ: प्रबंधकों की सहायता से किया जाता है जैसा कि **परिशिष्ट-4.1** में दर्शाया गया है।

कंपनी के 13 संभागीय कार्यालय<sup>1</sup> है, जिनके प्रमुख संभागीय प्रबंधक होते है, जो कि अपने सम्बंधित संभाग में कार्यान्वयित होने वाली सङ्क परियोजनाओं की निगरानी हेतु उत्तरदायी होते है। वे सहायक महाप्रबंधकों, प्रबंधकों तथा अन्य सहायक कर्मचारियों की सहायता से कार्य करते है।

### लेखापरीक्षा के उद्देश्य

**4.1.3** निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

- सङ्क परियोजनाओं के चयन के लिए अध्ययन वास्तविक आधार पर किया गया था तथा आंकलन म.प्र.शा. तथा सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एम.ओ.आर.टी.एच.) के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाये गए थे;
- रियायतग्राहियों का चयन यथोचित जांच पड़ताल करने के उपरांत किया था;
- रियायतग्राहियों द्वारा कार्यों का कार्यान्वयन मितव्यता तथा कुशलता से किया गया;
- बी.ओ.टी. परियोजनाओं का वित्तपोषण मितव्ययी तथा कुशल था; तथा
- इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु परियोजनाओं की निगरानी प्रभावकारी थी।

### लेखापरीक्षा के मानदंड

**4.1.4** लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नांकित स्त्रोतों से लिए गए मापदंडों पर आधारित है:

<sup>1</sup> भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, धार, उज्जैन, रीवा, सीधी, सागर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल और चंबल।

- योजना आयोग, भारत सरकार, एम.ओ.आर.टी.एच. तथा म.प्र.शा. द्वारा जारी बी.ओ.टी. से सम्बंधित दिशा निर्देश;
- योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.), योग्यता के लिए अनुरोध (आर.एफ.क्यु.) और रियायत अनुबंधों के मॉडल दस्तावेजों में निहित प्रावधान;
- मध्य प्रदेश वित्त संहिता तथा मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों तथा वित्त विभाग, म.प्र.शा. के सङ्क परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जारी किये गए निर्देश ;
- एम.ओ.आर.टी.एच., भारत सरकार द्वारा जारी किये भारतीय सङ्क कांग्रेस (आई.आर.सी.) संहिताओं के प्रावधान; तथा
- योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी पी.पी.पी. परियोजनाओं की निगरानी हेतु संस्थागत तंत्र के प्रावधान।

### लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

**4.1.5** मध्य प्रदेश सङ्क विकास निगम लिमिटेड में बिल्ड ऑपरेट ट्रान्सफर (बी.ओ.टी.) प्रणाली के मूल्यांकन तथा प्रबंधन पर एक समीक्षा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2012–13 में समिलित की गयी थी। समीक्षा में लेखापरीक्षा द्वारा पाँच अनुशंसाएं की गयी थी, जिसमें से, कंपनी ने एक अनुशंसा पर सुधारात्मक कार्रवाई की है। सार्वजानिक उपक्रम समिति ने समीक्षा पर 21 सितम्बर 2016 को चर्चा की थी तथा इसकी अनुशंसाएं प्रतीक्षित है (अगस्त 2019)।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में, 2013–18 के दौरान पूर्ण की गयी 48 बी.ओ.टी. सङ्क परियोजनाओं में से 1026.02 किलोमीटर लम्बाई (48 परियोजनाओं की कुल लम्बाई 3004.78 किलोमीटर की 34.15 प्रतिशत) की 22 सङ्कों के उन्नयन के लिए ₹ 2590.52 करोड़ की परियोजना लागत (48 परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत ₹ 6605.04 करोड़ की 39.22 प्रतिशत) वाली 16 (33.33 प्रतिशत) परियोजनाओं का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु स्तरित यादृच्छिक चयन पद्धति के आधार पर आई.डी.ई.ए. सॉफ्टवेयर की सहायता से इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक स्तर/ उप–वर्ग<sup>2</sup> से न्यूनतम एक परियोजना का चयन हो। इसके अलावा, ₹ 4136.22 करोड़ परियोजना लागत की 1035.42 किलोमीटर लम्बाई की 19 सङ्कों के उन्नयन को समाहित करने वाली समस्त 12 समाप्त बी.ओ.टी. सङ्क परियोजनाओं की नमूना जाँच की गयी। चयनित की गयी परियोजनाओं का विवरण **परिशिष्ट–4.2** में तथा चयनित पूर्ण परियोजनाओं का संक्षेप तालिका 4.1.3 में दर्शाया गया है:

#### तालिका 4.1.3 निष्पादन लेखापरीक्षा में चयनित परियोजनाओं का विवरण

सङ्क का प्रकार	बी.ओ.टी. माध्यम	नमूने में चयनित परियोजनाएँ			
		परियोजनाओं की संख्या	सङ्कों की संख्या	लम्बाई (किलोमीटर)	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)
पूर्ण परियोजनाएँ					
मुख्य जिला मार्ग	एन्युटी	4	10	277.38	401.65
	टोल	1	1	38.23	96.73
	टोल + एन्युटी	3	3	143.81	283.71
उप–योग		8	14	459.42	782.09
राज्य राजमार्ग	एन्युटी	1	1	8.93	16.00
	टोल	2	2	167.10	329.40

<sup>2</sup> एन्युटी–राज्य राजमार्ग, एन्युटी–मुख्य जिला मार्ग, टोल + एन्युटी–राज्य राजमार्ग, टोल + एन्युटी–मुख्य जिला मार्ग, टोल–राष्ट्रीय राजमार्ग, टोल– राज्य राजमार्ग और टोल–मुख्य जिला मार्ग।

सङ्क का प्रकार	बी.ओ.टी. माध्यम	नमूने में चयनित परियोजनाएँ			
		परियोजनाओं की संख्या	सङ्कों की संख्या	लग्बाई (किलोमीटर)	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)
	टोल + एन्युटी	4	4	301.27	726.36
	उप-योग	7	7	477.30	1,071.76
राष्ट्रीय राजमार्ग	टोल	1	1	89.30	736.70
	उप-योग	1	1	89.30	736.70
	योग पूर्ण परियोजनाएँ	16	22	1,026.02	2,590.55
	योग निलम्बित परियोजनाएँ	12	19	1,035.41	4,136.22
	कुल योग	28	41	2,061.43	6,726.77

उपरोक्त 28 बी.ओ.टी. सङ्क परियोजनाओं की नमूना जाँच के आधार पर 22 लेखापरीक्षा आपत्तियां ली गयी हैं। इसी प्रकार की समान त्रुटियाँ/ चूक कंपनी के द्वारा निष्पादित अन्य परियोजनाओं में भी हो सकती हैं। इसीलिए कंपनी को आतंरिक रूप से अन्य सभी क्रियान्वयित परियोजनाओं की जाँच करनी चाहिए।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, बी.ओ.टी. सङ्क परियोजनाओं के आयोजन, क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन तथा निगरानी से सम्बंधित दस्तावेजों की जाँच की गयी तथा सम्बंधित जानकारी कंपनी के मुख्यालय तथा सम्बंधित संभागीय कार्यालयों से एकत्रित की गयी। इसमें 28 चयनित बी.ओ.टी. सङ्क परियोजनाओं के रियायत अनुबंधों, 28 परियोजनाओं में से 14<sup>3</sup> के परामर्श अनुबंधों की जाँच तथा नौ<sup>4</sup> सङ्कों का संयुक्त भौतिक सत्यापन शामिल है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मापदंड तथा कार्यविधि पर प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, म.प्र.शा. तथा कंपनी के एम.डी. के साथ 01 नवम्बर 2018 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन में चर्चा की गयी थी। प्रारूप प्रतिवेदन म.प्र.लो.नि.वि. तथा कंपनी को 07 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी प्रमुख सचिव, म.प्र.लो.नि.वि. तथा कंपनी के एम.डी. के साथ 10 अक्टूबर 2019 को आयोजित निर्गम सम्मलेन में चर्चा की गयी थी। कंपनी ने सितंबर 2019 और नवंबर 2019 में प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उत्तर प्रस्तुत किया, जिसे इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में यथोचित रूप से यथास्थान शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा, कंपनी तथा इसके अधिकारियों के द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा करने में दिए गए सहयोग की अभिस्वीकृति करता है।


### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

**4.1.6** बी.ओ.टी. प्रणाली के अंतर्गत सङ्कों का निर्माण, कंपनी तथा रियायतग्राही के मध्य सङ्क के विकास हेतु की गयी पी.पी.पी. व्यवस्था के तहत होता है, जिसमें बी.ओ.टी. परियोजना की रूप-रेखा, परियोजना पूर्व गतिविधियों, निविदा, अनुबन्धीकरण, कार्य का निष्पादन तथा परियोजनाओं की निगरानी शामिल होते हैं। कंपनी तथा रियायतग्राही की विस्तृत प्रक्रिया, भूमिका तथा दायित्व को चार्ट 4.1.1 में दर्शाया गया है।

<sup>3</sup> शेष 14 परियोजनाओं के व्यवहार्यता परामर्श अनुबंधों से सम्बंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

<sup>4</sup> मनावर-सिंघाना-कुक्षी, खंडवा-देढ़तलाई-बुरहानपुर, बैतूल-सारणी-परासिया, दमोह-पथरिया-गढ़ाकोटा, गढ़ाकोटा-रेहती-देवरी, दमोह-कटनी, रीवा से हनुमना एम.पी.-यू.पी. सीमा, उज्जैन-सिंहस्थ बाईपास और दतिया-दिनारा।

### चार्ट 4.1.1. पी.पी.पी. व्यवस्था के अंतर्गत बी.ओ.टी. परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया



लेखापरीक्षा उद्देश्यों के अनुपालन में देखी गयी लेखापरीक्षा आपत्तियों की निम्नांकित कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

#### बी.ओ.टी. परियोजनाओं की योजना

**4.1.7** इस लेखापरीक्षा का प्रथम उद्देश्य यह पता करना था कि क्या सङ्क परियोजनाओं का चयन यथार्थवादी आधार पर किया गया था तथा आंकलन एम.ओ.आर.टी.एच. तथा म.प्र.शा. के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाये गए थे।

लेखापरीक्षा ने बी.ओ.टी. सङ्क परियोजनाओं के चयन से सम्बन्धित दस्तावेजों हेतु अनुरोध किया था, परन्तु इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि सङ्क परियोजनाओं के लिए योजना जांच पड़ताल के बाद बनाई गई थी। इसके अलावा म.प्र.शा. ने बी.ओ.टी. सङ्क परियोजनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम व्यवहार्यता प्रतिवेदन के पूर्व ही निर्णित कर लिया था, जिसके औचित्य के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने गलत व्यहार्यता प्रतिवेदनों को सम्बन्धित संभागीय कार्यालयों के द्वारा उनके स्वतंत्र सत्यापन कराये बगैर स्वीकार कर लिया। यह परियोजनाओं की पूर्णता में

परिहार्य देरी तथा परियोजना लागत में वृद्धि के रूप में प्रतिफलित हुआ। विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

### **बी.ओ.टी. सङ्क परियोजनाओं का चयन**

**4.1.8** कंपनी मध्य प्रदेश में प्रभावी एवं सुरक्षित सङ्क तंत्र के विकास एवं संधारण के लिए उत्तरदायी है। म.प्र.लो.नि.वि. के द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार, कंपनी म.प्र.लो.नि.वि. की विद्यमान सङ्कों पर सर्वेक्षण कराती है तथा यातायात की गहनता के आधार पर, सङ्क का चयन बी.ओ.टी. माध्यम पर विकास/ उन्नयन के लिये करती है। इसके अतिरिक्त, म.प्र.लो.नि.वि. तथा कंपनी ने सङ्कों को उनकी स्थिति के अनुसार चयन में प्राथमिकता देने हेतु, संयक्त रूप से सङ्कों का वर्गीकरण<sup>5</sup> 2015 में किया था।

लेखापरीक्षा ने यह पाया की समस्त नमूना जाँच की गयीं 28 बी.ओ.टी. सङ्क परियोजनाएँ (467.85 किलोमीटर की नौ बी.ओ.टी. सङ्क परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी थी) 2015 में सङ्कों के वर्गीकरण करने के पूर्व ही आवंटित कर दी गयी थी। दस्तावेज जो उपरोक्त सङ्क परियोजनाओं के बी.ओ.टी. माध्यम पर लेने हेतु चयन/ आयोजना का आधार बनाते हैं, लेखापरीक्षा के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गए।

इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा परामर्शदाता के चयन हेतु जारी (मार्च 2010) किये गए माडल प्रस्ताव के लिए अनुरोध के अनुसार, परामर्शदाता से बी.ओ.टी. सङ्क परियोजना हेतु रेवेन्यु मॉडल को विकसित करने में सहायता अपेक्षित थी। फिर भी, म.प्र.लो.नि.वि. ने कंपनी को पूर्व में ही बारह<sup>6</sup> मुख्य जिला मार्गों के व्यवहार्यता अध्ययन का (अगस्त 2010), एक विशिष्ट एन्युटी माध्यम पर करने का निर्देश, बिना किसी कारण बताये दिया। दस्तावेज जो उपरोक्त सङ्क परियोजनाओं के माध्यम का निर्णय का आधार बने लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए। तदनुसार, कंपनी ने सात<sup>7</sup> संभागों में उपरोक्त सङ्कों की बी.ओ.टी. (एन्युटी) आधार पर व्यवहार्यता अध्ययन हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति कर ली, जिसका लेखापरीक्षा को कोई औचित्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

इसलिये, सङ्कों का चयन तथा उनके कार्यान्वयन का माध्यम का निर्णय लेने के औचित्य का आंकलन नहीं किया जा सका। इस प्रकार, लेखापरीक्षा इस बात को सत्यापित नहीं कर सकी कि सङ्क परियोजनाओं के लिए योजना यथोचित जांच पड़ताल के बाद बनाई गई थी। लेखापरीक्षा को दस्तावेज प्रस्तुत ना करना, सम्बंधित प्राधिकारियों द्वारा की गयी गंभीर अनियमितताओं, यदि कोई हो तो, के पता न लगाने के रूप में परिणत हो सकता है।

कंपनी ने बताया (अक्टूबर 2019) कि व्यवहार्यता अध्ययन हेतु बुलाई गयी निविदाएँ उस माध्यम को पता लगाने के लिए थी जिस पर परियोजनाएँ व्यवहार्य हो। परामर्शदाताओं ने रेवेन्यु मॉडल तथा वित्तीय व्यवहार्यता का निर्धारण किया था। उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि कंपनी ने परामर्शदाताओं से बिना कोई जानकारी प्राप्त किये, उन्हें व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु आदेश जारी करते समय ही, विशेष रेवेन्यु मॉडल पहले से बता दिया था।

<sup>5</sup> 'क' श्रेणी – वे सङ्कों जो अच्छी स्थिति में हैं, 'ख' श्रेणी – वे सङ्कों जो खराब स्थिति में हैं, 'ग' श्रेणी – वे सङ्कों जो उचित स्थिति में हैं और अगले वर्ष पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, 'घ' श्रेणी – सङ्कों जिस पर मरम्मत/ नवीकरण/ ऑपरेलेइंग से ढकने के कार्य की आवश्यकता है, और 'ड' श्रेणी – सङ्कों जो निष्पादित की जा रही हैं।

<sup>6</sup> अशोकनगर–विदिशा, मुर्दी–सनावद, आशापुर–सिंधोत, बड़वाह–काटेकुट, दरियापुर–जसोंधी–महाराष्ट्र सीमा, गढ़ाकोटा–देवरी, रेहली–गौरज्ञमार, दमोह–गढ़ाकोटा, अंबाह–पिनहट, नाविंगांव–स्योंधा, सतनबाड़ा–नरवर और टेकना–मानपुर।

<sup>7</sup> इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रीवा, सागर, जबलपुर और ग्वालियर संभागों।

कंपनी ने आगे बताया (नवम्बर 2019) कि राज्य में सड़क तंत्र की स्थिति दयनीय थी। बी.ओ.टी. परियोजनाओं का चयन जन प्रतिनिधियों, उच्च प्राधिकारियों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ चर्चा तथा निर्माण उपरान्त होने वाली आर्थिक प्रगति, यातायात की गहनता तथा यातायात के विचलन की यथोचित विवेचना के बाद किया गया। परियोजनाएँ तत्पश्चात संस्थागत वित्त संचालनालय, म.प्र.शा. द्वारा जांची तथा राज्य स्तरीय सशक्त समिति (एस.एल.इ.सी.) द्वारा अनुमोदित की जाती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जन प्रतिनिधियों, उच्च प्राधिकारियों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ यथोचित चर्चा के कोई भी दस्तावेज लेखापरीक्षा को बार बार मांगे जाने एवं निकास सम्मलेन (अक्टूबर 2019) में विशिष्ट अनुरोध के बावजूद उपलब्ध नहीं कराए गए।

### अपारदर्शी योजना प्रक्रिया

**4.1.9** म.प्र.शा. द्वारा जारी पी.पी.पी. दिशानिर्देशों (फरवरी 2008) के अनुसार, चयनित / लक्षित सड़कों का व्यवहार्यता अध्ययन निविदा के पूर्व हो जाना चाहिए।

कंपनी ने ₹ 2.33 करोड़ की लागत पर आठ पूर्ण तथा छः समाप्त बी.ओ.टी. सड़क परियोजनाओं<sup>8</sup> के व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु तीन परामर्शदाताओं को नियुक्त किया था (सितंबर 2010 से दिसंबर 2011 तक)। तथापि, इनमें से किसी भी परामर्शदाता ने निर्धारित 150 दिनों के समय के अन्दर व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब चार माह से लेकर 23 माह (**परिशिष्ट-4.3**) तक का था। कंपनी ने व्यवहार्यता प्रतिवेदनों का समय पर प्रस्तुत होना सुनिश्चित नहीं किया तथा परामर्शदाताओं से अंतरिम सूचनाएँ ही प्राप्त की। कंपनी ने, बिना कोई लिखित कारण दर्ज किए, अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन ना बनने तथा परियोजना सूत्रीकरण हेतु अंतरिम सूचनाएँ अपनाने का तथ्य छुपाया एवं 14 सड़क परियोजनाओं को एस.एल.इ.सी.% राज्य मंत्रिमंडल की अनुमति हेतु प्रस्तावित किया। ग्वालियर-8 परियोजना के सन्दर्भ में, व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत होने की नियत तिथि (26 अगस्त 2011) के 43 दिन पूर्व एस.एल.इ.सी. को प्रस्ताव (7 जून 2011) भेजा गया।

इस संबंध में, पांच मुख्य जिला मार्गों और एक राज्य राजमार्ग<sup>10</sup> के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि, एस.एल.इ.सी. को प्रस्तुत जानकारी की तुलना में परामर्शदाताओं द्वारा बनाए गए व्यवहार्यता प्रतिवेदन में शामिल जानकारी जैसे कि यातायात आंकड़े, वित्तीय मापदंड<sup>11</sup>, क्रियान्वयन माध्यम, निर्माण अवधि, एन्युटी राशि, वायबिलिटी गैप फंडिंग (वी.जी.एफ.) राशि इत्यादि में अत्यधिक अंतर (व्यवहार्यता प्रतिवेदन की सूचना के दो से 1,650 प्रतिशत) था, जिसका विवरण **परिशिष्ट-4.4** में दिया गया है। उज्जैन – एस.एच.-2 के मामले में, व्यवहार्यता परामर्शदाता ने परियोजना को टोल+एन्युटी माध्यम पर कार्यान्वित करने की सिफारिश की थी, तथापि, कंपनी ने एस.एल.इ.सी. को टोल माध्यम पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जनवरी 2012) और तदनुसार बोलियां आमंत्रित की गई। चूंकि टोल माध्यम पर कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, कंपनी के द्वारा प्रस्ताव को

<sup>8</sup> शेष आठ पूर्ण परियोजनाओं (भोपाल-1, इंदौर-3, नर्मदापुरम-एस.एच.-1, सागर-एस.एच.-2, उज्जैन-एस.एच.-2, रीवा-एन.एच.-1, इंदौर-एस.एच.-1 और रीवा-एस.एच.-4) और छह निलंबित परियोजनाओं (सागर-एस.एच.-37, इंदौर-एस.एच.-36, जबलपुर-एन.एच.-12, रीवा-एन.एच.-75(1), रीवा-एन.एच.-75 (2) और एस.एच.-23) के व्यवहार्यता परामर्श अनुबंधों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

<sup>9</sup> वित्त विभाग, म.प्र.शा. ने परिपत्र संख्या 16 दिनांक 04 सितंबर, 2010 के द्वारा, 10 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत वाली या जहां भारत सरकार से वी.जी.एफ. की मांग की हो ऐसी पी.पी.पी. परियोजनाओं की मंजूरी के लिए, एस.एल.इ.सी. का गठन किया। एस.एल.इ.सी. की अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं और इसके सदस्य वित्त विभाग, योजना विभाग, विधि विभाग, प्रायोजन विभाग के प्रधान सचिव और संस्थागत वित्त के निदेशक होते हैं।

<sup>10</sup> मुख्य जिला मार्ग: मुंदी-सनावद, दमोह-गढाकोटा, रेहली-गौरज्ञामार, अशोकनगर-विदेशा और दरियापुर जसोन्धी। राज्य राजमार्ग: सिवनी-कटंगी।

<sup>11</sup> यातायात जानकारी, वित्तीय पूर्वानुमान, मोड़, निर्माण अवधि, इत्यादि के बारे में एस.एल.इ.सी. को प्रस्तुत जानकारी की तुलना, परामर्शदाता के द्वारा तैयार की गई व्यवहार्यता प्रतिवेदन में दर्शाई गयी जानकारी से करने पर।

बी.ओ.टी. (टोल+एन्युटी) माध्यम पर पुनरीक्षित किया गया, जो एस.एल.इ.सी. के द्वारा फरवरी 2013 में अनुमोदित किया गया।

इसके अलावा, 24 सड़कों के निर्माण हेतु 14 बी.ओ.टी. सड़क परियोजनाओं के लिए रियायतग्राही के चयन के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एन.आई.टी.) अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन से 29 से 373 दिन पहले जारी की गयी थी। इनमें से, 20 सड़कों के निर्माण हेतु 10 बी.ओ.टी. सड़क परियोजनाओं के मामले में कंपनी ने रियायत अनुबंध अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन से 13 से 188 दिन पूर्व ही निष्पादित कर लिये थे (परिशिष्ट-4.3)।

अंतरिम सूचना के आधार पर अनुमोदन प्राप्त करना तथा अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन के न प्रस्तुत होने संबंधी तथ्यों से एस.एल.इ.सी./ राज्य मंत्रिमंडल को अवगत न कराना, अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदनों की प्राप्ति से पूर्व रियायत अनुबंधों का निष्पादन, अपारदर्शी आयोजना प्रक्रिया को दर्शाता है, जो कि पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यवहार पर संदेह पैदा करता है, जिस कारण छः सड़क परियोजनाओं के निलंबन में प्रतिफलित हुआ।

कंपनी ने बताया (नवम्बर 2019) कि सड़क तंत्र की दयनीय स्थिति को न्यूनतम संभव समय में सुधारने के लिये प्रत्येक चरण तेजी के साथ किया गया। परामर्शदाताओं ने प्रारूप व्यवहार्यता प्रतिवेदन की अवस्था पर ही वास्तविक जानकारी के आधार पर रेवेन्यू मॉडल की पहचान कर ली थी तथा उसी के अनुसार एस.एल.इ.सी. को प्रस्ताव स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किये गए तथा निविदायें आमंत्रित की गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, जैसा की परामर्शदाता की नियुक्ति की शर्तों में विशेष रूप से दिया गया है कि रियायतग्राही के चयन की निविदा प्रक्रिया, अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने तथा परियोजना की मंजूरी के पश्चात ही प्रारम्भ की जायेगी। इसके अलावा, अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन के प्रस्तुत न होने के तथ्य से एस.एल.इ.सी./ राज्य मंत्रिमंडल को अवगत नहीं कराया गया था।

#### **व्यवहार्यता प्रतिवेदनों का सत्यापन के बिना अपनाया जाना**

**4.1.10** कंपनी के द्वारा जारी परामर्श अनुबंध के प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.) के अनुसार, परामर्शदाता के द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ अनुमानित निर्माण लागत, संचालन एवं संधारण लागत, यातायात पूर्वानुमान, टोल आय, विस्तृत वित्तीय विश्लेषण, परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता इत्यादि शामिल रहेंगे। ये विवरण रियायत अनुबंधों की अनुसूचियों में निर्दिष्ट किये जाने वाले कार्य के क्षेत्र निर्धारित करने का आधार होता है। चयनित बी.ओ.टी. सड़क परियोजनाओं के व्यवहार्यता प्रतिवेदनों की समीक्षा करने पर निम्नांकित कमियां पायी गयी:

- 16 चयनित पूर्ण परियोजनाओं में से 13<sup>12</sup> के मामले में, परामर्शदाताओं ने पर्यावरण क्षति लागत<sup>13</sup>, कुल परियोजना लागत में शामिल की और उस पर 25 प्रतिशत आकस्मिकताएं जोड़ी, जो कंपनी के द्वारा स्वीकार की गयी। जबकि, दो<sup>14</sup> अन्य परियोजनाओं के संबंध में, पर्यावरण क्षति लागत, कुल परियोजना लागत में 25 प्रतिशत आकस्मिकताएं जोड़ने के बाद जोड़ी गयी। इस प्रकार, परामर्शदाताओं ने पर्यावरण क्षति लागत का एक समान व्यवहार करने की नीति नहीं अपनायी, जिस कारण रियायत अनुबंधों में शामिल कुल परियोजना लागत में ₹ 7.43 करोड़ की वृद्धि हुई।

<sup>12</sup> ग्वालियर-2 (₹ 0.42 करोड़), इंदौर-1 (₹ 0.46 करोड़), इंदौर-2 (₹ 0.60 करोड़), इंदौर-3 (₹ 0.50 करोड़), नर्मदापुरम-एस.एच.-1 (₹ 0.68 करोड़), सागर-1 (₹ 0.14 करोड़), सागर-3 (₹ 0.35 करोड़), सागर-एस.एच.-2 (₹ 0.46 करोड़), उज्जैन-एस.एच.-2 (₹ 0.42 करोड़), उज्जैन-एस.एच.-3 (₹ 0.14 करोड़), भोपाल-1 (₹ 0.27 करोड़), रीवा-एन.एच.-1 (₹ 2.63 करोड़) और रीवा-एस.एच.-4 (₹ 0.36 करोड़)।

<sup>13</sup> पर्यावरण क्षति लागत में शोर/ धूल प्रदूषण घटाने, वृक्षारोपण इत्यादि की लागत निहित होती है।

<sup>14</sup> ग्वालियर-एस.एच.-1 और इंदौर-एस.एच.-1। इंदौर-5 परियोजना के व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए।

कंपनी ने बताया (सितम्बर 2019) कि पर्यावरण क्षति लागत कुल परियोजना लागत में शामिल की गयी थी। उत्तर, पर्यावरण क्षति लागत का एक समान व्यवहार नहीं करने के कारण की व्याख्या नहीं करता है।

- ग्वालियर-2 परियोजना के परामर्शदाता ने व्यवहार्यता प्रतिवेदन में 7.9 किलोमीटर का वन क्षेत्र को ध्यान में नहीं रखा तथा 305 बिजली के खम्भे छोड़ दिए, जिस कारण वन अनुमति प्राप्त करने में देरी हुई तथा जन व्यवस्था की स्थानांतरण लागत में ₹ 1.33 करोड़ की वृद्धि हुई। कंपनी ने व्यवहार्यता प्रतिवेदन की जानकारी के सत्यापन के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। परामर्शदाता का टोल माध्यम का प्रस्ताव भी गलत सिद्ध हुआ क्योंकि टोल माध्यम पर कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, और आखिरकार टोल + एन्युटी माध्यम पर 22 माह<sup>15</sup> की परिहार्य देरी के साथ कार्य का कार्यादेश जारी किया गया (मार्च 2013)।

कंपनी ने स्वीकार किया (सितम्बर 2019) कि व्यवहार्यता प्रतिवेदन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नहीं होते हैं। निकास सम्मलेन (अक्टूबर 2019) में प्रमुख सचिव ने भविष्य में दोषयुक्त व्यवहार्यता प्रतिवेदनों के लिये परामर्शदाताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। परन्तु, कंपनी ने बताया (नवम्बर 2019) कि अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदनों का सत्यापन तथा निरीक्षण सम्बंधित संभागीय प्रबंधकों के द्वारा किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संभागीय प्रबंधकों के निरीक्षण के उपरांत भी, 7.9 किलोमीटर का वन क्षेत्र तथा 305 बिजली के खम्भे नज़रंदाज़ कर दिये गए थे।

- इसी प्रकार, नर्मदापुरम—एस.एच.—1 का व्यवहार्यता प्रतिवेदन (जून 2010) नियमित अनुबंध (एशियाई विकास बैंक) हेतु बनाया गया था तथा क्रियान्वयन माध्यम मई 2011 में बी.ओ.टी. (टोल) में परिवर्तित होने के बाद, कोई भी पृथक व्यवहार्यता प्रतिवेदन नहीं बनाया गया। चुंकि परियोजना का रियायतग्राही वित्तीय समापन प्राप्त करने में असमर्थ रहा, रियायत अनुबंध समाप्त कर दिया गया और पुनः निविदा बुलाने के बाद भी, टोल माध्यम पर कोई बोली नहीं प्राप्त हुई। परियोजना को अंततः माध्यम परिवर्तित करके टोल+एन्युटी पर आवंटित (मई 2013) किया गया। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा ने पाया कि व्यवहार्यता प्रतिवेदन में यातायात का अनुमान असामान्य रूप से अधिक था। अप्रैल 2017 का प्रक्षेपित औसत दैनिक यातायात 12,877 था, जबकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गयी टोल जानकारी के अनुसार वास्तविक औसत दैनिक यातायात अप्रैल 2017 में मात्र 1,955 अर्थात् अनुमानों का 15 प्रतिशत था। यह दर्शाता है कि व्यवहार्यता प्रतिवेदन में उच्च यातायात का अनुमान लेने के कारण, कंपनी ने परियोजना की रूप रेखा टोल माध्यम पर तैयार की, जिस पर निविदा सफल नहीं रही तथा क्रियान्वयन माध्यम टोल+एन्युटी पर परिवर्तित (मई 2013) किया गया, जिससे परियोजना में तीन वर्ष का विलंब हुआ।

- आई.आर.सी. के प्रावधानों के अनुसार, मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सल<sup>16</sup> (एम.एस.ए.) में गणना किए गए ट्रैफिक तथा कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियों<sup>17</sup> (सी.बी.आर.) में सब-ग्रेड की वहन क्षमता के आधार पर पेवमेंट की मोटाई निर्धारित की जानी चाहिए। यद्यपि, दमोह—कटनी सड़क के व्यवहार्यता परामर्शदाता ने 119.20 किलोमीटर लम्बाई में पेवमेंट की 30 मिलीमीटर अनावश्यक अधिक मोटाई निर्धारित की, जो कि कंपनी के द्वारा

<sup>15</sup> कंपनी द्वारा प्रारंभिक प्रस्ताव टोल माध्यम पर 23 मई 2011 को एस.एल.इ.सी. को प्रस्तुत किया गया था, जो व्यवहार्यता प्रतिवेदन की सिफारिशों पर आधारित था।

<sup>16</sup> सड़क की रूपांकित आयु को, मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सल में नापी हुई ऐसी संचयी संख्या के संदर्भ में परिमाणित किया गया है, जिसे सड़क पर कोई उन्नयन करवाने से पहले सड़क द्वारा वहन किया जा सकता है।

<sup>17</sup> सब-ग्रेड की मिट्टी की गुणवत्ता सी.बी.आर.में मापी जाती है और इसका उपयोग फ्लोरिसबल पेवमेंट को डिजाइन करने के लिए किया जाता है।

बिना किसी स्वंत्रत सत्यापन के अपनाई गई। इससे ₹ 2.23 करोड़ की अतिरिक्त परियोजना लागत में वृद्धि हुई। विस्तृत विवरण तालिका 4.1.4 में दिया गया हैं:

#### तालिका 4.1.4 पेवर्मेंट की अधिक मोटाई

विवरण	परिणामित मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल	सब-ग्रेड का कैलिफोर्निया बैअरिंग रेशिओ (प्रतिशत में)	पेवर्मेंट की मोटाई (मिलीमीटर)
परामर्शदाता द्वारा निर्धारित	15.67 / 25.76	7	600
आई.आर.सी. के अंतर्गत अपेक्षित	15.67 / 25.76	11	570
पेवर्मेंट की अधिक मोटाई			30 मिलीमीटर

कंपनी ने बताया (सितम्बर 2019) कि बी.ओ.टी. परियोजनाओं के लिये व्यवहार्यता प्रतिवेदन सांकेतिक होती हैं तथा रियायतग्राही अपने स्वयं के सर्वेक्षण तथा रूपांकन के आधार पर ही निर्माण कार्य करता है। यह उत्तर, परामर्शदाता एवं कंपनी के द्वारा आई.आर.सी. के प्रावधानों के उल्लंघन में अनावश्यक अधिक मोटाई अपनाने के कारणों की व्याख्या नहीं करता है।

- आई.आर.सी.: 64–1990 के अनुसार, एक प्रमुख आर्टेरियल सड़क के वर्तमान यातायात वाल्यूम को उपयुक्त यातायात विकास दर से अनुमानित करने पर उसकी डिजाइन लाइफ के अंत में प्राप्त डिजाइन सर्विस वाल्यूम<sup>18</sup> के आधार पर, उस सड़क को सेवा का स्तर-बी<sup>19</sup> (एल.ओ.एस.-बी) के स्तर पर डिजाइन किया जाना चाहिए था। आई.आर.सी.: 37–2012, 5 प्रतिशत की दर से यातायात की वार्षिक वृद्धि के बारे में निर्देशित करता है। रियायत अवधि के अंत में (2026) बम्कलफाटा-डोगावा (एम.डी.आर.–23.67 किलोमीटर) सड़क का दैनिक यातायात 1,556 पेसेंजर कार यूनिट अनुमानित किया गया था, जिसके लिए आई.आर.सी. के अनुसार से सिंगल लेन (3.75 मीटर) का निर्माण किया जाना था। तथापि, व्यवहार्यता सलाहकार ने 5.50 मीटर चौड़ी सड़क (इंटरमीडिएट लेन) के निर्माण की अनुशंसा की और कंपनी ने आई.आर.सी. से विचलन का कोई कारण दर्ज किए बिना उसे अनुमोदित कर दिया।

इसी प्रकार, रतलाम–सैलाना–बांसवाडा (राज्य राजमार्ग–43.58 किलोमीटर) पेव्हड शोल्डर<sup>20</sup> सड़क की रियायत अवधि, टोल माध्यम पर बोली ना मिलने के कारण टोल+एन्युटी माध्यम<sup>21</sup> पर परिवर्तन के बाद, 30 वर्षों से परिवर्तित कर 15 वर्ष की कर दी गयी, परन्तु डिजाइन सर्विस वॉल्यूम 25,780 पेसेंजर कार यूनिट (पी.सी.यु.) से 12,452 पी.सी.यु. पर पुनरीक्षित नहीं किया गया, जिसके लिये आई.आर.सी. में मिट्टी के शोल्डर वाली दो लेन बनाने का प्रावधान था। परन्तु, व्यवहार्यता परामर्शदाता ने पेव्हड शोल्डरवाली दो लेन के निर्माण की अनुशंसा की और जिसे कंपनी द्वारा आई.आर.सी. से इस विचलन के कारण को दर्ज किए बिना, संस्वीकृत किया गया। जिसके परिणामस्वरूप, परियोजना लागत में ₹ 9.65 करोड़<sup>22</sup> की वृद्धि हो गयी और अनुवर्ती एन्युटी में भी अधिक दायित्व का सृजन हुआ।

कंपनी ने बताया (मई 2019) कि यातायात का अनुमान, वास्तविक यातायात सर्वेक्षण के अनुसार निर्माण के बाद यातायात की भावी वृद्धि का यथोचित ध्यान रखते हुए किया

<sup>18</sup> डिजाइन सर्विस वॉल्यूम को यातायात के अधिकतम प्रति घंटा वॉल्यूम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिस पर वाहनों को निश्चित समय अवधि के दौरान सड़क पर आसानी से चलने की उम्मीद की जा सकती है।

<sup>19</sup> यातायात प्रवाह के भीतर वांछित गति और युक्तियाल का चयन करने के लिए उचित स्थतंत्रता के साथ यातायात के स्थिर प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। आराम और सुविधा का स्तर, सेवा का स्तर–ए से कुछ हद तक कम होता है, क्योंकि यातायात में अन्य वाहनों की उपरिष्ठति व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करती है।

<sup>20</sup> सड़क उपयोगकर्ता की अतिरिक्त सुरक्षा के लिये सड़क के दोनों किनारों पर शोल्डर्स का विस्तार किया जाता है। निर्माण में मिट्टी की सामग्री (मिट्टी के शोल्डर्सी, ग्रेनुलर सामग्री (कठोर शोल्डर्सी) या वही सामग्री, जो सड़क निर्माण में उपयोग की जाती है (पेव्हड शोल्डर्सी) प्रयोग की जा सकती है।

<sup>21</sup> एस.एल.इ.सी. के द्वारा फरवरी 2012 में अनुमोदित।

<sup>22</sup> इंदौर–3: ₹ 8.20 करोड़ और उज्जैन–एस.एच.–2: ₹ 1.45 करोड़।

गया था। अनुमानों के अनुसार, सड़क पेहड़ शोल्डर वाली दो लेन बनने के लिए व्यवहार्य थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह आई.आर.सी. के उल्लंघन में अधिक चौड़ाई तथा अधिक यातायात वृद्धि दर को अपनाने के कारणों की व्याख्या नहीं करता है।

इस प्रकार, कंपनी ने दोषपूर्ण व्यवहार्यता प्रतिवेदनों को सम्बंधित संभागीय कार्यालयों के द्वारा उनके स्वंत्र सत्यापन कराये बिना अपनाया। जैसा कि उपर चर्चा की गयी है, यह परियोजनाओं की पूर्णता में परिहार्य विलम्ब तथा परियोजना लागत में वृद्धि के रूप में परिणत हुआ।

### अनुशंसाएँ:

कंपनी को चाहिए कि:

- (1) सड़क परियोजनाओं का चयन तथा बी.ओ.टी. परियोजनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम का निर्णय सड़कों के वर्गीकरण तथा व्यवहार्यता प्रतिवेदनों के आधार पर करे;
- (2) व्यवहार्यता प्रतिवेदनों में शामिल जानकारी यथा वन क्षेत्र, जन व्यवस्था स्थानांतरण तथा यातायात का अनुमान, अपने संभागीय कार्यालयों से सत्यापित कराये; तथा
- (3) आई.आर.सी. के प्रावधानों से विचलनों के कारणों को दर्ज करे।

### अनुबंध प्रबंधन

**4.1.11** इस निष्पादन लेखापरीक्षा का द्वितीय उद्देश्य यह पता करना था कि रियायतग्राहियों का चयन यथोचित जांच पड़ताल करने के उपरांत किया गया था।

रियायतग्राहियों के चयन हेतु, कंपनी योग्यता के लिए अनुरोध (आर.एफ.क्यू.) जारी करती है। लेखापरीक्षा ने चयनित बी.ओ.टी. सड़क परियोजनाओं की निविदा एवं अनुबंध प्रक्रिया की विवेचना की और पाया कि आर.एफ.क्यू. का मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण था, अव्यवहार्य परियोजनाएँ टोल माध्यम पर आवंटित की गयी तथा छः एन्युटी परियोजनाएँ एस.एल.इ.सी. की अनुशंसा की तुलना में अधिक एन्युटी पर आवंटित की गयी। विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

### रियायतग्राहियों का त्रुटिपूर्ण चयन

**4.1.12** आर.एफ.क्यू. के परिच्छेद-2.2.10 के अनुसार, आवेदनकर्ता कंसोर्टियम<sup>23</sup> के प्रत्येक सदस्य को पूर्व-योग्यता की आवश्यकताओं को परिच्छेद-2.2 (आवेदनकर्ताओं की पात्रता) में निर्दिष्ट सीमा तक पर्याप्त रूप से संतुष्ट करना चाहिए। परिच्छेद-2.2.2 (ए) में निर्दिष्ट किया गया है कि आवेदक ने पिछले पांच वर्षों के दौरान, परियोजना लागत जिस पर निविदा आमंत्रित की गयी है, की दुगनी लागत से अधिक की परियोजनाएँ क्रियान्वित की हों तथा परिच्छेद-2.2.2 (बी) में निर्दिष्ट किया गया है कि कंसोर्टियम के प्रत्येक सदस्य की न्यूनतम शुद्ध संपत्ति<sup>24</sup> तुरंत पहले के वित्तीय वर्ष में परियोजना लागत की 12.50 प्रतिशत होनी चाहिए।

<sup>23</sup> परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए एक साथ आने वाली संस्थाओं का समूह।

<sup>24</sup> अभिदत्त और प्रदत्त इकिवटी और संचय का योग जिसमें से पुनर्मूल्यांकन संचय, अपलेखित न किये गए विविध व्यय और इकिवटी अंशधारियों में वितरण हेतु उपलब्ध न होने वाले संचय के योग को घटाया जाये (आर.एफ.क्यू. के वाक्य 2.2.4)।

बी.ओ.टी. व्यवस्था में रियायतग्राही के द्वारा सङ्क के निर्माण हेतु रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन<sup>25</sup> (ई.पी.सी.) ठेकेदार की नियुक्ति की शर्त लगाता है। आर.एफ.क्यू. के परिच्छेद-2.25 के अनुसार, परियोजना के ई.पी.सी. निर्माण कार्य केवल अनुभवी ठेकेदारों के द्वारा किये जाने थे, जिन्होंने वर्तमान परियोजना लागत के न्यूनतम 20 प्रतिशत या ₹ 5 करोड़ जो भी कम हो, की परियोजनाएँ पूर्ण की हों।

#### अ. अयोग्य रियायतग्राहियों को कार्य आवंटित करना

- 12 समाप्त परियोजनाओं में पांच<sup>26</sup> के मामले में, मेसर्स कोन्कास्ट इन्फ्राटेक लिमिटेड, जो आवेदनकर्ता कंसोर्टियम का सदस्य था (मई 2011 से फरवरी 2012), तकनीकी और वित्तीय रूप से योग्य नहीं था क्योंकि इसका निगमन सितम्बर 2010 में ही हुआ था तथा आर.एफ.क्यू. की आवश्यकताओं के अनुसार ना तो कोई परियोजनाएँ क्रियान्वित की थी ना ही आवश्यक शुद्ध संपत्ति योग्यता रखता था। फिर भी, कंपनी ने इन कंसोर्टियमों को योग्य माना (अक्टूबर 2011 से मई 2012) और उन्हें परियोजनाएँ आवंटित की। इसके अलावा, पाँच परियोजनाओं को एक साथ प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए उसकी संयुक्त क्षमता का आंकलन किए बिना उसे यह सभी पांच परियोजनाएँ आवंटित की गयी।

उपरोक्त पांच परियोजनाओं तथा रीवा—एन.एच.—75(1) के क्रियान्वयन हेतु रियायतग्राहियों के द्वारा नियुक्त ई.पी.सी. ठेकेदार कोन्कास्ट इन्फ्राटेक लिमिटेड था, जिसे परियोजना लागत के 20 प्रतिशत या ₹ 5 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को पूर्ण करने का अनुभव नहीं था। ग्वालियर-8 परियोजना के रियायतग्राही ने मेसर्स कोमेक्स इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय स्थिति मजबूत करने तथा विकास विशेषज्ञता लाने के लिये कंपनी के द्वारा बिना किसी मूल्यांकन के परियोजना की स्पेशल परपस वेहिकल (एस.पी.वी.) में शामिल (मई 2012) किया।

अयोग्य रियायतग्राहियों का चयन और अयोग्य ई.पी.सी. ठेकेदारों के द्वारा निर्माण के निष्पादन करने की अनुमति ने निर्माण की धीमी प्रगति में योगदान दिया। जिसके फलस्वरूप, कंपनी ने उन सभी छ: परियोजनाओं को समाप्त (मार्च 2015 से जनवरी 2018) कर दिया। परियोजनाओं की समाप्ति के समय भौतिक प्रगति 6.72 प्रतिशत और 56 प्रतिशत के बीच थी जैसा कि परिशिष्ट-4.5 में दर्शया गया है। शेष कार्य बी.ओ.टी. माध्यम के स्थान पर ई.पी.सी. माध्यम के आधार पर ₹ 236.18 करोड़<sup>27</sup> की बढ़ी हुई परियोजना लागत पर पुनः आवंटित किये गए। अगर कंपनी ने रीवा—एन.एच.—75(1) परियोजना जो कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना है, का क्रियान्वयन किया होता, तो उसे भारत सरकार से ₹ 34.80 करोड़ का वार्षिक अनुदान कर्मचारियों एवं कार्यालय खर्च पर व्यय करने के लिए प्राप्त होते। इस प्रकार, परियोजनाओं को बी.ओ.टी. माध्यम पर निष्पादित करने का उद्देश्य असफल रहा।

निकास सम्मलेन (अक्टूबर 2019) में प्रमुख सचिव (म.प्र.लो.नि.वि.) ने आश्वासन दिया कि भविष्य में, आर.एफ.क्यू. के परिच्छेदों में कंसोर्टियम आवेदकों तकनीकी और वित्तीय पूर्व-योग्यता आवश्यकताओं को विशिष्ट रूप से स्पष्ट किया जायेगा।

- **जबलपुर—एन.एच.—12 (294.20 किलोमीटर):** आर्थिक कार्य विभाग (डी.ई.ए.), भारत सरकार के पी.पी.पी. अनुभाग ने कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक दरे प्राप्त करने के

<sup>25</sup> किसी परियोजना को निर्धारित समय सीमा में क्रियान्वित करने हेतु एक अनुबंध व्यवस्था जिसमें ठेकेदार परियोजना की रूपरेखा से, क्रय, निर्माण से लेकर पूर्ण करने और परियोजना को कंपनी को वापस सौंपने की समस्त गतिविधियों के लिये जिम्मेदार होता है। अनुबंध मूल्य निर्धारित होता है तथा ठेकेदार को भुगतान लक्ष्यों की पूर्णता के आधार पर किया जाता है।

<sup>26</sup> ग्वालियर-9, जबलपुर-6, ग्वालियर—एस.एच.—2, इंदौर—एस.एच.—36 और ग्वालियर-8।

<sup>27</sup> ₹ 854.83 करोड़ से ₹ 1091.01 करोड़।

लिये, परियोजना को प्रत्येक 100 किलोमीटर के तीन पैकेजों में बाटने का निर्देश दिया (सितम्बर 2012)। कंपनी को ₹ 736.70 करोड़ से अधिक की परियोजना क्रियान्वित करने का कोई अनुभव नहीं था। तथापि, कंपनी ने, डी.ई.ए. को स्पष्ट करने के बाद, इस परियोजना को नहीं बाटने की अनुमति प्राप्त की। तदनुसार, कंपनी ने एकल परियोजना के रूप में निविदा निकालने की अनुमति दी, तथापि, आर.एफ.क्यू. के परिच्छेद-2.2.2 (ए) में निर्धारित तकनीकी योग्यता के स्थान पर कंपनी ने अनुभव के मापदंड में ₹ 4,971.92 करोड़ के स्थान पर ₹ 2,485.96 करोड़ (बोली की परियोजना लागत के बराबर) निर्धारित किया, जिसका कोई भी कारण अभिलेखों में नहीं पाया गया।

इसके अलावा, कंसोर्टियम, जिसमें एक सदस्य कंपनी रूसी मूल का था, ने पिछले पांच वर्षों यथा 2007–12 के दौरान दो परियोजनाओं<sup>28</sup> को पूरा करने के अनुभव का गलत दावा, आर.एफ.क्यू. दस्तावेजों में किया था। परन्तु, कंपनी के द्वारा लगाए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने, आवेदक के द्वारा ये परियोजनाएं पिछले पांच वर्षों में क्रियान्वित न किये जाने के तथ्य का पता लगाने में चूक की। जबकि, उस कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, दोनों परियोजनाएं वास्तव में 2003 में पूर्ण हुई थी, यथा पांच वर्ष से भी पहले, अतः तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन करने में इन्हें शामिल नहीं करना चाहिए था। कंपनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की अनुशंसा को वैसे ही बिना किसी सत्यापन/ जांच के स्वीकार कर लिया। जिसके परिणामस्वरूप, परियोजना ₹ 3,361.47 करोड़<sup>29</sup> की अपर्याप्त तकनीकी क्षमता वाले कंसोर्टियम को आवंटित (फरवरी 2014) कर दी गयी।

रियायत अनुबंध के अनुसार, रियायतग्राही को रियायत अनुबंध की तिथि से 180 दिनों के अन्दर वित्तीय समापन<sup>30</sup> प्राप्त कर लेना चाहिए था। परन्तु, रियायतग्राही वित्तीय समापन प्राप्त करने में असफल रहा और रियायत अनुबंध अप्रैल 2015 में बिना किसी भौतिक प्रगति के समाप्त कर दिया गया। तत्पश्चात, भारत सरकार ने संपूर्ण परियोजना को बी.ओ.टी. माध्यम के स्थान पर ई.पी.सी. माध्यम पर ₹ 410.32 करोड़<sup>31</sup> की बढ़ी परियोजना लागत पर करने का निर्णय लिया। यदि कंपनी ने परियोजना का क्रियान्वयन किया होता, तो उसे भारत सरकार से ₹ 397.75 करोड़ का वार्षिक अनुदान कर्मचारियों एवं कार्यालय खर्च पर व्यय करने के लिए प्राप्त हो जाते। परियोजना सात वर्ष विलंबित हो गयी तथा अभी भी (मार्च 2019) अपूर्ण है। इस प्रकार, परियोजनाओं को बी.ओ.टी. माध्यम पर निष्पादित करने का उद्देश्य असफल रहा।

निकास सम्मलेन (अक्टूबर 2019) के दौरान प्रमुख सचिव (म.प्र.लो.नि.वि.) ने आश्वासन दिया कि कंपनी, मूल्यांकन के कार्य को चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा करवाने की प्रणाली की समीक्षा करेगी।

- इंदौर-एस.एच.-1:** आर.एफ.क्यू. के परिच्छेद-2.2.2 (ए) में निर्धारित तकनीकी योग्यता में कंपनी ने अनुभव मापदंड ₹ 454 करोड़ के स्थान पर ₹ 227 करोड़ निर्धारित किया, जिसका कोई भी कारण अभिलेखों पर नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि आवेदक ने, आर.एफ.क्यू. दस्तावेजों में, संयुक्त रूप से क्रियान्वित की गयी दो परियोजनाओं के भुगतान और आय की राशि एस.पी.वी. में उसके अनुपातिक हिस्से की बजाय, संपूर्ण राशि को अनुभव में शामिल किया और उसका दावा किया। आवेदक ने आर.एफ.क्यू. दस्तावेजों में चार परियोजनाओं को पूर्ण करने का दावा किया, जिसमें उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा प्रमाणित राशि से अधिक राशि और पिछले पांच वर्षों

<sup>28</sup> लेफोरटोवो सुरंग का निर्माण और मॉस्को के तीसरे परिवहन रिंग का निर्माण 2003 में पूरा हुआ।

<sup>29</sup> दोनों अयोग्य परियोजनाओं को शामिल किये बिना लेखापरीक्षा के द्वारा गणना की गई तकनीकी क्षमता।

<sup>30</sup> वित्तीय समापन का अर्थ है वित्तीय अनुबंधों के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता से सम्बन्धित सभी पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा करना।

<sup>31</sup> ₹ 2,485.95 करोड़ से ₹ 2,896.28 करोड़।

के इतर किये गए व्यय की राशि को शामिल किया। इसके अलावा, आवेदक का पिछले तीन वर्षों का औसत कारोबार ₹ 227 करोड़<sup>32</sup> की आवश्यकता की तुलना में ₹ 129.99 करोड़ ही था।

इसके बावजूद, कंपनी की निविदा समिति ने आवेदक को योग्य माना और कार्य, ₹ 359.21 करोड़<sup>33</sup> की अपर्याप्त तकनीकी क्षमता वाले रियायतग्राही को आवंटित (जुलाई 2011) किया।

इसके अलावा, म.प्र.शा. के पी.पी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना के व्यवहार्य होने के लिये प्रतिफल की आंतरिक दर (आई.आर.आर.) 13 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। तथापि, इंदौर राज्य राजमार्ग परियोजना की आई.आर.आर. 12.26 प्रतिशत थी। वास्तव में, परियोजना को अनुमोदित करते समय (फरवरी 2011), म.प्र.शा. ने उल्लेख किया था कि सड़क पर यातायात कम है तथा परियोजना 40 प्रतिशत वायबिलिटी गैप फंडिंग (वी.जी.एफ.) देने के पश्चात् भी व्यवहार्य नहीं है तथा रियायतग्राही को 10 वर्षों के लिये ₹ 3.86 करोड़ की वार्षिक डीम्ड शैडो शुल्क<sup>34</sup>, जो एक अलग अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित की जानी थी, का अनुमोदन किया था। तथापि, सशक्त संस्थान<sup>35</sup> के द्वारा डीम्ड शैडो शुल्क की अनुमति के अभाव में, कंपनी ने परियोजना को डीम्ड शैडो शुल्क परिच्छेद के बिना 29.23 प्रतिशत<sup>36</sup> वी.जी.एफ. पर आवंटित किया, जिस कारण परियोजना अव्यवहार्य बन गयी। परिणामस्वरूप, रियायतग्राही ने वित्तीय तंगी का हवाला दिया, जिसने परियोजना लक्ष्यों के प्राप्त न होने में योगदान दिया तथा परियोजना के पूर्ण होने में 23 माह की देरी हुई।

कंपनी ने बताया (सितम्बर 2019) कि निविदा समिति ने रियायतग्राही की वित्तीय बोली, परियोजना लागत के 8.63 प्रतिशत डीम्ड शैडो शुल्क को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत (मई 2011) की थी। इसके अलावा, बोली लगाने वालों ने स्वयं के वित्तीय विश्लेषण के आधार पर वी.जी.एफ. की बोली लगाई, अतएव, ऐसा कोई कारण नहीं है कि परियोजना को कम वी.जी.एफ. पर प्रदान किया गया तथा रियायतग्राही की वित्तीय तंगी में परिणत हुआ। उत्तर सही नहीं है क्योंकि 'डीम्ड शैडो शुल्क' के बिना परियोजना के व्यवहार्य न होने के बारे में पता होने के बावजूद, यह परिच्छेद कंपनी के द्वारा आर.एफ.पी. से हटाया गया। इसके अलावा, कम्पनी ने अयोग्य रियायतग्राही को परियोजना आवंटित करने के विषय पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

### ब. एस.पी.वी. में न्यूनतम अंशधारिता सुनिश्चित करने में विफलता

आर.एफ.क्यू. के अनुसार, आवेदक कंसोर्टियम के प्रत्येक सदस्य की एस.पी.वी. में न्यूनतम 26 प्रतिशत अंशधारिता होनी चाहिए।

- रीवा—एन.एच.—75 (2):** कंपनी ने आवेदक कंसोर्टियम के प्रत्येक सदस्य की न्यूनतम 26 प्रतिशत अंशधारिता सुनिश्चित नहीं की। इसके अतिरिक्त, स्वतन्त्र अभियंता ने कंपनी को सूचित किया (फरवरी 2016) कि निर्माण प्रारम्भ करने के पश्चात्, रियायतग्राही ने अपना ई.पी.सी. ठेकेदार बदल दिया। इसलिए, कंपनी बदले हुए ई.पी.सी. ठेकेदार की योग्यता का आंकलन नहीं कर पाई।

<sup>32</sup> म.प्र.शा. के दिशानिर्देशों के अनुसार, बोली लगाने हेतु वित्तीय रूप से सक्षम होने के लिए बोली लगाने वाले का पिछले तीन वर्षों का न्यूनतम औसत कारोबार, परियोजना लागत का 100 प्रतिशत होना चाहिए।

<sup>33</sup> अयोग्य परियोजनाओं या उसके भाग को शामिल किये बिना लेखापरीक्षा के द्वारा गणना की गई तकनीकी क्षमता।

<sup>34</sup> शुल्क नियमों के तहत शुल्क के भुगतान से छूट वाले वाहनों से रियायतग्राही को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई करने के लिए, प्राधिकरण के पास एक विकल्प है।

<sup>35</sup> सशक्त संस्थान, एक ऐसा संस्थान, कम्पनी या अंतर-मन्त्रालयी समूह है, जिसे शासन के द्वारा वी.जी.एफ. योजना के लिये नामित किया गया है। इसका नेतृत्व अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक, डी.ई.ए. के द्वारा किया जाता है।

<sup>36</sup> ₹ 227 करोड़ की परियोजना लागत वाली परियोजना के लिये ₹ 66.36 करोड़ का वी.जी.एफ. निर्धारित किया गया था।

रियायतग्राही के ई.पी.सी. ठेकेदार ने अगस्त 2016 में वित्तीय संकट बताते हुए कार्य रोक दिया। कंपनी ने वित्तीय एवं भौतिक प्रगति क्रमशः ₹ 196.80 करोड़ एवं 33.56 प्रतिशत होने के पश्चात रियायत अनुबंध समाप्त कर दिया। तत्पश्चात्, भारत सरकार ने कंपनी के द्वारा परियोजना के हस्तांतरण के पश्चात बचे हुए 66.44 प्रतिशत कार्य को ₹ 318.05 करोड़ की लागत पर कराने हेतु बी.ओ.टी. आधार के बजाय ई.पी.सी. आधार पर निविदा (नवम्बर 2017) जारी की। यदि कंपनी ने परियोजना का क्रियान्वयन किया होता तो उसे भारत सरकार से ₹ 46.55 करोड़ का वार्षिक अनुदान कर्मचारियों एवं कार्यालय खर्च पर व्यय करने के लिए प्राप्त हो जाते। इस प्रकार, परियोजनाओं को बी.ओ.टी. माध्यम पर निष्पादित करने का उद्देश्य असफल रहा।

कंपनी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2019) कि रियायतग्राही से यह सूचना प्राप्त होने पर कि दो सदस्यों की हिस्सेदारी आवेदक कंसोर्टियम के अन्य सदस्य को स्थानांतरित कर दी गयी थी, उसके बाद ही रियायत अनुबंध निष्पादित किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न्यूनतम 26 प्रतिशत अंशों का हस्तांतरण कंपनी ने सत्यापित और सुनिश्चित नहीं की।

- **एस.एच.—23 तथा एस.एच.—54:** कंपनी ने ₹ 51.08 करोड़<sup>37</sup> तथा ₹ 72.44 करोड़<sup>38</sup> की अपेक्षित इकिवटी के विरुद्ध क्रमशः ₹ 35.26 करोड़ तथा ₹ 10 करोड़ की कम इकिवटी के साथ एस.पी.वी. का गठन स्वीकार किया। इसके अलावा, एस.एच.—23 के रियायतग्राही ने ₹ 35.26 करोड़ की प्रतिबद्धता के विरुद्ध मात्र ₹ 17.63 करोड़<sup>39</sup> की प्रदत्त पूँजी परियोजना में निवेशित की। कंपनी ने वित्तीय समाप्त में देरी की उपेक्षा की और निर्माण के क्रियान्वयन को अनुमति दी तथा दोनों रियायतग्राही निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे।

उपरोक्त दोनों परियोजनाओं में, रियायतग्राहियों के द्वारा नियुक्त ई.पी.सी. ठेकेदारों के कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी तथा क्रमशः 12.95 प्रतिशत तथा 56 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने वित्तीय तंगी का हवाला देते हुए कार्य रोक दिया।

फलस्वरूप, रियायत अनुबंधों को क्रमशः जनवरी 2016 तथा नवम्बर 2016 में समाप्त कर दिया गया। शेष कार्य (क्रमशः 87.05 प्रतिशत तथा 44 प्रतिशत) बी.ओ.टी. माध्यम के स्थान पर ई.पी.सी. माध्यम पर ₹ 97.67 करोड़<sup>40</sup> से बढ़ी हुई परियोजना लागत पर आवंटित किये गए।

कंपनी ने बताया (सितम्बर 2019) कि रियायत अनुबंध में एस.पी.वी. की प्रदत्त पूँजी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी के पास रियायतग्राही के ऋणदाताओं के साथ निष्पादित किये गए सामान्य ऋण अनुबंध की प्रति थी, जिसमें ऋण—इकिवटी अनुपात को एक निर्धारित सीमा के भीतर रखने के बारे में विशेष रूप से दिया था, जिसकी निगरानी करने में कंपनी असमर्थ रही तथा इस कारण, परियोजनाओं के वित्तीय हितों की रक्षा नहीं हो सकी।

<sup>37</sup> इलाहाबाद बैंक के साथ सामान्य ऋण अनुबंध के वाक्य—3.2 के अनुसार, ऋण इकिवटी का अनुपात 2.25: 1 से अधिक नहीं होना था, अर्थात् इकिवटी 30 प्रतिशत होनी चाहिए (कुल परियोजना लागत ₹ 194.81 करोड़—वी.जी.एफ ₹ 24.55 करोड़) = ₹ 51.08 करोड़।

<sup>38</sup> पंजाब नेशनल बैंक के साथ सामान्य ऋण अनुबंध के वाक्य—13.1 के अनुसार, ऋण इकिवटी का अनुपात 1.50: 1 से अधिक नहीं होना था, अर्थात् इकिवटी 40 प्रतिशत होनी चाहिए (कुल परियोजना लागत ₹ 211.60 करोड़—वी.जी.एफ ₹ 30.51 करोड़) = ₹ 72.44 करोड़।

<sup>39</sup> लेखापरीक्षा द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट से एस.पी.वी. के मास्टर डेटा से सत्यापित।

<sup>40</sup> ₹ 328.55 करोड़ से ₹ 426.22 करोड़।

## उच्चतर एन्युटी पर कार्य का आवंटन

**4.1.13** राज्य स्तरीय सशक्त समिति (एस.एल.इ.सी.) ने इसकी पांचवीं बैठक (अप्रैल 2011), बी.ओ.टी. सङ्क परियोजनाओं का एन्युटी तथा टोल+एन्युटी आधार पर अनुमोदन करते समय, निर्देश दिया था कि सालाना एन्युटी की राशि परियोजना लागत के 16 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एस.एल.इ.सी. की सातवीं बैठक (जुलाई 2011), के दौरान, बी.ओ.टी. सङ्क परियोजनाओं का एन्युटी तथा टोल+एन्युटी आधार पर अनुमोदन करते समय, संस्थागत वित्त संचालनालय, म.प्र.शा. ने प्रतिवर्ष एन्युटी भुगतान को विभाग के योजना व्यय के 25 प्रतिशत के भीतर बनाए रखने के लिये, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि परियोजनाओं को उनकी परियोजना लागत के 18 प्रतिशत से कम सालाना एन्युटी पर ही कार्य आवंटित किये जाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 12<sup>41</sup> पूर्ण एन्युटी/ टोल+एन्युटी सङ्क परियोजनाओं में से चार<sup>42</sup> में, कंपनी की निविदा समिति<sup>43</sup> ने नियत 18 प्रतिशत की सीमा से अधिक (परियोजना लागत की 19.50 प्रतिशत से 20.40 प्रतिशत) की परियोजनाएँ स्वीकृत (निविदा के दौरान प्राप्त एन्युटी प्रस्तावों के आधार पर) की। इन परियोजनाओं की सालाना एन्युटी प्रतिबद्धता ₹ 61.28 करोड़ थी, जो कि परियोजना लागत की 18 प्रतिशत की सीमा से ₹ 5.35 करोड़ अधिक थी। इसके अलावा, इन परियोजनाओं के 13 वर्षों की भावी एन्युटी के वर्तमान मूल्य का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि उनका वर्तमान मूल्य उनकी परियोजना लागत से 26.79 प्रतिशत से लेकर 32.68 प्रतिशत तक अधिक था। अतः, 18 प्रतिशत की सीमा का पालन न करने के कारण, 13 वर्षों की रियायत अवधि के दौरान ₹ 69.55 करोड़<sup>44</sup> का अधिक एन्युटी दायित्व का सृजन हुआ।

इसीप्रकार, सागर-3 और सागर-एस.एच.-2 परियोजनाओं के विषय में, एस.एल.इ.सी. ने (जुलाई 2011 तथा फरवरी 2013) क्रमशः ₹ 8.13 करोड़ और ₹ 30.70 करोड़ की सालाना एन्युटी अनुमोदित की थी। यहाँ भी लेखापरीक्षा ने पाया कि, परियोजनाएँ क्रमशः ₹ 10.92 करोड़ और ₹ 35.52 करोड़ की अधिक सालाना एन्युटी के साथ आवंटित की गयी, जिस कारण 13 वर्षों की रियायत अवधि के दौरान ₹ 98.93 करोड़<sup>45</sup> का अधिक एन्युटी दायित्व का सृजन हुआ।

कंपनी ने बताया (सितम्बर 2019) कि बी.ओ.टी. एन्युटी परियोजनाओं में, एन्युटी, रियायतग्राही के चयन के लिये बोली का मापदंड होती है तथा प्राप्त हुई बोलियाँ प्रतिस्पर्धात्मक, तर्कसंगत तथा निविदा समिति द्वारा अनुमोदित थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने स्वीकृत सीमा से अधिक एन्युटी बोलियों को स्वीकार करने के लिये एस.एल.इ.सी. से संपर्क नहीं किया था।

**अनुशंसा:** कंपनी को रियायतग्राहियों तथा ई.पी.सी. ठेकेदारों के चयन के लिये योग्यता मानदंड का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

<sup>41</sup> 16 पूर्ण बी.ओ.टी. सङ्क परियोजनाओं में से 12 परियोजनाएँ एन्युटी तथा टोल+एन्युटी माध्यम पर थीं और शेष चार परियोजनाएँ टोल माध्यम पर थीं।

<sup>42</sup> भोपाल-1, इंदौर-3, इंदौर-5 और ग्वालियर-एस.एच.-1।

<sup>43</sup> कंपनी की निविदा समिति का अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है और इसके सदस्य प्रमुख सचिव (वित्त), प्रमुख सचिव (म.प्र.लो.नि.वि.) और कंपनी के प्रबंध निदशक होते हैं।

<sup>44</sup> ₹ 5.35 करोड़ सालाना एन्युटी x 13 वर्ष।

<sup>45</sup> सागर-3 परियोजना – ₹ 2.79 करोड़ x 13 वर्ष और सागर-एस.एच.-2 परियोजना – ₹ 4.82 करोड़ x 13 वर्ष।

## परियोजना प्रबंधन

**4.1.14** निष्पादन लेखापरीक्षा का तीसरा उद्देश्य यह मूल्यांकन करने के लिए था कि क्या रियायतग्राहियों द्वारा निर्माण कार्य का क्रियान्वयन मितव्ययी रूप से और प्रभावी ढंग से किया गया था।

बी.ओ.टी. परियोजनाओं की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वन विभाग की मंजूरी प्राप्त करने में और राईट ऑफ़ वे देने में कम्पनी द्वारा विलम्ब किया गया। निष्पादन सुरक्षा निधि के परिच्छेद का परिचालन दोषपूर्ण था। रियायतग्राहियों द्वारा परियोजना के लक्ष्य हासिल करने में और वित्तीय समापन हासिल करने में देरी की गयी, जिसके लिए कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि को समय पर वसूल नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त दोषपूर्ण शीघ्र पूर्णता बोनस भुगतान, वी.जी.एफ. का अनियमित जारी करना एवं कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिए परिहार्य भुगतान, उपयोगकर्ता शुल्क का अधिक संग्रहण, अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमिततायें, एवं सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव पर परिहार्य खर्च, इत्यादि अनियमिततायें भी देखी गयी। निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

### रियायतग्राहियों द्वारा परियोजना के लक्ष्य प्राप्ति में विलंब

**4.1.15** रियायत अनुबंध में परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए 730 दिनों की समय अवधि प्रदान की गई थी। यदि रियायतग्राही लक्ष्य को प्राप्त करने की निर्धारित तिथि से 90 दिनों के भीतर किसी भी निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो वह कंपनी को लक्ष्य हासिल करने में हुई प्रत्येक दिन की देरी के लिए निष्पादन सुरक्षा निधि की राशि का 0.10 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करेगा। इसके अलावा, रियायत अनुबंध के परिच्छेद-31.3.1 के अनुसार, कंपनी को देय सभी भुगतान और क्षतिपूर्ति राशि देय महीने में एस्क्रो खाते से वसूली योग्य थी।

12 समाप्त बी.ओ.टी. सड़क परियोजनाओं में से नौ<sup>46</sup> (75 प्रतिशत परियोजनाओं) के मामले में लक्ष्य प्राप्त करने में दो महीने (ग्वालियर-9) से लेकर 34 महीने (एस.एच.-54) तक देरी हुई। इसी तरह, 16 पूर्ण बी.ओ.टी. सड़क परियोजनाओं में से तीन<sup>47</sup> (18.75 प्रतिशत परियोजनाओं) के मामले में भी लक्ष्य प्राप्त करने में तीन महीने (इंदौर-एस.एच.-1) से लेकर 52 महीने (सागर-3) तक की देरी थी। **परिशिष्ट-4.6** में विवरण प्रस्तुत हैं। सात<sup>48</sup> परियोजनाओं के मामले में रियायतग्राहियों द्वारा काम को रोकने/ धीमी प्रगति के कारण मुख्य रूप से विलम्ब हुआ (कंडिका 4.1.12), इसके अलावा पांच<sup>49</sup> परियोजनाओं के मामले में कंपनी द्वारा राईट ऑफ़ वे और वन मंजूरी प्रदान करने में एक वर्ष से चार वर्ष छः माह तक के विलम्ब हुआ (कंडिका 4.1.20)।

इसलिए, सात परियोजनाओं में, राईट ऑफ वे/ वन मंजूरी होने और बी.ओ.टी. माध्यम पर कार्य करने के बावजूद, रियायतग्राहियों द्वारा लक्ष्य देर से हासिल किये गए और बी.ओ.टी.पर कार्य कराने का उद्देश्य विफल हुआ। इसलिए, उपरोक्त सात परियोजनाओं के रियायतग्राहियों से उनकी चूक के लिए ₹ 53.84 करोड़ की क्षतिपूर्ति वसूली योग्य थी। तथापि, कंपनी ने लक्ष्य हासिल करने में देरी के लिए क्षतिपूर्ति की न तो मांग की और न ही वसूली की। इसके परिणामस्वरूप इन सात रियायतग्राहियों को

<sup>46</sup> छिंदवाड़ा-एम.डी.आर., जबलपुर-6, ग्वालियर-8, ग्वालियर-एस.एच.-2, एस.एच.-54, रीवा-एन.एच.-75 (2), ग्वालियर-9, रीवा-एन.एच.-75 (1) और इंदौर-एस.एच.-36।

<sup>47</sup> रीवा-एस.एच.-4, सागर-3 और इंदौर-एस.एच.-1।

<sup>48</sup> छिंदवाड़ा-एम.डी.आर., जबलपुर-6, ग्वालियर-8, ग्वालियर-एस.एच.-2, एस.एच.-54, इंदौर-एस.एच.-36 और सागर-3।

<sup>49</sup> रीवा-एन.एच.-75 (2), ग्वालियर-9, रीवा-एन.एच.-75 (1), रीवा-एस.एच.-4 और इंदौर-एस.एच.-1।

₹ 53.84 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ। बकाया राशि की वसूली के लिए कंपनी ने उपरोक्त रियायतग्राहियों के एस्क्रो खातों की भी निगरानी नहीं की, जैसा कि कंडिका 4.1.26 में चर्चा की गई है।

कंपनी ने बताया (सितंबर 2019) कि परियोजनाओं को समाप्त कर दिया गया है और परियोजना के लक्ष्य को प्राप्त करने में देरी के लिए क्षतिपूर्ति राशि को निष्पादन सुरक्षा निधि का नगदीकरण कर समायोजित किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समाप्ति आदेश में केवल समाप्ति के कारणों का उल्लेख किया गया था, वो भी वसूली योग्य क्षतिपूर्ति राशि के लेखांकन के बिना। इसके अलावा, कंपनी ने कभी भी रियायतग्राहियों से परियोजना के लक्ष्य हासिल करने में देरी के लिए क्षतिपूर्ति राशि की मांग नहीं की थी।

### **वी.जी.एफ. के भुगतान जारी करने में अनियमिततायें**

**4.1.16** भारत सरकार ने पी.पी.पी. परियोजनाओं की वित्तीय सहायता के लिए एक योजना अधिसूचित की (जनवरी 2006)। इस योजना के तहत परियोजना को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से पी.पी.पी. अधोसंरचना परियोजनाओं को सहायता देने के लिए भारत सरकार द्वारा पूँजीगत अनुदान<sup>50</sup> के रूप में व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वी.जी.एफ.) प्रदान किया जाना था।

रियायत अनुबंध के परिच्छेद-25 के अनुसार, रियायतग्राही अपना अंश निवेश करने के बाद ही वी.जी.एफ. के लिए पात्र हो जाता है। यह कंपनी की सिफारिश पर भारत सरकार / म.प्र.शा. द्वारा वित्तपोषण समझौतों के तहत ऋणदाताओं द्वारा वितरित ऋण के अनुपात में वितरित किया जाना था। मॉडल रियायत अनुबंध (एम.सी.ए.) की अनुसूची-जी में निर्दिष्ट किया गया है कि वित्तीय प्रगति / व्यय में किसी तरह का अग्रिम एवं प्लांट और मशीनरी की खरीद पर व्यय (परिच्छेद-3.2) शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान आठ वी.जी.एफ. परियोजनाओं में से तीन के मामले में वी.जी.एफ. के भुगतान में निम्न अनियमिततायें देखी गयी:

- एस.एच.-54 परियोजना के मामले में, कुल ₹ 130 करोड़ के ऋण में से, रियायतग्राही ने संयंत्र और मशीनरी के क्रय के लिए ₹ 40 करोड़ का उपयोग किया और कंपनी ने भारत सरकार को ₹ 14.98 करोड़ (कुल वी.जी.एफ. राशि ₹ 30.50 करोड़ थी) की पहली किश्त की राशि जारी करने के लिए सिफारिश (मई 2016) की। तदनुसार, आर्थिक मामलों के विभाग (डी.ई.ए.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने रियायतग्राही को ₹ 14.98 करोड़ के वी.जी.एफ. की पहली किस्त जारी (जून 2016) की। चूंकि प्लांट और मशीनरी की खरीद परियोजना लागत का हिस्सा नहीं थी और रियायतग्राही द्वारा लगाये गए ₹ 1.17 करोड़ की जिम्मेदारी थी, इसलिए रियायतग्राही ₹ 4.61 करोड़<sup>51</sup> के आनुपातिक वी.जी.एफ. के लिए पात्र नहीं था।
- इंदौर-एस.एच.-1 परियोजना के मामले में, रियायतग्राही ने अग्रिम की राशि को परियोजना के व्यय में शामिल किया (₹ 1.17 करोड़ से ₹ 25.16 करोड़ के बीच में) और कंपनी ने भी उसे व्यय मानकर, समय से पहले ₹ 12.39 करोड़ की वी.जी.एफ. राशि जारी करने की अनुशंसा की। परियोजना के पूरा होने के बाद भी, ₹ 1.17 करोड़

<sup>50</sup> पूँजीगत समिक्षा के लिए सबसे कम बोली के बराबर एक मुश्त या विलंबित अनुदान, लेकिन कुल परियोजना लागत का अधिकतम 20 प्रतिशत।

<sup>51</sup> संवितरित वी.जी.एफ.: ₹ 14.98 करोड़ x संयंत्र और मशीनरी की लागत: ₹ 40 करोड़ / कुल ऋण राशि: ₹ 130 करोड़ = ₹ 4.61 करोड़।

की राशि ई.पी.सी. ठेकेदार के पास असमायोजित पड़ी थी। इस प्रकार, ₹ 37.66 लाख<sup>52</sup> की वी.जी.एफ. देय नहीं थी।

- रीवा—एस.एच.—4 परियोजना के मामले में, रियायतग्राही ने ₹ 40.56 करोड़ के अपेक्षित निवेश के विरुद्ध ₹ 8.12 करोड़ की इकिवटी पूँजी का निवेश किया था। इसके बावजूद, कंपनी ने रियायतग्राही को ₹ 34.68 करोड़ के वी.जी.एफ. के भुगतान के लिए भारत सरकार से सिफारिश की, जिसे बाद में भारत सरकार द्वारा भुगतान किया गया। ₹ 34.68 करोड़ की संपूर्ण वी.जी.एफ. की यह राशि अनियमित थी, क्योंकि रियायतग्राही ने परियोजना में अपनी पूरी इकिवटी व्यय नहीं की थी।

कंपनी ने बताया (सितंबर 2019) कि वी.जी.एफ. का भुगतान, मुख्य वित्तीय संरक्षा और रियायतग्राही के सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा प्रमाणित संवितरित ऋण के अनुपात में किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अंश के पूर्ण निवेश होने के बाद ही वी.जी.एफ. रियायतग्राही को देय थी। इसके अलावा, एम.सी.ए. में भी निर्दिष्ट किया था कि वी.जी.एफ. की गणना के लिए वित्तीय प्रगति में किसी भी प्रकार के अग्रिम को समिलित नहीं किया जाना चाहिए, जिसका कंपनी की इस कार्रवाई से उल्लंघन हुआ।

### **समय पूर्व कार्य पूरा होने पर बोनस का भुगतान**

**4.1.17** निष्पादित रियायत अनुबंध<sup>53</sup> के अनुसार, यदि रियायतग्राही निर्धारित तिथि से पहले अनन्तिम समापन प्राप्त करता है, तो वह शीघ्र पूर्णता बोनस राशि<sup>54</sup> प्राप्त करने का हकदार होगा। कंपनी ने बी.ओ.टी. प्रणाली के तहत सङ्कों के विकास के लिए सभी परियोजनाओं में नियुक्ति तिथि से 730 दिनों के निर्धारित पूर्णता समय के साथ रियायत अनुबंध किये। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियाँ देखी गयीः

यद्यपि कंपनी द्वारा एस.एल.इ.सी. को 730 दिनों की निर्धारित पूर्णता अवधि का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे म.प्र.शा. द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन पूर्णता अवधि निर्धारित करने के आधार अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, बंकलफाटा—डोगावा और अशोक नगर—विदिशा सङ्कों के मामले में, परामर्शदाताओं ने क्रमशः 365 दिन और 550 दिनों की निर्माण अवधि की सिफारिश की थी, लेकिन कंपनी ने, 730 दिनों के नियत कार्य पूर्णता अवधि को अपनाया।

कंपनी द्वारा एन्युटी और टोल + एन्युटी माध्यम पर दी गई 12 परियोजनाओं में से, चयनित रियायतग्राहियों ने 550 दिनों से पहले छः परियोजनाओं (369.61 किलोमीटर) और 550 दिनों और 730 दिनों के बीच पांच परियोजनाओं (321.28 किलोमीटर) को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया।

कंपनी ने 12 परियोजनाओं में से इन 11<sup>55</sup> परियोजनाओं के रियायतग्राहियों को ₹ 137.98 करोड़ के शीघ्र समापन बोनस राशि का भुगतान किया। प्रसंगवश, यदि कंपनी, बी.ओ.टी. सङ्क परियोजना के निर्माण के लिए एम.सी.ए. की रूपरेखा के विहंगावलोकन में निर्दिष्ट, बी.ओ.

<sup>52</sup> ₹ 45.11 करोड़ वी.जी.एफ. राशि x ₹ 1.17 करोड़ बकाया माइलस्टोन अग्रिम/₹ 140.16 करोड़ निवेश के रूप में दिखाई गई ऋण राशि।

<sup>53</sup> एन्युटी और टोल + एन्युटी सङ्क परियोजनाओं के मामले में।

<sup>54</sup> शीघ्र पूर्णता बोनस राशि, औसत दैनिक एन्युटी और निर्धारित कार्य पूर्णता तिथि (नियुक्ति तिथि से 730 दिन) से पहले कार्यपूर्णता के दिनों की संख्या का गुणनफल होगी।

<sup>55</sup> 550 दिनों के भीतर: इंदौर-2, इंदौर-3, उज्जैन—एस.एच.-3, सागर-1, सागर—एस.एच.-2 और ग्वालियर-2।

550 दिनों और 730 दिनों के बीच: भोपाल-1, नर्मदापुरम—एस.एच.-1, इंदौर-5, ग्वालियर—एस.एच.-1 और उज्जैन—एस.एच.-2।

टी. परियोजना की नियुक्ति तिथि<sup>56</sup> से 550 दिनों की निर्धारित कार्य पूर्णता अवधि अपनाती, तो उपरोक्त 11 परियोजनाओं के लिए शीघ्र पूर्णता बोनस राशि केवल ₹ 47.18 करोड़ होती।

कंपनी ने बताया (सितंबर 2019) कि व्यवहार्यता प्रतिवेदन निर्देशात्मक हैं एवं मुख्य रूप से बोली लगाने के उद्देश्य से बनाया जाता है और कार्य पूर्णता अवधि को कंपनी द्वारा कार्यस्थल पर कार्य की मात्रा<sup>57</sup> के अनुसार निर्धारित किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परामर्शदाता ने कार्यस्थल पर कार्य की मात्रा पर विचार करने के बाद ही परियोजना के पूरा होने की अवधि की सिफारिश की थी। इसके अलावा, यद्यपि प्रमुख पुलों<sup>58</sup>, लघु पुलों<sup>59</sup> और सड़कों के चौड़ीकरण/ नए निर्माण<sup>60</sup> के संदर्भ में उपरोक्त बी.ओ.टी. परियोजनाओं में शामिल कार्य की मात्रा में व्यापक भिन्नता थी, कंपनी ने कार्यस्थल पर कार्य की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए, उपरोक्त सभी परियोजनाओं के संबंध में परियोजना पूर्णवधि को समान रूप से 730 दिनों के लिए निर्धारित किया।

- ई.पी.सी. और नियमित अनुबंध (एशियन डेवलपमेंट बैंक)<sup>61</sup> में, शीघ्र पूर्णता बोनस राशि के लिए क्रमशः परियोजना लागत का तीन और पांच प्रतिशत की अधिकतम सीमा होती है, जबकि बी.ओ.टी. परियोजनाओं के मामलों में ऐसी कोई सीमा तय नहीं की गई थी। आठ<sup>62</sup> बी.ओ.टी. परियोजनाओं के मामलों में, शीघ्र पूर्णता बोनस राशि पाँच प्रतिशत से अधिक थी, जिसकी सीमा परियोजना लागत के 6.33 प्रतिशत (भोपाल-1) से 26.50 प्रतिशत (इंदौर-3) तक थी। इसलिए, बी.ओ.टी.परियोजनाओं के मामले में शीघ्र पूर्णता बोनस राशि की अधिकतम सीमा तय नहीं करने से, कंपनी ने 12 बी.ओ.टी. परियोजनाओं में से आठ के मामले में ₹ 77.84 करोड़ के शीघ्र पूर्णता बोनस राशि का भुगतान किया, जिसे टाला जा सकता था।

कंपनी ने स्वीकार किया (सितंबर 2019) कि नकद अनुबंध जैसे ए.डी.बी. वित्त पोषित परियोजनाओं, ई.पी.सी. परियोजनाओं और अन्य बजटीय परियोजनाओं के विपरीत बी.ओ.टी. परियोजनाओं के मामले में कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

- एम.सी.ए. के परिच्छेद-14.3 के अनुसार, यदि परियोजना हाईवे को सुरक्षित और भरोसेमंद रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है तो कुछ काम अधूरे रहने पर भी, स्वतंत्र अभियंता द्वारा अनंतिम समापन का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। तथापि, पांच<sup>63</sup> परियोजनाओं के मामले में, कंपनी द्वारा सड़कों के आवश्यक घटकों के निर्माण को सुनिश्चित किए बिना एवं पूर्ण सड़क के निर्माण हुए बिना, ₹ 75.18 करोड़ शीघ्र पूर्णता बोनस राशि का भुगतान किया गया था, जिससे रियायतग्राहियों को अनुचित लाभ हुआ और परियोजनाओं के मितव्ययी निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परियोजनाओं का विवरण तालिका 4.1.5 में दर्शाया गया है:

<sup>56</sup> वह तिथि जिस पर वित्तीय समापन प्राप्त किया जाता है या पहले की तारीख जिसे दोनों पक्ष आपसी सहमति से निर्धारित कर सकते हैं, और इसे रियायत अवधि के प्रारंभ होने की तिथि माना जाएगा। नियुक्ति तिथि से पहले प्रत्येक निर्दिष्ट शर्त को पूर्ण या माफ कर दिया जाना चाहिए।

<sup>57</sup> प्रमुख पुल, लघु पुल, पुलिया, आदि।

<sup>58</sup> ग्वालियर-एस.एच.-1 के मामले में निरंक और इंदौर-2 के मामले में चार।

<sup>59</sup> ग्वालियर-एस.एच.-1 के मामले में एक और भोपाल-1 के मामले में 21।

<sup>60</sup> ग्वालियर-एस.एच.-1 8.93 किलोमीटर और नर्मदापुरम-एस.एच.-1 124.10 किलोमीटर।

<sup>61</sup> मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड, एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नियमित अनुबंध माध्यम पर भी सड़क परियोजनाओं को कार्यान्वित करता है।

<sup>62</sup> इंदौर-2, इंदौर-3, भोपाल-1, उज्जैन-एस.एच.-3, नर्मदापुरम-एस.एच.-1, सागर-1, सागर-एस.एच.-2 और ग्वालियर-2।

<sup>63</sup> भोपाल-1, सागर-1, सागर-एस.एच.-2, उज्जैन-एस.एच.-2 और नर्मदापुरम-एस.एच.-1।

### तालिका 4.1.5: सड़कों के आवश्यक घटकों का निर्माण सुनिश्चित किए बिना बोनस का भुगतान

सड़क परियोजना	लेखापरीक्षा आपत्ति
भोपाल-1	कंपनी ने प्रमुख पुल के लंबित निर्माण कार्य की वास्तविक पूर्णता सुनिश्चित किए बिना, रियायतग्राही को ₹ 5.21 करोड़ के शीघ्र पूर्णता बोनस राशि का भुगतान किया (अक्टूबर 2014)।
सागर-1	कंपनी ने 1.6 किलोमीटर <sup>64</sup> लंबाई के रोड के लंबित निर्माण कार्य के वास्तविक समापन को सुनिश्चित किए बिना, रियायतग्राही को ₹ 14.31 करोड़ की शीघ्र पूर्णता बोनस राशि दी (मई 2014)। यह परियोजना 26 नवंबर 2015 को 440 दिनों की देरी के साथ पूरी हुई।
सागर-एस.एच.-2	कंपनी ने 21.950 किलोमीटर की लम्बाई में लंबित सिविल कार्यों की वास्तविक पूर्णता सुनिश्चित किए बिना, रियायतग्राही को ₹ 26.71 करोड़ की शीघ्र पूर्णता बोनस राशि का भुगतान किया (मार्च 2016)।
उज्जैन-एस.एच.-2	लघु पुल (चैनेज 26+400 किलोमीटर) पर संरक्षण कार्य लंबित होते हुए भी अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था (जून 2015)। परिणामस्वरूप, 15 जुलाई 2015 को मौके पर एक घातक दुर्घटना हुई। उस के बावजूद, कंपनी ने रियायतग्राही को ₹ 4.36 करोड़ के शीघ्र पूर्णता बोनस राशि का भुगतान किया (जनवरी 2016)।
नर्मदापुरम-एस.एच.-1	नर्मदापुरम-एस.एच.-1 परियोजना में 21.500 किलोमीटर सड़क का कार्य लंबित होते हुए भी अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया (नवंबर 2015) और कंपनी ने रियायतग्राही को ₹ 24.59 करोड़ के शीघ्र पूर्णता बोनस राशि का भुगतान किया (दिसंबर 2015)।

- रियायत अनुबंध के परिच्छेद-12.4 के अनुसार, रियायतग्राही को नियुक्ति तिथि पर / उसके बाद परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करना था। सागर-1 और सागर-एस.एच.-2 परियोजनाओं के मामले में, रियायतग्राहियों ने नियुक्ति तिथि से 21 दिन पहले काम शुरू कर दिया। तथापि, कंपनी ने उपरोक्त परियोजनाओं के रियायतग्राहियों को कार्य शुरू करने की वास्तविक तिथि के अनुसार नियुक्ति तिथि को फिर से तय किए बिना ₹ 41.02 करोड़ के शीघ्र पूर्णता बोनस का भुगतान किया। विवरण तालिका 4.1.6 में दर्शाया गया है:

### तालिका 4.1.6 नियुक्ति तिथि पुनः तय करे बिना बोनस का भुगतान

सड़क परियोजना	लेखापरीक्षा आपत्ति
सागर-1	रियायतग्राही को राईट ऑफ वे 10 अप्रैल 2012 को प्रदान किया गया और रियायतग्राही ने 12 सितंबर 2012 को 103 दिनों की देरी के साथ वित्तीय समापन प्राप्त किया, जिसे नियुक्ति तिथि घोषित किया गया। यह देखा गया कि रियायतग्राही ने नियुक्ति तिथि से पहले काम शुरू कर दिया था और 18 सितंबर 2012 तक पूरी लंबाई में ग्रेन्यूलर सबबेस का काम पूरा कर लिया था। तथापि, कंपनी ने कार्य शुरू करने की वास्तविक तिथि के अनुसार, नियुक्ति तिथि को फिर से तय किए बिना रियायतग्राही को ₹ 14.31 करोड़ का शीघ्र पूर्णता बोनस का भुगतान किया।
सागर-एस.एच.-2	रियायतग्राही ने 5 जून 2014 को 187 दिनों की देरी के साथ वित्तीय समापन हासिल किया, जिसे नियुक्ति तिथि घोषित किया गया था। यह देखा गया कि नियत तिथि से 21 दिन पहले रियायतग्राही ने काम शुरू कर दिया था। तथापि, कंपनी ने काम शुरू करने की वास्तविक तिथि के अनुसार नियुक्ति तिथि को फिर से तय किए बिना, रियायतग्राही को ₹ 26.71 करोड़ के शीघ्र पूर्णता बोनस का भुगतान किया है।

- आठ<sup>65</sup> परियोजनाओं के मामले में, रियायतग्राहियों ने 25 दिनों से 187 दिनों की देरी में वित्तीय समापन को प्राप्त किया और तदनुसार नियुक्ति तिथि की घोषणा में भी देरी हुई। तथापि, उपरोक्त आठ<sup>66</sup> परियोजनाएँ रियायतग्राहियों द्वारा तय पूर्णता तिथि से पांच दिन से 500 दिन पहले पूरी की गई थीं, जिसके लिए कंपनी ने शीघ्र पूर्णता बोनस का भुगतान किया। चूंकि, समय पर वित्तीय समापन प्राप्त नहीं करने के कारण परियोजनाओं में पहले ही देरी हो गई थी, बोनस का भुगतान करने का उद्देश्य जो कि

<sup>64</sup> चैनेज क्र. 16+900 से 17+000 (100 मीटर), 36+800 से 37+200 (400 मीटर), 38+200 से 38+700 (500 मीटर) और 40+800 से 41+400 (600 मीटर)।

<sup>65</sup> भोपाल-1 (25 दिन), सागर-1 (103 दिन), सागर-एस.एच.-2 (187 दिन), नर्मदापुरम-एस.एच.-1 (143 दिन), इंदौर-5 (146 दिन), ग्वालियर-एस.एच.-1 (90 दिन), इंदौर-3 (69 दिन) और ग्वालियर-2 (81 दिन)।

<sup>66</sup> भोपाल-1 (118 दिन), सागर-1 (318 दिन), सागर-एस.एच.-2 (202 दिन), नर्मदापुरम-एस.एच.-1 (182 दिन), इंदौर-5 (50 दिन), ग्वालियर-एस.एच.-1 (5 दिन), इंदौर-3 (500 दिन) और ग्वालियर-2 (470 दिन)।

जनता को उन्नत सड़कों की सुविधा शीघ्र प्रदान करने का था, उस सीमा तक विफल हुआ था।

### रियायतग्राहियों को कार्यक्षेत्र परिवर्तन के लिए किए गए भुगतान में अनियमिततायें

**4.1.18** दिशानिर्देशों<sup>67</sup> के अनुसार, बी.ओ.टी. परियोजनाओं के मामले में, निर्माण चरण के दौरान के जोखिम, यानी डिजाइन जोखिम<sup>68</sup> और निर्माण जोखिम<sup>69</sup>, निजी क्षेत्र द्वारा वहन किये जाते हैं। इसके अलावा, रियायत अनुबंध<sup>70</sup> के अनुसार, दिए गए परियोजना राजमार्ग के विभिन्न अवयवों का विवरण उस परियोजना के लिए न्यूनतम होता है। रियायतग्राही को अपनी स्वयं की लागत और व्यय पर परियोजना राजमार्ग के लिये वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था और डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण, संचालन और संधारण करना था। रियायत अनुबंध की अनुसूची-ए परियोजना राजमार्ग के मौजूदा अवयवों का वर्णन करता है और अनुसूची-बी बी.ओ.टी. सड़क परियोजनाओं के कार्यों के निष्पादन के लिए विस्तृत दायरे का वर्णन करता है। इस संबंध में, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियों को देखा गया:

- 16 पूर्ण परियोजनाओं में से 11<sup>71</sup> के मामले में, कंपनी ने सड़कों के कार्य (₹ 4.60 करोड़) और संरचनाओं (₹ 20.13 करोड़) के मदों में वृद्धि के लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के मद में ₹ 24.73 करोड़ का भुगतान किया, जबकि इन कार्यों की मदें पहले से ही रियायत अनुबंधों में शामिल कार्यों के विस्तृत दायरे में शामिल थी, जिनके लिए डिजाइन और निर्माण जोखिम रियायतग्राहियों को वहन करना था। इसलिए, रियायतग्राहियों को कार्य के डिजाइन या विशिष्टियों में परिवर्तन के लिए ₹ 24.73 करोड़ का भुगतान अस्वीकार्य था।
- रियायत अनुबंधों में शामिल कार्यों के विस्तृत दायरे के अनुसार, रियायत अवधि के दौरान नई अतिरिक्त संरचनाओं का निर्माण करना रियायतग्राही की जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए कंपनी द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं थी। तथापि, 16 पूर्ण परियोजनाओं में से पांच<sup>72</sup> पूर्ण परियोजनाओं के मामले में, कंपनी ने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की मद के अंतर्गत ₹ 8.05 करोड़ का भुगतान उन मदों के लिए किया जो कि रियायत अनुबंधों की अनुसूची में सम्मिलित नहीं थे। इसमें से, ₹ 7.47 करोड़ का भुगतान रियायतग्राहियों को सड़कों की संरचनाओं के लिए किया। इसमें उज्जैन-एस.एच.-2<sup>73</sup> और सागर-एस.एच.-2<sup>74</sup> परियोजनाओं पर ₹ 3.30 करोड़ के लघु पुलों का निर्माण शामिल था। इससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी 10 मीटर तक की लंबाई वाले पुलों के निर्माण की आवश्यकता को पहचानने में विफल रही और इन्हें रियायत अनुबंधों की अनुसूची में सम्मिलित नहीं कर सकी।

<sup>67</sup> पी.पी.पी. सेल, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी किया गया।

<sup>68</sup> ऐसा जोखिम जो परियोजना की अवधि के दौरान प्रयुक्त तकनीक का अप्रत्याशित रूप से अनुपयोगी होने और उत्पादन के मापदंड की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होने के कारण होता है। इससे प्रतिश्पापन प्रौद्योगिकी की लागत में वृद्धि होगी।

<sup>69</sup> ऐसा जोखिम जिसमें परियोजना के लिए आवश्यक परिसंपत्तियों का निर्माण निर्धारित समय, बजट या मापदंड पर पूरा नहीं किया जाएगा। इससे अतिरिक्त कच्चे माल और श्रम लागत, मौजूदा बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की लागत में वृद्धि या सवा के प्रावधान में देरी के कारण एक अस्थायी वैकल्पिक समाधान प्रदान कर सकता है।

<sup>70</sup> रियायत अनुबंध के शेड्युल-बी के परिशेष्ट-1।

<sup>71</sup> ग्वालियर-2, सागर-एस.एच.-2, इंदौर-5, ग्वालियर-एस.एच.-1, इंदौर-एस.एच.-1, इंदौर-1, इंदौर-2, सागर-1, उज्जैन-एस.एच.-2, उज्जैन-एस.एच.-3 और इंदौर-3। इंदौर-एस.एच.-1 परियोजना का वित्तीय प्रभाव अनुमानित था और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया।

<sup>72</sup> ग्वालियर-2, सागर-एस.एच.-2, ग्वालियर-एस.एच.-1, उज्जैन-एस.एच.-2 और उज्जैन-एस.एच.-3।

<sup>73</sup> 41.432 किलोमीटर पर: ₹ 1.05 करोड़, 36.750 किलोमीटर: ₹ 0.63 करोड़ और ₹ 0.53 करोड़।

<sup>74</sup> 9.69 किलोमीटर पर: ₹ 0.55 करोड़, 11.22 किलोमीटर: ₹ 0.54 करोड़।

कंपनी ने कहा (सितंबर 2019) कि रियायतग्राही को कार्यों के विस्तृत दायरे के अनुसार परियोजना को निष्पादित करना था और रियायत अनुबंध के परिच्छेद-16 के अनुसार, कार्य के दायरे में इससे किसी भी परिवर्तन के लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का भुगतान देय था। इसके अलावा, यह (नवंबर 2019) बताया गया कि एम.ओ.आर.टी.एच. ने भी तीन बी.ओ.टी. परियोजनाओं में रियायत अनुबंध में शामिल कार्य के विस्तृत दायरे से भिन्नता के लिए, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का भुगतान का अनुमोदन किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रियायतग्राहियों को कार्यों के विस्तृत दायरे के अनुसार डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण अपनी स्वयं की लागत पर करना होता है। रियायत अनुबंध के परिच्छेद-16 में यह भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि अतिरिक्त कार्य और सेवाएं, जो रियायत अनुबंध के अनुसार परियोजना के कार्य के दायरे में शामिल नहीं हैं, के लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का भुगतान देय था। इसके अलावा, रीवा—एम.पी./ यू.पी. सीमा की बी.ओ.टी. परियोजना के मामले में एम.ओ.आर.टी.एच. ने कंपनी के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के भुगतान के प्रस्ताव को इस दलील पर खारिज कर दिया कि वह मद पहले से ही रियायत अनुबंध के कार्य के विस्तृत दायरे में शामिल थे।

इसलिए, कार्यों के विस्तृत दायरे से कार्य के किसी भी परिवर्तन के लिए, कंपनी कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप परियोजना लागत से अधिक और ऊपर ₹ 24.73 करोड़ का भुगतान रियायतग्राहियों को किया।

- नर्मदापुरम—एस.एच.—1 (124 किलोमीटर) की व्यवहार्यता प्रतिवेदन (जून 2010) में 71.20 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण और 48.85 किलोमीटर सड़क में बेस कोर्स स्तर से पुनर्निर्माण का प्रावधान शामिल था क्योंकि मौजूदा 48.85 किलोमीटर सड़क पर्याप्त सड़क चौड़ाई के साथ अच्छी स्थिति में थी। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया था कि सड़क वन क्षेत्र से गुजर रही थी।

यह देखा गया कि वन क्षेत्र के तथ्य को ध्यान में न रखते हुए, कंपनी ने वन विभाग की मंजूरी के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुमोदन के लिए रियायत अनुबंध से पहले कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी, रियायत अनुबंध (मई 2011) में वन क्षेत्र के विवरण का उल्लेख नहीं किया और संपूर्ण सड़क की लंबाई के पुनर्निर्माण के लिए प्रावधान शामिल किये। तत्पश्चात, कंपनी के प्रस्ताव (नवंबर 2014) जो कि रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत किये गये थे, के आधार पर 19.653 हेक्टेयर भूमि के व्यपवर्तन के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति (अप्रैल 2015) दी गई। मार्च 2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर अक्टूबर 2017 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शेष 12.026 हेक्टेयर के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने केवल 4.68 किलोमीटर सड़क<sup>75</sup> को अच्छी माना और इसकी ग्रैन्युलर सब बेस (जी.एस.बी.) एवं सब ग्रेड की मौजूदा परतों को ऋणात्मक कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिये शामिल किया और शेष 48.85 किलोमीटर सड़क के जी.एस.बी. एवं सब ग्रेड को छोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप रियायतग्राही को ₹ 20.07 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ। इसके अलावा, कंपनी को ₹ 4.83 करोड़ के मूल्य के अतिरिक्त ढाँचों के कार्यों का खर्च वहन करना पड़ा, जो वन्यजीव विभाग की स्वीकृति की शर्तों का पालन करने के लिए आवश्यक थे। इसके परिणामस्वरूप इस राशि की परिहार्य देयता बढ़ी।

कंपनी ने बताया (मई 2019) कि अनुमति मिलने में देरी वन विभाग और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के कारण हुई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने समय पर

<sup>75</sup> 48.85 किलोमीटर की लम्बाई के अलावा।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा, यह बताया गया कि सभी बोली लगाने वाले प्रतिभागियों ने अपना प्रस्ताव डी.पी.आर. के अनुसार निर्धारित कार्यों के विस्तृत दायरे में निर्धारित न्यूनतम प्रावधानों के आधार पर दिया था। उत्तर, विद्यमान बेस स्तर तक के निर्माण को ऋणात्मक कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिये शामिल नहीं करने के कारणों की व्याख्या नहीं करता है।

- ग्वालियर—एस.एच.—1 परियोजना के रियायत अनुबंध की अनुसूची—सी के अनुसार, रियायतग्राही को एक टोल प्लाजा ( $\text{₹ } 0.97$  करोड़) और दो बस शेल्टर ( $\text{₹ } 0.04$  करोड़) का निर्माण करना था। तथापि, कंपनी (दिसंबर 2013) के अनुरोध के आधार पर, टोल प्लाजा का निर्माण नहीं किया गया था। सड़क के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पुष्टि की गई कि टोल प्लाजा और दो बस शेल्टर का निर्माण रियायतग्राही द्वारा नहीं किया गया था। उस के बावजूद, कंपनी ने  $\text{₹ } 1.01$  करोड़ की लागत को ऋणात्मक कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिये शामिल नहीं किया, जिसके कारण दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं थे।

कंपनी ने बताया (मई 2019) कि टोल प्लाजा एन्युटी परियोजनाओं के लिए लागू नहीं था, टोल प्लाजा को शामिल किए बिना वित्तीय विश्लेषण के आधार पर  $\text{₹ } 15.88$  करोड़ की परियोजना लागत पर विचार किया गया था। उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि टोल प्लाजा और बस शेल्टरों की लागत को  $\text{₹ } 15.88$  करोड़ की परियोजना लागत में सम्मिलित किया गया है।

### **निष्पादन सुरक्षा निधि जमा करने में और वित्तीय समापन प्राप्त करने में देरी**

**4.1.19 अ.** रियायत अनुबंध के अनुसार, रियायतग्राही को रियायत अनुबंध की तारीख से 180 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा निधि जमा करना थी (परिच्छेद—9.1)। निष्पादन सुरक्षा निधि जमा करने में देरी पर रियायतग्राही से क्षतिपूर्ति राशि<sup>76</sup> वसूल करना था (परिच्छेद—4.3)। कंपनी निष्पादन सुरक्षा निधि से नगदीकरण कर सकती थी एवं उसे नुकसान की भरपाई करने के लिए समायोजन कर सकती थी, परन्तु निष्पादन सुरक्षा निधि को उसके समायोजन के 30 दिन के अन्दर अपने मूल स्तर तक लाना था। रियायतग्राही द्वारा भुगतान में देरी के लिए ब्याज<sup>77</sup> लगाया जाना था (परिच्छेद—47.5)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 समाप्त बी.ओ.टी. सड़क परियोजनाओं में से नौ<sup>78</sup> और 16 पूर्ण बी.ओ.टी. सड़क परियोजनाओं में से दस<sup>79</sup> के संबंध में, रियायतग्राहियों ने निष्पादन सुरक्षा निधि सात दिनों (नर्मदापुरम—एस.एच.—1) से लेकर 797 दिनों (इंदौर—एस.एच.—36) तक की देरी के साथ प्रस्तुत की। इस कारण, इन 19 रियायतग्राहियों से  $\text{₹ } 44.81$  करोड़ की क्षति की राशि वसूली योग्य हुई। तथापि, कंपनी ने रियायत अनुबंध के परिच्छेद—9.2 के अनुसार क्षति पूर्ति की राशि की वसूली के लिए प्रयास नहीं किए हैं। परिणामस्वरूप, कंपनी छः रियायतग्राहियों से  $\text{₹ } 4.78$  करोड़ की क्षतिपूर्ति वसूल नहीं की जा सकी और शेष 13 रियायतग्राहियों से  $\text{₹ } 40.03$  करोड़ की क्षतिपूर्ति की वसूली भी नौ दिनों से 1,611 दिनों तक की देरी से की गयी। क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं होने/ विलंब से होने के कारण  $\text{₹ } 9.43$  करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

<sup>76</sup> प्रत्येक दिन के विलम्ब के लिए निष्पादन सुरक्षा निधि के 0.20 प्रतिशत की दर से परन्तु अधिकतम निष्पादन सुरक्षा निधि का 20 प्रतिशत।

<sup>77</sup> बैंक दर से 5 प्रतिशत अधिक के बराबर दर पर।

<sup>78</sup> ग्वालियर—9, ग्वालियर—एस.एच.—2, ग्वालियर—8, इंदौर—एस.एच.—36, जबलपुर—एन.एच.—12, जबलपुर—6, रीवा—एन.एच.—75(1), रीवा—एन.एच.—75(2) और सागर—एस.एच.—37।

<sup>79</sup> ग्वालियर—2, ग्वालियर—एस.एच.—1, इंदौर—1, इंदौर—5, इंदौर—एस.एच.—1, नर्मदापुरम—एस.एच.—1, सागर—1, सागर—3, सागर—एस.एच.—2 और उज्जैन—एस.एच.—3।

**ब.** मध्य प्रदेश में पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए जारी दिशानिर्देश<sup>80</sup> के परिच्छेद-15 में निर्दिष्ट किया है कि परियोजना के पूरा होने के बाद ही निष्पादन सुरक्षा निधि को मुक्त किया जाएगा। तथापि, कंपनी ने दिशानिर्देशों के अनुसार रियायत अनुबंध में संशोधन करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की और परियोजना लागत का 20 प्रतिशत व्यय करने के बाद निष्पादन सुरक्षा निधि वापस करने के मौजूदा परिच्छेद को जारी रखा। रियायत अनुबंध के अनुसार, रियायतग्राही द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के मामले में निष्पादन सुरक्षा निधि जारी नहीं करना थी (परिच्छेद-9.3)।

तथापि, 28 में से दस<sup>81</sup> परियोजनाओं के मामले में, जिनमें निष्पादन सुरक्षा निधि जमा करने में देरी, वित्तीय समापन करने में देरी और परियोजना लक्ष्य हासिल करने में देरी के कारण रियायतग्राही अनुबंध का उल्लंघन कर रहे थे, कंपनी ने परिच्छेद-9.3 को अनदेखा कर दिया और परियोजना पूर्ण होने से पहले ₹ 69.47 करोड़ की निष्पादन सुरक्षा निधि बनाए रखने के बजाय, रियायतग्राहियों को वापस (अक्टूबर 2012 से मई 2015 तक) किया। परिणामतः, रियायतग्राहियों को अनुचित लाभ दिया गया।

कंपनी ने बताया (जून 2019) कि एम.सी.ए. के परिच्छेद-9.3 को अपनाया गया है, जिसके अनुसार परियोजना लागत का 20 प्रतिशत व्यय करने के बाद निष्पादन सुरक्षा निधि रियायतग्राही को वापस की जाती है। यह उत्तर, संचालनालय संस्थागत वित्त, म.प्र.शा. द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर मौन है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एम.सी.ए. के परिच्छेद-9.3 से भी विचलन किया और 10 परियोजनायें, जिनमें रियायतग्राही अनुबंध का उल्लंघन कर रहे थे, की निष्पादन सुरक्षा निधि वापस की।

**स.** रियायत अनुबंध के अनुसार, रियायतग्राही को रियायत अनुबंध की तिथि से 180 दिनों के भीतर वित्तीय समापन प्राप्त करना आवश्यक था, जिसके लिए 120 अतिरिक्त दिनों का समय दिया जा सकता था (परिच्छेद-24.1.1)। इसके अनुसार वित्तीय समापन प्राप्त करने में देरी के लिए क्षतिपूर्ति राशि<sup>82</sup> का भुगतान किया जाना था। वित्तीय समापन की उपलब्धि पर ही नियुक्ति तिथि यानी रियायत अवधि के प्रारंभ की तिथि अधिसूचित की जाती है।

सभी 12<sup>83</sup> समाप्त बी.ओ.टी. सड़क परियोजनाओं और 16 पूर्ण बी.ओ.टी. सड़क परियोजनाओं में से 13<sup>84</sup> के मामले में, रियायतग्राहियों ने नौ दिनों (उज्जैन—एस.एच.—3) से लेकर 1,088 दिनों (छिदवाड़ा—एम.डी.आर.) तक के विलंब के साथ वित्तीय समापन हासिल किया। विलंब के मुख्य कारण रियायतग्राहियों द्वारा वित्तीय संस्थानों से समय पर ऋण प्राप्त करने में विफलता थी। इसलिए ₹ 94.34 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि रियायतग्राहियों से वसूली योग्य थी।

तथापि, कंपनी ने क्षतिपूर्ति राशि की वसूली के लिए प्रयास नहीं किए। परिणामतः, कंपनी नौ रियायतग्राहियों से ₹ 52.59 लाख की क्षतिपूर्ति राशि नहीं वसूल सकी और शेष 16 रियायतग्राहियों से ₹ 41.75 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली भी 60 दिनों से 1,484 दिनों तक के विलंब से की गई। क्षतिपूर्ति राशि की वसूली नहीं होने/विलंबित होने के कारण कंपनी को ₹ 20.79 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। इंदौर—एस.एच.—1 परियोजना को छोड़कर किसी भी रियायतग्राही ने निष्पादन सुरक्षा निधि को

<sup>80</sup> पी.पी.पी. प्रकोष्ठ, संस्थागत वित्त निवेशालय, म.प्र.शा. द्वारा जारी (फरवरी 2008)।

<sup>81</sup> भोपाल-1, इंदौर-1, इंदौर—एस.एच.—1, जबलपुर-6, नर्मदापुरम—एस.एच.—1, रीवा—एस.एच.—4, सागर-1, सागर-3, सागर—एस.एच.—2 और उज्जैन—एस.एच.—3।

<sup>82</sup> 120 दिनों तक की देरी के लिए निष्पादन सुरक्षा निधि का 0.10 प्रतिशत और 200 दिनों तक की अगली अवधि की देरी के लिए 0.20 प्रतिशत की दर से।

<sup>83</sup> छिदवाड़ा—एम.डी.आर., ग्वालियर—9, ग्वालियर—एस.एच.—2, ग्वालियर—8, इंदौर—एस.एच.—36, जबलपुर—एन.एच.—12, जबलपुर—6, रीवा—एन.एच.—75(1), रीवा—एन.एच.—75 (2), सागर—एस.एच.—37, एस.एच.—23 और एस.एच.—54।

<sup>84</sup> भोपाल-1, ग्वालियर—2, ग्वालियर—एस.एच.—1, इंदौर—1, इंदौर—3, इंदौर—5, इंदौर—एस.एच.—1, नर्मदापुरम—एस.एच.—1, रीवा—एस.एच.—4, सागर—1, सागर—3, सागर—एस.एच.—2 और उज्जैन—एस.एच.—3।

भरकर अपने वास्तविक स्तर पर नहीं लाये। जैसा कि कांडिका 4.1.26 में चर्चा की गई है कि बकाया राशि की वसूली के लिए कंपनी ने उपरोक्त रियायतग्राहियों के एस्क्रो खातों की भी निगरानी नहीं की।

इसके अलावा, छिंदवाड़ा—एम.डी.आर., एस.एच.—54 और एस.एच.—23 परियोजनाओं के मामले में, कंपनी ने कोई कारण दर्ज किए बिना, रियायत अनुबंध के प्रावधान के विरुद्ध 300 दिनों से अधिक के वित्तीय समापन की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, छिंदवाड़ा—एम.डी.आर. और एस.एच.—54 परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने नियुक्ति तिथि, रियायतग्राहियों द्वारा वित्तीय समापन के क्रमशः तीन वर्ष तथा एक वर्ष चार माह पहले अधिसूचित की (सितंबर 2013 और फरवरी 2012)। अंत में, परियोजनाएं रियायतग्राहियों द्वारा पूरी नहीं की जा सकीं और कम्पनी द्वारा समाप्त कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना पूर्ण करने में देरी हुई और परियोजना लागत में ₹ 102.13 करोड़ की वृद्धि हुई, जैसा कि परिशिष्ट-4.5 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

इसी प्रकार, इंदौर—एस.एच.—1 परियोजना के मामले में, कंपनी ने बैंक द्वारा सावधि ऋण की हासीदारी के आधार पर वित्तीय समापन स्वीकार किया (अप्रैल 2012)। चार ऋणदाताओं के साथ अंतिम सामूहिक ऋण अनुबंध 06 फरवरी 2013 को रियायतग्राही द्वारा निष्पादित किया गया था। इसलिए, कंपनी द्वारा नियुक्ति तिथि को अनियमित रूप से 292 दिन पहले अधिसूचित किया गया।

इंदौर—एस.एच.—1 परियोजना के संबंध में, यह बताया गया (जुलाई 2019) कि रियायतग्राही को भुगतान किए गए संचालन और संधारण अनुदान से क्षतिपूर्ति राशि वसूल ली गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षतिपूर्ति राशि की वसूली में देरी पर ब्याज नहीं वसूला गया।

कंपनी ने इसके अतिरिक्त बताया (सितंबर 2019) कि परिच्छेद-47.5 दोनों पक्षों द्वारा विलंबित भुगतान पर ब्याज से संबंधित है और विलंबित क्षतिपूर्ति के लिए नहीं तथा निष्पादन सुरक्षा निधि के नगदीकरण से क्षतिपूर्ति राशि वसूली गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रियायतग्राही द्वारा किसी भी प्रकार के विलंबित भुगतान जिसमें क्षतिपूर्ति राशि भी शामिल है, पर ब्याज की वसूली के बारे में रियायत अनुबंध का परिच्छेद-47.5 एकदम स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, निष्पादन सुरक्षा निधि के नकदीकरण को क्षतिपूर्ति राशि की वसूली से सम्बंधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्षतिपूर्ति की वसूली के बाद रियायतग्राही, इसे फिर से अपने मूल स्तर पर नहीं लाये।

**द.** 16 पूर्ण परियोजनाओं में से छः<sup>85</sup> में, रियायत अनुबंध के अनुसार परियोजना लागत ₹ 1,058.81 करोड़ थी। फिर भी, परियोजनाओं के रियायतग्राहियों द्वारा दर वृद्धि, निर्माण के दौरान के ब्याज, प्रारम्भिक व्यय और संचालन—पूर्व खर्च के कारणों का हवाला देते हुए, वित्तीय समापन के समय परियोजना की लागत को बढ़ाकर ₹ 1,195.75 करोड़ किया। वित्तीय समापन को मंजूरी देते समय कंपनी द्वारा उच्च परियोजना लागत को स्वीकार किया गया और एस.एल.इ.सी. को प्रस्तुत नहीं किया था। परिणामस्वरूप, रियायतग्राहियों को अधिक धन राशि का ऋण लेने की अनुमति प्राप्त हुई एवं साथ ही कंपनी की गलती के कारण अथवा संचालन अवधि के दौरान परियोजना समाप्त होने की दशा में ₹ 123.25 करोड़<sup>86</sup> की अधिक देयता का सृजन हुआ।

कंपनी ने बताया (मई 2019) कि परियोजना लागत वित्तीय पैकेज, रियायत अनुबंध और वास्तविक लागत के अनुसार सबसे कम पूंजीगत लागत होती है। उत्तर परियोजना

<sup>85</sup> इंदौर—1, इंदौर—2, इंदौर—एस.एच.—1, रीवा—एस.एच.—4, सागर—एस.एच.—2 और नर्मदापुरम—एस.एच.—1।

<sup>86</sup> रियायत अनुबंध के वाक्य-37.3.1 के अनुसार देय ऋण के 90 प्रतिशत के बराबर।

लागत में वृद्धि के पहलू पर मौन है, इसलिए उत्तर लेखापरीक्षा के अवलोकन के सन्दर्भ में प्रासंगिक नहीं है।

### **वन मंजूरी प्राप्त करने में और राइट ऑफ वे प्रदान करने में देरी**

**4.1.20** राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के मामले में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना (सितंबर 2006) के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना होती है। संरक्षित क्षेत्रों में गैर-वन गतिविधि करने के प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के अलावा, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा मंजूरी की आवश्यकता होती है। रियायत अनुबंध के अनुसार, कंपनी को रियायत अनुबंध की तारीख से पांच महीने के भीतर पर्यावरण से संबंधित सभी अनुमतियां प्राप्त करने की आवश्यकता थी। एम.ओ.आर.टी.एच. ने सिफारिश की (जून 2011) कि सक्रिय रूप से कार्रवाई करने पर वन मंजूरी प्राप्त करने में 1.5 से 2 वर्ष का समय लगता है।

रियायत अनुबंध के परिच्छेद-10.3.2 के अनुसार, नियुक्ति तिथि से पहले कंपनी को कुल राइट ऑफ वे का 80 प्रतिशत/ 90 प्रतिशत रियायतग्राही को प्रदान करना आवश्यक था। निर्धारित राइट ऑफ वे प्रदान करने में देरी होने पर, कंपनी रियायतग्राही को, निष्पादन सुरक्षा निधि का 0.10 प्रतिशत प्रति दिन की दर से अधिकतम निष्पादन सुरक्षा निधि का 20 प्रतिशत तक, क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी (परिच्छेद-4.2)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 12 समाप्त परियोजनाओं में से तीन (25 प्रतिशत प्रकरण) में और 16 पूर्ण परियोजनाओं में से दो (13 प्रतिशत) में वन मंजूरी प्राप्त करने में विलंब हुए, जिसके मुख्य कारण प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में देरी, अपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना, कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना थे। इसके परिणामस्वरूप आवश्यकता से कम चौड़ाई वाली सड़कों का निर्माण, अपर्याप्त चौड़ाई के कारण वन क्षेत्र से गुजरने वाली सड़क पर ब्लैक स्पॉट<sup>87</sup> बनना, परियोजनाओं के पूरा होने में देरी और परियोजनाओं का निलंबन भी हुआ जिनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-4.7** में किया गया है। इसलिए, सड़क का सेवा स्तर और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा उस सीमा तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

इसके अलावा, 16 पूर्ण परियोजनाओं में से पांच (31 प्रतिशत) के संबंध में, कंपनी द्वारा अतिक्रमण हटाने में प्रभावी रूप से कार्रवाई करने, भू-अभिलेखों के बेमेल डेटा का मिलान करने, दूसरी संस्थाओं से स्थल का कब्जा लेने में त्वरित कार्रवाई करने में एवं आवश्यक भूमि क्षेत्र का सटीक आंकलन करने में विफलता के कारण राइट ऑफ वे प्रदान करने में 32 महीने तक का विलम्ब हुआ। राइट ऑफ वे प्रदान करने में विलंब का परियोजनावार विवरण **परिशिष्ट-4.8** में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप आवश्यकता से कम चौड़ाई वाली सड़क का निर्माण, सड़क के निर्माण में विलंब, स्थल को सौंपने में विलंब के लिए रियायतग्राही से क्षतिपूर्ति राशि का परिहार्य दावा और रियायतग्राही को ₹ 10.47 करोड़ के शीघ्र पूर्णता बोनस राशि का परिहार्य भुगतान हुआ। इसलिए, सड़क का सेवा स्तर उस सीमा तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।

कंपनी ने बताया (सितंबर 2019) कि कंपनी ने संबंधित अधिकारियों को समय पर आवेदन किया था और देरी अन्य प्राधिकरणों की ओर से थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नमूना जांच की गई परियोजनाओं के प्रकरणों में, समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत

<sup>87</sup> ब्लैक स्पॉट एक ऐसा स्थान होता है जहां कई कारणों से सड़क यातायात दुर्घटनाओं की घटनाये अधिकतर होती है।

करने, अपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने, निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने में कंपनी की ओर से विफलता हुई थी।

राइट ऑफ वे प्रदान करने में विलंब के संबंध में, यह बताया गया था (सितंबर 2019) कि अतिक्रमण, मध्यस्थता, न्यायालयीन प्रकरणों और अन्य विभागों की भागीदारी के कारण भूमि को सौंपने में विलंब हुआ था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राइट ऑफ वे प्रदान करने में विलंब, कंपनी द्वारा अतिक्रमण हटाने में प्रभावी रूप से कार्रवाई करने, भू-अभिलेखों के बेमेल आंकड़ों का मिलान करने, दूसरी संस्थाओं से स्थल का कब्जा लेने में त्वरित कार्रवाई करने में एवं आवश्यक भूमि क्षेत्र का सटीक आंकलन करने में विफलता, इत्यादि के कारण हुआ था।

### **उपयोगकर्ता शुल्क का अनियमित संग्रहण**

**4.1.21** भारत के योजना आयोग द्वारा जारी राज्य राजमार्गों के एम.सी.ए. (अप्रैल 2009) के अनुसार चूँकि ऋण की अदायगी मुद्रास्फीति से प्रभावित नहीं होती, इसलिए थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण उपयोगकर्ता शुल्क (टोल) की वृद्धि को 40 प्रतिशत तक ही इंडेक्स भारित किया जाना चाहिए। एम.सी.ए. की अनुसूची-आर के अनुसार भी थोक मूल्य सूचकांक में 40 प्रतिशत<sup>88</sup> तक की वृद्धि करके उपयोगकर्ता शुल्क को संशोधित करने के लिए सूत्र प्रावधानित किया गया था।

यह अवलोकित किया गया कि म.प्र.लो.नि.वि. ने उपयोगकर्ता शुल्क की गणना की कार्यप्रणाली से विचलन किया<sup>89</sup> और थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि को 40 प्रतिशत तक प्रतिबंधित किए बिना पूर्ण सूचकांक के लिए इसे निर्धारित किया, जिसके लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण, 11 टोल परियोजनाओं में से आठ<sup>90</sup> के रियायतग्राहियों द्वारा मई 2013 से सितंबर 2018 के दौरान 1.38 करोड़ सड़क उपयोगकर्ताओं से अतिरिक्त उपयोगकर्ता शुल्क वसूला गया, जिसके परिणामस्वरूप रियायतग्राहियों को ₹ 7.14 करोड़ का लाभ हुआ। इसके अलावा, सड़क उपयोगकर्ताओं को संपूर्ण रियायत अवधि के लिए उपयोगकर्ता शुल्क का अतिरिक्त भार उठाने के लिए बाध्य हुए होंगे।

कंपनी ने उत्तर दिया (सितंबर 2019) कि एम.सी.ए. मार्गदर्शन के लिए है और इसे पूरी तरह अपनाया नहीं जा सकता। रियायत अनुबंध को एस.एल.इ.सी. द्वारा एम.सी.ए. से विचलन के साथ अनुमोदित किया गया। म.प्र.लो.नि.वि. द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क की अधिसूचना जारी की गई थी और इसमें भी थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि के 40 प्रतिशत के लिए इंडेक्सेशन प्रदान नहीं किया था। निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2019) में, यह बताया गया था कि यदि कंपनी टोल दरों में बदलाव करती है, तो परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता भी प्रभावित होगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी के अधिकारियों के साथ अपनी बैठक में सशक्त संस्था, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार (जून 2006) के अनुसार एम.सी.ए. से विचलन उन मुद्दों के संबंध में स्वीकार्य नहीं हैं जो किसी पी.पी.पी. परियोजना के लिए आधारभूत हैं। चूँकि, उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली द्वारा रियायतग्राही अपनी परियोजना लागत की वसूली करता है, यह एक पी.पी.पी. परियोजना के लिए आधारभूत है, अतः एम.सी.ए. से विचलन स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा, अनुमोदन के लिए कंपनी द्वारा एस.एल.इ.सी. को प्रस्तुत प्रस्तावों में एम.सी.ए. से इस विचलन का उल्लेख नहीं था।

<sup>88</sup> बेस रेट + बेस रेट  $\times$  {(थोक मूल्य सूचकांक ए – थोक मूल्य सूचकांक बी) / थोक मूल्य सूचकांक बी}  $\times$  0.40।

<sup>89</sup> उपयोगकर्ता शुल्क की लागू दर = बेस रेट  $\times$  थोक मूल्य सूचकांक ए / थोक मूल्य सूचकांक बी।

<sup>90</sup> ग्वालियर-2, इंदौर-1, इंदौर-2, नर्मदापुरम-एस.एच.-1, सागर-एस.एच.-2, उज्जैन-एस.एच.-2 और उज्जैन-एस.एच.-3।

इसके अलावा, कंपनी द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में, थोक मूल्य सूचकांक में 40 प्रतिशत की वृद्धि तक का इंडेक्सेशन किया गया था।

इसके अलावा, 11 टोल परियोजनाओं में से चार में उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह में परियोजना-विशिष्ट कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

- रीवा—एस.एच.—4 (74.132 किलोमीटर):** स्वतन्त्र अभियंता द्वारा पहले समरूप खंड (40.02 किलोमीटर) के लिए अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया (जून 2013) और कंपनी ने उसे स्वीकार किया और एम.सी.ए. के प्रावधानों के उल्लंघन में उस खंड के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना जारी की। रियायतग्राही ने संपूर्ण परियोजना पूर्ण किये बिना, अक्टूबर 2014 तक ₹ 1.15 करोड़ के उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र किया। रियायतग्राही ने नवंबर 2013 में काम बंद कर दिया और परियोजना को 05 मई 2015 को समाप्त कर दिया गया। कंपनी ने भी परियोजना के समाप्त के बाद सड़क उपयोगकर्ताओं से उपयोगकर्ता शुल्क (टोल) लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किये।

- रीवा—एन.एच.—1 (89.30 किलोमीटर):** एम.सी.ए. के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए स्वतन्त्र अभियंता ने अपूर्ण परियोजना का अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया (फरवरी 2015) और कंपनी ने उसे स्वीकार किया तथा सड़क के एक हिस्से (49.63 किलोमीटर) के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना जारी की। परिणामस्वरूप, रियायतग्राही ने संपूर्ण परियोजना को पूर्ण किए बिना ₹ 5.93 करोड़ का उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र किया।

कंपनी ने बताया (मई 2019) कि स्वतन्त्र अभियंता ने सूचित किया था (फरवरी 2015) कि रियायतग्राही ने परियोजना की कुल लंबाई का 75 प्रतिशत पूरा कर लिया है। यह उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि रियायतग्राही ने अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख तक केवल 55 प्रतिशत (49.60 किलोमीटर x 100 / 89.30 किलोमीटर) कार्य पूरा किया था।

- उज्जैन—एस.एच.—2:** रियायतग्राही ने यातायात क्षरण के कारण का हवाला देते हुए उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह बिंदु के स्थान को 10+500 से "16+00 से 17+00" पर स्थानांतरित करने हेतु कंपनी से अनुमति के लिए अनुरोध किया (जून 2013)। तथापि, कंपनी ने 36+200 पर एक अतिरिक्त उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह बिंदु स्थापित करने की अनुमति दी (जून 2015)। चूंकि रियायतग्राही को परियोजना व्यवहार्यता के लिए अपना मूल्यांकन स्वयं करने की आवश्यकता थी, इसलिए अतिरिक्त उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह बिंदु की अनुमति के परिणामस्वरूप रियायतग्राही को अनुचित लाभ हुआ जो निविदा चरण में मूल रूप से परिकल्पित नहीं था।

कंपनी ने उत्तर दिया (मई 2019) कि रियायत अनुबंध के परिच्छेद-27.8 के अनुसार अतिरिक्त उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह बिंदु के लिए रियायतग्राही को अनुमति दी गई थी। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोली—पूर्व बैठक (जुलाई 2012) में कंपनी ने यह पहले ही स्वीकार किया था कि राजस्व क्षरण बिंदु काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त, रियायतग्राही ने उपयोगकर्ता शुल्क बिंदु को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था और रियायत अनुबंध में भी केवल एक उपयोगकर्ता शुल्क बिंदु का प्रावधान था। इसलिए, सड़क के पूरा होने से पहले अतिरिक्त उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह बिंदु की अनुमति देना उचित नहीं था।

- उज्जैन—एस.एच.—3:** रियायतग्राही ने एस्क्रो खाते में ₹ 1.73 लाख का संग्रहित उपयोगकर्ता शुल्क जमा नहीं किया।

### अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना

**4.1.22** एम.सी.ए. के परिच्छेद-14.3 के अनुसार, अगर परियोजना राजमार्ग की कुल लंबाई का कम से कम 75 प्रतिशत पूर्ण हो गया हो और इसका सुरक्षित रूप से और

विश्वसनीय रूप से वाणिज्यिक संचालन किया जा सकता है, तो कुछ कार्य<sup>91</sup> की पूर्णता नहीं होते हुए भी, स्वतंत्र अभियंता कार्य पूरा होने का अनंतिम प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। रियायत अनुबंध के अनुसार, रियायतग्राही को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की तारीख से 90 दिनों के भीतर अपूर्ण कार्यों को पूरा करना आवश्यक था और उसके बाद किसी भी विलंब के लिए रियायतग्राही द्वारा क्षतिपूर्ति राशि<sup>92</sup> देय थी (परिच्छेद-14.4.1)। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियों को अवलोकित किया है:

- 16 पूर्ण परियोजनाओं में से आठ<sup>93</sup> के मामले में, स्वतन्त्र अभियंता द्वारा, कैरिजवे की कुल लंबाई का निर्माण, प्रमुख/ लघु पुलों के निर्माण, लघु पुलों का चौड़ीकरण, बिटुमिनस कांक्रीट के कार्यों, साइड शॉल्डर्स, पुलों के संरक्षण कार्य की पूर्णता सुनिश्चित किये बिना, अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए गए, जो कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए। पंच लिस्ट में ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल करना एम.सी.ए. के प्रावधानों के विपरीत था और सड़कें सुरक्षित और विश्वसनीय वाणिज्यिक संचालन के लिए उपयुक्त नहीं थीं।
- उपरोक्त आठ परियोजनाओं में से पांच<sup>94</sup> के रियायतग्राहियों द्वारा, पंच लिस्ट की लंबित मदों को 93 से 669 दिनों के विलंब से पूर्ण किया। सागर-3 परियोजना के मामले में, दो प्रमुख पुलों<sup>95</sup> के निर्माण के बिना, अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया (जून 2016), जो अभी भी अपूर्ण है। इसके बाद, रियायतग्राही ने परियोजना में इकिवटी का निवेश रोक दिया। परिणामतः, परियोजना रुकी<sup>96</sup> हुई है और विच्छेदन के कगार पर है (मार्च 2019)। अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के बाद परियोजना को समाप्त करने के मामले में, कंपनी द्वारा ₹ 62.63 करोड़ के बकाया ऋण के दायित्व वहन करने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कंपनी ने उपर्युक्त छः रियायतग्राहियों से परिच्छेद-14.4.1 के अंतर्गत ₹ 17.58 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि नहीं वसूली।
- इंदौर-एस.एच.-1 परियोजना (127.44 किलोमीटर) के मामले में, अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र 75 प्रतिशत की लंबाई को पूरा किए बिना जारी किया गया (सितंबर 2014)। कंपनी ने बताया (सितंबर 2019) कि लंबित कार्यों के साथ परियोजना के पर्याप्त रूप से पूर्ण होने के बाद, स्वतन्त्र अभियंता द्वारा अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र इस घोषणा के साथ कि परियोजना वाणिज्यिक संचालन के लिए उपयुक्त है, जारी किए गए। उत्तर एम.सी.ए. के परिच्छेद-14.3 से विचलन के कारणों की व्याख्या नहीं करता है, जिसके अनुसार केवल सहायक प्रकृति के लंबित कार्यों के साथ अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, जिसमें केवल सड़क के किनारे की नालियां, बाड़ लगाना, पेड़ लगाना, आराम करने का क्षेत्र, परियोजना सुविधाएं, तटबंध ढलान पर टर्फिंग, चिनाई कार्य की पोइंटिंग, पत्थर की पिंचिंग, बस शॉल्टर और ट्रक ले-बाय शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, निर्गम सम्मलेन (अक्टूबर 2019) में, प्रधान सचिव ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्रों को स्वीकार करते हुए, कंपनी को वास्तविक पूर्ण कार्य की जांच करनी चाहिए और यह आकलन करना चाहिए कि केवल कार्य के सहायक आइटम लंबित हैं।

<sup>91</sup> इसमें सड़क के किनारे की नालियां, बाड़ लगाना, पेड़ लगाना, आराम करने का क्षेत्र, परियोजना सुविधाएं, तटबंध ढलान पर टर्फिंग, चिनाई कार्य की पोइंटिंग, पत्थर की पिंचिंग, बस शॉल्टर और ट्रक ले-बाय शामिल हो सकते हैं।

<sup>92</sup> प्रति दिन क्षतिपूर्ति राशि निष्पादन सुरक्षा निधि का 0.10 प्रतिशत या स्वतंत्र अभियंता द्वारा अनुमानित ऐसी वस्तुओं को पूरा करने की लागत का 0.20 प्रतिशत, जो कम हो।

<sup>93</sup> सागर-3, इंदौर-1, इंदौर-एस.एच.-1, उज्जैन-एस.एच.-2, भोपाल-1, सागर-1, नर्मदापुरम-एस.एच.-1, सागर-एस.एच.-2।

<sup>94</sup> इंदौर-1, इंदौर-एस.एच.-1, उज्जैन-एस.एच.-2, सागर-1 और नर्मदापुरम-एस.एच.-1।

<sup>95</sup> चैनेज किलोमीटर 5+860 और किलोमीटर 20+370 पर।

<sup>96</sup> सागर-3 परियोजना (45.50 किलोमीटर)।

इसके अलावा, यह बताया गया (सितंबर 2019) कि रियायतग्राहियों द्वारा पंच लिस्ट की मदों को पूर्ण करने में देरी के लिए क्षतिपूर्ति राशि जमा करने के लिए, उन्हें कई नोटिस जारी किए गए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस तरह के नोटिस अभिलेख में नहीं पाए गए और क्षतिपूर्ति राशि की वसूली अब तक नहीं की गई है।

### **मरम्मत और रखरखाव पर परिहार्य व्यय**

**4.1.23** रियायत अनुबंध के परिच्छेद-12.2 के अनुसार, रियायतग्राही को अपनी लागत पर सड़क का रख रखाव करना था ताकि उसकी यातायात योग्यता और सुरक्षा को बनाए रखा जाए, और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक मरम्मत और रखरखाव कार्य करना आवश्यक था।

यह देखा गया कि कंपनी द्वारा 12 समाप्त परियोजनाओं में से तीन परियोजनाओं जबलपुर-एन.एच.-12, सागर-एस.एच.-37, रीवा-एन.एच.-75 (2) के मामले में रियायतग्राहियों ने निर्माण अवधि के दौरान परियोजना हाईवे का रख रखाव ठीक ढंग से नहीं किया। इसके बाद, कंपनी ने ऐसी सड़कों की मरम्मत और रखरखाव पर ₹ 22.54 करोड़<sup>97</sup> की राशि व्यय की, जिन्हें रियायतग्राहियों द्वारा वहन किया जाना था। तथापि, कंपनी ने रियायतग्राहियों से इस राशि की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

कंपनी ने बताया (सितंबर 2019) कि रियायत अनुबंध की समाप्ति के बाद, कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह सड़क को मोटरेबल रखे और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उत्तर स्व-व्याख्यात्मक है कि रियायतग्राहियों द्वारा सड़क के खराब रखरखाव के कारण, कंपनी को सड़क की मरम्मत और रखरखाव का व्यय करना पड़ा था।

आगे, यह बताया गया (सितंबर 2019) कि रीवा-एन.एच.-75 (2) के रियायतग्राही की निष्पादन सुरक्षा निधि का नगदीकरण करके मरम्मत व्यय की वसूली की गयी। उत्तर सही नहीं है क्योंकि निष्पादन सुरक्षा निधि की राशि (₹ 16.05 करोड़) अन्य क्षतिपूर्ति राशि की वसूली योग्य कुल राशि (₹ 24.46 करोड़) की तुलना में कम थी। सागर-एस.एच.-37 के संबंध में, यह बताया गया था कि सड़क की अलग जगहों पर मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य किया गया था। तथापि, कंपनी द्वारा उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

**अनुशंसा:** कंपनी को निर्माण अवधि, उपयोगकर्ता शुल्क की दर, अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र आदि से संबंधित रियायत अनुबंधों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और विचलनों के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

### **वित्तीय प्रबंधन**

**4.1.24** निष्पादन लेखापरीक्षा का चतुर्थ उद्देश्य यह पता करना था कि बी.ओ.टी. परियोजनाओं का वित्तपोषण मितव्ययी तथा कुशल था।

परियोजनाओं के लिए निधियां राज्य के बजट के माध्यम से प्रदान की गई थीं। 2013–18 के दौरान, कंपनी ने वायबिलिटी गैप फंडिंग (वी.जी.एफ.) के लिए ₹ 73.17 करोड़, बी.ओ.टी. सड़कों के विकास और पर्यवेक्षण के लिए ₹ 274 करोड़ और एन्युटी भुगतान के लिए ₹ 2,334.36 करोड़ व्यय किये, जिसका विस्तृत विवरण तालिका 4.1.7 में दर्शाया गया है:

<sup>97</sup> जबलपुर-एन.एच.-12: ₹ 16.56 करोड़, सागर-एस.एच.-37: ₹ 0.87 करोड़, रीवा-एन.एच.-75(2): ₹ 5.11 करोड़ = कुल ₹ 22.54 करोड़।

### तालिका 4.1.7: कंपनी को सङ्कों के लिये 2013–18 के दौरान राज्य बजट द्वारा वित्त पोषण का वर्ष वार विवरण

विवरण	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)
एन्युटी	2013–14	175.00	87.50	87.50	50.00
	2014–15	425.00	400.00	25.00	5.88
	2015–16	669.94	585.86	84.08	12.55
	2016–17	550.00	550.00	0.00	0.00
	2017–18	711.00	711.00	0.00	0.00
<b>एन्युटी का योग</b>	<b>2,530.94</b>	<b>2,334.36</b>	<b>196.58</b>	<b>7.77</b>	
बी.ओ.टी. सङ्कों के विकास और निगरानी	2013–14	10.00	8.00	2.00	20.00
	2014–15	35.00	35.00	0.00	0.00
	2015–16	171.00	171.00	0.00	0.00
	2016–17	92.30	60.00	32.30	34.99
	2017–18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>बी.ओ.टी. सङ्कों के विकास और निगरानी का योग</b>	<b>308.30</b>	<b>274.00</b>	<b>34.30</b>	<b>11.13</b>	
वी.जी.एफ.	2013–14	41.00	23.34	17.66	43.07
	2014–15	40.00	23.58	16.42	41.05
	2015–16	30.00	14.13	15.87	52.90
	2016–17	48.00	3.71	44.29	92.27
	2017–18	40.00	8.41	31.59	78.98
<b>वी.जी.एफ. का योग</b>	<b>199.00</b>	<b>73.17</b>	<b>125.83</b>	<b>63.23</b>	
<b>सकल योग</b>	<b>3,038.24</b>	<b>2,681.53</b>	<b>356.71</b>	<b>11.74</b>	

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के विस्तृत विनियोजन लेखे।

उपरोक्त बजटीय वित्त पोषण के अतिरिक्त, कंपनी ने 2013–18 के दौरान परियोजनाओं की विकास लागत, राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत, निविदा—पूर्व गतिविधियों, जन व्यवस्था के स्थानांतरण, भूमि अर्जन इत्यादि के लिए राज्य राजमार्ग निधि<sup>98</sup> (एस.एच.एफ.) से ₹ 409.25 करोड़ उपयोग किये।

लेखापरीक्षा ने कंपनी के वित्तीय प्रबंधन का बी.ओ.टी. परियोजनाओं के सन्दर्भ में विश्लेषण किया और प्रीमियम राशि, परियोजना निगरानी शुल्क, स्थापना प्रभार, स्वतन्त्र अभियंता शुल्क तथा परियोजना विकास व्यय (पी.डी.ई.) की रियायतग्राहियों से वसूली न होने के प्रकरण देखे गए। इसके अतिरिक्त, एस्क्रो खातों का परिचालन भी दोषयुक्त पाया गया। विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

#### परियोजना विकास व्यय की वसूली न होना

**4.1.25** मध्य प्रदेश परियोजना विकास निधि (एम.पी.पी.डी.एफ.) योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, एम.पी.पी.डी.एफ. का उपयोग कंपनी के द्वारा परियोजना विकास व्यय<sup>99</sup> (पी.डी.ई.) में किया जाना था। योजना दिशानिर्देशों की कंडिका 12 में प्रावधान किया गया है कि पी.डी.ई. की वसूली, परियोजना के आवंटन पर सफल बोलीकर्ता से की जायेगी तथा कंपनी, रियायत अनुबंधों में इसके लिये स्पष्ट प्रावधान कंपनी ने सम्मिलित नहीं किया, जो

<sup>98</sup> एस.एच.एफ. की स्थापना मध्य प्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, 2012 की धारा 3 के तहत की गई थी।  
<sup>99</sup> व्यवहार्यता अध्ययन, सलाहकारों की लागत, पर्यावरण प्रभाव अध्ययन, वित्तीय सरचना, कानूनी समीक्षा, रियायत अनुबंध सहित परियोजना दस्तावेजीकरण का विकास, व्यावसायिक आंकलन अध्ययन (यातायात अध्ययन, मांग का आंकलन, भुगतान की क्षमता के आकलन को समाहित करते हुए), परियोजनाओं की ग्रेडिंग, इत्यादि।

की पूर्वोक्त योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के प्रतिकूल था। अतः, कम्पनी इस व्यय को रियायतग्राहियों से वसूल करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त, पी.डी.ई. के व्यय में से, ₹ 8.88 करोड़<sup>100</sup> का व्यय एस.एच.एफ.<sup>101</sup> से समायोजित किया गया और ₹ 10.08 करोड़<sup>102</sup> का व्यय कंपनी द्वारा उसकी स्वयं की निधियों से वहन किया गया।

अतः, कंपनी न केवल रियायतग्राहियों से ₹ 18.96 करोड़ के पी.डी.ई. की वसूली करने में विफल रही, बल्कि पी.डी.ई. के व्यय शासन की निधियों से भी किये। पी.डी.ई. की रियायतग्राहियों से वसूली न होना, अंततः शासकीय कोष को हानि में परिणीत हुआ।

कंपनी ने स्वीकार किया (नवम्बर 2019) कि रियायत अनुबंध में पी.डी.ई. की वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। आगे, यह भी बताया कि परियोजना के निर्माण के समय यह परिकल्पित था कि पी.डी.ई. म.प्र.शा. के द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से वहन किया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि म.प्र.शा. के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, कंपनी द्वारा रियायत अनुबंधों में परियोजना विकास व्यय की रियायतग्राही से वसूली के लिए कोई विशेष परिच्छेद शामिल नहीं किया गया।

### एस्क्रो खातों से अतिरेक आहरण

**4.1.26** रियायत अनुबंध, के अनुसार रियायतग्राही को नियुक्ति तिथि<sup>103</sup> से पहले एस्क्रो अनुबंध<sup>104</sup> का निष्पादन और उपार्जन कर लेना आवश्यक था। परियोजना के वित्तीय अंतर्वाह और बहिर्वाह करने के लिए एस्क्रो बैंक के साथ एस्क्रो खाता खोलना आवश्यक था (रियायत अनुबंध का अनुबंध का परिच्छेद-31)। एस्क्रो बैंक को कंपनी, ऋणदाताओं और रियायतग्राही के लिए ट्रस्टी की तरह कार्य करना था। एस्क्रो खाते से निकास में अन्य बातों के साथ साथ, परियोजना राजमार्ग के निर्माण से संबंधित समस्त भुगतान<sup>105</sup> और रियायतग्राही द्वारा कंपनी को देय एवं भुगतान योग्य समस्त प्रमाणित क्षतियां एवं भुगतान सम्मिलित होते हैं। कंपनी एस्क्रो अनुबंधों में एक हस्ताक्षरकर्ता थी। कम्पनी के द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अभियंता को रियायतग्राही द्वारा लक्ष्यों<sup>106</sup> की प्राप्ति की निगरानी करना था और कम्पनी को सूचित करना था।

परियोजना निगरानी इकाईयों और परियोजना समीक्षा इकाईयों की अनुपस्थिति (कंडिका 4.1.30) के कारण, कंपनी द्वारा एस्क्रो खातों की शर्तों के अनुपालन की वस्तुस्थिति की निगरानी नहीं कर सकी। चूंकि, कंपनी के चयनित परियोजनाओं के एस्क्रो खातों के विवरण उपलब्ध नहीं कराये थे, लेखापरीक्षा ने 28 में से 15<sup>107</sup> परियोजनाओं के सम्बन्ध में, सम्बंधित एस्क्रो बैंकों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किये। एस्क्रो खाता विवरणों की समीक्षा के पश्चात, उपरोक्त 15 में से आठ परियोजनाओं में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई:

<sup>100</sup> राज्य राजमार्गों और मुख्य जिला मार्गों से संबंधित।

<sup>101</sup> मध्य प्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, 2012 की धारा 4 के अनुसार, एस.एच.एफ. का उपयोग सूचना संग्रहण, पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन या व्यवहार्यता अध्ययन पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

<sup>102</sup> राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बंधित।

<sup>103</sup> वह तिथि जिस पर वित्तीय समापन प्राप्त किया जाता है या पहले की तारीख जिसे पक्षकार सहमति से निर्धारित कर सकते हैं, और रियायत अवधि के प्रारम्भ होने की तिथि मानी जाएगी। नियुक्ति तिथि से पहले प्रत्येक पूर्व निर्धारित शर्तों को पूर्ण या माफ कर दिया जाना चाहिए।

<sup>104</sup> यह रियायतग्राही, कंपनी, एस्क्रो बैंक और ऋणदाताओं के बीच समझौता है।

<sup>105</sup> वित्त पोषण समझौतों में निर्धारित, यदि कोई हो, शर्तों के अधीन और अनुसार।

<sup>106</sup> रियायत अनुबंध की अनुसूची-जी में चार लक्ष्य दिये गए हैं, जिसमें वित्तीय पैकेज में निर्धारित कुल पूँजी लागत का क्रमशः 10, 35, 70 और 100 प्रतिशत से कम व्यय नहीं होना चाहिए।

<sup>107</sup> निलंबित परियोजनाएँ: ग्वालियर-9, ग्वालियर-8, सागर-3, ग्वालियर-2, ग्वालियर-एस.एच.-2, एस.एच.-54, रीवा-एन.एच.-75 (1), रीवा-एन.एच.-75 (2) और जबलपुर-6। पूर्ण परियोजनाएँ: उज्जैन-एस.एच.-3, ग्वालियर-एस.एच.-1, इंदौर-2, इंदौर-3, सागर-एस.एच.-2 और सागर-1।

- तीन समाप्त परियोजनाओं<sup>108</sup> के रियायतग्राहियों ने एस्क्रो खाते, नियुक्ति तिथि से 23 दिनों से 62 दिनों की देरी से खोले, जिसके लिये रियायतग्राही द्वारा निष्पादन सुरक्षा निधि के 0.20 प्रतिशत प्रति दिन से दर से क्षतिपूर्ति राशि भुगतान योग्य थी (परिच्छेद-4.3)। परन्तु, कंपनी ने एस्क्रो खातों को खोलने में विलंब के लिए ₹ 1.22 करोड़ का अर्थदंड आरोपित नहीं किया। तीन अन्य परियोजनाओं<sup>109</sup> के मामले में, रियायतग्राहियों ने रियायत अनुबंध के परिच्छेद-31 के उल्लंघन में एस्क्रो खाते के स्थान पर चालू खाते खोले।

ग्वालियर-9 परियोजना के मामले में, कंपनी ने बताया (सितम्बर 2019) कि चूंकि रियायतग्राही ने वास्तविक निर्माण कार्य पहले ही प्रारम्भ कर दिया था, अतः नियुक्ति तिथि एस्क्रो खाते के पहले घोषित कर दी गयी। इससे, परियोजना के प्रारम्भ होने के बाद भी एस्क्रो खाते के परिचालन सुनिश्चित में कंपनी का ढुलमुल दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ।

- प्रथम एवं द्वितीय लक्ष्य नियुक्ति तिथि के 180 दिनों तथा 365 दिनों में क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत वित्तीय प्रगति के साथ प्राप्त हो जाने चाहिए।

सात परियोजनाओं<sup>110</sup> के एस्क्रो/ चालू खातों की जाँच करने पर पता चला कि रियायतग्राही दोनों में से कोई एक भी लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे, परन्तु प्रथम लक्ष्य के मामले में कुल परियोजना लागत की 10 से 70 प्रतिशत के मध्य निधि और द्वितीय लक्ष्य के मामले में कुल परियोजना लागत की 27 से 72 प्रतिशत के मध्य निधि, एस्क्रो/ चालू खाते से आहरण कर ली गयी। आगे, कंपनी द्वारा सात में से छः परियोजनाएँ निर्माण की धीमी प्रगति के कारण समाप्त कर दी गयी। समाप्ति के समय ₹ 332.19 करोड़ की निधि का अधिक आहरण किया गया, जिसका विवरण में **परिशिष्ट-4.9** दर्शाया है।

कंपनी ने तथ्य को स्वीकार किया (सितम्बर 2019) और बताया कि एस्क्रो अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार, एस्क्रो बैंक एस्क्रो खाते से निकासी के लिये जिम्मेदार होता है। यह भी बताया कि एस्क्रो खाते के दिन प्रतिदिन के लेन-देनों की निगरानी के लिये कंपनी जिम्मेदार नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया की ऋणदाता बैंकों ने ऋणदाता के स्वतंत्र अभियंता<sup>111</sup> के प्रतिवेदन के आधार पर राशि संवितरित की और ऋणदाताओं ने संवितरण की जानकारी कंपनी को नहीं दी थी। इस प्रकार कंपनी के द्वारा एस्क्रो/ चालू खातों से निकास की निगरानी का कोई तंत्र नहीं था, जिस कारण निधि का अधिक आहरण हुआ।

- ग्वालियर-8 परियोजना के मामले में, जब कभीऋण एवं इक्विटी राशि, एस्क्रो खाते में संवितरित होती थी, रियायतग्राही उसे तुरंत ही एक अन्य चालू खाते में स्थानांतरित कर देता था और परियोजना से सम्बंधित व्यय करने के लिये उस राशि को उस चालू खाते के माध्यम से ही वितरित करता था। इस प्रकार, रियायतग्राही, एस्क्रो खाते के नियंत्रण तंत्र की उपेक्षा करते हुए बच निकला।

कंपनी ने बताया (सितम्बर 2019) कि रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही उप-खाते खोल सकता है। चालू खाता एस्क्रो खाते का उप-खाता था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस्क्रो अनुबंध के परिच्छेद-4.1.1 के अनुसार, उप-खाता

<sup>108</sup> ग्वालियर-9, ग्वालियर-8 और सागर-3।

<sup>109</sup> ग्वालियर-एस.एच.-2, एस.एच.-54 और उज्जैन-एस.एच.-3।

<sup>110</sup> चालू खाते: ग्वालियर-एस.एच.-2 और एस.एच.-54 (निलंबित), एस्क्रो खाते: ग्वालियर-9, रीवा-एन.एच.-75 (2), रीवा-एन.एच.-75 (1), ग्वालियर-8 (निलंबित) और सागर-3 (पूर्ण)।

<sup>111</sup> ऋणदाता का स्वतंत्र अभियंता परियोजना की भौतिक प्रगति की निगरानी और सूचित करने के लिए ऋणदाता द्वारा नियुक्त किया जाता है।

एस्क्रो खाते से ऐसी राशियों को समायोजित करते हुए जमा करने के लिये उपयोग होना था, जो किसी माह में देय नहीं होती। अतः, रियायतग्राही के द्वारा संधारित चालू खाते को उप-खाता नहीं माना जा सकता, जैसा कि कम्पनी ने उत्तर दिया है। इसके अतिरिक्त, जिस चालू खाते को उप-खाता बताया गया है, वह एस्क्रो खाता खुलने (नवम्बर 2012) के पहले खोला गया (अक्टूबर 2012) था।

इस प्रकार, निर्माण की भौतिक प्रगति से अधिक निधियों के आहरण की घटनाएं, चालू खाते में तुरंत राशि का स्थानांतरण, एस्क्रो खाते से धन के निकास में नियंत्रण तंत्र की अनुपस्थिति के प्रभाव को दर्शाता है।

- सामान्य ऋण अनुबंध के अनुसार, ऋणदाता को परियोजना की निगरानी और प्रगति की सूचना देना ऋणदाता के स्वतंत्र अभियंता द्वारा अपेक्षित था। ग्वालियर-एस.एच.-2, ग्वालियर-9 और ग्वालियर-8 समाप्त परियोजनाओं<sup>112</sup> के मामले में, स्वतन्त्र अभियंता (कंपनी के द्वारा नियुक्त) की क्रमशः 6.72 प्रतिशत, 27.71 प्रतिशत, 37.56 प्रतिशत प्रगति के विरुद्ध ऋणदाता के स्वतंत्र अभियंता ने क्रमशः 20.61 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 55 प्रतिशत प्रगति की सूचना दी थी।

ऋणदाता के स्वतंत्र अभियंता के द्वारा वास्तविक से अधिक प्रगति की सूचना, रियायतग्राही को अधिक ऋण राशि के भुगतान में परिणीत हुई। जिसके परिणामस्वरूप, आठ परियोजनाओं<sup>113</sup> के रियायतग्राहियों ने अपूर्ण निर्माणों के लिये वित्तीय संस्थानों से ₹ 401.65 करोड़ आहरित कर लिये, जिन्हें रियायतग्राहियों के द्वारा भुगतान न किये जाने के कारण, ऋणदाताओं द्वारा नॉन-परफोर्मिंग असेट्स के रूप में घोषित किया गया। इसके अलावा, एस्क्रो खाते के लिए त्वरित एवं कुशल निगरानी तंत्र के अभाव के कारण, निधि के व्यवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

- चार<sup>114</sup> समाप्त परियोजनाओं के मामलों में, रियायतग्राहियों/ ऋणदाताओं ने अनुबंध के निलंबन के बाद भी परिच्छेद-31.4.1<sup>115</sup> के उल्लंघन में ₹ 7.10 करोड़ ई.पी.सी. ठेकेदार और ऋणदाताओं के भुगतान हेतु, एस्क्रो खाते से समायोजित कर लिए (परिशिष्ट-4.9)। कंपनी ने परिच्छेद-31.4.1 के अंतर्गत निष्पादन सुरक्षा निधि जमा करने, वित्तीय समापन करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने में विलंब हेतु क्षतिपूर्ति राशि और स्वतन्त्र अभियंता शुल्क की वसूली हेतु कोई प्रयत्न नहीं किया, जिसका विवरण तालिका 4.1.8 में दर्शाया है:

#### तालिका 4.1.8: समाप्ति के पश्चात कंपनी को प्राप्य राशि की वसूली ना होना

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कंपनी की बकाया प्राप्य राशि				परियोजना लागत में वृद्धि के लिए वसूली योग्य राशि <sup>116</sup>	कुल राशि	निष्पादन सुरक्षा निधि राशि	(राशि ₹ करोड़ में)
		निष्पादन सुरक्षा निधि जमा करने में देरी	वित्तीय समापन में देरी	लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी	स्वतन्त्र अभियंता शुल्क				
1	ग्वालियर-एस.एच.-2	1.40	1.06	1.60	1.32	30.04	35.42	7.00	
2	ग्वालियर-9	1.59	1.55	4.74	2.62	66.29	76.79	7.93	
3	रीवा-एन.एच.-75(2)	3.21	6.52	20.26	2.29	193.85	226.13	16.05	
4	रीवा-एन.एच.-75(1)	2.58	6.14	37.61	3.58	68.29	118.20	12.89	
योग		8.78	15.27	64.21	9.81	358.47	449.41	43.87	

<sup>112</sup> अन्य परियोजनाओं के ऋणदाता द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अभियंता के दस्तावेज कंपनी के पास उपलब्ध नहीं थे।

<sup>113</sup> ग्वालियर-एस.एच.-2, ग्वालियर-9, रीवा-एन.एच.-75(2), रीवा-एन.एच.-75(1), ग्वालियर-8, एस.एच.-23, जबलपुर-6 और सागर-एस.एच.-37।

<sup>114</sup> ग्वालियर-एस.एच.-2, ग्वालियर-9, रीवा-एन.एच.-75(2), रीवा-एन.एच.-75(1)।

<sup>115</sup> वाक्य-31.4.1 निलंबन के बाद एस्क्रो खाते से राशि के समायोजन के क्रम को निर्दिष्ट करता है यथा सभी देय कर, देय ऋण का 90 प्रतिशत, बकाया रियायत शुल्क, कंपनी द्वारा प्रमाणित समस्त भुगतान एवं दण्ड इत्यादि।

<sup>116</sup> निलम्बित परियोजनाओं के शेष कार्यों को ई.पी.सी. माध्यम पर पुनः आवंटित करने के बाद बढ़ी परियोजना लागत।

कंपनी ने बताया (सितम्बर 2019) कि दण्ड की वसूली, निष्पादन सुरक्षा निधि का नगदीकरण करके पहले ही कर ली गयी थी तथा एस्क्रो खाते से वसूली की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, यह आश्वासन दिया गया (नवम्बर 2019) कि भविष्य में वे रियायतग्राहियों के एस्क्रो खातों की निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित करेंगे।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि सुरक्षा निधि का नगदीकरण करने के बाद भी यह राशि, निलम्बन के पश्चात शेष कार्य को आवंटित करने में कंपनी के द्वारा व्यय की गयी अतिरिक्त लागत को सम्मिलित करते हुए कंपनी को देय समस्त राशि की वसूली हेतु पर्याप्त नहीं थी। इसके अतिरिक्त, निर्माण अवधि के दौरान, अगर कंपनी निष्पादन सुरक्षा निधि से दण्ड की वसूली करती, तो उसे रियायतग्राही द्वारा मूल स्तर पर फिर से लाना आवश्यक था।

### रियायतग्राहियों से प्रीमियम राशि की कम वसूली

**4.1.27** रियायत अनुबंध के परिच्छेद-26.2.1 के अनुसार, रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही द्वारा कंपनी को वार्षिक प्रीमियम<sup>117</sup> का भुगतान करना आवश्यक होता है। प्रीमियम का निर्धारण संबंधित वर्ष में प्रीमियम राशि को तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पांच प्रतिशत बढ़ाकर निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त रियायत अनुबंध के परिच्छेद-47.5 के अनुसार, रियायतग्राही के द्वारा देरी से किये गए भुगतानों पर ब्याज<sup>118</sup> लगाया जाना था।

31 मार्च 2018 तक, कंपनी के द्वारा नौ<sup>119</sup> सड़क परियोजनाएँ टोल प्रीमियम माध्यम पर निष्पादित की गयी थी। तथापि, चार<sup>120</sup> रियायतग्राहियों ने परियोजनाओं के प्रारम्भ से ही ₹ 214.03 करोड़ की प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं किया। इसी प्रकार, दो<sup>121</sup> रियायतग्राहियों से ₹ 4.53 करोड़ के प्रीमियम का भुगतान लंबित था। प्रीमियम के भुगतान न करने का मुख्य कारण रियायतग्राहियों द्वारा टोल की अपर्याप्त वसूली बताया गया था। इसके अतिरिक्त, रीवा-एन.एच.-1 के मामले में, रियायतग्राही द्वारा देय प्रीमियम की राशि से ₹ 1.88 करोड़<sup>122</sup> कम प्रीमियम का भुगतान किया गया। कम्पनी ने कोई कारण दर्ज करे बिना कम भुगतान को स्वीकार कर लिया।

इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने अवलोकित कि रियायतग्राहियों द्वारा बताई गयी टोल आय के सत्यापन के लिए रियायत अनुबंधों में विशिष्ट परिच्छेद था। तथापि, उस परिच्छेद को लागू करने और प्रतिवेदित अपर्याप्त टोल राजस्व का सत्यापन करने से संबंधित दस्तावेज, दस्तावेजों में दर्ज नहीं पाए गए। इसके अतिरिक्त, निविदा समिति के लिए तैयार किये गए एजेंडा में (दिसम्बर 2013) यह सुझाव दिया गया था कि प्रीमियम की देय राशि के बराबर राशि की अतिरिक्त बैंक गारंटी प्राप्त की जानी चाहिए। फिर भी, कंपनी ने अतिरिक्त बैंक गारंटी प्राप्त करने हेतु रियायत अनुबंध में विशिष्ट परिच्छेद को सम्मिलित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। इससे बढ़कर, कंपनी ने प्रीमियम की वसूली हेतु एस्क्रो खातों की निगरानी नहीं की, जैसा कंडिका 4.1.26 में चर्चा की गयी है। जिसके परिणामस्वरूप, कंपनी को छः रियायतग्राहियों से प्रीमियम राशि की वसूली

<sup>117</sup> जैसा कि निविदा के समय रियायतग्राही द्वारा बोली लगाई गयी थी।

<sup>118</sup> बैंक दर से पांच प्रतिशत अधिक के बराबर दर पर।

<sup>119</sup> लेबाड़-जावरा (राज्य राजमार्ग), जावरा-नयागाँव (राज्य राजमार्ग), इंदौर-उज्जैन (राज्य राजमार्ग), उज्जैन-उन्हेल-जावरा (राज्य राजमार्ग), लेबाड़-मानपुर (राज्य राजमार्ग), महू-घाताबिल्लोद (राज्य राजमार्ग), भोपाल-बायपास (राज्य राजमार्ग), बीना-कुरवाई-सिरोंज (राज्य राजमार्ग) और रीवा से हनमना-मध्य प्रदेश / उत्तर प्रदेश सीमा (राष्ट्रीय राजमार्ग)।

<sup>120</sup> महाकालेश्वर टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एस्सेल महू घाटाबिल्लोद टोल रोड्स लिमिटेड, मैसर्स ट्रान्सट्रॉय भोपाल बायपास प्राइवेट लिमिटेड और हैंदराबाद एंड टेलीकम्पनीकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड।

<sup>121</sup> मैसर्स टॉपवर्थ टोलवेज (उज्जैन) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई और वलेचा एल.एम. टोल प्राइवेट लिमिटेड।

<sup>122</sup> रियायतग्राही ने ₹ 3.60 करोड़ के वार्षिक प्रीमियम की बोली लगाई थी। तथापि, रियायतग्राही ने वर्ष 2015-18 के लिए ₹ 1.88 करोड़ के कम प्रीमियम का भुगतान किया।

ना होने के कारण ₹ 218.56 करोड़ (31 मार्च 2018 तक) की हानि एवं अनुवर्ती ₹ 59.02 करोड़<sup>123</sup> के ब्याज की हानि हुई।

कंपनी ने बताया (सितम्बर 2019) कि रियायतग्राहियों को विभिन्न नोटिस जारी किये थे और यह आश्वासन दिया कि भविष्य में, रियायत अनुबंधों के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तर, रियायतग्राही से समान राशि की बैंक गारंटी प्राप्त कर प्रीमियम आय को सुरक्षित न करने और बताई गयी टोल राशि के सत्यापन न करने के कारण के विषय पर मौन है।

### **परियोजना निगरानी शुल्क, स्थापना प्रभार तथा स्वतन्त्र अभियंता शुल्क की वसूली न होना**

**4.1.28** रियायत अनुबंध के परिच्छेद-6.10.3, 7.3 और 25.4, रियायतग्राही को रियायत अवधि के अंत तक उसके द्वारा संग्रहित किये गए वार्षिक टोल का एक प्रतिशत, कंपनी को परियोजना निगरानी शुल्क के रूप में देना था। इसके अतिरिक्त, रियायत अनुबंध के परिच्छेद-17.6 और अनुसूची-पी के अनुसार, रियायतग्राही संचालन अवधि के दौरान प्रत्येक लेखांकन वर्ष के लिए, संग्रहित हुए टोल का एक प्रतिशत इसके स्थापना व्यय/स्वतन्त्र अभियंता शुल्क के व्यय हेतु कंपनी को भुगतान करेगा। यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत से 30 दिनों में देय और भुगतान योग्य था। रियायतग्राही द्वारा भुगतानों की देरी पर ब्याज<sup>124</sup> आरोपित किया जाना था (परिच्छेद-47.5)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2013–18 के दौरान, 36 रियायतग्राहियों से ₹ 48.99 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी, जिसमें से कंपनी ने मात्र ₹ 45.62 करोड़ की वसूली की, वो भी देय तिथि से 335 दिनों तक के विलंब से। इस प्रकार, मार्च 2018 के अंत तक, ₹ 3.37 करोड़ की वसूली योग्य राशि संचालन अवधि के दौरान परियोजना निगरानी शुल्क, स्थापना प्रभार और स्वतन्त्र अभियंता शुल्क के रूप में लंबित थी। बकाया राशि की वसूली न होने/ देर से होने के मुख्य कारण नियमित रूप से अनुसरण न करना, एस्क्रो खाते से वसूली न करना और कंपनी में परियोजना निगरानी शुल्क, स्थापना प्रभार और स्वतन्त्र अभियंता शुल्क की रियायतग्राही से वसूली की निगरानी के लिए तंत्र की अनुपस्थिति थे।

इसके अतिरिक्त, इंदौर-एस.एच.-1 और रीवा-एस.एच.-4 के रियायत अनुबंधों की अनुसूची-पी के अनुसार, कंपनी को स्वतन्त्र अभियंता शुल्क उनकी परियोजना लागत के दो प्रतिशत तक सीमित करना था। फिर भी, कंपनी ने दो प्रतिशत की सीमा से अधिक स्वतन्त्र अभियंता शुल्क क्रमशः ₹ 1.38 करोड़<sup>125</sup> तथा ₹ 3.01 करोड़<sup>126</sup> व्यय किये, जो कि रियायत अनुबंध में मैं विशिष्ट प्रावधान होने के बावजूद रियायतग्राहियों से वसूल नहीं किए गए। अतः, स्वतन्त्र अभियंता शुल्क पर व्यय निर्धारित सीमा से अधिक न हो इसको सुनिश्चित करने का कंपनी में कोई तंत्र नहीं था।

कंपनी ने बताया (सितम्बर 2019) कि देय राशि की वसूली के लिए स्मरण पत्रों और बैठकों के द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि इंदौर-एस.एच.-1 और रीवा-एस.एच.-4 परियोजनाओं में विलंब हुआ और उसी के अनुसार स्वतन्त्र अभियंता की सेवाएं भी बढ़ाई गयी, जिसके परिणामस्वरूप दो प्रतिशत की सीमा पार हो गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्वतन्त्र अभियंता के साथ किये

<sup>123</sup> भोपाल बायपास – ₹ 28.98 करोड़ और महू-घाटाबिल्लोद – ₹ 30.04 करोड़ (प्रीमियम की मुख्य रूप से वसूली इन दोनों परियोजनाओं में नहीं हुई, इस कारण ब्याज की गणना केवल इन परियोजनाओं के लिए की गई थी)।

<sup>124</sup> बैंक दर से पांच प्रतिशत अधिक के बराबर दर पर।

<sup>125</sup> इंदौर-एस.एच.-1 = स्वतन्त्र अभियंता शुल्क का व्यय ₹ 5.92 करोड़ – (परियोजना लागत ₹ 227 करोड़ x 2 प्रतिशत)।

<sup>126</sup> रीवा-एस.एच.-4 = स्वतन्त्र अभियंता शुल्क का व्यय ₹ 5.45 करोड़ – (परियोजना लागत ₹ 121.77 करोड़ x 2 प्रतिशत)।

गए अनुबंध पहले ही दो प्रतिशत की सीमा से अधिक राशि के थे। इसके अतिरिक्त, देय राशि की वसूली के लिए स्मरण पत्रों और रियायतग्राहियों से बैठकों के दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गए।

**अनुशंसा:** कंपनी को एस्क्रो खातों के प्रचालन की निगरानी न करने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करनी चाहिए और एस्क्रो खातों के परिचालन की पर्याप्त निगरानी करने के लिए रियायत अनुबंधों में प्रासंगिक परिच्छेदों को सम्मिलित करने के प्रयत्न करने चाहिए।

### निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण

**4.1.29** निष्पादन लेखापरीक्षा का पाँचवाँ उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परियोजनाओं की निगरानी प्रभावी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि बी.ओ.टी. परियोजनाओं की निगरानी के लिए कंपनी में प्रभावी तंत्र का अभाव था। सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति न होना, सड़कों की कमजोर निर्माण गुणवत्ता और रखरखाव, स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति में देरी और तकनीकी अधिकारियों द्वारा सड़कों की देखरेख के लिए अवास्तविक लक्ष्यों का निर्धारण जैसे दृष्टांत अवलोकित किए गए। विस्तृत लेखापरीक्षा अवलोकनों की निम्नानुसार चर्चा की गई है: —

#### परियोजनाओं की निगरानी के लिए संस्थागत तंत्र का अभाव

**4.1.30** योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी (अगस्त 2012) पी.पी.पी. परियोजनाओं की निगरानी के लिए संस्थागत तंत्र के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, पी.पी.पी. परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी के लिए, स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति के अतिरिक्त, कंपनी के स्तर पर पी.पी.पी. परियोजना निगरानी इकाई (पी.एम.यू.) की नियुक्ति और राज्य सरकार के स्तर पर पी.पी.पी. निष्पादन समीक्षा इकाई (पी.आर.यू.) की स्थापना की जानी थी। पी.एम.यू. द्वारा निगरानी के दायरे में, अन्य बातों के साथ, रियायत अनुबंध की शर्तों का अनुपालन और परियोजना की समय सीमा का पालन करने की निगरानी भी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्वतन्त्र अभियंता से परियोजनाओं की मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करके कंपनी द्वारा निगरानी की जा रही थी। निष्पादन के दौरान अवलोकित की गई कमियाँ और इसका सुधार भी स्वतन्त्र अभियंता के प्रतिवेदन के माध्यम से कंपनी / म.प्र.शा. के स्तर पर इसे सत्यापित किए बिना किया जा रहा था। तथापि, कंपनी ने बी.ओ.टी. परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी के लिए फील्ड स्तर के साथ-साथ कंपनी स्तर पर पी.एम.यू. और राज्य सरकार के स्तर पर पी.आर.यू. की स्थापना नहीं की। इसलिए, बी.ओ.टी. परियोजनाओं की निगरानी के लिए संस्थागत तंत्र के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हुआ।

परिणामस्वरूप, रियायत अनुबंध के प्रावधानों का पालन न करने के मुद्दे यानि निर्धारित लक्ष्य हासिल करने (कंडिका 4.1.15), वित्तीय समापन, निष्पादन सुरक्षा निधि जमा करने (कंडिका 4.1.19) में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति, एस्क्रो खातों से अधिक आहरण (कंडिका 4.1.26), इत्यादि देखे गए हैं जिनकी चर्चा पिछली कण्ठकाओं में की गयी है। इसके अतिरिक्त, कंपनी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित नहीं कर सकी जैसे कि रियायतग्राही द्वारा श्रम कल्याण उपकर का संग्रह, प्रेषण और मूल्यांकन, प्रतिष्ठानों और लाभार्थियों का पंजीकरण, कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं, आदि।

कंपनी ने बताया (सितंबर 2019) कि दिशानिर्देश सामान्य प्रकृति के हैं और इनका उद्देश्य परियोजना प्राधिकारियों को अपने स्वयं के संस्थागत तंत्र को विकसित करने में

सहायता करना था। पी.पी.पी. परियोजनाओं की निगरानी के लिए पहले से ही दो स्तरीय तंत्र है अर्थात् फ़ील्ड स्तर पर स्वतन्त्र अभियंता / संभागीय प्रबंधक और मुख्य कार्यालय स्तर पर महाप्रबंधक / मुख्य अभियंता। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिशानिर्देशों में विशेष रूप से रियायत अनुबंध की शर्तों और समय सीमाओं का पालन करने के लिए निगरानी तंत्र का प्रावधान था। परियोजना प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना थी। तथापि, न तो स्वतन्त्र अभियंता द्वारा ना ही मुख्य अभियंता द्वारा दिशानिर्देशों में उल्लिखित तंत्र का पालन किया जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त निगरानी और अनुवर्ती कमियां पाई गयीं।

### **सड़कों की देखरेख के लिए अयथार्थवादी लक्ष्य**

**4.1.31** कंपनी ने अपने संभागीय कार्यालयों में तैनात तकनीकी अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारी को अधिसूचित किया था, जिसमें, अन्य कार्यों के साथ-साथ सड़कों का साप्ताहिक निरीक्षण (प्रत्येक सप्ताह में चार दिन प्रबंधकों द्वारा और प्रत्येक सप्ताह में दो दिन सहायक महाप्रबंधक द्वारा), सड़कों का परीक्षण तथा मुख्यालय को प्रतिवेदन और बिल प्रस्तुत करना समिलित थे। 31 मार्च 2018 को इंदौर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा और भोपाल संभागों में नौ संभागीय प्रबंधक, 29 सहायक महाप्रबंधक और 24 प्रबंधक तैनात थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नौ संभागों में तकनीकी अधिकारियों द्वारा सड़कों की देखरेख के लिए तय किए गए लक्ष्य अयथार्थवादी थे। प्रत्येक तकनीकी अधिकारी द्वारा निगरानी की जाने वाली सड़कों की लंबाई, प्रत्येक सहायक महाप्रबंधक के लिए 447 किलोमीटर (छिंदवाड़ा) से 2,997 किलोमीटर (भोपाल) प्रति सप्ताह तक और प्रत्येक प्रबंधक के लिए 893 किलोमीटर (छिंदवाड़ा) से 5,993 किलोमीटर (भोपाल) प्रति सप्ताह तक था। विवरण तालिका 4.1.9 में प्रस्तुत किया गया है:

**तालिका 4.1.9 संभागों में प्रत्येक तकनीकी अधिकारी द्वारा निगरानी की जाने वाली सड़कों की लंबाई**

क्र. स.	संभाग	सड़कों की लंबाई (किलोमीटर)	तैनात सहायक महाप्रबंधकों की संख्या	तैनात प्रबंधकों की संख्या	प्रत्येक सहायक महाप्रबंधक द्वारा तय की जाने वाली साप्ताहिक लंबाई (किलोमीटर)	प्रत्येक प्रबंधक द्वारा तय की जाने वाली साप्ताहिक लंबाई (किलोमीटर)
1	इंदौर	1,499	4	2	999	1,999
2	ग्वालियर	973	3	4	556	1,113
3	रीवा	1,234	3	2	987	1,975
4	उज्जैन	2,192	3	3	1,461	2,923
5	नर्मदापुरम	626	2	1	835	1,669
6	जबलपुर	1,035	5	2	592	1,184
7	सागर	2,712	4	3	1,550	3,099
8	छिंदवाड़ा	669	2	4	447	893
9	भोपाल	4,495	3	3	2,997	5,993

इस प्रकार, संभागों में तैनात तकनीकी अधिकारियों द्वारा सड़कों की देखरेख के लिए निर्धारित लक्ष्य, वास्तविक मानवशक्ति के साथ समन्वित नहीं थे।

कंपनी ने इस तथ्य को स्वीकार किया (नवंबर 2019) और बताया कि कार्य की मात्रा का पुनर्मूल्यांकन किया जायेगा और तदनुसार मानवशक्ति की पदस्थापना की जाएगी।

### सङ्क निर्माण की अवमानक गुणवत्ता की स्वीकृति

**4.1.32** रियायत अनुबंध के परिच्छेद-13.3.1 के अनुसार, स्वतंत्र अभियंता को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि सङ्क निर्माण गुणवत्ता आश्वासन के लिए विशिष्टियों और मानकों के अनुरूप हो। पेवमेंट में सबग्रेड<sup>127</sup>, सब बेस कोर्स<sup>128</sup>, बेस कोर्स<sup>129</sup>, वियरिंग कोर्स<sup>130</sup> और सील कोट अवयव होते हैं।



लेखापरीक्षा ने स्वतंत्र अभियंता के मासिक निरीक्षण प्रतिवेदनों और कंपनी के दस्तावेजों से, 28 में से चार परियोजनाओं के मामले में गुणवत्ता मानकों का पालन न करने के निम्नलिखित उदाहरणों का अवलोकन किया:

- नादीगाँव-स्योंधा एम.डी.आर. के मामले में, निचली परत (सबग्रेड) के ऊपर दानेदार सब बेस (जी.एस.बी.) की ऊपरी परत में लगाई गई मुरम पदार्थ को मानदंडों की तुलना में इसकी अवर गुणवत्ता (कैलिफोर्निया वियरिंग अनुपात) के कारण निचली परत (सबग्रेड) के रूप में ही माना गया था। इसके बाद यह अवलोकित किया गया कि रियायतग्राही द्वारा किया गया अधिकांश कार्य बाद में (अगस्त 2015) ख़राब हो गया।
- गढ़ाकोटा-रेहली-देवरी एम.डी.आर. के मामले में, रियायतग्राही ने, जहां मध्य भाग में मौजूदा पेवमेंट बिटुमिनस परत का था, वहां पेवमेंट की कांक्रीट परत के नीचे सब बेस की कांक्रीट परत नहीं बिछाई। रिजिड पेवमेंट का रूपांकन भी लंबित था। इसके बाद, रिजिड पेवमेंट में खुली दरारें कई स्थानों पर देखी गई। इसके आगे लेखापरीक्षा में यह पता चला कि आवश्यकता से अधिक बड़े आकार की सामग्री का उपयोग किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप जी.एस.बी. परत का अपर्याप्त संघनन हुआ। डेंस बिटुमिनस मैकडम (डी.बी.एम.) की परत भी डी.बी.एम. डिजाइन के लिए अनुशंसित जॉब मिक्स फॉर्मूला के अनुसार नहीं थी। वेट मिक्स्ड मैकडम (डब्ल्यू.एम.एम.) परत को 250 मिलीमीटर की स्वीकृत मोटाई के मुकाबले 40.180 किलोमीटर पर 50 मिलीमीटर से कम मोटाई और 40.130 किलोमीटर पर 100 मिलीमीटर से कम मोटाई के साथ बिछाया गया, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए सङ्क प्रयोग करने की गुणवत्ता प्रभावित हुई।
- आई.आर.सी.: एसपी 73, सीमेंट उपचारित मिट्टी सब बेस को अपनाकर सब बेस (निचली परत) के निर्माण को जी.एस.बी. (ऊपरी परत) के रूप में मानने का प्रावधान करता है। बैतूल-सारणी-परासिया राज्य राजमार्ग के मामले में, रियायतग्राही ने सङ्क के

<sup>127</sup> सबग्रेड सङ्क के प्राथमिक घटक मिट्टी से बना है।

<sup>128</sup> सब बेस सबग्रेड के ऊपर रखी जाती है जो बोल्डर और मूरम (दानेदार सामग्री) से बनी होती है।

<sup>129</sup> बेस कोर्स सब बेस के ऊपर रखा जाता है जो बिटुमिनस मिश्रण या दानेदार सामग्री से बना होता है।

<sup>130</sup> वियरिंग कोर्स बेस कोर्स के ऊपर बिछाया जाता है जो बिटुमिनस सामग्री से बनता है।

32 किलोमीटर लंबाई के निर्माण के लिए गलत तरीके से सब बेसकोर्स के बजाय 200 मिलीमीटर मोटी सीमेंट ट्रीटेड बेस कोर्स (ऊपरी परत) को अपनाया। बेस कोर्स के रूप में सीमेंट उपचारित मिट्टी का उपयोग करने के परिणामस्वरूप, सड़क की सतह में दरारें देखी गईं।

कंपनी ने बताया (मई 2019) कि रियायतग्राही ने सीमेंट ट्रीटेड बेस डिजाइन कॉन्सेप्ट को चुना है और रियायत अनुबंध के अनुसार, वह परिचालन की अवधि के दौरान परियोजना को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह उत्तर सड़क की सतह में दरार से संबंधित समस्या के बारे में व्याख्या नहीं करता है जिसके परिणामस्वरूप सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सेवा स्तर में कमी आई।

- रतलाम—सैलाना—बॉसवाड़ा एस.एच. के संबंध में, लेखापरीक्षा ने अवलोकित कि सरवन और धामनोद बाईपास पर सड़क के चरम छोर पर बिजली के खंभे खड़े किए जाने थे, जिन्हें वास्तव में शोल्डर और सड़क से सटाकर खड़ा किया गया था, जो यह दर्शाता था कि जन व्यवस्था के स्थानांतरण को ठीक से निष्पादित नहीं किया गया था तथा बी.ओ.टी. सड़क परियोजनाओं की निगरानी उस सीमा तक कम थी।

कंपनी ने बताया (सितंबर 2019) कि भुगतान करने से पहले खामियों को ठीक कर लिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजना की पूर्णता (27 जून 2015) के बाद भी खामियां रही, जो कंपनी द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन में निगरानी की कमी को भी दर्शाता है।

उपरोक्त सभी दृष्टांतों से इंगित हुआ कि कंपनी ने अवमानक कार्य स्वीकार किये। इस प्रकार, अपर्याप्त निगरानी के कारण, रियायत अनुबंध के अनुसार सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

### औसत गुणवत्ता वाली सतह वाली सड़कों की स्वीकृति

**4.1.33** आई.आर.सी.—एस.पी. 73—2007 के पैराग्राफ 5.4.3 में यह प्रावधान है कि निर्मित सड़कों को रफनेस के मानक<sup>131</sup> को पूरा करना चाहिए और सड़क की अच्छी गुणवत्ता के लिए यह 2,000 मिलीमीटर प्रति किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। संचालन अवधि के दौरान, सड़क की सतह की रफनेस, रियायत अनुबंध की अनुसूची—के में निर्दिष्ट मापदंडों से अधिक नहीं होना चाहिए। एम.सी.ए. की अनुसूची—के में 2,750 मिलीमीटर प्रति किलोमीटर का रफनेस मान निर्दिष्ट है। इस मान से विचलन के मामले में, रियायतग्राही को नवीनीकरण/ औवरलेइंग द्वारा सवारी की गुणवत्ता को 2,000 मिलीमीटर प्रति किलोमीटर तक लाना आवश्यक था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि रियायत अनुबंध में, कंपनी ने बिना कारण दर्ज किए, 2,750 मिलीमीटर प्रति किलोमीटर (एम.सी.ए. के अनुसार) के बजाय 3,000 मिलीमीटर प्रति किलोमीटर तक के रफनेस के उपरोक्त मानदंडों को शामिल किया, जो सड़कों की अच्छी गुणवत्ता की बजाय औसत गुणवत्ता के लिए लागू था।

नौ<sup>132</sup> परियोजनाओं (पांच एम.डी.आर. और चार राज्य राजमार्ग) की छमाही बंप इडिकेटर (बी.आई.) प्रतिवेदन (2016–18) की जांच से पता चला कि उपरोक्त नौ सड़क परियोजनाओं में से सात<sup>133</sup> के रफनेस सूचकांक 2,750 मिलीमीटर प्रति किलोमीटर की निर्धारित सीमा से अधिक था। आगे यह देखा गया कि इंदौर–2 परियोजना के मामले में, नवंबर 2016 में दर्शाए गए रफनेस सूचकांक मई 2016 के रफनेस सूचकांक से

<sup>131</sup> कैलिब्रेटेड बम्प इंटीग्रेटर (बी.आई.) द्वारा मापा जाता है।

<sup>132</sup> नर्मदापुराम—एस.एच.—1, इंदौर—5, सागर—1, सागर—एस.एच.—2, इंदौर—2, भोपाल—1, ग्वालियर—एस.एच.—1, उज्जैन—एस.एच.—2 और ग्वालियर—2। इंदौर—1, रीवा—एन.एच.—1, इंदौर—एस.एच.—1 और रीवा—एस.एच.—4 परियोजनाओं के बी.आई. परीक्षणों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए।

<sup>133</sup> नर्मदापुराम—एस.एच.—1, इंदौर—5, सागर—1, सागर—एस.एच.—2, उज्जैन—एस.एच.—2 और ग्वालियर—2।

अधिक थे, यह दर्शाता है कि सड़क की सतह निरन्तर ख़राब होती रही, और संचालन की अवधि के दौरान रियायतग्राही द्वारा सड़क का रखरखाव मानक के अनुसार नहीं किया जा रहा था। तथापि, संचालन की अवधि के दौरान इन सड़कों को ओवरले/नवीनीकृत नहीं किया गया।

इस प्रकार, 2,750 मिलीमीटर प्रति किलोमीटर के बजाय 3,000 मिलीमीटर प्रति किलोमीटर तक के रफनेस के मानदंडों को शामिल करने के कारण, सड़क उपयोगकर्ताओं को औसत गुणवत्ता की सड़कों का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ा, इसके अलावा रियायतग्राहियों को नवीकरण/ओवरले की देयता से छूट मिली।

कंपनी ने बताया (नवंबर 2019) कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुसार 2,000 मिलीमीटर प्रति किलोमीटर के रफनेस का मापदंड नवनिर्मित फ्लैक्सिबल पैवर्मेंट की स्वीकृति के लिए है और संचालन अवधि के दौरान लंबे समय तक उपयोग के दौरान वियर एंड टियर के कारण, रफनेस का मान 3,000 मिलीमीटर प्रति किलोमीटर तक होता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम.सी.ए. विशेष रूप से संचालन अवधि के दौरान सड़क की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 2,750 मिलीमीटर प्रति किलोमीटर तक रफनेस सूचकांक बनाए रखने के लिए था, जो नहीं किया गया।

### **संचालन की अवधि के दौरान सड़क का खराब रखरखाव**

**4.1.34** रियायत अनुबंध के परिच्छेद-17.2 के अनुसार, पूरे संचालन की अवधि के दौरान, रियायत अनुबंध की अनुसूची—के में निर्धारित रखरखाव आवश्यकताओं के अनुसार सड़कों के रख रखाव के लिए रियायतग्राही जिम्मेदार था। खराबी या कमी के मामले में, रियायतग्राही को निर्दिष्ट समय के भीतर मरम्मत/सुधार करने की आवश्यकता थी। 16 पूर्ण सड़क परियोजनाओं में से नौ<sup>134</sup> के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, अनुसूची—के में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार सड़कों के रखरखाव में निम्न कमियां देखी गयी।

- चार सड़कों (इंदौर-1, इंदौर-एस.एच.-1, नर्मदापुरम-एस.एच.-1 और रीवा-एन.एच.-1) में एक किलोमीटर तक फैली सड़क की पांच प्रतिशत से अधिक सड़कों की सतह पर गड्ढे और दरारें देखी गईं।
- सात सड़कों (इंदौर-1, इंदौर-एस.एच.-1, नर्मदापुरम-एस.एच.-1, सागर-एस.एच.-2, रीवा-एन.एच.-1, उज्जैन-एस.एच.-3 और ग्वालियर-एस.एच.-1) में रियायतग्राहियों द्वारा शोल्डर्स से मलबा नहीं हटाया गया।
- नौ सड़कों में प्रोफाइल को नुकसान, खराब दृश्यता के अलावा रोड साइड फर्नीचर की रेट्रो-रिप्लेविटिटी का नुकसान देखा गया।
- सड़कों पर वृक्षारोपण और आराम क्षेत्रों को आवश्यकता के अनुसार संधारित नहीं रखा गया।
- सभी नौ सड़कों के मामले में शोल्डर्स, साइड ढलान, नालियों और पुलियों को आवश्यकता के अनुसार संधारित नहीं रखा गया।
- तीन सड़कों (इंदौर-1, इंदौर-एस.एच.-1 और नर्मदापुरम-एस.एच.-1) में क्रैश बैरियर में क्षति या क्षय को अवलोकित किया गया।

इसलिए, संचालन की अवधि के दौरान रियायतग्राही द्वारा सड़कों के रखरखाव की प्रभावी ढंग से निगरानी करने में और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई पर जोर देने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप, उपयोगकर्ताओं को सड़कों की औसत गुणवत्ता का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

<sup>134</sup> इंदौर-1, इंदौर-एस.एच.-1, नर्मदापुरम-एस.एच.-1, सागर-3, सागर-1, सागर-एस.एच.-2, रीवा-एन.एच.-1, उज्जैन-एस.एच.-3 और ग्वालियर-एस.एच.-1।

कंपनी ने बताया (सितंबर 2019) कि कंपनी के अधिकारी समय—समय पर सड़कों का निरीक्षण करते हैं और परियोजना समीक्षा बैठकों में चर्चा करते हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी के अधिकारियों के निरीक्षण और परियोजना समीक्षा बैठकों के बावजूद, अनुसूची—के में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार सड़कों के रखरखाव में कमियां देखी गईं।

### **सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति न होना**

**4.1.35** रियायत अनुबंध के परिच्छेद—18.1.2 में कंपनी द्वारा सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति का प्रावधान था, जो सड़कों की सुरक्षा लेखापरीक्षा करने और सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था। कंपनी द्वारा एक समर्पित सुरक्षा कोष संचालित किया जाता है जिसमें रियायतग्राही द्वारा परियोजना समाप्ति तिथि के 180 दिनों के भीतर परियोजना लागत की 0.25 प्रतिशत राशि जमा की जाती है। सुरक्षा आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किये जाने वाले कार्यों और सेवाओं पर लागत और व्यय इस सुरक्षा कोष से करना था।

लेखापरीक्षा ने विस्तृत जाँच के लिए चयनित बी.ओ.टी. सड़क परियोजनाओं में पाया कि कंपनी ने से किसी के भी संबंध में सुरक्षा लेखापरीक्षा नहीं की। इसके अलावा, कंपनी द्वारा आठ<sup>135</sup> परियोजनाओं के मामले में, कार्यों के मदों में कमी के लिए ₹ 24.53 करोड़ का ऋणात्मक कार्य क्षेत्र में परिवर्तन सुरक्षा लेखापरीक्षा करवाए बिना अनुमोदित किये गए, जिसमें मौजूदा पेवमेंट पर पुनर्निर्माण के बजाय ओवरलेइंग, पुलों/स्लैप पुलियों के चौड़ीकरण के बजाय उनके पुनर्निर्माण और कम चौड़ाई की सड़कों का निष्पादन आदि शामिल थे।

सुरक्षा कोष का भी बेहतर उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि 31 मार्च 2018 तक कंपनी को सुरक्षा कोष में ₹ 10.69 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जिसमें से केवल ₹ 6.23 करोड़ का उपयोग किया गया और ₹ 4.46 करोड़ की शेष राशि बिना उपयोग किये पड़ी रही।

इस प्रकार, सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति नहीं होने के कारण, सुरक्षा लेखापरीक्षा नहीं की गई। इसके अलावा, कंपनी ने सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किए बिना ऋणात्मक कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की अनुमति दी और परिणामस्वरूप, सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के साथ उस सीमा तक समझौता किया गया।

कंपनी ने स्वीकार किया (सितंबर 2019) कि सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

### **स्वतंत्र अभियंताओं के नियोजन में विलंब**

**4.1.36** रियायत अनुबंध के अनुसार, कंपनी को रियायत अनुबंध की तिथि से 90 दिनों के भीतर स्वतंत्र अभियंता नियुक्त करना आवश्यक था (परिच्छेद—23.1)। स्वतंत्र अभियंता की भूमिका और कार्यों में अन्य बातों के साथ साथ, कार्य की आयोजना के चरण में आरेखनों की समीक्षा, निर्माण के दौरान कार्य का निरीक्षण और निगरानी, निर्माण के पूरा होने पर परीक्षण संचालित करना और पूर्णता प्रमाणपत्र (अनुसूची—क्यू) जारी करना सम्मिलित थे।

तथापि, यह देखा गया कि 12 समाप्त परियोजनाओं में से नौ<sup>136</sup> में और 16 पूर्ण परियोजनाओं में से 11<sup>137</sup> में, कंपनी ने स्वतंत्र अभियंता को 13 दिनों

<sup>135</sup> ग्वालियर—2, सागर—एस.एच.—2, इंदौर—एस.एच.—1, इंदौर—1, इंदौर—2, उज्जैन—एस.एच.—2, इंदौर—3 और भोपाल—1।

<sup>136</sup> ग्वालियर—9, ग्वालियर—एस.एच.—2, ग्वालियर—8, जबलपुर—6, रीवा—एन.एच.—75(1), रीवा—एन.एच.—75 (2), सागर—एस.एच.—37, एस.एच.—23 और एस.एच.—54। छिंदवाड़ा—एम.डी.आर. और जबलपुर—एन.एच.—12 परियोजनाओं के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

(उज्जैन—एस.एच.—3) से 681 दिनों (एस.एच.—23) तक के विलंब से नियुक्त किया। स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति में विलंब के मुख्य कारण कंपनी द्वारा स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू करने और पुनः निविदा आमंत्रित करने में विलंब थे। इस प्रकार, स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति में विलंब के परिणामस्वरूप कार्यों के निष्पादन से पहले परियोजनाओं के नियोजन चरणों में विशिष्ट सेवाओं का लाभ नहीं उठाया गया। इस कारण ₹ 32.78 करोड़ के अनियमित कार्य क्षेत्र में परिवर्तन में भी योगदान हुआ, जैसा कि कंडिका 4.1.18 में चर्चा की गयी है।

कंपनी ने बताया (सितंबर 2019) कि रियायतग्राहियों द्वारा वित्तीय समापन की उपलब्धि में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप नियुक्ति तिथि की घोषणा में विलंब हुआ और रियायतग्राहियों ने नियुक्ति तिथि तक निर्माण गतिविधि प्रारंभ नहीं की। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रियायत अनुबंध के अनुसार, स्वतंत्र अभियंता को नियुक्ति तिथि से पहले भी रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत की जाने वाले आरेखों की एक विस्तृत समीक्षा करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, पाँच<sup>138</sup> परियोजनाओं के मामले में, स्वतंत्र अभियंता को कंपनी द्वारा वित्तीय समापन की तारीख के भी बाद नियुक्त किया गया।

### वेस्टिंग प्रमाण पत्र न जारी करना

**4.1.37** रियायत अनुबंध के परिच्छेद—38 के अनुसार रियायत अनुबंध की समाप्ति पर, रियायतग्राही वंचितिकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा और स्वतन्त्र अभियंता सङ्कों और रखरखाव की आवश्यकताओं के उल्लंघन, यदि कोई हो तो, को सत्यापित करेगा, जिसे रियायतग्राही द्वारा ठीक किया जाएगा। इसके अलावा, यह प्रावधान भी था कि कंपनी एक वेस्टिंग प्रमाण पत्र जारी करेगी, जिसके तहत परियोजना में रियायतग्राही के अधिकार, स्वामित्व और हित कंपनी को स्थानांतरित होंगे।

तथापि, किसी भी समाप्त परियोजनाओं में, समाप्ति से पहले स्वतन्त्र अभियंता द्वारा इस तरह का कोई सत्यापन/ परीक्षण नहीं किया गया और कंपनी द्वारा कोई वेस्टिंग प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, 12 समाप्त परियोजनाओं में से चार<sup>139</sup> के मामले में, कंपनी ने ई.पी.सी. ठेकेदारों के माध्यम से शेष कार्य पूरा कराते हुए, सङ्कों की उन विभिन्न परतों की लंबाई के लिए ₹ 21.07 करोड़ का भुगतान किया (0.74 किलोमीटर से 9.83 किलोमीटर तक), जो रियायतग्राही द्वारा पूर्ण की हुई बताई गयी<sup>140</sup> थी।

कंपनी ने बताया (सितंबर 2019) कि चूंकि स्वतन्त्र अभियंता ने रियायतग्राही द्वारा किए गए भौतिक कार्यों का मूल्यांकन किया है, अतः वेस्टिंग प्रमाण पत्र जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वेस्टिंग प्रमाण पत्र जारी करने से छूट के लिए रियायत अनुबंध में कोई परिच्छेद नहीं था।

इस प्रकार, वेस्टिंग प्रमाण पत्र जारी न होने के कारण, कंपनी के पास किसी भी समाप्त परियोजना के मामले में वंचितिकरण का सबूत नहीं था। इससे भविष्य में भी, परियोजनाओं में अधिकार, स्वामित्व और हित से सम्बंधित विवाद, यदि कोई हो, से संबंधित कानूनी विवाद पैदा हो सकता है।

**अनुशंसा:** कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए उचित निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए और बनाई गई

<sup>137</sup> भोपाल—1, इंदौर—2, इंदौर—5, इंदौर—एस.एच.—1, रीवा—एन.एच.—1, रीवा—एस.एच.—4, सागर—1, सागर—3, सागर—एस.एच.—2, उज्जैन—एस.एच.—2 और उज्जैन—एस.एच.—3।

<sup>138</sup> ग्वालियर—एस.एच.—2, रीवा—एन.एच.—75 (1), सागर—एस.एच.—37, एस.एच.—23 और इंदौर—एस.एच.—1।

<sup>139</sup> जबलपुर—6 (₹ 8.29 करोड़), रीवा—एस.एच.—4 (₹ 2.99 करोड़), ग्वालियर—9 (₹ 8.72 करोड़) और ग्वालियर—8 (₹ 1.07 करोड़)।

<sup>140</sup> स्वतन्त्र अभियंता की रिपोर्ट के अनुसार।

सङ्क की गुणवत्ता रियायत अनुबंधों और उसमें निर्धारित समय सीमाओं के अनुपालन में क्रियान्वित किया जाए।

### निष्कर्ष

- उन्नयन के लिए सङ्क परियोजनाओं के चयन के आधार के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, इस कारण लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि सङ्क परियोजनाओं की आयोजना यथोचित जांच पड़ताल के बाद बनाई गई थी।
- पी.पी.पी. माध्यम का चयन, व्यवहार्यता अध्ययन के परिणाम के आधार पर तय नहीं किया गया, जिससे व्यवहार्यता अध्ययन के उद्देश्य उस सीमा तक विफल हुए।
- कंपनी ने त्रुटीयुक्त व्यवहार्यता प्रतिवेदन को संबंधित संभागीय कार्यालयों के माध्यम से स्वतंत्र सत्यापन कराये बिना, उन्हें उनकी फेस वैल्यू पर अपनाया। परिणामस्वरूप, परियोजनाओं में विलंब हुए और परियोजना लागतों में वृद्धि हुई।
- कंपनी ने रियायतग्राही और ई.पी.सी. ठेकेदारों के चयन के लिए आर.एफ.क्यू. प्रावधानों का पालन नहीं किया और आवश्यकता से कम इकिवटी के साथ एस.पी.वी. का गठन स्वीकार किया। इससे कार्यों के धीमे कार्यान्वयन में योगदान हुआ। कंपनी ने रियायत अनुबंधों को समाप्त कर दिया और शेष कार्यों को बी.ओ.टी. माध्यम के बजाय ई.पी.सी. आधार पर कराया जिससे बी.ओ.टी. का उद्देश्य विफल रहा।
- कंपनी की ओर से 'निष्पादन सुरक्षा निधि' के परिच्छेदों की कमी को बनाए रखने में विभिन्न प्रक्रियात्मक खामियाँ थी, जिसके परिणामस्वरूप निष्पादन सुरक्षा निधि जमा करने और वित्तीय समापन प्राप्त करने में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति राशि की वसूली नहीं हुई।
- कंपनी ने रियायतग्राहियों द्वारा परियोजना के लक्ष्य की उपलब्धि में विलंब के लिए उनसे क्षतिपूर्ति राशि की वसूली नहीं की।
- कंपनी ने कार्य पूर्णता अवधि के निर्धारण के लिए एम.सी.ए. को नहीं अपनाया, जिसके कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं थे। यदि कंपनी ने कार्य पूर्णता अवधि के निर्धारण के लिए एम.सी.ए. को अपनाया होता, तो कंपनी रियायतग्राहियों को भुगतान किए गए बोनस की बचत कर सकती थी।
- कंपनी ने सङ्कों और संरचनाओं के कार्यों की मदों में वृद्धि के लिए 11 रियायतग्राहियों को कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिए भुगतान किया, यद्यपि वे मदें रियायत अनुबंध की विस्तृत कार्य की अनुसूची में पहले से ही सम्मिलित थीं।
- कैरिजवे की कुल लंबाई, पुलों के निर्माण और चौड़ीकरण, बिटुमिनस कंक्रीट का कार्य, शोल्डर्स का कार्य आदि के निर्माण को पूरा किए बिना आठ परियोजनाओं के अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए गए।
- एस्क्रो खाते के संचालन में तत्पर निगरानी प्रणाली का अभाव था और ऐसे उदाहरण पाए गए जहां ऋणदाता के स्वतन्त्र अभियंता ने कम्पनी के स्वतन्त्र अभियंता द्वारा सूचित कार्य की प्रगति से अधिक प्रगति बताई। कंपनी ने ऋणदाता के स्वतन्त्र अभियंता के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किये और इस प्रकार, उन दोनों के बीच के अंतर के मिलान में विफल रही। इसके कारण रियायतग्राहियों को अधिक ऋण राशि का संवितरण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप समाप्त परियोजनाओं के संबंध में रियायतग्राहियों द्वारा ऋणों का पुनर्भुगतान न किए जाने के कारण वह नॉन-परफोर्मिंग असेट्स हो गई।

- कंपनी ने कंपनी/ राज्य सरकार के स्तर पर परियोजना निगरानी इकाई एवं निष्पादन समीक्षा इकाई की रथापना नहीं की, जिससे बी.ओ.टी. सड़क परियोजनाओं की त्वरित और प्रभावी निगरानी प्रभावित हुई।
- संभागों में तैनात तकनीकी अधिकारियों द्वारा सड़कों के पर्यवेक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य अवास्तविक थे और तैनात वास्तविक मानवशक्ति के साथ समन्वित नहीं थे।
- नौ सड़कों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में भी सड़कों के रखरखाव और गुणवत्ता मानकों में विभिन्न कमियां सामने आईं।

## अध्याय—5



## अध्याय—5

### राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

इस अध्याय में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेन-देनों की नमूना जांच में प्राप्त महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है।

#### दि प्रॉविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

##### 5.1 ब्याज का परिहार्य भुगतान

नियत समय सीमा में वार्षिक आयकर विवरणी दाखिल न करने एवं कम अग्रिम कर जमा करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.14 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 208 के अनुसार प्रत्येक मामले में, जहां करदाता द्वारा वर्ष में देय कर ₹ दस हजार<sup>1</sup> या अधिक होता है, अग्रिम कर देय होता है। अधिनियम की धारा 234ख प्रावधान करती है कि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता जो धारा 208 के अनुसार अग्रिम का दायी है और कर भुगतान में विफल रहता है या करदाता द्वारा अग्रिम कर का भुगतान कर दिया गया है लेकिन उक्त भुगतान निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम है तो करदाता द्वारा निर्धारित कर और अग्रिम कर के अंतर की राशि पर अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रत्येक माह एक प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।

तदन्तर, अधिनियम की धारा 234ग प्रावधान करती है कि यदि करदाता अग्रिम कर भुगतान में असफल रहता है या भुगतान किया गया अग्रिम कर 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर और 31 मार्च को देय कर का क्रमशः 15 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 75 प्रतिशत, 100 प्रतिशत से कम है, तो करदाता को कमी की राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा। धारा 234क के प्रावधानों के अनुसार, किसी मामले में किसी निर्धारण वर्ष में आय विवरणी नियत तिथि के बाद दाखिल की जाती है, तो एक प्रतिशत प्रतिमाह या माह के भाग पर, ऐसे कर राशि जो निर्धारित आय में से अग्रिम कर और स्त्रोत पर काटे

<sup>1</sup> वित्त अधिनियम, 2009 के 01.04.2009 से पांच हजार के लिए प्रतिस्थापन।

गये/ इकट्ठा किए गए कर को घटाकर प्राप्त की गयी हो, साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जुलाई 2018) कि दि प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ने नियत समय में अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया था। साथ ही उन्होंने देय तिथि तक के वार्षिक आय की विवरणी (आईटीआर) भी दाखिल नहीं की थी। अभिलेखों की जांच यह संकेत करती है कि कम्पनी देय तिथि तक आयकर विवरणी दाखिल करने एवं नियत तिथि पर अग्रिम कर का निर्दिष्ट प्रतिशत जमा करने में अनियमित रही है। 2007–08 से 2017–18 तक के वार्षिक खातों को देरी से तैयार किये जाने के कारण कम्पनी ने कर निर्धारण वर्षों 2008–09 से 2018–19 की आय कर विवरणी 328 दिन से 548 दिनों की देरी से दाखिल की (*परिशिष्ट-5.1*)। निर्धारण वर्षों 2008–09 से 2018–19 तक कम्पनी ने धारा 234क, 234ख एवं 234ग के तहत ₹ 1.14 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया, जो बचाया जा सकता था, यदि कम्पनी निर्धारित देय तिथि तक अग्रिम कर का सही आंकलन करती एवं त्रैमासिक आधार पर भुगतान करती।

उत्तर में वित्त विभाग ने कहा (अक्टूबर 2018) कि वर्तमान स्थिति तत्कालीन प्रबंधन द्वारा सही समय पर लेखापरीक्षा न करा पाने के कारण उत्पन्न हुई है। वर्तमान प्रबंधन ने संबंधित कर्मचारियों को कम्पनी की सेवा से हटा दिया है (19 दिसम्बर 2017) एवं आपराधिक प्रकरणों के लिए उन पर एफ.आई.आर. दर्ज की और आवास भी खाली करा लिये गये हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी अधिनियम 1956 / 2013 की धारा 210 / 129 के अनुसार, कम्पनी का यह दायित्व है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर खाते शेयरधारकों की वार्षिक आम सभा में रखे। इसके अलावा, कम्पनी संबंधित वर्षों के लिए अपनी आय के आधार पर कर दायित्व का निर्धारण कर सकती थी।

बि. कौ. मु.

(बिजित कुमार मुखर्जी)  
महालेखाकार  
(लेखापरीक्षा—द्वितीय)  
मध्य प्रदेश

भोपाल  
दिनांक: 15 जुलाई 2020

प्रतिहस्ताक्षरित

राजीव महर्षि

(राजीव महर्षि)  
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली  
दिनांक: 22 जुलाई 2020



# परिशिष्ट



**परिशिष्ट – 1.1**  
**(कांडिका 1.8, 1.9 और 1.12 से संदर्भित )**

**ऊर्जा क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों के अंतिमीकृत लेखों के वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश**

₹ करोड़ में

क्र. सं.	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम का नाम और कार्य	लेखों की अवधि	ब्याज व कर पूर्व निवल लाभ / हानि	ब्याज व कर पश्चात निवल लाभ / हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी (1)	नेट वर्थ (2)	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>क.</b>	<b>उत्पादन</b>								
<b>1</b>	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.ज.कं.लि.)	2017–18	1,352.98	32.73	7,245.19	6,251.26	15,106.33	3,266.82	-2,961.89
	<b>योग</b>		<b>1,352.98</b>	<b>32.73</b>	<b>7,245.19</b>	<b>6,251.26</b>	<b>15,106.33</b>	<b>3,266.82</b>	<b>-2,961.89</b>
<b>ख.</b>	<b>पारेषण</b>								
<b>2</b>	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि.)	2017–18	235.06	32.48	2,793.99	2,988.69	4,955.74	2,754.52	-234.17
	<b>योग</b>		<b>235.06</b>	<b>32.48</b>	<b>2,793.99</b>	<b>2,988.69</b>	<b>4,955.74</b>	<b>2,754.52</b>	<b>-234.17</b>
<b>ग.</b>	<b>वितरण</b>								
<b>3</b>	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.)	2017–18	-1,096.07	-2,190.46	9,059.22	5,446.36	1,164.92	-9,312.31	-14,758.67
<b>4</b>	मध्य प्रदेश परिचम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.)	2016–17	931.28	552.89	12,305.01	3,049.43	3,674.82	-6,216.16 (4)	-9,344.81
<b>5</b>	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.)	2017–18	-1,518.21	-2,716.79	9,616.42	5,544.21	-1,628.30	-12,384.34	-17,928.55
			<b>-1,683.00</b>	<b>-4,354.36</b>	<b>30,980.65</b>	<b>14,040.00</b>	<b>3,211.44</b>	<b>-27,912.81</b>	<b>-42,032.03</b>
<b>घ.</b>	<b>अन्य</b>								
<b>6</b>	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (म.प्र.ऊ.वि.नि.लि.)	2016–17	—	—	24.42	0.69	2.39	0.69	—
<b>7</b>	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.मै.कं.लि.)	2016–17	96.13	—	24,999.04	6,074.12	600.98	99.52	—
	<b>योग</b>		<b>96.13</b>	<b>—</b>	<b>25,023.46</b>	<b>6,074.81</b>	<b>603.37</b>	<b>100.21</b>	<b>—</b>
	<b>योग कार्यशील (क+ख+ग+घ)</b>		<b>-468.95</b>	<b>-4,289.15</b>	<b>66,043.29</b>	<b>29,354.76</b>	<b>23,876.88</b>	<b>-21,791.26</b>	<b>-45,228.09</b>
<b>ঙ.</b>	इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं								
<b>8</b>	दादा धूर्णीवाले खंडवा पावर लिमिटेड (दा.धू.खं.पा.लि.)	2016–17	-2.23	-3.06	—	45.00	36.38	36.38	-8.62

<b>9</b>	शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (शा.थ.पा.कं.लि.)	2017–18	0.01	—	—	0.05	4.53	0.08	0.03
<b>10</b>	बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (बा.थ.पा.कं.लि.)	2017–18	0.01	—	—	0.05	0.61	−2.88	−2.93
<b>11</b>	श्री सिंगाजी पावर परियोजना लिमिटेड (श्री.सि.पा.प.लि.)	2017–18	—	—	—	0.05	0.04	0.04	−0.01
योग			<b>−2.21</b>	<b>−3.06</b>	<b>—</b>	<b>45.15</b>	<b>41.56</b>	<b>33.62</b>	<b>−11.53</b>
सकल योग (कार्यशील और अकार्यशील)			<b>−471.16</b>	<b>−4,292.21</b>	<b>66,043.29</b>	<b>29,399.91 (3)</b>	<b>23,918.44</b>	<b>−21,757.64</b>	<b>−45,239.62</b>

- (1) नियोजित पूँजी अंशधारक पूँजी और दीर्घावधि ऋणों का योग है।
- (2) नेट वर्ष की गणना प्रदत्त पूँजी और मुक्त कोष और अधिशेष के योग में से संचित हानि और स्थगित राजस्व खर्च घटा कर की जाती है।
- (3) ₹ 29,399.91 करोड़ की प्रदत्त पूँजी में क्र.सं. क 1 और घ 7 पर विदित धारक कंपनियों के ₹ 5997.15 करोड़ शामिल हैं जो सरकार द्वारा क्र.सं. छ 8 से छ 11 और ग 3 से ग 5 पर विदित इनकी सहायक/ सहयोगी/ संयुक्त उद्यम कंपनियों के लिए दिये गए थे। अतः नेट वर्ष और नियोजित पूँजी की गणना हेतु ₹ 5997.15 करोड़ की राशि को शामिल नहीं किया गया है।
- (4) ₹ 79.22 करोड़ आम कोष सहित।

**परिशिष्ट –1.2**  
**(कांडिका 1.8 में संदर्भित)**

**31 मार्च 2018 को सरकारी कंपनियों की प्रदत्त पूँजी और बकाया ऋण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम और क्षेत्र	प्रदत्त पूँजी				बकाया ऋण			
		राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)
<b>क. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ</b>									
1	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	2,988.69	0.00	0.00	2,988.69	0.00	0.00	2,201.22	2,201.22
3	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	5,446.36	5,446.36	9,727.03	0.00	750.20	10,477.23
4	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	5,129.13	5,129.13	8,378.03	0.00	664.52	9,042.55
5	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	5,544.21	5,544.21	8,454.61	0.00	2,301.43	10,756.04
6	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	6,066.26	0.00	185.00	6,251.26	244.85	0.00	11,594.66	11,839.51
7	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	10,412.07	0.00	0.00	10,412.07	0.00	0.00	20.58	20.58
	<b>योग</b>	<b>19,467.71</b>	<b>0.00</b>	<b>16,304.70</b>	<b>35,772.41</b>	<b>26,804.52</b>	<b>0.00</b>	<b>17,532.61</b>	<b>44,337.13</b>
<b>ख. इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं की गयी अकार्यशील सरकारी कंपनियाँ</b>									
8	शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (शा.थ.पा.क.लि.)	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	4.45	4.45
9	बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (बा.थ.पा.क.लि.)	0.00	0.00	0.05	0.05	3.49	0.00	0.00	3.49
10	श्री सिंगाजी पावर परियोजना लिमिटेड (श्री.सिं.पा.प.लि.)	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
11	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड (दा.धू.ख.पा.लि.)	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>योग</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.15</b>	<b>45.15</b>	<b>3.49</b>	<b>0.00</b>	<b>4.45</b>	<b>7.94</b>
	<b>महायोग</b>	<b>19,467.71</b>	<b>0.00</b>	<b>16,349.85</b>	<b>35,817.56 <sup>1</sup></b>	<b>26,808.01</b>	<b>0.00</b>	<b>17,537.06</b>	<b>44,345.07</b>

<sup>1</sup> इसमें ₹ 10,335.10 करोड़ भी सम्मिलित हैं जो क्र.सं. क 6 और क 7 पर विदित धारक कंपनियों को सरकार द्वारा क्र.सं. क 3 से क 5 और ख 8 से ख 11 पर विदित इनकी सहायक/ सहयोगी/ संयुक्त उद्यम कंपनियों के लिए दिये गए थे।

## परिशिष्ट – 3.1

(कांडिकाएँ 3.1, 3.12, 3.13 एवं 3.19 में संदर्भित)

इस प्रतिवेदन में शामिल किये गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अद्यतन लेखों के अनुसार वित्तीय परिणामों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	क्र. स.	क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I एकाधिकार वातावरण में कार्य करने वाले उपक्रम</b>											
<b>अ. सरकारी कम्पनियां</b>											
1	1	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	80.78	63.05	82.16	39.32	320.87	320.87	281.55
2	2	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2017-18	2018-19	-0.12	-0.12	0	100.00	105.31	105.31	5.31
3	3	म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	160.79	91.81	296.39	2.20	335.13	335.13	332.93
		उप योग			<b>241.45</b>	<b>154.74</b>	<b>378.55</b>	<b>141.52</b>	<b>761.31</b>	<b>761.31</b>	<b>619.79</b>
<b>II सेंट्रेज/कमीशन/ब्याज आदि अर्जित करने वाली कम्पनियां</b>											
<b>अ. सरकारी कम्पनियां</b>											
4	1	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2018-19	60.48	33.53	1340.79	3.29	19.08	159.47	156.18
5	2	म.प्र. अर्बन डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2018-19	-3.89	-2.82	0	1.00	-1.84	-1.84	-2.84
6	3	म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	34.06	20.31	150.62	2.83	135.51	120.80	117.97
7	4	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2018-19	1268.24	-27.24	12796.07	8.47	155.15	49.13	40.66
8	5	म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	11.07	8.10	10.14	10.00	23.43	23.43	13.43
9	6	दी प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	2017-18	2018-19	-1.63	-1.66	1.12	0.50	25.21	19.40	18.90
10	7	म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	68.56	53.44	94.08	20.00	255.66	239.97	219.97

क्र. स.	क्र. स.	क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	8	म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2018-19	11.66	6.17	88.53	21.91	72.62	44.35	22.44
12	9	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16	2017-18	0.59	0.40	0.13	0.80	1153.18	1.20	0.40
13	10	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	21.61	13.97	38.05	4.58	645.32	59.35	54.77
14	11	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड	2017-18	2018-19	0	0	14.89	2.85	5.28	5.28	2.43
15	12	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड	2017-18	2018-19	-4.03	-5.05	184.3	36.64	108.37	36.64	0
16	13	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.97	0.97	0.11	4.33	13.39	13.39	9.06
17	14	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.24	0	0.75	1.80	11.46	7.29	5.49
18	15	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड	2017-18	2018-19	0	0	2.34	10.00	36.54	12.13	2.13
19	16	इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (ग्वालियर) लिमिटेड	2017-18	2018-19	0	0	0.61	2.25	33.75	7.13	4.88
20	17	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	2017-18	2018-19	1.40	1.02	0	112.86	257.17	119.38	6.52
21	18	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.88	0.37	1.62	5.50	13.11	6.85	1.35
22	19	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.14	-0.19	0	35.00	40.30	40.30	5.30
23	20	पीथमपुर ऑटो कलस्टर लिमिटेड	2017-18	2018-19	3.09	2.19	6.88	12.12	4.88	4.88	-7.24
24	21	मध्य प्रदेश स्टार्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0	0	0	13.39	13.55	13.55	0.16
25	22	म.प्र. प्लास्टिक सिटी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ग्वालियर लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.09	-1.14	0	0.27	15.72	-0.92	-1.19
26	23	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2017-18	0.10	0.10	32.14	1.26	4.10	3.97	2.71
27	24	जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड	2016-17	2017-18	0	0	0	0.05	28.10	23.40	23.35
28	25	भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड	2016-17	2017-18	0	0	0	0.05	26.82	26.82	26.77
29	26	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	0	0	0	0.10	0.10	0.10	0
30	27	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2018-19	0	0	0	200.00	200.00	200.00	0
31	28	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.03	0	0	200.00	200.00	200.00	0

क्र. स.	क्र. स.	क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	29	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	0	0	0	50.10	56.51	56.51	6.41
33	30	इन्दौर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	0	0.34	0.10	103.56	105.56	105.56	2.00
		उप योग			1473.38	102.81	14763.27	865.51	3658.03	1597.52	732.01
ब.	सांविधिक निगम										
34	1	म.प्र. राज्य वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन	2017-18	2018-19	111.98	77.90	279.45	8.06	318.28	318.28	310.22
		उप योग			111.98	77.90	279.45	8.06	318.28	318.28	310.22
III	प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में कार्य करने वाली कम्पनियां										
अ.	सरकारी कम्पनियां										
35	1	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	9.90	5.92	110.08	24.97	31.34	30.85	5.88
36	2	एम.पी. जेपी मिनरल्स लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.11	0	0	61.22	20.71	-88.45	-149.67
37	3	म.प्र. होटल कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.61	0.42	9.63	1.60	4.88	0.88	-0.72
		उप योग			10.62	6.34	119.71	87.79	56.93	-56.72	-144.51
ब.	सांविधिक निगम										
38	1	म.प्र. वित्त निगम	2017-18	2018-19	73.70	-11.39	110.28	406.10	1173.36	418.19	12.09
		उप योग			73.70	-11.39	110.28	406.10	1173.36	418.19	12.09
		महायोग			1911.13	330.40	15651.26	1508.98	5967.91	3038.58	1529.6

## परिशिष्ट – 3.2

(कांडिका 3.1 में संदर्भित)

इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किये गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र व उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. कार्यशील उपक्रमों जिनके लेखे तीन या अधिक वर्षों से बकाया/प्रथम लेखे प्राप्त नहीं/देय नहीं</b>						
सरकारी कम्पनियां						
1	म.प्र. पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2018-19	0.74	2.36	8.55
2	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2011-12	0	4.38	18.36
3	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2018-19	19.38	2.95	81.09
4	सिंगराँली एयरपोर्ट कम्पनी लिमिटेड	0	0	0	0	0
5	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड	0	0	0	0	0
	उप योग			<b>20.12</b>	<b>9.69</b>	<b>108</b>
<b>II. कार्यशील उपक्रमों जिन्होंने व्यवसाय शुरू नहीं किया</b>						
6	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.26	0	5.00
7	म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2018-19	-0.18	0	30.00
8	म.प्र. वेन्चर फायरेंस लिमिटेड	2015-16	2016-17	0	0	0.07
9	म.प्र. वेन्चर फायरेंस ट्रस्टी लिमिटेड	2016-17	2017-18	0	0	0.01
	उप योग			<b>0.08</b>	<b>0</b>	<b>35.08</b>
<b>III. अकार्यशील उपक्रम</b>						
अ. सरकारी कम्पनियां						
10	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड	1989-90	1993-94	0	0	5.00
11	म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड	2011-12	2017-18	-3.94	0	6.86
12	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.01	0	1.00
13	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.01	0	1.00
14	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (बिछारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.07	0	1.00

क्र. स.	क्षेत्र व उपक्रम का नाम	लेखो की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
15	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.01	0	1.00
16	एम.पी. जैपी कोल लिमिटेड	2017-18	2018-19	-3.90	0	10.00
17	एम.पी. मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	2017-18	2018-19	0	0	2.00
18	एम.पी. जैपी कोल फील्ड लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.01	0	10.00
19	म.प्र. सैनिक कोल माइनिंग प्रा. लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.01	0	33.30
20	म.प्र. एवं महाराष्ट्र मिनरल्स व कैमिकल्स लिमिटेड	0	0	0	0	0
	उप योग			<b>-7.80</b>	<b>0</b>	<b>71.16</b>
ब.	सांविधिक निगम					
21	म.प्र.राज्य सड़क परिवहन निगम	2007-08	2008-09	0	210.05	141.81
	उप योग			<b>0</b>	<b>210.05</b>	<b>141.81</b>
IV	परिसमापन के अधीन उपक्रम					
	सरकारी कम्पनियां					
22	म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2006-07	0	0	0.16
23	म.प्र. फिल्म विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2010-11	0	0	1.04
24	ऑपेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	2009-10	2010-11	0	0	23.97
25	म.प्र. विद्युत यंत्र लिमिटेड	0	0	0	0	1.50
	उप योग			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.67</b>
	सभी क्षेत्रों का योग			<b>12.40</b>	<b>219.74</b>	<b>382.72</b>

## परिशिष्ट – 3.3

(कांडिका 3.3 में संदर्भित)

31 मार्च 2018 को राज्य के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के संबंध में अंशपूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति दर्शित करने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र व उपक्रम का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	2017–18 के अन्त में अंशपूँजी				वर्ष 2017–18 के अन्त में बकाया दीर्घकालीन ऋण			
				म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
<b>I. एकाधिकार वातावरण में कार्य करने वाले उपक्रम</b>											
<b>सरकारी कम्पनियां</b>											
1	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन विभाग	24-जुलाई-75	37.93	1.39	0	39.32	0	0	0	0
2	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	09-जुलाई-12	100.00	0	0	100.00	0	0	0	0
3	म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड	खनिज संसाधन विभाग	19-जनवरी-62	2.20	0	0	2.20	0	0	0	0
	उप योग			<b>140.13</b>	<b>1.39</b>	<b>0</b>	<b>141.52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. सेंट्रेज / कमीशन / व्याज आदि अर्जित करने वाली कम्पनियां</b>											
<b>सरकारी कम्पनियां</b>											
1	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	फल प्रसंसंकरण एवं उद्यानिकी विभाग	21-मार्च-69	2.09	1.20	0	3.29	0	0	0	0
2	म.प्र. अर्बन डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	शहरी विकास एवं आवासीय विभाग	27-अप्रैल-15	1.00	0	0	1.00	0	0	0	0
3	म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी विभाग	28-दिसम्बर-61	2.68	0.15	0	2.83	0	0	0	0
4	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	03-अप्रैल-74	8.47	0	0	8.47	98.28	0	7.74	106.02
5	म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	06-मार्च-14	10.00	0	0	10.00	0	0	0	0
6	दी प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	वित्त	04-फरवरी-26	0.50	0	0	0.50	0	0	0	0
7	म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड	पीडब्ल्यूडी	14-जुलाई-04	20.00	0	0	20.00	0	0	0	<b>0</b>
8	म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	18-नवंबर-83	21.91	0	0	21.91	17.12	0	0	17.12

क्र. सं.	क्षेत्र व उपक्रम का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	2017–18 के अन्त में अंशपूँजी				वर्ष 2017–18 के अन्त में बकाया दीर्घकालीन ऋण			
				म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
9	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	14-फरवरी-77	0.80	0	0	0.80	1666.98	0	0.25	1667.23
10	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	गृह (पुलिस)	31-मार्च-81	4.58	0	0	4.58	0	0	577.86	577.86
11	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	16-अक्टूबर-87	0	0	2.85	2.85	0	0	0	0
12	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	16-नवंबर-81	0	0	36.64	36.64	0	0	71.73	71.73
13	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	16-नवंबर-81	0	0	4.33	4.33	0	0	0	0
14	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	16-नवंबर-81	0	0	1.80	1.80	0.71	0	3.46	4.17
15	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	02-सितम्बर-08	0	0	10.00	10.00	0	0	24.41	24.41
16	इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (ग्वालियर) लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	28-मई-85	0	0	2.25	2.25	0	0	26.62	26.62
17	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	18-मार्च-10	0	0	112.86	112.86	0	0	137.79	137.79
18	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	14-जून-12	0	0	5.50	5.50	0	0	6.26	6.26
19	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	27-मार्च-14	0	0	35.00	35.00	0	0	0	0
20	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	27-दिसम्बर-04	0	0	12.12	12.12	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	01-अप्रैल-13	0	0	13.40	13.40	0	0	19.00	19.00
22	म.प्र. प्लास्टिक सिटी डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन ग्वालियर लिमिटेड	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	29-जुलाई-16	0	0	0.27	0.27	0	0	16.64	16.64
23	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	कुठीर एवं ग्रामोद्योग	28-नवंबर-81	0.02	0.52	0.72	1.26	0	0	0	0
24	जबलपुर इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड	विज्ञान एवं तकनीकि	18-जनवरी-16	0	0	0	0	0	0	0	0
25	भोपाल इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड	विज्ञान एवं तकनीकि	18-जनवरी-16	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	शहरी प्रशासनिक विकास	02-नवंबर-16	0	0	0.10	0.10	0	0	0	0

क्र. सं.	क्षेत्र व उपक्रम का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	2017-18 के अन्त में अंशपूँजी				वर्ष 2017-18 के अन्त में बकाया दीर्घकालीन ऋण			
				म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
27	भोपाल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	शहरी प्रशासनिक विकास	14-मार्च-16	0	0	200.00	200.00	0	0	0	0
28	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	शहरी प्रशासनिक विकास	25-अक्टूबर-16	0	0	200.00	200.00	0	0	0	0
29	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	शहरी प्रशासनिक विकास	14-मार्च-16	0	0	200.00	200.00	0	0	0	0
30	इन्दौर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	शहरी प्रशासनिक विकास	11-मार्च-16	0	0	200.00	200.00	0	0	0	0
	उप योग			72.05	1.87	1037.84	1111.76	1783.09	0	891.76	2674.84
<b>सांविधिक निगम</b>											
1	म.प्र. राज्य वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	19-फरवरी-58	4.28	0	3.78	8.06	0	0	0	0
	उप योग			4.28	0	3.78	8.06	0	0	0	0
	सेटेज/कमीशन/व्याज आदि अर्जित करने वाली कम्पनियां का योग			76.33	1.87	1041.82	1119.82	1783.09	0	891.76	2674.85
<b>III. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की कम्पनियां</b>											
<b>सरकारी कम्पनियां</b>											
1	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन विभाग	24-मई-78	113.97	0	0	113.97	0	0	0	0
2	एम.पी. जेपी मिनरल्स लिमिटेड	खनिज संसाधन विभाग	21-फरवरी-06	0	0	61.22	61.22	0	0	109.16	109.16
3	म.प्र. होटल कारपोरेशन लिमिटेड	पर्यटन विभाग	31-जनवरी-85	0	0	1.60	1.60	0	0	4.00	4.00
	उप योग			113.97	0	62.82	176.79	0	0	113.16	113.16
<b>सरकार के नियंत्रण में अन्य कम्पनियां</b>											
	मिर्क										
<b>सांविधिक निगम</b>											
1	म.प्र. वित्त निगम	वित्त	30-जून-55	383.70	0	22.40	406.10	0	0	755.17	755.17
	उप योग			383.70	0	22.40	406.10	0	0	755.17	755.17
	प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की कम्पनियों का योग			497.67	0	85.22	582.89	0	0	868.33	868.33
	महायोग			714.13	3.26	1126.84	1844.23	1783.09	0	1760.09	3543.18

## परिशिष्ट – 3.4

(कांडिका 3.7 में संदर्भित)

**मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों में 31 मार्च 2018 को पूँजी, ऋण एवं गारंटी के शेषों के संबंध में अंतर को दर्शाने वाला विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	राज्य के उपक्रमों के लेखों के अनुसार			मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2.09	0.00	0.00	1.92	8.25	0.00	0.17	-8.25	0.00
2	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	37.93	0.00	0.00	33.55	47.88	0.00	4.38	-47.88	0.00
3	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड	0	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	-1.50	0	0
4	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड	0	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	-1.50	0	0
5	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	0	0.00	35.54	2.50	0.00	0.00	-2.50	0	35.54
6	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड	0	0.71	0.60	1.00	0.00	0.00	-1.00	0.71	0.60
7	म.प्र. इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (ग्वालियर) लिमिटेड	0	0.00	20.79	1.75	0.00	0.00	-1.75	0.00	20.79
8	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	0	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	-5.50	0.00	0.00
9	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	25.5	0.00	0.00	29.61	0.00	0.00	-4.11	0.00	0.00
10	दी प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड	0.50	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00
11	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	81.09	234.72	0.00	79.63	165.58	0.00	1.46	69.14	0.00

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	राज्य के उपक्रमों के लेखों के अनुसार			मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	म.प्र. वेन्चर फायरेस ट्रस्टी लिमिटेड	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
13	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	4.58	0.00	0.00	4.00	38.32	0.00	0.58	-38.32	0.00
14	म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
15	म.प्र. अर्बन डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
17	म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	21.91	17.12	0.00	15.13	0.00	0.00	6.78	17.12	0.00
18	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.80	1151.98	417.33	0.45	1151.98	0.00	0.35	0.00	417.33
19	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	24.97	0.00	0.00	24.87	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
20	म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
21	म.प्र. राज्य वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन	4.28	0.00	0.00	4.43	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00
22	म.प्र. वित्त निगम	383.70	0.00	600.00	357.60	0.00	873.24	26.10	0.00	-273.24
23	म.प्र. पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	-0.58	0.00
24	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
25	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.00	98.28	0.00	0.00	3.99	0.00	0.00	94.29	0.00
26	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड	0.00	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.85
	योग	633.36	1502.94	1129.11	565.31	1416.58	873.24	68.05	86.36	255.87

## परिशिष्ट – 3.5

(कंडिका 3.8.1 में संदर्भित)

राज्य शासन द्वारा राज्य उपक्रमों में (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), जिनके लेखे बकाया है, बकाया लेखों की अवधि के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	उपक्रम का नाम	अवधि, जहां तक लेखे अन्तिमकृत हो गये	अवधि जिसके लेखे बकाया हो	नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	बकाया लेखों की अवधि के दौरान राज्य शासन द्वारा किया गया निवेश					
					अंशपूँजी	ऋण	पूँजी अनुदान	सब्सिडी	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>कार्यशील उपक्रम</b>										
<b>I. दो वर्षों तक बकाया</b>										
1	मप्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	39.32	0.00	0.00	8.22	0.00	8.22	
2	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.10	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	
3	भोपाल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
4	इन्दौर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	200.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
5	मप्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	21.91	0.00	0.00	0.00	117.09	117.09	
6	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 2017-18	1.26	0.00	0.00	17.21	0.00	17.21	
7	मप्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	2016-17 2017-18	0.8	0.00	0.00	21.08	0.00	21.08	
8	मप्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 2017-18	113.97	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	
			<b>उप योग</b>		<b>577.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346.68</b>	<b>723.72</b>	<b>1070.40</b>
<b>II. तीन वर्ष अथवा उससे अधिक बकाया</b>										
1	मप्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2016-17 तक 2017-18	81.09	0.00	22.16	0.00	0.00	22.16	
2	मप्र. पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2016-17 तक 2017-18	10.75	3.70	8.76	3.09	80.30	95.85	
3	मप्र. आविवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2016-17 तक 2017-18	36.18	6.33	0.00	0.59	24.00	24.59	
			<b>उप योग II</b>		<b>10.03</b>	<b>53.08</b>	<b>29.13</b>	<b>269.30</b>	<b>361.54</b>	
			<b>योग</b>		<b>10.03</b>	<b>53.08</b>	<b>375.81</b>	<b>993.02</b>	<b>1431.94</b>	

## परिशिष्ट – 3.6

(कांडिका 3.15 में संदर्भित)

वर्ष 2000–01 से 2017–18 की अवधि के दौरान राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य शासन द्वारा निवेशित की गई निधि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

अ. एकाधिकार वातावरण में कार्य करने वाले उपक्रम												
वर्ष	म.प्र. राज्य बन विकास निगम लिमिटेड				मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित				म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड			
	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान
2000-01	14.05	49.62	0	0	0	0	0	0	2.20	0	0	0
2001-02	-5.62	-20.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	29.50	-29.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	1.15	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0	4.94	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0	4.91	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	4.63	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	4.60	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	0	0	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	0	0	26.05	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	15.14	25.00	0	0	0	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	3.94	15.00	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	10.10	15.00	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2017-18	0	0	0	8.22	45.00	0	0	0	0	0	0	0
योग												

ब. सेटेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/ सब्सिडी आदि से सुनिश्चित आय अर्जन करने वाले उपक्रम																	
वर्ष	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड				म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड				म.प्र. अर्बन डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड				नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड				
	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	
2000-01	2.09	1.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	-1.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	7.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	0	0	0
2012-13	0	-7.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	20.00	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ब. सेटेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/ सब्सिडी आदि से सुनिश्चित आय अर्जन करने वाले उपक्रम																	
वर्ष	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड					म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड				म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड				म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड			
	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	
2000-01	0.02	0.34	0	0	2.68	0	0	0	12.00	3.67	0	0	0	0	0	0	0
2001-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.51	0	0	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.16	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	-0.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.53	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	-0.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	-0.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	-0.13	0	0	0	0	0	0	0	87.05	0	0	10	0	0	0	0
2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.23	0	0	0	0	0	0	0

ब. सेंटेज, कमीशन, राजस्व अनुदान / सब्सिडी आदि से सुनिश्चित आय अर्जन करने वाले उपक्रम																	
	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड					दी प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड				म.प्र. वेन्चर फायर्नेंस लिमिटेड				म.प्र. वेन्चर फायर्नेस ट्रस्टी लिमिटेड			
वर्ष	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	
2000-01	0	0.71	0	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	1.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	- 1.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	0	0	0	0.01	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20	0.50	0	0	0	0	0	0	0
2017-18	0	- 0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

वर्ष	म.प्र. सङ्केत विकास निगम लिमिटेड				म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड				म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड				म.प्र. राज्य वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन			
	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान
2000-01	0	0	0	0	21.91	0	0	0	0	0	0	0	4.80	0.46	0	0
2001-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.95	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.52	-0.09	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.32	0	0
2004-05	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0.80	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	-8.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.28	0	0	0
2007-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	6.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.28	0	0	0
2009-10	1.00	0	0	0	0	17.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.21	0	0
2013-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.43	0	0
2014-15	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0		0	0	0	0	0	0	0	1416.98	0	0	0	90.94	0	0
2017-18	0		0	0	0	0	0	0	0	250.00	0	0	0	-263.58	0	0


ब. सेंटेज, कमीशन, राजस्व अनुदान / सब्सिडी आदि से सुनिश्चित आय अर्जन करने वाले उपक्रम				
वर्ष	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड			
	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान
2000-01	6.00	0	0	0
2001-02	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	0
2006-07	-1.42	0	0	0
2007-08	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	0
2010-11	0	0	0	0
2011-12	0	0	0	0
2012-13	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0
2017-18	0	0	0	0

वर्ष	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड				म.प्र. वित्त निगम			
	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान
	23.47	0	0	0	62.54	3.47	0	0
2000-01	23.47	0	0	0	62.54	3.47	0	0
2001-02	1.50	0	0	0	0	-1.74	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	-9.76	-0.30	0	0
2004-05	0	0	0	0	1.50	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	5.42	58.57	0	0
2006-07	0	0	0	0	187.58	0	0	0
2007-08	0	0	0	0	65.00	-58.57	0	0
2008-09	0	0	0	0	6.42	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	5.00	-1.43	0	0
2010-11	0	0	0	0	25.38	0	0	0
2011-12	0	0	0	10.69	5.00	0	0	0
2012-13	0	0	0	8.68	-15.38	0	0	0
2013-14	0	0	0	19.60	5.00	0	0	0
2014-15	0	0	0	18.34	5.00	0	0	0
2015-16	0	0	0	34.89	5.00	0	0	0
2016-17	0	0	0	64.63	5.00	0	0	0
2017-18	89.00	0	0	60.50	25.00	0	0	0

## परिशिष्ट – 4.1

(कड़िका 4.1.2 में संदर्भित)

### कंपनी की संगठनात्मक संरचना



## परिशिष्ट-4.2

(कंडिका 4.1.5 में संदर्भित)

## निष्पादन लेखापरीक्षा में चयनित सङ्क परियोजनाओं का विवरण

परियोजना की वर्तमान स्थिति (पूर्ण / निर्लंबित)	माध्यम + सङ्क का प्रकार	परियोजना को दिया गया नाम	परियोजना में शामिल सङ्कों के नाम	लंबाई (किलोमीटर)	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)
पूर्ण	बी.ओ.टी. वार्षिकी + एम.डी.आर.	भोपाल-1	बेतुल-आठनेर	34.50	83.92
			हरदा-छिपानेर	29.30	
		इंदौर-3	बम्कलफाटा -डोगावा के रास्ते बोरवा-सरवर देवला रोड़	23.67	103.43
			बीड़-मुंदी-देवला-खुटला-अटूट एन.वी.डी.ए.	28.38	
			पुनासा-मुंदी-सिंगाजी (थर्मल पावर प्लांट) रोड़ और सिंगाजी ब्रिज एप्रोच	13.30	
		इंदौर-5	आशापुर-खालवा-सिंधोट	41.70	113.05
			बड़वाह-काटेकुट रोड़	23.60	
			दरियापुर-जसौंदी-महाराष्ट्र सीमा	15.55	
		सागर-1	गढ़ाकोटा-रेहली-देवरी (एम.डी.आर.)	49.30	101.25
			रेहली-गौरङ्गमार	18.08	
	बी.ओ.टी. वार्षिकी + एस.एच.	ग्वालियर-एस.एच.-1	दतिया-दिनारा	8.93	16.00
	बी.ओ.टी. टोल + वार्षिकी + एम.डी.आर.	ग्वालियर-2	अशोकनगर-विदिशा रोड़	35.68	87.06
		इंदौर-2	मुंदी-पुनासा-सुलगाव-सनावद रोड़	67.63	124.77
		सागर-3	दमोह-पथरिया-गढ़ाकोटा	40.50	71.88
	बी.ओ.टी. टोल + वार्षिकी + एस.एच.	नर्मदापुरम-एस.एच.-1	बैतूल-सारणी-परासिया	124.10	238.00
		सागर-एस.एच.-2	दमोह-कटनी	119.20	272.07
		उज्जैन-एस.एच.-2	रतलाम-सैलाना-बांसवाड़ा	43.60	118.00
		उज्जैन-एस.एच.-3	उज्जैन सिंहस्थ बाय पास	14.37	98.26
	बी.ओ.टी. + टोल + एम.डी.आर.	इंदौर-1	मनावर-सिंधाना कुक्षी रोड़	38.23	96.73
	बी.ओ.टी. + टोल + एन.एच.	रीवा-एन.एच.-1	रीवा से हनुमना मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा (एन.एच.-7)	89.30	736.70
	बी.ओ.टी. + टोल + एस.एच.	इंदौर-एस.एच.-1	खंडवा-देडललाई-बुरहानपुर रोड़	127.10	224.40
		रीवा-एस.एच.-4	सतना-मझगावा	40.00	105.00
उप-योग		16 परियोजनाएं	22 सङ्क	1,026.02	2,590.52

परियोजना की वर्तमान स्थिति (पूर्ण / निलंबित)	माध्यम + सङ्क का प्रकार	परियोजना को दिया गया नाम	परियोजना में शामिल सङ्कों के नाम	लंबाई (किलोमीटर)	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	
निलंबित	बी.ओ.टी. वार्षिकी + एम.डी.आर.	ग्वालियर-9	अंबाह—पिनहट रोड	23.12	158.79	
			नादिगाँव—स्योंधा रोड	23.27		
			सतनबाड़ा—नरवर रोड	25.54		
			टेकना—मानपुर रामेश्वर रोड	19.41		
		ग्वालियर-8	जवासा—सुनारपूरा	22.63	79.00	
			पवई—पृथ्वीपुरा रोड	23.20		
		जबलपुर-6	बाईखेड़—सरौद रोड	12.69	130.55	
			विछिया—शामपुर—डिंडोरी रोड	53.42		
			धनेटा—राखी—शाहजपुर रोड	13.50		
			सुरैया—सिमरिया—बधियाखेड़ा—पड़रिया—धामनी—सिंगोरी रोड	13.22		
	बी.ओ.टी. वार्षिकी + एस.एच.	सागर—एस.एच.—37	टीकमगढ़—ओरछा रोड	9.34	47.56	
	बी.ओ.टी. टोल + वार्षिकी + एम.डी.आर.	छिंदवाड़ा—एम.डी.आर.	गर्जा—वारासिवनी	46.98	97.77	
	बी.ओ.टी. टोल + वार्षिकी + एस.एच.	ग्वालियर—एस.एच.—2	मुरैना—सबलगढ़ रोड	71.86	141.45	
		इंदौर—एस.एच.—36	सेंधवा—खेतिया रोड	57.30	101.20	
	बी.ओ.टी. + टोल + एन.एच.	जबलपुर—एन.एच.—12	जबलपुर—भोपाल (एन.एच.—12) रोड	294.20	2,485.96	
		रीवा—एन.एच.—75 (1)	बमीठा—पन्ना—नागोद—सतना रोड	97.60	244.39	
		रीवा—एन.एच.—75 (2)	सतना—बेला (एन.एच.—75)	48.04	321.00	
	बी.ओ.टी. + टोल + एस.एच.	एस.एच.—23	भोपाल—बैरसिया—सिरोज रोड	106.90	176.00	
		एस.एच.—54	सिवनी—कटंगी—बोनकट्टा से महाराष्ट्र बॉर्डर तक	73.20	152.55	
उप-योग		12 परियोजनाएं	19 रोड	1,035.42	4,136.22	
कुल योग		28 परियोजनाएं	41 रोड	2,061.44	6,726.74	

एम.डी.आर. = मुख्य जिला मार्ग, एस.एच. = राज्य राजमार्ग, एन.एच. = राष्ट्रीय राजमार्ग

### परिशिष्ट-4.3

(कंडिका 4.1.9 में संदर्भित)

**व्यवहार्यता परामर्शदाता द्वारा अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले कंपनी द्वारा निविदा आमंत्रित करने और रियायत अनुबंध को अंतिम रूप देने का विवरण**

क्र. सं.	सङ्क का नाम	लंबाई (किलो मीटर में)	व्यवहार्यता परामर्शदाता						विकासकर्ता / रियायतग्राही			अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन के बिना कंपनी द्वारा निविदा आमंत्रित करने में जल्दी (दिन)	अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन के बिना रियायत अनुबंध हस्ताक्षर करने में जल्दी (दिन)	व्यवहार्यता परामर्शदाता शुल्क (₹ में)
			नाम	ए.ल.ओ.ए. की तिथि	कार्यादेश की तिथि	अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की नियत तिथि	अंतिम प्रतिवेदन की तिथि	व्यवहार्य ता प्रतिवेदन में विलंब (माह)	नाम	ए.न.आई.टी. की तिथि	रियायत अनुबंध की तिथि			
1	आशापुर खालवा सिंधोत	41.7	साईं कंसल्टिंग इंजिनीयर्स प्रा.लि.	19.08.2010	06.09.2010	03.02.2011	29.02.2012	13	डॉ.पी. जैन दरियापुर जसांधी (एन्यूटी) रोड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	26.05.2011	17.01.2012	279	43	16,88,850
2	दरियापुर से जसांधी	15.55	साईं कंसल्टिंग इंजिनीयर्स प्रा.लि.	19.08.2010	06.09.2010	03.02.2011	29.02.2012	13				279	43	6,29,775
3	बड़वाह से काटेकुट तक	23.6	साईं कंसल्टिंग इंजिनीयर्स प्रा.लि.	19.08.2010	06.09.2010	03.02.2011	29.02.2012	13				279	43	9,55,800
4	मनावर सिंधाना कुक्षी	38.23	साईं कंसल्टिंग इंजिनीयर्स प्रा.लि.	19.08.2010	06.09.2010	03.02.2011	27.03.2012	14	मनावर कुक्षी टोलवेज प्रा. लि.	09.05.2011	14.03.2012	323	13	15,48,315
5	मुंदी पुनासा सुलगांव सनावद	67.63	साईं कंसल्टिंग इंजिनीयर्स प्रा.लि.	19.08.2010	06.09.2010	03.02.2011	29.02.2012	13	डॉ.बी.ए.ल. मुंदी सनावद टोलवेज लिमिटेड	09.05.2011	05.12.2011	296	86	27,39,015
6	उज्जैन सिंहस्थ बायपास	14.3	साईं कंसल्टिंग इंजिनीयर्स प्रा.लि.	19.08.2010	06.09.2010	03.02.2011	28.12.2012	23	उज्जैनी हाइवे ज प्रा. लि.	29.11.2012	12.06.2013	29	—	5,39,825
7	अशोकनगर विदिशा	35.68	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	14.09.2010	11.02.2011	16.02.2012	12	कोई बोली प्राप्त नहीं	09.05.2011	कोई बोली प्राप्त नहीं	283	कोई बोली प्राप्त नहीं	11,77,440
						11.02.2011		12	डॉ.बी.ए.ल. अशोकनगर विदिशा टोलवे लि.	06.04.2012	22.03.2013	—	—	

8	अम्बाह पिनहट	23.12	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	14.09.2010	11.02.2011	16.02.2012	12	कॉन्कास्ट अबाह रोड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	31.05.2011	27.01.2012	261	20	7,62,960
9	टेकना मानपुर रामेश्वर	19.41	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	14.09.2010	11.02.2011	16.02.2012	12				261	20	6,40,530
10	नदिगांव से स्थोंधा	23.27	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	14.09.2010	11.02.2011	16.02.2012	12				261	20	7,67,910
11	नरवर से सतनबाडा	25.54	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	14.09.2010	11.02.2011	16.02.2012	12				261	20	8,42,820
12	दतिया दिनारा	8.38	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	14.09.2010	11.02.2011	30.05.2012	16	दिनारा दतिया डी.पी.जे. पाथवेज प्रा. लि.	11.08.2011	09.05.2012	293	21	2,76,540
13	जवासा से सुनारपुरा	22.63	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	29.03.2011	26.08.2011	16.02.2012	6	कॉन्कास्ट जवासा रोड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	31.05.2011	17.01.2012	261	30	7,46,790
14	पवई से पृथ्वीपुरा	22.34	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	29.03.2011	26.08.2011	16.02.2012	6				261	30	7,37,220
15	मुरैना सबलगढ़	71.86	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	29.08.2011	26.01.2012	30.05.2012	4	कॉन्कास्ट मुरैना रोड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	29.02.2012	15.10.2012	91	—	23,71,380
16	पथरिया— गढ़ाकोटा रेहली देवरी	72	एल.एन. मालवीय—आई.डी. सी. जे.पी.	19.08.2010	06.09.2010	03.02.2011	01.01.2012	11	बंसल पाथवे प्रा. लि.	26.05.2011	05.12.2011	220	27	15,12,000
17	रेहली—गौरङ्गमार	22	एल.एन. मालवीय—आई.डी. सी. जे.पी.	19.08.2010	06.09.2010	03.02.2011	01.01.2012	11				220	27	4,62,000
18	दमोह पथरिया गढ़ाकोटा	27	एल.एन. मालवीय—आई.डी. सी. जे.पी.	19.08.2010	06.09.2010	03.02.2011	01.01.2012	11	कॉन्कास्ट दमोह रोड प्रोजेक्ट प्रा. लि.	18.05.2011	08.12.2011	228	24	5,67,000
19	धनेटा राखी शहजपुर रोड	13.5	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	08.11.2010	07.04.2011	15.03.2012	11	कॉन्कास्ट धनेटा रोड प्रोजेक्ट प्रा. लि.	31.05.2011	22.12.2011	289	84	2,70,000
20	बाईखेड़—सरौद	12.69	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	08.11.2010	07.04.2011	15.03.2012	11				289	84	2,53,800
21	सुरेया—सिमरिया— बघियाखेडा— पड़रिया—धामनी— सिंगोरी	13.22	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	08.11.2010	07.04.2011	15.03.2012	11				289	84	2,64,400

22	बिछिया शामपुर डिंडोरी	53.42	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	10.09.2010	07.02.2011	15.03.2012	13				289	84	10,68,400
23	गर्वा वारासिवनी	47	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	15.12.2011	13.05.2012	25.10.2012	6	एम.बी.एल. (एम. पी.) रोड निर्माण कंपनी लि.	17.09.2012	22.03.2013	38	—	9,40,000
24	सिवनी—कटंगी—बोनकटा से महाराष्ट्र बॉर्डर तक	75.6	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	10.09.2010	07.02.2011	15.03.2012	13	एम.बी.एल. हाईवे कंपनी लिमिटेड	08.03.2011	09.09.2011	373	188	15,12,000
<b>कुल</b>		<b>789.67</b>												<b>2,32,74,770</b>

### परिशिष्ट-4.4

(कांडिका 4.1.9 में संदर्भित)

#### एस.एल.ई.सी. को दिये गए आंकड़ों और अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन में शामिल आंकड़ों में अंतर

परियोजना / सङ्क का नाम	मापदंड	एस.एल.ई.सी. को दिये गए आंकड़े	व्यवहार्यता प्रतिवेदन में शामिल आंकड़े
<b>यातायात</b>			
इंदौर-2 / मुंदी पुनासा सनावद	कार	343	419
	मिनी बस / एल.सी.वी.	137	166
	बस	38	0
	2 एक्सल	99	70
	3 एक्सल / एम.ए.वी.	56	22
<b>वित्तीय मापदंड</b>			
	औसत डी.एस.सी.आर.	2.15	1.72
	कर उपरांत आई.आर.आर.	13.17 प्रतिशत	15.03 प्रतिशत
	इक्विटी आई.आर.आर.	13.47 प्रतिशत	19.69 प्रतिशत
	एन.पी.वी.	₹ 211.56 करोड़	₹ 145.19 करोड़
	वार्षिकी	₹ 20.13 करोड़	₹ 23.30 करोड़
<b>सागर-3 / दमोह पथरिया गढ़ाकोटा</b>			
	औसत डी.एस.सी.आर.	2.19	1.95
	कर उपरांत आई.आर.आर.	13.19 प्रतिशत	14.08 प्रतिशत
	इक्विटी आई.आर.आर.	13.52 प्रतिशत	17.22 प्रतिशत
	एन.पी.वी.	₹ 122.89 करोड़	₹ 7.02 करोड़
	वार्षिकी	₹ 8.13 करोड़	₹ 8.30 करोड़
<b>सागर-1 / रेहली—गौरज्ञमार</b>			
	औसत डी.एस.सी.आर.	2.06	1.83
	कर उपरांत आई.आर.आर.	12.90 प्रतिशत	14.21 प्रतिशत
	इक्विटी आई.आर.आर.	12.93 प्रतिशत	18.17 प्रतिशत
	एन.पी.वी.	₹ 45.21 करोड़	₹ 2.76 करोड़
	वार्षिकी	₹ 6.14 करोड़	₹ 4.80 करोड़
एस.एच.-54 / सिवनी कटंगी	वी.जी.एफ.	35 प्रतिशत	27 प्रतिशत
<b>ग्वालियर-2 / अशोकनगर विदेशा</b>			
	रियायत अवधि	30 वर्ष	15 वर्ष
	कर उपरांत आई.आर.आर.	4.87 प्रतिशत	13.94 प्रतिशत
	इक्विटी आई.आर.आर.	2.92 प्रतिशत	14.75 प्रतिशत
	टोल माध्यम पर कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, तत्पश्चात् एस.एल.ई.सी. द्वारा परियोजना को बी.ओ.टी. (टोल + वार्षिकी) माध्यम पर लागू करने के लिए संशोधित प्रस्ताव अनुमोदित किया (25 अप्रैल 2012)।		
<b>उज्जैन-एस.एच.-2 / रत्नाम—सैलाना—बाँसवाड़ा</b>		माध्यम	टोल + वी.जी.एफ.
	टोल माध्यम पर कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, तत्पश्चात् एस.एल.ई.सी. द्वारा परियोजना को बी.ओ.टी. (टोल + वार्षिकी) माध्यम पर लागू करने के लिए संशोधित प्रस्ताव अनुमोदित किया (8 फरवरी 2013)।		
<b>इंदौर-5 / दरियापुर जसाँदी</b>		औसत डी.एस.सी.आर.	2.06
	कर उपरांत आई.आर.आर.	12.90 प्रतिशत	15.39 प्रतिशत
	इक्विटी आई.आर.आर.	12.93 प्रतिशत	20.66 प्रतिशत
	एन.पी.वी.	₹ 33.53 करोड़	₹ 3.32 करोड़
	वार्षिकी	₹ 4.55 करोड़	₹ 4.20 करोड़
रीवा—एन.एच.-75 (1) / बमीठा—पन्ना—नागोद—सतना	यह परियोजना, व्यवहार्यता प्रतिवेदन के अनुसार बी.ओ.टी. (टोल) पर व्यवहार्य नहीं थी लेकिन कंपनी ने बी.ओ.टी. (टोल) के तहत इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात्, रियायत अनुबंध करने के बाद, परियोजना को निलंबित कर दिया गया।		

## परिशिष्ट-4.5

(कांडिकायें 4.1.12 और 4.1.19—स में संदर्भित)

बी.ओ.टी. माध्यम पर निलंबित और ई.पी.सी. माध्यम पर पुनः—आवंटित परियोजनाओं की परियोजना लागत में वृद्धि के संबंध में

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुबंध की तिथि	निलंबन कि तिथि	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	निलंबन के समय भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	निलंबन के समय वित्तीय प्रगति (₹ करोड़ में)	शेष कार्यों की ई.पी.सी. लागत (₹ करोड़ में)	कुल वास्तविक लागत (₹ करोड़ में)	परियोजना लागत में वृद्धि (₹ करोड़ में)	घोषित नॉन—परफोर्मिंग असेट्स (₹ करोड़ में)	वार्षिक अनुदान <sup>1</sup> की प्राप्ति ना होना (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(9)-(6)	(11)	(12)
1	ग्वालियर-9	27/01/2012	09/04/2015	158.79	27.71	98.86	126.22	225.08	66.29	54.28	—
2	छिंदवाड़ा—एम.डी.आर.	22/03/2013	18/11/2016	97.77	20.40	19.94	82.29	102.23	4.46	0	—
3	जबलपुर—एन.एच.-12	24/02/2012	04/04/2015	2,485.96	0.00	0	2,896.28	2,896.28	410.32	0	397.75
4	रीवा—एन.एच.-75 (1)	20/01/2012	17/01/2018	244.39	49.80	157.49	155.19	312.68	68.29	153.16	34.80
5	जबलपुर-6	22/12/2011	09/04/2015	130.00	56.00	77.56	88.25	165.81	35.81	50.40	—
6	सागर—एस.एच.-37	05/11/2011	13/02/2013	47.56	30.70	14.60	पुनः आवंटित नहीं किया गया			14.60	—
7	एस.एच.-23	14/08/2012	21/01/2016	176.00	12.95	70.25	180.70	250.95	-74.95	21.30	—
8	ग्वालियर—एस.एच.-2	15/10/2012	06/04/2015	141.45	6.72	55.34	116.15	171.49	30.04	34.28	—
9	रीवा—एन.एच.-75 (2)	09/05/2012	01/05/2017	321.00	33.56	196.80	318.05	514.85	193.85	24.72	46.55
10	एस.एच.-54	09/09/2011	18/11/2016	152.55	56.00	85.72	89.55	175.27	22.72	0	—
11	इंदौर—एस.एच.-36	13/07/2012	16/03/2015	101.20	12.46	6.38	113.11	119.49	18.29	0	—
12	ग्वालियर-8	17/01/2012	09/04/2015	79.00	37.56	47.65	48.81	96.46	17.46	48.91	—
<b>कुल योग</b>				<b>4,136.22</b>		<b>830.59</b>	<b>4,214.6</b>	<b>5,030.59</b>	<b>942.48</b>	<b>401.65</b>	<b>479.10</b>

<sup>1</sup> राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में कंपनी को भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि।

### परिशिष्ट-4.6

(कांडिका 4.1.15 में संदर्भित)

#### परियोजना के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त नहीं करने के लिए क्षतिपूर्ति राशि को दर्शाता हुआ विवरण

क्र. स.	परियोजना का नाम	पी.एस. <sup>2</sup> राशि (₹ करोड़ में)	सी.ए. <sup>3</sup> की तिथि	नियुक्ति तिथि	निलंबन की तिथि	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति की नियत तिथि	नियत तथि के बाद 90 दिन का क्योर पीरियड देने के बाद लक्ष्य कि तिथि	उपलब्धि/निलंबन की तिथि	दिनों में विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति की कुल राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)+90 दिन	(10)	(11)=(10)-(9)	(12)=(3) x 0.10 प्रतिशत x (11)
निलंबित परियोजनाएं											
1	छिंदवाड़ा-एम.डी.आर.	4.69	22/03/2013	25/09/2013	18/11/2016	प्रथम	23/03/2014	21/06/2014	22/12/2015	549	2,57,48,100
						द्वितीय	24/09/2014	23/12/2014	18/11/2016	696	3,26,42,400
						तृतीय	17/05/2015	15/08/2015	18/11/2016	461	2,16,20,900
						कार्य पूर्ण	24/09/2015	23/12/2015	18/11/2016	331	33,34,800
<b>कुल</b>											<b>8,33,46,200</b>
2	जबलपुर-6	6.5	22/12/2011	03/08/2012	09/04/2015	प्रथम	29/01/2013	29/04/2013	15/05/2013	16	10,40,000
						द्वितीय	02/08/2013	31/10/2013	31/05/2014	212	1,37,80,000
						तृतीय	25/03/2014	23/06/2014	09/04/2015	290	1,88,50,000
						कार्य पूर्ण	02/08/2014	31/10/2014	09/04/2015	160	33,34,800
<b>कुल</b>											<b>3,70,04,800</b>
3	ग्वालियर-8	3.97	17/01/2012	18/10/2012	09/04/2015	प्रथम	15/04/2013	14/07/2013	15/01/2014	185	73,44,500
						द्वितीय	17/10/2013	15/01/2014	27/07/2014	193	76,62,100
						तृतीय	09/06/2014	07/09/2014	09/04/2015	214	84,95,800
						कार्य पूर्ण	17/10/2014	15/01/2015	09/04/2015	84	33,34,800
<b>कुल</b>											<b>2,68,37,200</b>
4	ग्वालियर-एस.एच.-2	7	15/10/2012	26/08/2013	06/04/2015	प्रथम	21/02/2014	22/05/2014	25/08/2014	95	66,50,000
						द्वितीय	25/08/2014	23/11/2014	06/04/2015	134	93,80,000
						तृतीय	17/04/2015	16/07/2015	डचू नहीं	0	0
						कार्य पूर्ण	25/08/2015	23/11/2015	डचू नहीं	0	0
<b>कुल</b>											<b>1,60,30,000</b>

<sup>2</sup> निष्पादन सुरक्षा निधि।

<sup>3</sup> रियायत अनुबंध।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	पी.एस. <sup>2</sup> राशि (₹ करोड़ में)	सी.ए. <sup>3</sup> की तिथि	नियुक्ति तिथि	निलंबन की तिथि	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति की नियत तिथि	नियत तथि के बाद 90 दिन का क्योर पीरियड देने के बाद लक्ष्य कि तिथि	उपलब्धि/निलंबन की तिथि	दिनों में विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति की कुल राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)+90 दिन	(10)	(11)=(10)-(9)	(12)=(3)X 0.10 प्रतिशत X (11)
5	एस.एच.-54	7.63	09/09/2011	21/02/2012	18/11/2016	प्रथम	18/08/2012	16/11/2012	30/09/2014	683	5,21,12,900
						द्वितीय	19/02/2013	20/05/2013	31/03/2016	1046	7,98,09,800
						तृतीय	12/10/2013	10/01/2014	18/11/2016	1043	7,95,80,900
						कार्य पूर्ण	19/02/2014	20/05/2014	18/11/2016	913	6,96,61,900
<b>कुल</b>											<b>28,11,65,500</b>
6	रीवा—एन.एच.-75 (2)	16.05	09/05/2012	13/08/2013	29/05/2017	प्रथम	08/02/2014	09/05/2014	05/05/2014	0	0
						द्वितीय	12/08/2014	10/11/2014	07/11/2014	0	0
						तृतीय	04/04/2015	03/07/2015	29/05/2017	696	11,17,08,000
						कार्य पूर्ण	12/08/2015	10/11/2015	29/05/2017	566	9,08,43,000
<b>कुल</b>											<b>20,25,51,000</b>
7	ग्वालियर-9	7.93	27/01/2012	29/12/2012	09/04/2015	प्रथम	26/06/2013	24/09/2013	30/11/2013	67	53,13,100
						द्वितीय	28/12/2013	28/03/2014	09/04/2015	377	2,98,96,100
						तृतीय	20/08/2014	18/11/2014	09/04/2015	142	1,12,60,600
						कार्य पूर्ण	28/12/2014	28/03/2015	09/04/2015	12	9,51,600
<b>कुल</b>											<b>4,74,21,400</b>
8	रीवा—एन.एच.-75 (1)	12.89	21/01/2012	11/05/2013	17/01/2018	प्रथम	06/11/2013	04/02/2014	10/05/2014	95	1,22,45,500
						द्वितीय	10/05/2014	08/08/2014	31/01/2017	907	11,69,12,300
						तृतीय	31/12/2014	31/03/2015	17/01/2018	1023	13,18,64,700
						कार्य पूर्ण	10/05/2015	08/08/2015	17/01/2018	893	11,51,07,700
<b>कुल</b>											<b>37,61,30,200</b>

क्र. स.	परियोजना का नाम	पी.एस. <sup>2</sup> राशि (₹ करोड़ में)	सी.ए. <sup>3</sup> की तिथि	नियुक्ति तिथि	निलंबन की तिथि	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति की नियत तिथि	नियत तथि के बाद 90 दिन का क्योर पीरियड देने के बाद लक्ष्य कि तिथि	उपलब्धि/निलंबन की तिथि	दिनों में विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति की कुल राशि (₹ में)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)+90 दिन	(10)	(11)=(10)-(9)	(12)=(3)X 0.10 प्रतिशत X (11)					
9	इंदौर—एस.एच.—36	5.06	13/07/2012	07/09/2013	16/03/2015	प्रथम	05/03/2014	03/06/2014	16/03/2015	286	1,44,71,600					
						द्वितीय	06/09/2014	05/12/2014	16/03/2015	101	51,10,600					
						तृतीय	29/04/2015	28/07/2015	ज्यू नहीं	0	0					
						कार्य पूर्ण	06/09/2015	05/12/2015	ज्यू नहीं	0	0					
<b>कुल</b>											<b>1,95,82,200</b>					
<b>पूर्ण परियोजनाएं</b>																
10	रीवा—एस.एच.—4	6.09	06/05/2010	05/01/2011	05/05/2015	प्रथम	03/07/2011	01/10/2011	16/02/2012	138	84,04,200					
						द्वितीय	04/01/2012	03/04/2012	30/11/2012	241	1,46,76,900					
						तृतीय	26/08/2012	24/11/2012	05/05/2015	892	5,43,22,800					
						कार्य पूर्ण	03/01/2013	03/04/2013	05/05/2015	762	4,64,05,800					
<b>कुल</b>											<b>12,38,09,700</b>					
11	सागर—3	3.5	08/12/2011	04/06/2012	पूर्ण परियोजना	प्रथम	30/11/2012	28/02/2013	28/02/2013	0	0					
						द्वितीय	03/06/2013	01/09/2013	31/12/2013	121	42,95,500					
						तृतीय	24/01/2014	24/04/2014	22/05/2015	393	1,39,51,500					
						कार्य पूर्ण	03/06/2014	01/09/2014	31/12/2018	1582	5,61,61,000					
<b>कुल</b>											<b>7,44,08,000</b>					
12	इंदौर—एस.एच.—1	11.35	28/07/2011	20/04/2012	पूर्ण परियोजना	प्रथम	16/10/2012	14/01/2013	14/01/2013	0	0					
						द्वितीय	19/04/2013	18/07/2013	12/11/2013	117	1,32,79,500					
						तृतीय	10/12/2013	10/03/2014	28/02/2015	355	4,02,92,500					
						कार्य पूर्ण	19/04/2014	18/07/2014	31/03/2016	622	7,05,97,000					
<b>कुल</b>											<b>12,41,69,000</b>					

## परिशिष्ट—4.7

(कांडिका 4.1.20 में संदर्भित)

### वन मंजूरी प्राप्त करने में विलंब

परियोजना / सङ्क का नाम / अनुबंध की तिथि	कारण के साथ लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	कंपनी का उत्तर	लेखापरीक्षा की अतिरिक्त टिप्पणी
ग्वालियर-9 / सतनवाड़ा नरवर (एम.डी.आर.) / 27 जनवरी 2012	<p>रियायत अनुबंध में सङ्क की नौ किलोमीटर की लम्बाई में वन क्षेत्र की भूमि के उपयोग का विवरण था, लेकिन संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सङ्क विकास निगम लिमिटेड, ग्वालियर द्वारा माधव नेशनल पार्क में सङ्क के 10.00 मीटर तक के चौड़ीकरण की अनुमति के प्रस्ताव में अधूरी जानकारी थी (अप्रैल 2013) जैसे आवश्यक क्षेत्र के विवरण नहीं दिये गए, अपूर्ण चेकलिस्ट इत्यादि। कंपनी द्वारा कमियों का अनुपालन करने के बाद, सङ्क को चौड़ा करने की अनुमति के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया (जून 2013)। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रस्ताव की सिफारिश (अगस्त 2014) इस शर्त पर की कि केवल सङ्क की उपरी सतह की मौजूदा चौड़ाई (3.05 मीटर) की मरम्मत की जाएगी और इसी अनुसार रियायतग्राही द्वारा सङ्क का निर्माण किया गया।</p>	उत्तर मिलना अभी बाकी है।	इस कारण अपर्याप्त चौड़ाई के कारण वन क्षेत्र से गुजरने वाली सङ्क पर ब्लैक स्पॉट <sup>4</sup> भी बने।
रीवा-एन.एच.-75 (1) / बमीठा-पन्ना-नागोद-सतना (एन.एच.) / 20 जनवरी 2012	<p>कंपनी को अगस्त 2009 में सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा परियोजना का कार्य सौंपा गया। तथापि, पन्ना टाइगर रिजर्व में 31.200 हेक्टेयर (13 किमी) में सङ्क के उन्नयन और चौड़ीकरण के लिए संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सङ्क विकास निगम लिमिटेड, रीवा ने 19 महीने के विलंब से आवेदन किया था (अप्रैल 2011)।</p> <p>विलंब के कारण, भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत न करना और पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली सङ्क का नक्शा वन विभाग से प्राप्त करने में विलंब थे। इसके बाद, कंपनी के प्रस्ताव अतिरिक्त जानकारी जैसे कि प्रस्तावित अंडरपास, पुलिया, सुरंग, पलाई ओवर के विवरण एवं निर्धारित प्रारूप में जानकारी इत्यादि के अभाव में अधूरे रह गए। सङ्क के चौड़ीकरण के लिए अंतिम अनुमोदन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 06 जनवरी 2014 को दिया गया। इसने कार्य की धीमी प्रगति और बाद में परियोजना के निलंबन में भी योगदान दिया।</p>	कंपनी ने 16 दिसंबर 2014 को अंतिम अनुमति प्राप्त कर ली और 17 जनवरी 2018 को अनुबंध को निलंबित कर दिया गया, इसलिए वन मंजूरी के कारण परियोजना में विलंब नहीं हुआ।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 11 मई 2013 की नियुक्ति तिथि से पहले अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी, यह दर्शाता है कि वन मंजूरी भी विलंब और बाद में परियोजना के निलंबन का एक कारक था।
सागर-एस.एच.-37 / टीकमगढ़-ओरछा (एस.एच.) / 05 नवंबर 2011	<p>ओरछा अभ्यारण्य में सङ्क की मरम्मत और रखरखाव के लिए अनुमति का प्रस्ताव संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सङ्क विकास निगम लिमिटेड, सागर द्वारा प्रस्तुत किया गया (मार्च 2009) और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने इस शर्त के साथ स्वीकार किया (अक्टूबर 2010) कि किसी नई सङ्क का निर्माण नहीं किया जाएगा और टिप्पणी कि कि प्रस्तावित सङ्क के उन्नयन के प्रस्ताव हेतु औचित्य की आवश्यकता भी होगी। तथापि, कंपनी ने केवल मरम्मत और रखरखाव के मौजूदा प्रस्ताव की कार्रवाई जारी रखी, लेकिन रियायत अनुबंध सङ्क के उन्नयन और चौड़ीकरण के लिए निष्पादित किया।</p> <p>परिणामस्वरूप, निर्माण अवधि के दौरान निर्माण कार्य के लिए ई.पी.सी. ठेकेदार द्वारा मशीनरी और उपकरण जुटाए गए, लेकिन वन विभाग द्वारा उन्हें वन अनुमति ना होने के कारण जब्त कर लिया गया और कार्य</p>	उत्तर मिलना अभी बाकी है।	लागू नहीं

<sup>4</sup> सङ्क हादसे का अधिक खतरा।

परियोजना/ सङ्क का नाम/ अनुबंध की तिथि	कारण के साथ लेखापरीक्षा आपत्तियां	कंपनी का उत्तर	लेखापरीक्षा की अतिरिक्त टिप्पणी
	रुक गया। कंपनी ने रियायत अनुबंध निलंबित किया (फरवरी 2013) और ऋणदाता द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित किया गया। बाद वाले रियायतग्राही द्वारा ₹ 47.56 करोड़ की परियोजना लागत बढ़ाकर ₹ 72.60 करोड़ कर दी गई, जिसका मुख्य कारण ₹ 14.60 करोड़ की प्रति-क्रय लागत को शामिल करना था। प्रतिस्थापित रियायतग्राही भी परियोजना को पुनर्जीवित नहीं कर सका। नवंबर 2018 तक भी कार्य पूर्ण नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप तीन साल से अधिक का विलंब हुआ।		
भोपाल-1 / बैतूल आठनेर (एम.डी.आर.)/ 04 जनवरी 2012	रियायत अनुबंध के अनुसार, 4.60 किलोमीटर के वन क्षेत्र सहित पूरी सङ्क को 10 मीटर चौड़ाई (5.50 मीटर कैरिजवे और 2.25 मीटर शोल्डर्स दोनों तरफ) में उन्नयन किया जाना था। जबकि, वन क्षेत्र में उपलब्ध राइट ऑफ वे 9.30 मीटर से 18.50 मीटर की सीमा में था, कंपनी ने वन विभाग से इस स्पष्टीकरण के साथ संपर्क नहीं किया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश (नवंबर 2006) के अनुसार, वन क्षेत्र में उपलब्ध राइट ऑफ वे में कार्य के निष्पादन के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, वन विभाग ने वन क्षेत्र में केवल 6.0 मीटर चौड़ाई में सङ्क के उन्नयन की अनुमति दी (दिसंबर 2012), वह भी इस शर्त के साथ कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति के बिना सङ्क का चौड़ीकरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी, कंपनी ने न तो मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के बारे में वन विभाग को स्पष्ट किया और न ही केंद्र सरकार से सङ्क के चौड़ीकरण की अनुमति प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किए। परिणामस्वरूप, वन क्षेत्र में इन्टरमिडिएट लेन (5.50 मीटर कैरिजवे) के प्रस्तावित निर्माण के स्थान पर सिंगल लेन (3.75 मीटर कैरिजवे) सङ्क का निर्माण किया गया।	उत्तर मिलना अभी बाकी है।	लागू नहीं
इंदौर-एस.एच.-1/ खंडवा देडलाई बुरहानपुर (एस. एच.)/28 जुलाई 2011	संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सङ्क विकास निगम लिमिटेड, इंदौर ने मौजूदा राइट ऑफ वे पर 6 किलोमीटर के वन क्षेत्र में सङ्क के उन्नयन/ पुनर्निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन किया (मई 2009)। तथापि, अनुमति इस शर्त के साथ दी (फरवरी 2010) गई कि उन्नयन केवल 3.85 मीटर चौड़ाई में किया जाएगा और केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कोई भी चौड़ीकरण नहीं किया जाएगा। कंपनी ने सङ्क के चौड़ीकरण के लिए अनुबंध किया। कंपनी ने वन विभाग को स्पष्ट किया (दिसंबर 2012) कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों (नवंबर 2006) के अनुसार वन क्षेत्र में मौजूदा राइट ऑफ वे में कार्य के निष्पादन के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, वन विभाग ने (फरवरी 2013) निर्माण कार्य रोक दिया। वन विभाग ने फिर से केंद्र से 3.5 मीटर के लिए संशोधित यानी 7.0 मीटर की चौड़ाई के लिए अनुमति दी (फरवरी 2013)। इस प्रकार, कंपनी द्वारा कार्रवाई में विलंब से वन अनुमति प्राप्त करने में विलंब हुआ।	कंपनी ने कहा (जुलाई 2019) कि वन क्षेत्र में सङ्क निर्माण की अनुमति (फरवरी 2010) नियुक्ति तिथि से पहले स्पष्ट नहीं करने के कारण फरवरी 2013 तक 7.0 मीटर के बजाय केवल 3.85 मीटर चौड़ाई में उन्नयन के लिए अनुमति दी गई थी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियुक्ति तिथि से पहले स्पष्ट नहीं करने के कारण फरवरी 2013 तक 7.0 मीटर के बजाय केवल 3.85 मीटर चौड़ाई में उन्नयन के लिए अनुमति दी गई थी।

**परिशिष्ट—4.8**  
**(कांडिका 4.1.20 में संदर्भित)**  
**राइट ऑफ वे प्रदान करने में विलंब**

सङ्कक का नाम और अनुबंध की तिथि	कारण के साथ लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	कंपनी का उत्तर	लेखापरीक्षा की अतिरिक्त टिप्पणी
इंदौर—एस.एच. —1 / 28 जुलाई 2011	व्यवहार्यता प्रतिवेदन और एस.एल.इ.सी. के प्रस्ताव में परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण नहीं दिया गया था। तथापि, संयुक्त दौरे (03 जनवरी 2012) के समय, रियायतग्राही ने देखा (फरवरी 2012) कि कार्य पूर्ण करने के लिए 58.13 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहित करने की आवश्यकता थी और कंपनी से उसी के लिए राइट ऑफ वे प्रदान करने का अनुरोध किया। तथापि, कंपनी, रियायतग्राही को समय पर भूमि उपलब्ध कराने में असफल रही और प्रस्तावित सङ्कक पर अतिक्रमण, मंदिरों, पानी की पाइपलाइन, खंभे आदि के कारण नियुक्ति तिथि तक केवल 79.08 प्रतिशत जमीन उपलब्ध कराई गई। संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सङ्कक विकास निगम लिमिटेड, इंदौर द्वारा खंडवा शहर क्षेत्र के 3.760 किलोमीटर में भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाने, मंदिरों के स्थानांतरण, पेड़ काटने आदि के मामले, राज्य प्रशासन के साथ रियायत अनुबंध की तिथि से 32 महीने के विलंब के साथ उठाये (मार्च 2014)। परिणामस्वरूप, रियायतग्राही को आवश्यक राइट ऑफ वे प्रदान नहीं किया जा सका और कंपनी ने 3.760 किलोमीटर में संकरी सङ्कक बनाने का निर्णय लिया (मार्च 2014)।	कंपनी ने कहा (जुलाई 2019) कि नियुक्ति तिथि से पहले, परियोजना की साइट रियायतग्राही को सौंप दी गई।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने रियायतग्राही को अपेक्षित चौड़ाई का आवश्यक राइट ऑफ वे प्रदान नहीं किया था, जिसके लिए कार्य क्षेत्र में ऋणात्मक परिवर्तन को भी मंजूरी दी गई थी। कार्य पूर्ण होने में 23 माह का विलंब भी हुआ।
रीवा—एन.एच. —1 / 25 जनवरी 2012	हालाँकि, संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सङ्कक विकास निगम लिमिटेड, रीवा ने 89.30 किलोमीटर लम्बाई में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया समय पर शुरू की (मार्च 2011), स्वतन्त्र अभियंता द्वारा सङ्कक निर्माण में 307 अवरोध बताए गए (सितंबर 2013)। परिणामस्वरूप, जनवरी 2014 और अप्रैल 2016 तक भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना के प्रकाशन में विलंब हुआ। इसके बाद भी, अधिसूचना में शामिल भूमि का विवरण राज्य भूमि के अभिलेखों के विवरण से मेल नहीं खाया। आगे, अक्टूबर 2018 में 5.99 हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए भी अधिसूचना जारी की गई। परिणामस्वरूप, कंपनी नियुक्ति तिथि (20 फरवरी 2013) के बाद भी 80 प्रतिशत निजी भूमि प्रदान करने में विफल रही। निर्धारित पूर्णता तिथि (20 फरवरी 2015) तक रियायतग्राही पूरी सङ्कक की लंबाई (89.30 किलोमीटर) में से 55 प्रतिशत भौतिक प्रगति (49.63 किलोमीटर) प्राप्त कर सका, जिसके लिए 07 फरवरी 2015 को स्वतन्त्र अभियंता द्वारा अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया। जमीन की अनुपलब्धता के कारण रियायतकर्ता वांछित प्रगति हासिल नहीं कर सका। कार्य में एक साल का विलंब हुआ।	कंपनी द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।	लागू नहीं।
इंदौर—2 / 05 दिसंबर 2011	संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सङ्कक विकास निगम लिमिटेड, इंदौर ने रियायत अनुबंध होने के पश्चात लोक निर्माण विभाग, खंडवा को मुंदी—पुनासा सङ्कक (23 किलोमीटर) और नर्मदा जल—विद्युत विकास निगम लिमिटेड को पुनासा—सुलगांव—सनावद सङ्कक (40 किलोमीटर) सौंपने का अनुरोध किया (मार्च 2012)। मुंदी—पुनासा सङ्कक लोक निर्माण विभाग, खंडवा द्वारा और पुनासा—सुलगांव—सनावद सङ्कक नर्मदा जलविद्युत विकास निगम लिमिटेड द्वारा क्रमशः अप्रैल 2012 और अगस्त 2012 में,	कंपनी का उत्तर मिलना अभी बाकी है।	लागू नहीं।

सङ्गठक का नाम और अनुबंध की तिथि	कारण के साथ लेखापरीक्षा आपत्तियां	कंपनी का उत्तर	लेखापरीक्षा की अतिरिक्त टिप्पणी
	<p>नियुक्ति तिथि (19 मार्च 2012) के बाद सौंप दी गई। इसलिए, कंपनी अन्य एजेंसियों से सङ्गठक समय पर लेने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप बाद में रियायतग्राही को सङ्गठक सौंपने में विलंब हुआ। कंपनी और रियायतग्राही के बीच विवाद के बाद, माध्यस्थम अधिकरण (नवंबर 2015) ने नियुक्ति तिथि पुनः निर्धारित करते हुए 31 अगस्त 2012 तय की और कंपनी को साइट सौंपने में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति राशि और उस पर ब्याज देने का निर्देश दिया। रियायतग्राही द्वारा कम्पनी से साइट सौंपने में विलंब के लिए ₹ 1.22 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि, नियुक्ति तिथि के पुनः निर्धारण के कारण ₹ 7.50 करोड़ के अतिरिक्त शीघ्र पूर्णता बोनस राशि एवं इन पर ₹ 1.25 करोड़ के ब्याज की मांग की गई (जनवरी 2016)। हालांकि, कंपनी के आवेदन (जनवरी 2016) के आधार पर, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भोपाल द्वारा स्थगन दिया गया है; इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय अभी तक लंबित है (मार्च 2019)।</p>		
उज्जैन—एस. एच.—३ / 12 जून 2013	<p>संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सङ्गठक विकास निगम लिमिटेड, उज्जैन ने प्रारंभ में 66.388 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अप्रैल 2013 और जून 2013), तथापि, भूमि की आवश्यकता को संशोधित करते हुए, फरवरी 2014 में 43.091 हेक्टेयर और जून 2014 में 42.978 हेक्टेयर किया गया। अंततः 36.010 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए अधिनिर्णय जारी किया गया। इस प्रकार, कंपनी ने भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव का कई बार संशोधित किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी द्वारा भूमि का सर्वेक्षण पर्याप्त नहीं था।</p> <p>परिणामस्वरूप, कंपनी रियायतग्राही को निर्धारित समय पर जमीन नहीं सौंप सकी, जिससे कंपनी द्वारा नियुक्ति तिथि को 02 फरवरी 2014 से बदलकर 05 मई 2014 तय करके परिणामी ₹ 2.97 करोड़ की 92 दिनों की शीघ्र पूर्णता बोनस राशि का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।</p>	<p>कंपनी ने कहा (मई 2019) कि रियायतग्राही द्वारा कार्य को शीघ्र पूर्ण करना और नियुक्ति तिथि में छूट असंबंधित मुद्दे हैं। आगे कहा गया (सितंबर 2019) कि रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार बोनस दिया गया है।</p>	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने खुद स्वीकार किया था कि रियायतग्राही ने जमीन सौंपने से पहले कार्य शुरू किया था, इसलिए, यह भी शीघ्र समाप्त बोनस के लिए एक कारक था।
रीवा—एस.एच. —४ / 06 मई 2010	<p>संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सङ्गठक विकास निगम लिमिटेड, रीवा ने रियायत अनुबंध की तिथि के तीन साल बाद कलेक्टर, सतना को अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जून 2013)। भूमि के अधिनिर्णय के लिए अंतिम अधिसूचना दिसंबर 2013 में जारी की गई थी। इस बीच, रियायतग्राही ने सतना—मझगवां का हिस्सा (कुल 54 प्रतिशत भौतिक प्रगति) पूर्ण किया (जून 2013) और नवंबर 2013 में ई.पी.सी. ठेकेदार से सम्बंधित परेशानियों एवं अपर्याप्त राईट ऑफ वे का हवाला देते हुए परियोजना पर सभी निर्माण गतिविधियों को बंद कर दिया। तदनुसार, कंपनी ने मझगवां—चित्रकूट की शेष परियोजना को निलंबित कर दिया (मई 2015), जिसमें ₹ 56.05 करोड़ लागत का कार्य लंबित था। शेष कार्य पूर्ण करने हेतु, इसे ई.पी.सी. माध्यम पर ₹ 61.88 करोड़ की लागत पर प्रदान किया गया (अगस्त 2015), जिसे सितंबर 2017 तक पूर्ण होना था। इस कारण परियोजना की लागत में ₹ 5.83 करोड़ की वृद्धि के अलावा परियोजना के पूर्ण होने के लिए सरकारी धन का उपयोग करना पड़ा। कार्य अभी भी प्रगति पर है (फरवरी 2019)।</p>	<p>कंपनी का उत्तर मिलना अभी बाकी है।</p>	लागू नहीं।

## परिशिष्ट-4.9

(कांडिका 4.1.26 में संदर्भित)

## निलंबित परियोजनाओं के मामले में एस्क्रो खाते से आहरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वित्तपोषण अनुबंध के अनुसार परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	निलंबन की तिथि	निलंबन के समय भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	निलंबन के समय वित्तीय प्रगति (₹ करोड़ में)	निलंबन तक एस्क्रो खाते से आहरित राशि (₹ करोड़ में)	अधिक आहरण (₹ करोड़ में)	निलंबन के बाद आहरण (₹ करोड़ में)
1	ग्वालियर-एस.एच.-2	165.75	06 / 04 / 2015	6.72	11.13	79.12	67.99	3.98
2	ग्वालियर-9	158.79	09 / 04 / 2015	27.71	44.00	96.16	52.16	2.75
3	रीवा-एन.एच.-75 (2)	483.03	29 / 05 / 2017	33.56	162.10	184.95	22.85	0.28
4	रीवा-एन.एच.-75 (1)	244.38	17 / 01 / 2018	49.80	121.70	225.15	103.45	0.09
5	ग्वालियर-8	74.77	09 / 04 / 2015	37.56	28.08	57.02	28.94	—
6	एस.एच.-54	211.60	18 / 11 / 2016	56.00	118.50	175.30	56.80	—
कुल							332.19	7.10

## परिशिष्ट – 5.1

(कांडिका 5.1 मे संदर्भित)

**निर्धारण वर्ष 2008–09 से 2018–19 तक आयकर विवरणी दाखिल करने में विलंब के कारण ब्याज के भुगतान को दर्शाने वाले ब्यौरे का विवरण**

निर्धारण वर्ष	मूल रिटर्न दाखिल करने की तिथि	भरने की निर्धारित तिथि	मूल रिटर्न दाखिल करने में देरी (दिनों में)	धारा 234क के तहत राशि (₹ में)	धारा 234ख के तहत राशि (₹ में)	धारा 234ग के तहत राशि (₹ में)	ब्याज भुगतान की राशि (₹ में)
2008–09	24–अगस्त–2009	30–सितम्बर–2008	328	1,42,263.00	2,19,861.00	1,32,354.00	4,94,478.00
2009–10	09–मार्च–2011	30–सितम्बर–2009	525	45,270.00	60,360.00	12,697.00	1,18,327.00
2010–11	29–मार्च–2012	30–सितम्बर–2010	546	11,20,158.00	1,493,544.00	78,220.00	26,91,922.00
2011–12	30–मार्च–2013	30–सितम्बर–2011	547	15,94,296.00	2,143,464.00	4,47,288.00	41,85,048.00
2012–13	29–मार्च–2014	30–सितम्बर–2012	546	13,27,932.00	1,497,925.00	3,72,559.00	31,98,416.00
2013–14	12–मार्च–2014	30–सितम्बर–2013	438	22,092.00	27,672.00	7,971.00	57,735.00
2014–15	31–मार्च–2016	30–सितम्बर–2014	548	0	0	99,351.00	99,351.00
2015–16	29–मार्च–2017	30–सितम्बर–2015	546	2,15,424.00	3,04,128.00	63,993.00	5,83,545.00
2016–17	23–मार्च–2018	30–सितम्बर–2016	541	0	0	0	0
2017–18 <sup>1</sup>	—	30–सितम्बर–2017	—	0	0	15,573.00	15,573.00
2018–19	27–मार्च–2019	30–सितम्बर–2018	544	0	0	0	0
<b>योग</b>				<b>44,67,435.00</b>	<b>57,46,954.00</b>	<b>12,30,006.00</b>	<b>1,14,44,395.00</b>

<sup>1</sup> दि प्रॉविडेन्ट इंवेस्टमेन्ट कंपनी लिमिटेड (कंपनी) ने निर्धारित समयावधि के भीतर निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया और प्रबंधन में पूर्ण परिवर्तन एवं वित्त वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी ऑडिट का लंबित अनुपालन जो समय के लिए वर्जित हो गया है के कारण आयकर रिटर्न दाखिल करने में हुई देरी का हवाला देते हुए आयकर विभाग से देरी को माफ़ करने का अनुरोध किया (02 अगस्त 2018) और भौतिक रूप में 2017–18 के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत किया गया, जिसे आयकर विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और बाद में अनुरोध को खारिज कर दिया गया (26 अप्रैल 2019)। ज्ञात हो कि आंकड़े निर्धारित वर्ष 2018–19 के भौतिक आईटीआर–6 से लिए गए हैं।



©  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
2020  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.agmp.nic.in](http://www.agmp.nic.in)